Vol. 266
No. 16

Tuesday,
17th December, 2024
26 Agrahayana, 1946 (Saka)

PARLIAMENTARY DEBATES

RAJYA SABHA

OFFICIAL REPORT (FLOOR VERSION)

(PART-II)

CONTENTS

Obituary References (page 1)

Papers Laid on the Table (pages 1-28)

Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing — *Laid on the Table* (page 28)

Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Defence — *Laid on the Table* (page 29)

Reports of the Committee on Public Accounts — *Laid on the Table* (pages 29-30)

Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Rural Development and Panchayati Raj— *Laid on the Table* (page 30)

Statement by Minister-

Status of implementation of recommendations contained in the 123rd and 130th Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Health and Family Welfare— *Laid on the Table* (pages 30-31)

©
RAJYA SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

Discussion on the "Glorious Journey of 75 Years of the Constitution of India"- Concluded (pages 31 -33, 34-139 and 140-181)

Welcome to Parliamentary Delegation from Armenia (pages 33-34)

Message from Lok Sabha - *Reported and Government Bill laid on the Table*

Appropriation (No.3) Bill, 2024. (page 139)

[Answers to Starred and Un-starred Questions (Both in English and Hindi) are available as Part — I to this Debate, published electronically on the Rajya Sabha website under the link https://rajyasabha.nic.in/Debates/OfficialDebatesDateWise]

Website : http://rajyasabha.nic.in
https://sansad.in/rs
E-mail: rsedit-e@sansad.nic.in

Contents Page

RAJYA SABHA

Tuesday, the 17th December, 2024/26 Agrahayana, 1946 (Saka)

The House met at eleven of the clock,
MR. CHAIRMAN *in the Chair.*

OBITUARY REFERENCES

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, with profound grief, I refer to the passing away of renowned *tabla* maestro, Ustad Zakir Hussain, on 15th December, 2024. Born on 9th March, 1951 in Mumbai, Ustad Zakir Hussain transcended the boundaries of art and culture, elevating Indian music to global prominence. As an iconic ambassador of Indian classical music, he bridged cultural divides, bringing the rich traditions of Indian percussion to the global stage. His extraordinary contributions were widely recognised, including through the awards Padma Shri in 1988, Padma Bhushan in 2002 and Padma Vibhushan in 2023. In a historic moment in 2024, he became the first Indian artist to win three Grammy Awards in a single night, cementing his place in the pantheon of global musical greatness. Forever remaining a student of music, *that is in his own words,* Ustad Zakir Hussain, is leaving behind a legacy of unmatched artistry and humility. His contributions will continue to inspire future generations of musicians and music lovers alike. With his passing, India has lost a true musical genius, but he will forever be remembered by all who were touched by his enchanting music.

I request all the Members to rise in their places and observe a moment of silence as a mark of respect to his enduring memory.

(Hon. Members then stood in silence for one minute.)

Secretary-General will convey to the members of the bereaved family our sense of profound sorrow and deep sympathy.

PAPERS LAID ON THE TABLE

MR. CHAIRMAN: Papers to be laid on the Table.

I. Notifications of the Ministry of AYUSH

Contents Page

II. Report and Accounts (2023-24) of IMPCL, Almora, Uttarakhand and related papers

III. Report and Accounts (2023-24) of NCISM, New Delhi; NCH, New Delhi and related papers

IV. Report and Accounts (2023-24) of CCRYN, New Delhi and related papers

V. Notifications of the Ministry of Health and Family welfare

VI. Reports and Accounts (2023-24) of various AIIMS and related papers

VII. Report and Accounts (2023-24) of CMSS New Delhi; NHSRC, New Delhi and related papers

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRIMATI ANUPRIYA PATEL): Sir, I lay on the Table:-

I. (i) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of AYUSH Notification No. BUSS/Siddha PG Regl./2023, dated the 30th September, 2024, publishing the National Commission for Indian System of Medicine (Minimum Essential Standards, Assessment and Rating for Postgraduate Institutions and Minimum Standards of Postgraduate Siddha Education) Regulations, 2024, under Section 56 of the National Commission for Indian System of Medicine Act, 2020.

(ii) A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of AYUSH, under Section 38 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940:-

(1) G.S.R. 669(E)., dated the 29th October, 2024, publishing the Drugs (Fifth Amendment) Rules, 2024.

(2) G.S.R. 660(E)., dated the 21st November, 2024, publishing a Corrigendum to the Notification No. G.S.R. 669(E), dated the 28th October, 2024.

II. A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (1) (b) of Section 394 of the Companies Act, 2013: -

(a) Forty-sixth Annual Report and Accounts of the Indian Medicines Pharmaceutical Corporation Limited, (IMPCL), Almora, Uttarakhand, for the year 2023-24, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Review by Government on the working of the above Corporation.

III. A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (4) of Section 41 and of sub-section (3) of Section 42 the National Commission for Indian

Contents Page

System of Medicine Act, 2020: -

(i) (a) Annual Report and Accounts of the National Commission for Indian System of Medicine (NCISM), New Delhi, for the year 2023-24, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Commission.

(ii) (a) Annual Report and Accounts of the National Commission for Homoeopathy (NCH), New Delhi, for the year 2023-24, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Corporation.

IV. A copy each (in English and Hindi) of the following papers: -

(a) Annual Report and Accounts of the Central Council for Research in Yoga & Naturopathy (CCRYN), New Delhi, for the year 2023-24 together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Council.

V. A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Health and Family welfare, under Section 93 of the Food Safety and Standards Act, 2006: -

(1) No. STD/FA/38/FSSAI(Part-1)., dated the 23rd October, 2024, publishing the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) First Amendment Regulations, 2024, along with Extract of the Regulations.

(2) G.S.R. 678(E)., dated the 30th October, 2024, publishing the Food Safety and Standards (Amendment) Rules, 2024, along with Extract of the Rules.

VI. A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (4) of the Section 18 and Section 19 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 (as amended in 2012): -

(i) (a) Fourth Annual Report and Accounts of the All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), Guwahati, Assam, for the year 2023-24, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Institute.

(ii) (a) Twelfth Annual Report and Accounts of the All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), Raipur, Chhattisgarh, for the year 2023-24, together with the Auditor's Report on the Accounts.

Contents Page

(b) Review by Government on the working of the above Institute.

(iii) (a) Fifth Annual Report and Accounts of the All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), Bathinda, Punjab, for the year 2023-24, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Institute.

(iv) (a) Annual Report and Accounts of the All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), Rishikesh, Uttarakhand, for the year 2023-24, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Institute.

(v) (a) Annual Report and Accounts of the All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), Madurai, Tamil Nadu, for the year 2023-24, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Institute.

(vi) (a) Annual Report and Accounts of the All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), Mangalagiri, Andhra Pradesh, for the year 2023-24, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Institute.

(vii) (a) Sixth Annual Report and Accounts of the All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), Nagpur, Maharashtra, for the year 2023-24, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Institute.

VII. A copy each (in English and Hindi) of the following papers:-

(i) (a) Annual Report and Accounts of the Central Medical Services Society (CMSS), New Delhi, for the year 2023-24, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Society.

(ii) (a) Annual Report of the National Health Systems Resource Centre (NHSRC), New Delhi, for the year 2023-24.

(b) Annual Accounts of the National Health Systems Resource Centre (NHSRC), New Delhi, for the year 2023-24, and the Audit Report thereon.

(c) Review by Government on the working of the above Centre.

Report and Accounts (2023-24) of NISE, Gurugram, Haryana and related papers

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY

Contents Page

(SHRI SHRIPAD YESSO NAIK): Sir, I lay on the Table, a copy each (in English and Hindi) of the following papers:

(a) Annual Report and Accounts of the National Institute of Solar Energy (NISE), Gurugram, Haryana for the year 2023-24, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Institute.

I. Notifications of the Ministry of Finance

II. Report and Accounts (2023-24) of IRDAI, Hyderabad, Telangana and related papers

III. Statement on Half Yearly Review of the trends in receipts and expenditure in relation to the Budget

IV. Review on the Performance of RRBs (2023-24) and Public Enterprises Survey Annual Report (2023-24) on the performance of Central Public Sector Enterprises

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

I. (i) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/210., dated the 20th November, 2024, publishing the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) (Second Amendment) Regulations, 2024, issued under sub-sections (1) and (2) of Section 11 and Section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and clause (f) of sub-section (2) of Section 68 of the Companies Act, 2013.

(ii) A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), under Section 31 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992: -

(1) SEBI/LAD-NRO/GN/2024/211.., dated the 20th November, 2024, publishing the Securities and Exchange Board of India (Bankers to an Issue) (Amendment) Regulations, 2024.

(2) SEBI/LAD-NRO/GN/2024/214., dated the 29th November, 2024, publishing the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) (Amendment) Regulations, 2024.

(iii) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/212, dated the 28th November, 2024, publishing the Securities and Exchange Board of India (Attestation

Contents Page

of Documents) (Amendment) Regulations, 2024, under sub-section (3) of Section 31 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, Section 31 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992, Section 27 of the Depositories Act, 1996 and sub-section (4) of Section 469 of the Companies Act, 2013.

(iv) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/213., dated the 30th November, 2024, publishing the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Third Amendment) Regulations, 2024, under Section 31 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and Section 27 of the Depositories Act, 1996.

(v) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) Draft Notification No. Nil, dated the Nil, 2024, directing that Section 25 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 shall not apply to financial products, financial services or financial institutions, as the case may be, in an International Financial Services Centre, under sub-section (2) of Section 31 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019.

(vi) A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), under Section 25 of the Coinage Act, 2011: -

(1) G.S.R. 539(E)., dated the 6th September, 2024, publishing the Coinage (Issue of Commemorative Coin on the occasion of Birth Centenary of H.H. Shri Mataji Nirmala Devi) Rules, 2024.

(2) G.S.R. 563(E)., dated the 11th September, 2024, publishing the Coinage (Issue of Commemorative Coin on the occasion of State Bank of India, Mumbai Main Branch Building Centenary Year) Rules, 2024.

(3) G.S.R. 564(E)., dated the 11th September, 2024, publishing the Coinage (Issue of Commemorative Coin on the occasion of Shree Swaminarayan Mandir, VadtaldhamDwishatabdi Mahotsav) Rules, 2024.

(4) G.S.R. 565(E)., dated the 11th September, 2024, publishing the Coinage (Issue of Commemorative Coin on the occasion of Diamond Jubilee Year of Official Language) Rules, 2024.

(5) G.S.R. 578(E)., dated the 18th September, 2024, publishing the Coinage (Issue of Commemorative Coin on the occasion of 75th Foundation Year of Central Silk Board) Rules, 2024.

(6) G.S.R. 685(E)., dated the 4th November, 2024, publishing the Coinage (Issue of Commemorative Coin on the Occasion of Diamond

Contents Page

Jubilee of Birla Institute of Technology and Science, Pilani) Rules, 2024.

(7) G.S.R. 686(E)., dated the 4th November, 2024, publishing the Coinage (Issue of Commemorative Coin on the Occasion of 150th Birth Anniversary of Jain Acharya Shrimad BuddhisagarSurishwarjiMaharajji) Rules, 2024.

(8) G.S.R. 700(E)., dated the 12th November, 2024, publishing the Coinage (Issue of Commemorative Coin on the occasion of "150th Birth Anniversary of Bhagwan Birsa Munda Ji") Rules, 2024.

(9) G.S.R. 710(E)., dated the 18th November, 2024, publishing the Coinage (Issue of Commemorative Coin on the occasion of 2800thNirvanKalyanak of Parshvanath Bhagwan) Rules, 2024.

(10) G.S.R. 711(E)., dated the 18th November, 2024, publishing the Coinage (Issue of Commemorative Coin on the occasion of 2900thJan Kalyanak of Parshvanath Bhagwan) Rules, 2024.

(11) G.S.R. 714(E)., dated the 19th November, 2024, publishing the Coinage (Issue of Commemorative Coin on the occasion of 125th Birth Anniversary of Dr. Hare krushna Mahtab) Rules, 2024.

(12) G.S.R. 718(E)., dated the 20th November, 2024, publishing the Coinage (Issue of Commemorative Coin on the occasion of 75th Anniversary of Constitution) Rules, 2024.

(13) G.S.R. 728(E)., dated the 25th November, 2024, publishing the Coinage (Issue of Commemorative Coin on the occasion of Centenary celebration of Mysore Medical College and Research Institute) Rules, 2024.

(vii) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Finance (Department of Financial Services) Notification No. S.O. 5257(E)., dated the 6th December, 2024, publishing the General Insurance (Rationalisation of Pay Scales and other Conditions of Service of Officers) Amendment Scheme, 2024, under sub-section (5) of Section 17A of the General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972.

(viii) A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Finance (Department of Financial Services), under sub-section (2) of Section 30 of the Regional Rural Banks Act, 1976:-

(1) No. HO: HRD: 2024/3357, dated the 10th July, 2024, publishing the Punjab Gramin Bank (Officers & Employees) Service (Amendment) Regulations, 2024.

(2) No. HPGB/HO/HRD/2024., dated the 11th July, 2024, publishing the

Himachal Pradesh Gramin Bank (Officers and Employees) Service (Amendment) Regulations, 2024.

(3) No. PUPGB.1/2024., dated the 11th July, 2024, publishing the Prathama UP Gramin Bank (Officers & Employees) Service (Amendment) Regulations, 2024.

(4) No UGB/HO/2024-25/PER/661., dated the 25th July, 2024, publishing the Uttarakhand Gramin Bank (Officers & Employees) Service (Amendment) Regulations, 2024.

(5) No. DBGB 1/2024., dated the 6th August, 2024, publishing the Dakshin Bihar Gramin Bank (Officers & Employees) Service (Amendment) Regulations, 2024.

(6) No. AGVB/PER/ESTT-B/01/2024-25., dated the 6th August, 2024, publishing the Assam Gramin Vikash Bank (Officers and Employees) Service (Amendment) Regulations, 2024.

(7) SGB/HO/PER/19638/2024., dated the 22nd August, 2024, publishing the Saurashtra Gramin Bank (Officers And Employees) Service (Amendment) Regulations, 2024.

(8) No. JKGB/HO/HRDD/2024-25/2978., dated the 22nd August, 2024, publishing the J&K Grameen Bank (Officers & Employees) Service (Amendment) Regulations, 2024.

(9) No. APGVB — SR — Amendment/2024., dated the 27th August, 2024, publishing the Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank (Officers & Employees) Service (Amendment) Regulations, 2024.

(10) HO/HRD/17/24-25/1151., dated the 27th August, 2024, publishing the Uttar Bihar Gramin Bank (Officers & Employees) Service (Amendment) Regulations, 2024.

(11) No. BGVB/HO/HR/4637/2024-25., dated the 9th September, 2024, publishing the BangiyaGramin Vikash Bank (Officers and Employees) Service (Amendment) Regulations, 2024.

(12) No. HO/HRDD/2024/1891., dated the 10th September, 2024, publishing the Sarva Haryana Gramin Bank (Officers & Employees) Service (Amendment) Regulations, 2024.

(13) No. KGB/Service Regulation (Amendment)/1/2024., dated the 11th September, 2024, publishing the Kerala Gramin Bank (Officers & Employees) Service (Amendment) Regulations 2024.

(14) No. VKGB/HO/HRD/MRS/2024-25/25., dated the 11th September, 2024, publishing the Vidharbha Konkan Gramin Bank (Officers &

Employees) Service (Amendment) Regulations, 2024.

(15) No. MGB/Service Regulation (Amendment)/2024., dated the 13th September, 2024, publishing the Maharashtra Gramin Bank (Officers & Employees) Service (Amendment) Regulations, 2024.

(16) No. TNGB/2024., dated the 13th September, 2024, publishing the Tamil Nadu Grama Bank (Officers & Employees) Service (Amendment) Regulations, 2024.

(17) No. BUPB/1019, dated the 19th September, 2024 publishing the Baroda U.P. Bank (Officers & Employees) Service (Amendment) Regulations, 2024.

(18) No. JRGB/Service(Amendment)/2024-25., dated the 19th September, 2024, publishing the Jharkhand Rajya Gramin Bank (Officers and Employees) Service (Amendment) Regulations, 2024.

(19) No. RMGB/SR Amendment/10/2024., dated the 19th September, 2024, publishing the Rajasthan MarudharaGramin Bank (Officers & Employees) Service (Amendment) Regulations, 2024.

(20) No. 904/APGB/PHRD/DFS., dated the 27th September, 2024, publishing the Andhra PragathiGrameena Bank (Officers & Employees) Service (Amendment) Regulations, 2024.

(21) No. NB.HO.IDD.Policy/182/316(Service Regulation)/2024-25., dated the 8th October, 2024, publishing the Karnataka Vikas Grameena Bank (Officers & Employees) Service (Amendment) Regulations, 2024.

(22) No. DBGB/2/2024., dated the 8th October, 2024, publishing the Dakshin Bihar Gramin Bank (Employees') Pension (Amendment) Regulations, 2024.

(23) No. TGB.1/2024., dated the 9th October, 2024, publishing the Tripura Gramin Bank (Officers & Employees) Service (Amendment) Regulations, 2024.

(24) No. BGGB/HO/HRM/06/1763., dated the 10th October, 2024, publishing the "Baroda Gujarat Gramin Bank (Officers & Employees) Service (Amendment) Regulations, 2024".

(25) No..HO: HRD: 2024/4363., dated the 10th October, 2024, publishing the PUNJAB GRAMIN BANK (EMPLOYEES') PENSION (AMENDMENT) REGULATIONS, 2024.

(26) No- HRM/HO/2024-25/252, dated the 10th October, 2024, publishing the BARODA RAJASTHAN KSHETRIYA GRAMIN BANK (EMPLOYEES') PENSION (AMENDMENT) REGULATIONS, 2024.

Contents Page

(27) No. PUPGB 2/2024, dated the 10th October, 2024, publishing the PRATHAMA U.P. GRAMIN BANK (EMPLOYEES') PENSION (AMENDMENT) REGULATIONS, 2024.

(28) No. BGGB:HO:HRM:06:1763., dated the 10th October, 2024, publishing the "Baroda Gujarat Gramin Bank (Officers & Employees) Service (Amendment) Regulations, 2024".

(29) No. HO/HRM/DoP-GoI/84/2024-25., dated the 12th October, 2024, publishing the SaptagiriGrameena Bank (Officers & Employees) Service (Amendment) Regulations, 2024.

(30) No. MPGB/HO/HRD/2041/Service(Amendment)/2024., dated the 14th October, 2024, publishing the Madhya Pradesh Gramin Bank (Officers and Employees) Service (Amendment) Regulations, 2024.

(31) No. MPGB/HO/HRD/2042/Pension (Amendment)/2024., dated the 14th October, 2024, publishing the Madhya Pradesh Gramin Bank (Employees') Pension (Amendment) Regulations, 2024.

(32) No JKGB/HO/HRDD/2024-25/4359, dated the 14th October, 2024, publishing the J&K Grameen Bank (Employees') Pension (Amendment) Regulations, 2024.

(33) No. HO/HRDD/2024/2016., dated the 14th October, 2024, publishing the SARVA HARYANA GRAMIN BANK (EMPLOYEES') PENSION (AMENDMENT) REGULATIONS, 2024.

(34) No. AGVB/PER/ESTT-B/08/03/2024-25, dated the 14th October, 2024, publishing the Assam Gramin Vikash Bank (Employees') Pension (Amendment) Regulations, 2024.

(35) No. NB.HO.IDD.Policy/182/316(Service Regulations)/2024-25., dated the 15th October, 2024, publishing the Karnataka Gramin Bank (Officers & Employees) Service (Amendment) Regulations, 2024.

(36) No. PER/242., dated the 15th October, 2024, publishing the Utkal Grameen Bank (Officers & Employee) Service (Amendment) Regulations, 2024.

(37) No. UBKGB.1/2024., dated the 15th October, 2024, publishing the Uttarbanga Kshetriya Gramin Bank (Officers & Employees) Service (Amendment) Regulations, 2024.

(38) No. PER/252., dated the 15th October, 2024, publishing the Utkal Grameen Bank (Employees') Pension (Amendment) Regulations, 2024.

(39) No. BUPB/24-25/158., dated the 16th October, 2024, publishing the

Contents Page

Baroda U. P. Bank (Employees') Pension (Amendment) Regulations, 2024.

(40) No. UBKGB.2/2024, dated the 16th October, 2024, publishing the UTTARBANGA KSHETRIYA GRAMIN BANK (EMPLOYEES') PENSION (AMENDMENT) REGULATIONS, 2024.

(41) No. PBGB/HO/CHM/PAD/300/2024-25., dated the 17th October, 2024, publishing the Paschim Banga Gramin Bank (Officers & Employees) Service (Amendment) Regulations, 2024.

(42) No. PBGB/HO/CHM/PAD/301/2024-25., dated the 17th October, 2024, publishing the Paschim Banga Gramin Bank (Employees') Pension (Amendment) Regulations, 2024.

(43) No. CRGB/HO/HR/1094/2024-25., dated the 18th October, 2024, publishing the CHHATTISGARH RAJYA GRAMIN BANK (Officers & Employees) Service (Amendment) Regulations, 2024.

(44) No HO/TBC/17/2024-25/646., dated the 18th October, 2024, publishing the Uttar Bihar Gramin Bank (Employees') Pension (Amendment) Regulations, 2024.

(45) No. CRGB/HO/HR/1161/2024-25., dated the 18th October, 2024, publishing the Chhattisgarh Rajya Gramin Bank (Employees') Pension (Amendment) Regulations, 2024.

(46) No. CH/HRD/ 831 /2024-25, dated the 21st October, 2024, publishing the Odisha Gramya Bank (Officers & Employees) Service (Amendment) Regulations, 2024.

(47) No. TGB Service Regulations Amendment 2024., dated the 21st October, 2024, publishing the Telangana Grameena Bank (officers & Employees) Service (Amendment) Regulations, 2024.

(48) No. BGVB/HO/HR/5700 /2024-25, dated the 21st October, 2024, publishing the BangiyaGramin Vikash Bank (Employees') Pension (Amendment) Regulations, 2024.

(49) No. Aryavart Bank (Employees') Pension (Amendment) Regulations 2024., dated the 21st October, 2024, publishing the Aryavart Bank (Employees') Pension (Amendment) Regulations, 2024.

(50) No. SGB/HO/PER/20282/2024., dated the 21st October, 2024, publishing the Saurashtra Gramin Bank (Employees') Pension (Amendment) Regulations, 2024.

(51) No. RMGB/PR Amendment/19/2024, dated the 22nd October, 2024, publishing the Rajasthan MarudharaGramin Bank (Employees')

Pension (Amendment) Regulations, 2024.

(52) No. EDB/714/Amended Pension Regulations, 2018., 22nd October, 2024, publishing the EllaquaiDehati Bank (Employees') Pension (Amendment) Regulations, 2024.

(53) No. TNGB/Pension (Amendment)/041024/2024., 22nd October, 2024, publishing the Tamil Nadu Grama Bank (Employees') Pension (Amendment) Regulations, 2024.

(54) No. HO/HRM/DoP-GoI/86/2024-25., dated the 22nd October, 2024, SaptagiriGrameena Bank (Employees') Pension (Amendment) Regulations, 2024.

(55) No. HPGB/HO/HRD/2024/PEN1, dated the 23rd October, 2024, publishing the HIMACHAL PRADESH GRAMIN BANK (EMPLOYEES') PENSION (AMENDMENT) REGULATIONS, 2024.

(56) No. UGB/HO/2024-25/PER/1133., dated the 24th October, 2024, publishing the Uttarakhand Gramin Bank (Employees') Pension (Amendment) Regulations, 2024.

(57) No. APGVB-PR-Amendment-2024., dated the 24th October, 2024, publishing the Andhra Pradesh Grameena Vikas (Employees') Pension (Amendment) Regulations, 2024.

(58) No. APRB/GN/142/1677., dated the 28th October, 2024, publishing the Arunachal Pradesh Rural Bank (Officers & Employees) Service (Amendment) Regulations, 2024.

(59) No. TGB.1/2024., dated the 28th October, 2024, publishing the Tripura Gramin Bank (Employees') Pension (Amendment) Regulations, 2024.

(60) No. APRB/GN/142/3936., dated the 28th October, 2024, publishing the ARUNACHAL PRADESH RURAL BANK (EMPLOYEES') PENSION (AMENDMENT) REGULATIONS, 2024.

(61) No. MRB/EPR/2/2024., dated the 28th October, 2024, publishing the Manipur Rural Bank (Employees') Pension (Amendment) Regulations, 2024.

(62) No. MRB/2024—Mizoram Rural Bank (Officers & Employees) Service (Amendment) Regulations, 2024., dated the 1st November, 2024, publishing the Mizoram Rural Bank (Officers & Employees) Service (Amendment)Regulations, 2024.

(63) No. Telangana Grameena Bank (Employees') Pension Regulations, 2018., dated the 1st November, 2024, publishing the TELANGANA GRAMEENA BANK (EMPLOYEES') PENSION (AMENDMENT)

Contents Page

REGULATIONS, 2024.

(64) No. GZT-MRB/PSN-AMM/2024-25/01., dated the 1st November, 2024, publishing the Mizoram Rural Bank (Employees') Pension (Amendment) Regulations, 2024.

(65) No. KGB Pension Regulations (Amendment)/1/2024., dated the 1st November, 2024, publishing the Kerala Gramin bank (Employees') Pension (Amendment) Regulations, 2024.

(66) No. VKGB/Pension (Amendment) Regulations, 2024., dated the 1st November, 2024, publishing the Vidharbha Konkan Gramin Bank (Employees') Pension (Amendment) Regulations, 2024.

(67) No. KVGB/Pension Regulations/2024., dated the 1st November, 2024, publishing the Karnataka Vikas Grameena Bank (Employees') Pension (Amendment) Regulations, 2024.

(68) No. HRD/2024-25/683 dt 30.10.2024., dated the 4th November, 2024, publishing the Madhyanchal Gramin Bank (Officers & Employees) Service (Amendment) Regulations, 2024.

(69) No. MEGRRB /Service (Amendment) Regulation, 2024., dated the 4th November, 2024, publishing the Meghalaya Rural Bank (Officers & Employees) Service (Amendment) Regulations, 2024.

(70) No. NRB/Pension (Amendment) Regulations 2024., dated the 4th November, 2024, publishing the Nagaland Rural Bank (Employees') Pension (Amendment)Regulations, 2024.

(71) No. MEGRRB / Pension (Amendment) Regulations, 2024., dated the 4th November, 2024, publishing the Meghalaya Rural Bank (Employees') Pension (Amendment) Regulations, 2024.

(72) No. कार्मिक(पेंशन)/DKM/24-25/57., dated the 4th November, 2024, publishing the Madhyanchal Gramin Bank (Employees') Pension (Amendment) Regulations, 2024.

(73) No.1020/APGB/PHRD/DFS/2024., dated the 4th November, 2024, publishing the ANDHRA PRAGATHI GRAMEENA BANK (EMPLOYEES') PENSION (AMENDMENT) REGULATIONS, 2024.

(74) No. 8/20/2010-RRB., dated the 5th November, 2024, publishing the Maharashtra Gramin Bank (Employees') Pension (Amendment) Regulations, 2024.

(75) No. JRGB/Pension(Amendment)/2024-25., dated the 6th November, 2024, publishing the Jharkhand Rajya Gramin Bank (Employees') Pension (Amendment) Regulations, 2024.

Contents Page

(76) No. 8/4/2024-RRB., dated the 6th November, 2024, publishing the Karnataka Gramin Bank (Employees') Pension (Amendment) Regulations, 2024.

(ix) A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Finance (Department of Financial Services), under sub-section (4) of Section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970:-

(1) No. HO/EST/2024-25/570., dated the 26th November, 2024, publishing the UCO Bank (Officers') Service (Amendment) Regulations, 2024.

(2) No. PSB/HRD/OSR/2024-25/01., dated the 26th November, 2024, publishing the Punjab & Sind Bank (Officers') Service (Amendment) Regulations, 2024.

(3) No. CO:ERD:PD:798:2024., dated the 27th November, 2024, publishing the Union Bank of India (Officers') Service (Amendment) Regulations, 2024.

(4) No. CO:HCM:IRP:2024-25:295., dated the 27th November, 2024, publishing the Central Bank of India (Officers') Service (Amendment) Regulations, 2024.

(5) No. HRW PM 6114 2024., dated the 28th November, 2024, publishing the Canara Bank (Officers') Service (Amendment) Regulations, 2024.

(6) No. HRDD/POL/OSR(E)., dated the 29th November, 2024, publishing the Punjab National Bank (Officers') Service (Amendment) Regulations, 2024.

(7) No. HO;HRM:116:2714., dated the 29th November, 2024, publishing the Bank of Baroda (Officers') Service (Amendment) Regulations, 2024

(8) No. HRMD/SUP/177/01/2024-25., dated the 2nd December, 2024, publishing the Indian Overseas Bank (Officers') Service (Amendment) Regulations, 2024.

(9) No. BOI/HO/HR/IR/MKB/L-324(E)., dated the 4th December, 2024, publishing the Bank of India (Officers') Service (Amendment) Regulations, 2024.

(10) No.: AX1/ST/OSR/119/2024-25., dated the 4th December, 2024, publishing the Bank of Maharashtra (Officers') Service (Amendment) Regulations, 2024.

(11) No. IB/G-10/1/2024-25(E)., dated the 4th December, 2024, publishing the Indian Bank (Officers') Service (Amendment)

Regulations, 2024.

(x) A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Finance (Department of Revenue), under Section 166 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017, along with Explanatory Memoranda:-

(1) S.O. 3048(E)., dated the 31st July, 2024, establishing the Goods and Services Tax Appellate Tribunal (GSTAT), with effect from the 1st September, 2023; constituting the Principal Bench of the Goods and Services Tax Appellate Tribunal (GSTAT) at New Delhi; and constituting the number of State Benches of the Goods and Services Tax Appellate Tribunal, as mentioned therein.

(2) S.O. 5063(E)., dated the 26th November, 2024, amending the Principal Notification No. S.O. 3048(E), dated the 31st July, 2024.

(3) G.S.R. 735(E)., dated the 27th November, 2024, extending the due date for furnishing FORM GSTR-3B for the month of October, 2024 for registered persons whose principal place of business is in the State of Manipur.

(4) S.O. 5128(E)., dated the 29th November, 2024, publishing a Corrigendum to the Notification No. S.O. 5063(E), dated the 26th November, 2024.

(xi) A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Finance (Department of Revenue), under Section 166 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 and Section 24 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017, along with Explanatory Memoranda:-

(1) G.S.R. 729(E)., dated the 25th November, 2024, amending the Principal Notification No. G.S.R. 609(E), dated the 19th June, 2017.

(2) S.O. 5091(E)., dated the 27th November, 2024, appointing common adjudicating authority for show cause notices issued by DGGI.

(xii) A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Finance (Department of Revenue), under sub-section (7) of Section 9A of the Customs Tariff Act, 1975, along with Explanatory Memoranda:-

(1) G.S.R. 749(E)., dated the 4th December, 2024, levying anti-dumping duty on imports of "Textured Tempered Coated and Uncoated Glass" from China PR and Vietnam for a period of 6 months from the date of Notification.

(2) G.S.R. 751(E)., dated the 5th December, 2024, publishing a Corrigendum to the Notification No. G.S.R. 749(E), dated the 4th December, 2024.

(xiii) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Finance (Department of Revenue) Notification No. G.S.R. 739(E)., dated the 29th November, 2024, publishing the Income-tax (Tenth Amendment) Rules, 2024, under Section 296 of the Income-tax Act, 1961, along with Explanatory Memorandum.

(xiv) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Finance (Department of Revenue) Notification No. G.S.R. 743(E)., dated the 3rd December, 2024, rescinding the Notification No. G.S.R. 496(E), dated the 30th June, 2022, issued under Section 5A of the Central Excise Act, 1944, Section 112 of Finance Act, 2018, Section 125 of the Finance Act, 2021 and Section 21 of General Clauses Act, 1897, along with Explanatory Memorandum.

(xv) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Finance (Department of Revenue) Notification No. G.S.R. 744(E)., dated the 3rd December, 2024, rescinding the Notification No. G.S.R. 500(E), dated the 30th June, 2022, issued under sub-section (1) of Section 25 of Customs Act, 1962, Section 21 of General Clauses Act, 1897 and Section 147 of Finance Act, 2002, along with Explanatory Memorandum.

(xvi) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Finance (Department of Revenue) Notification No. G.S.R. 745(E)., dated the 3rd December, 2024, publishing the Central Excise (Amendment) Rules, 2024, under sub-section (2) of Section 38 of the Central Excise Act, 1944, along with Explanatory Memorandum.

(xvii) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Finance (Department of Revenue) Notification No. G.S.R. 340(E)., dated the 21st June, 2024, publishing the Goods and Services Tax Appellate Tribunal (Recruitment, Salary and other Terms and Conditions of Service of Group "C" Employees) Rules, 2024, framed under Article 309 of the Constitution of India, along with Explanatory Memorandum.

II. A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (3) of Section 20 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999: -

(a) Annual Report of the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI), Hyderabad, Telangana, for the year 2023-24.

(b) Review by Government on the working of the above Authority.

III. A copy (in English and Hindi) of the Statement on Half Yearly Review of the trends in receipts and expenditure in relation to the Budget, at the end of the first half of the Financial year 2024-25 and Statement explaining deviation in meeting the obligations of the Government under sub-section (1) of Section 7 and sub-section (3) (b) of Section 7 of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2003.

Contents Page

IV. A copy each (in English and Hindi) of the following papers: -

(i) A copy each (in English and Hindi) of the Review on the Performance of Regional Rural Banks (RRBs), for the Financial Year, 2023-24.

(ii) A copy (in English and Hindi) of the Public Enterprises Survey Annual Report on the performance of Central Public Sector Enterprises, for the year 2023-24.

I. Notifications of the Ministry of Health and Family Welfare

II. Reports and Accounts (2022-23 and 2023-24) of various PRCs and NITRD, New Delhi and related papers

III. Reports and Accounts (2023-24) of various Organisations and related papers

IV. Reports and Accounts (2023-24) of NIPER, Hyderabad, Telangana and NIPER, Kolkata, West Bengal and related papers

V. Reports and Accounts (2022-23 and 2023-24) of various Institutes and Centre and related papers

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE; AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRIMATI ANUPRIYA PATEL): Sir, I lay on the Table:-

I. A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Health and Family Welfare, under sub-section (3) of Section 16 of the Indian Nursing Council Act, 1947: -

(1) No. 11-1/2024-INC (I)., dated the 21st October, 2024, publishing the Indian Nursing Council (Post Basic Diploma in Cardiothoracic Specialty Nursing - Residency Program) Regulations, 2023.

(2) No. 11-1/2024-INC (II)., dated the 21st October, 2024, publishing the Indian Nursing Council (Post Basic Diploma in Emergency and Disaster Specialty Nursing - Residency Program) Regulations, 2023.

(3) No. 11-1/2024-INC (III)., dated the 21st October, 2024, publishing the Indian Nursing Council (Post Basic Diploma in Palliative Care Specialty Nursing - Residency Program) Regulations, 2023.

(4) No. 11-1/2024-INC (IV)., dated the 21st October, 2024, publishing the Indian Nursing Council {Nurse Practitioner in Geriatric Nursing (NPGN) — Postgraduate Residency Program} Regulations, 2023.

Contents Page

(5) No. 11-1/2024-INC (V)., dated the 21st October, 2024, publishing the Indian Nursing Council {Nurse Practitioner in Transplant Nursing (NPTN) - Postgraduate Residency Program} Regulations, 2023.

(6) No. 11-1/2024-INC (VII)., dated the 21st October, 2024, publishing the Indian Nursing Council (M.Sc. in Forensic Nursing Program) Regulations, 2023.

II. A copy each (in English and Hindi) of the following papers: -

(i) (a) Annual Report and Accounts of the Population Research Centre (PRC), Institute for Social and Economic Change, Bangaluru, Karnataka, for the year 2023-24, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Centre.

(ii) (a) Annual Report and Accounts of the Population Research Centre (PRC), The Maharaja Sayajirao University of Baroda, Vadodara, Gujarat, for the year 2023-24, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Centre.

(iii) (a) Annual Report and Accounts of the Population Research Centre (PRC), Utkal University, Bhubaneshwar, Odisha, for the year 2023-24, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Centre.

(iv) (a) Annual Report and Accounts of the Population Research Centre (PRC), Centre for Research in Rural and Industrial Development (CRRID), Chandigarh, Punjab, for the year 2023-24.

(b) Review by Government on the working of the above Centre.

(v) (a) Annual Report and Accounts of the Population Research Centre (PRC), Institute of Economic Growth, Delhi, for the year 2023-24, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Centre.

(vi) (a) Annual Report and Accounts of the Population Research Centre (PRC), JSS Institute of Economic Research, Dharwad, Karnataka, for the year 2023-24, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Centre.

(vii) (a) Annual Report and Accounts of the Population Research Centre (PRC), Gandhigram Institute of Rural health and Family Welfare Trust, Gandhigram, Tamil Nadu, for the year 2023-24.

Contents Page

(b) Review by Government on the working of the above Centre.

(viii) (a) Annual Report and Accounts of the Population Research Centre (PRC), Gauhati University, Guwahati, Assam, for the year 2023-24, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Centre.

(ix) (a) Annual Report and Accounts of the Population Research Centre (PRC), University of Kerala, Thiruvananthapuram, Kerala, for the year 2023-24, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Centre.

(x) (a) Annual Report and Accounts of the Population Research Centre (PRC), Panjab University, Chandigrah, Punjab, for the year 2023-24, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Centre.

(xi) (a) Annual Report and Accounts of the Population Research Centre (PRC), Patna University, Patna, Bihar, for the year 2023-24, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Centre.

(xii) (a) Annual Report and Accounts of the Population Research Centre (PRC), University of Lucknow, Uttar Pradesh, for the year 2023-24, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Centre.

(xiii) (a) Annual Report and Accounts of the Population Research Centre (PRC), Gokhale Institute of Politics and Economics, Pune, Maharashtra, for the year 2023-24, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Centre.

(xiv) (a) Annual Report and Accounts of the Population Research Centre (PRC), Dr. Hari Singh Gour University, Sagar, Madhya Pradesh, for the year 2023-24, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Centre.

(xv) (a) Annual Report and Accounts of the Population Research Centre (PRC), Himachal Pradesh University, Shimla, Himachal Pradesh, for the year 2023-24, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Centre.

(xvi) (a) Annual Report and Accounts of the Population Research Centre (PRC), Univerisity of Kashmir, Srinagar, UT of Jammu and Kashmir, for the year 2023-24, together with the Auditor's Report on the

Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Centre.

(xvii) (a) Annual Report and Accounts of the Population Research Centre (PRC), Mohanlal Sukhadia University, Udaipur, Rajasthan, for the year 2023-24, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Centre.

(xviii) (a) Annual Report and Accounts of the Population Research Centre (PRC), Andhra University, Visakhapatnam, Andhra Pradesh, for the year 2023-24, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Centre.

(xix) (a) Annual Report and Accounts of the National Institute of Tuberculosis and Respiratory Diseases (NITRD), New Delhi, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Institute.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

III. A copy (in English and Hindi) of the following papers under sub-section (1) (b) of Section 394 of the Companies Act, 2013: -

(i) (a) Fiftieth Annual Report and Accounts of the National Fertilizers Limited (NFL), New Delhi, for the year 2023-24, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Statement by Government accepting the above Report.

(ii) (a) Forty-sixth Annual Report and Accounts of the Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited (RCFL), Mumbai, Maharashtra, for the year 2023-24, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Statement by Government accepting the above Report.

(iii) (a) Fifty-eighth Annual Report and Accounts of the Madras Fertilizers Limited (MFL), Chennai, Tamil Nadu, for the year 2023-24, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Statement by Government accepting the above Report.

(iv) (a) Annual Report and Accounts of the FCI Aravali Gypsum and Minerals India Limited (FAGMIL), Jodhpur, Rajasthan, for the year 2023-24, together with the Auditor's Report on the Accounts.

Contents Page

(b) Statement by Government accepting the above Report.

(v) (a) Eightieth Annual Report and Accounts of the Fertilisers and Chemicals Travancore (FACT), Kochi, Kerala, for the year 2023-24, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Statement by Government accepting the above Report.

(vi) (a) Seventieth Annual Report and Accounts of the HIL (India) Limited, New Delhi, for the year 2023-24, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Statement by Government accepting the above Report.

(vii) (a) Sixty-third Annual Report and Accounts of the Hindustan Organic Chemicals Limited (HOCL), Ernakulam, Kerala, for the year 2023-24, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Statement by Government accepting the above Report.

IV. A copy (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (4) of Section 23 of the National Institute of Pharmaceutical Education and Research (NIPER) Act, 1998: -

(i) (a) Annual Report and Accounts of the National Institute of Pharmaceutical Education and Research (NIPER), Hyderabad, Telangana, for the year 2023-24, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Statement by Government accepting the above Report.

(ii) (a) Annual Report and Accounts of the National Institute of Pharmaceutical Education and Research (NIPER), Kolkata, West Bengal, for the year 2023-24, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Statement by Government accepting the above Report.

V. A copy each (in English and Hindi) of the following papers: -

(i) (a) Annual Report and Accounts of the Central Institute of Petrochemicals Engineering and Technology (CIPET), Chennai,Tamil Nadu, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Statement by Government accepting the above Report.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

(ii) (a) Annual Report and Accounts of the Central Institute of Petrochemicals

Engineering and Technology (CIPET), Chennai,Tamil Nadu, for the year 2023-24, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Statement by Government accepting the above Report.

(iii) (a) Thirty-second Annual Report and Accounts of the Institute of Pesticide Formulation Technology (IPFT), Gurugram, Haryana, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Statement by Government accepting the above Report.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

(iv) (a) Thirty-third Annual Report and Accounts of the Institute of Pesticide Formulation Technology (IPFT), Gurugram, Haryana, for the year 2023-24, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Statement by Government accepting the above Report.

(v) (a) Annual Report and Accounts of the New Delhi Tuberculosis Centre (NDTBC), New Delhi, for the year 2023-24, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Statement by Government accepting the above Report.

I. Reports (2022-23 and 2023-24) of CCPA , New Delhi and related papers

II. Report (2023-24) of NCCF, New Delhi and related papers

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी. एल. वर्मा): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

I. (1) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (2) of Section 27 of the Consumer Protection Authority Act, 2019: -

(i) (a) Annual Report of the Central Consumer Protection Authority (CCPA), New Delhi, for the year 2022-23.

(b) Review by Government on the working of the above Authority.

(ii) (a) Annual Report of the Central Consumer Protection Authority (CCPA), New Delhi, for the year 2023-24.

(b) Review by Government on the working of the above Authority.

(2) Statement (in English and Hindi) giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (1) (i) above.

II. A copy each (in English and Hindi) of the following papers: -

(a) Annual Report and Accounts of the National Co-operative Consumers'

Federation of India Limited (NCCF), New Delhi, for the year 2023-24, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Federation.

I. Notifications of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways

II. Reports and Accounts (2023-24) of SCILAL, Mumbai, Maharashtra and related papers

III. Report and Accounts (2023-24) of Visakhapatnam Port Authority, Visakhapatnam, Andhra Pradesh and related papers

IV. Reports and Accounts (2023-24) of various Ports and related papers

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS (SHRI SHANTANU THAKUR): Sir, I lay on the Table:—

I. (i) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways Notification No. G.S.R. 670(E)., dated the 29th October, 2024, publishing the Inland Vessels (Central Database and Allied Matters) Rules, 2024, under sub-section (1) of Section 113 of the Inland Vessels Act, 2021.

(ii) A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, under sub-section (3) of Section 458 of the Merchant Shipping Act, 1958:-

(1) G.S.R. 84., dated the 22nd June, 2024, publishing the Merchant Shipping (Ships and Port Facility Security) Rules, 2024, along with delay statement.

(2) G.S.R. 558(E)., dated the 10th September, 2024, publishing the Merchant Shipping (Appeal) Rules, 2024.

(iii) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways Notification No. S.O. 2446(E)., dated the 24th June, 2024, notifying that the Director General of Shipping, appointed under Section 7 of the Merchant Shipping Act, 1958, shall be the designated authority for the purposes of part IXB of that Act, issued under clause (c) of Section 344k of the said Act, along with delay statement.

(iv) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways Notification No. S.O. 3870(E)., dated the 10th September, 2024, appointing the date of publication as the date on which the provisions at serial number 14 in the Schedule of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2023 relating to the Merchant Shipping Act, 1958 shall come into force., issued under sub-section (2) of Section 1 of the said Act.

Contents Page

(v) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways Notification No. LW/GN/2790/2024/001., dated the 8th April, 2024, publishing the Board of Major Port Authority for Deendayal Port (Meetings and Transaction of Business) Regulations, 2023, under Section 73 of the Major Port Authorities Act, 2021, along with delay statement.

(vi) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways Notification No. IMU/HQ/ADM/Notification/2023/01., dated the 3rd July, 2024, publishing the Notifications, as mentioned therein, for general information, under sub-section (2) of Section 47 of the Indian Maritime University Act, 2008, along with delay statement.

II. (1) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (1) (b) of Section 394 of the Companies Act, 2013: -

(i) (a) Third Annual Report and Accounts of the Shipping Corporation of India Land and Assets Limited (SCILAL), Mumbai, Maharashtra, for the year 2023-24, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Review by Government on the working of the above Corporation.

(ii) (a) Annual Report and Accounts of the Shipping Corporation of India Limited (SCIL), Mumbai, Maharashtra, for the year 2023-24, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Review by Government on the working of the above Corporation.

III. A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (4) of Section 44 of the Major Port Authorities Act, 2021: -

(a) Annual Administration Report and Accounts of the Visakhapatnam Port Authority, Visakhapatnam, Andhra Pradesh, for the year 2023-24, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Authority.

(c) Review by Government of the Annual Accounts of the above Authority.

IV. A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (4) of Section 44 of the Major Port Authorities Act, 2021: -

(i) (a) Annual Administration Report of the Deendayal Port Authority, Kandla, Kachchh, Gujarat, for the year 2023-24.

(b) Annual Accounts of the Deendayal Port Authority, Kandla, Kachchh,

Gujarat, for the year 2023-24, and the Audit Report thereon.

(c) Review by Government on the working of the above Authority.

(d) Review by Government of the Annual Accounts of the above Authority.

(ii) (a) Annual Administration Report of the Paradip Port Authority, Odisha, for the year 2023-24.

(b) Annual Accounts of the Paradip Port Authority, Odisha, for the year 2023-24, and the Audit Report thereon.

(c) Review by Government on the working of the above Authority.

(d) Review by government of the Annual Accounts of the above Authority.

(iii) (a) Annual Administrative Report of the Syama Prasad Mookerjee Port, Kolkata, West Bengal, for the year 2023-24.

(b) Annual Accounts of the Syama Prasad Mookerjee Port, Kolkata, West Bengal, for the year 2023-24, and the Audit Report thereon.

(c) Review by Government on the working of the above Port.

(d) Review by Government of the Annual Accounts of the above Port.

(iv) (a) Annual Administration Report of the Jawaharlal Nehru Port Authority (JNPA), Navi Mumbai, Maharashtra, for the year 2023-24.

(b) Annual Accounts of the Jawaharlal Nehru Port Authority (JNPA), Navi Mumbai, Maharashtra, for the year 2023-24, and the Audit Report thereon.

(c) Review by Government on the working of the above Authority.

(d) Review by Government of the Annual Accounts of the above Authority.

I. Report and Accounts (2023-24) of Rajiv Gandhi Institute of Petroleum Technology, Amethi, Uttar Pradesh and related papers

II. Report and Accounts (2022-23) of PNGRB, New Delhi and related papers

III. Report and Accounts (2023-24) of OIDB, New Delhi and related papers

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI SURESH GOPI): Sir, I lay on the Table—

I. A copy each (in English and Hindi) of the following papers under sub-section (4) of Section 26 of the Rajiv Gandhi Institute of Petroleum Technology Act, 2007: -

(a) Annual Report and Accounts of the Rajiv Gandhi Institute of Petroleum Technology, Amethi, Uttar Pradesh, for the year 2023-24, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Statement by Government accepting the above Report.

II. A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (4) of Section 40 and sub-section (2) of Section 41 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006: -

(1) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (4) of Section 40 and sub-section (2) of Section 41 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006: -

(a) Annual Report and Accounts of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (PNGRB), New Delhi, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Board.

(2) Statement (in English and Hindi) giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (1) above.

III. A copy each (in English and Hindi) of the following papers under sub-section (4) of Section 20 of the Oil Industry (Development) Act, 1974: -

(a) Annual Report and Accounts of the Oil Industry Development Board (OIDB), New Delhi, for the year 2023-24, together with the Auditor's Report on the Accountsand the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Review by Government on the working of the above Board.

Report on the Working and Administration of the Companies Act, 2013 and Accounts (2023-24) of the CCI, New Delhi

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI HARSH MALHOTRA): Sir, I lay on the Table—

(i) A copy (in English and Hindi) of the Tenth Annual Report on the Working and Administration of the Companies Act, 2013, under Section 461 of the Companies Act, 2013, for the year ending 31st March, 2024.

(ii) A copy (in English and Hindi) of the Annual Accounts of the Competition Commission of India (CCI), New Delhi, for the year 2023-24, and the Audit Report thereon, under sub-section (4) of section 52 of the Competition Act, 2002.

Report and Accounts (2023-24) of WDRA, New Delhi and related papers

Contents Page

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया): महोदय, मैं भाण्डागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 की धारा 39 की उप-धारा (3) और धारा 38 की उप-धारा (4) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेज़ी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखती हूं :-

(a) Annual Report and Accounts of the Warehousing Development and Regulatory Authority (WDRA), New Delhi, for the year 2023-24, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Statement by Government accepting the above Report.

Union Government Appropriation Accounts; Union Government Finance Accounts and various Reports for various years

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): महोदय, मैं संविधान के अनुच्छेद 151 के खंड (1) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (अंग्रेज़ी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखता हूं:-

(i) Union Government Appropriation Accounts (Civil) — for the year 2023-2024;

(ii) Union Government Finance Accounts for the year 2023-2024;

(iii) Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year ended March, 2023 — Compliance Audit Report on Examination of assessments of companies dealing in the business of 'Distilleries and Breweries' by the Income Tax Department — Union Government — Department of Revenue - Direct Taxes Report No. 09 of 2024;

(iv) Report of the Comptroller and Auditor General of India for the period ended March, 2021 — Union Government — Ordnance Factories — Report No. 10 of 2024;

(v) Report of the Comptroller and Auditor General of India for the period ended March, 2021 — Union Government — (Defence Services — Army) — Report No. 11 of 2024 (Compliance Audit-Defence);

(vi) Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year ended March, 2022 — Union Government — Department of Revenue — Direct Taxes - Report No. 13 of 2024;

(vii) Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year ended March, 2022 — Subject Specific Compliance Audit on Outstanding Demand on Income Tax Assessees — Union Government — Department of Revenue — Direct Taxes — Report No. 14 of 2024;

Contents Page

(viii) Report of the Comptroller and Auditor General of India — Performance Audit on Training of Pilots in Indian Air Force — Union Government — Defence Services (Air Force) Report No. 15 of 2024 (Performance Audit — Defence);

(ix) Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year ended March, 2021 — Union Government — Defence Services (Air Force) — Report No. 16 of 2024 (Compliance Audit — Defence); and

(x) Report of the Comptroller and Auditor General of India — Performance Audit on Export Promotion Capital Goods (EPCG) Scheme — Union Government (Department of Revenue — Indirect Taxes — Customs) No. 17 of 2024.

REPORTS OF THE DEPARTMENT-RELATED PARLIAMENTARY STANDING COMMITTEE ON AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY AND FOOD PROCESSING

श्रीमती रमिलाबेन बेचारभाई बारा (गुजरात): महोदय, मैं विभाग-संबंधित कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी संसदीय स्थायी समिति (2024-25) के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (अंग्रेज़ी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखती हूं :-

(i) First Report on 'Demands for Grants (2024-25)' pertaining to the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (Department of Agriculture and Farmers Welfare);

(ii) Second Report on 'Demands for Grants (2024-25)' pertaining to the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (Department of Agricultural Research and Education);

(iii) Third Report on 'Demands for Grants (2024-25)' pertaining to the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying (Department of Fisheries);

(iv) Fourth Report on 'Demands for Grants (2024-25)' pertaining to the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying (Department of Animal Husbandry and Dairying);

(v) Fifth Report on 'Demands for Grants (2024-25)' pertaining to the Ministry of Food Processing Industries;

(vi) Sixth Report on 'Demands for Grants (2024-25)' pertaining to the Ministry of Cooperation.

Contents Page

REPORTS OF THE DEPARTMENT-RELATED PARLIAMENTARY STANDING COMMITTEE ON DEFENCE

श्री नरेश बंसल (उत्तराखंड)**:** महोदय, मैं विभाग-संबंधित रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (अंग्रेज़ी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखता हूं :-

(i) First Report (Eighteenth Lok Sabha) on Demands for Grants of the Ministry of Defence for the year 2024-25 on 'General Defence Budget, Border Roads Organisation, Indian Coast Guard, Defence Estates Organisation, Defence Public Sector Undertakings, Welfare of Ex-Servicemen and Defence Pension (Demand Nos. 19 and 22)';

(ii) Second Report (Eighteenth Lok Sabha) on Demands for Grants of the Ministry of Defence for the year 2024-25 on 'Army, Navy, Air Force, Joint Staff and Ex-Servicemen Contributory Health Scheme (Demand Nos. 20 and 21)';

(iii) Third Report (Eighteenth Lok Sabha) on Demands for Grants of the Ministry of Defence for the year 2024-25 on 'Capital Outlay on Defence Services, Procurement Policy and Defence Planning (Demand No. 21)';

(iv) Fourth Report (Eighteenth Lok Sabha) on Demands for Grants of the Ministry of Defence for the year 2024-25 on 'Directorate of Ordnance (Coordination and Services)—New DPSUs and Defence Research and Development Organisation (Demand Nos. 20 and 21)';

(v) Fifth Report (Eighteenth Lok Sabha) on Action Taken by the Government on the Observations/ Recommendations of the Committee contained in its Forty-second Report (Seventeenth Lok Sabha) on 'A Review of Working of the Defence Research and Development Organisation (DRDO)'; and

(vi) Sixth Report (Eighteenth Lok Sabha) on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations of the Committee contained in its Forty-seventh Report (Seventeenth Lok Sabha) on 'A Review of Functioning of Zila Sainik Boards in the Country'.

REPORTS OF THE COMMITTEE ON PUBLIC ACCOUNTS

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY (West Bengal): Sir, I lay on the Table, a copy each (in English and Hindi) of the following Reports of the Committee on Public Accounts (2024-25):-

(i) Fifth Report on Action Taken by the Government on the Observations/

Recommendations of the Committee contained in its Ninty-third Report (Seventeenth Lok Sabha) on 'Blockage of Capital due to Non-Completion of Approach Roads: Central Railway';

(ii) Sixth Report on Action Taken by the Government on the Observations/ Recommendations of the Committee contained in its One Hundred Twentieth Report (Seventeenth Lok Sabha) on 'Short Assessment of Rent';

(iii) Seventh Report on Action Taken by the Government on the Observations/ Recommendations of the Committee contained in its Ninety-sixth Report (Seventeenth Lok Sabha) on 'Injudicious Procurement of an Additional CNC Horizontal Boring and Milling Machine: Patiala Locomotive Works';

(iv) Eighth Report on Action Taken by the Government on the Observations/ Recommendations of the Committee contained in its Ninty-ninth Report (Seventeenth Lok Sabha) on 'Extra Expenditure due to Delay in Finalizing Power Purchase Agreements through Open Access: West Central Railway'; and

(v) Ninth Report on Action Taken by the Government on the Observations/ Recommendations of the Committee contained in its One Hundred and Second Report (Seventeenth Lok Sabha) on 'Loss of Opportunity to Earn Additional Freight and Extra Expenditure on Haulage: South Western Railway'.

REPORTS OF THE DEPARTMENT-RELATED PARLIAMENTARY STANDING COMMITTEE ON RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ

SHRI VAIKO (Tamil Nadu): Sir, I lay on the Table, a copy (in English and Hindi) of the Fourth Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Rural Development and Panchayati Raj on action taken by the Government on the recommendations of the Committee contained in its Thirty-seventh Report (Seventeenth Lok Sabha) on 'Rural Employment through Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) — An insight into wage rates and other matters relating thereto (2023-24)' pertaining to Department of Rural Development (Ministry of Rural Development).

STATEMENT BY MINISTER

Status of implementation of recommendations contained in the 123rd and 130th

Contents Page

Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Health and Family Welfare

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRIMATI ANUPRIYA PATEL): Sir, I lay a statement regarding Status of implementation of recommendations contained in the 123rd and 130th Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Health and Family Welfare on 'outbreak of pandemic COVID-19 and its management'.

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, further discussion on the "Glorious Journey of 75 Years of the Constitution of India" raised by Shrimati Nirmala Sitharaman, on the 16th December, 2024.

I, now, call upon the Members whose names have been received for participation in the discussion. Shri Jagat Prakash Nadda.

[α] DISCUSSION ON THE "GLORIOUS JOURNEY OF 75 YEARS OF THE CONSTITUTION OF INDIA"- *Contd.*

सभा के नेता (श्री जगत प्रकाश नड्डा): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस ऐतिहासिक पल पर, ऐतिहासिक मौके पर, जब हम Glorious Journey of 75 years of the Constitution of India पर चर्चा कर रहे हैं, तो आपने मुझे भी इसमें बोलने का मौका दिया है। मैं सबसे पहले तो संविधान के निर्माताओं को, जिन्होंने गहन चिंतन, गहन मनन और चर्चा करके, एक तरीके से कहा जाए, तो उस चिंतन और मनन का essence जो हमें कांस्टीट्यूशन में देखने को मिलता है, उस पर उन्होंने deliberate किया और यह संविधान हम सबको दिया, इसके लिए देश हमेशा उनके प्रति कृतज्ञ है और हमेशा याद रखेगा कि किस तरीके से कांस्टीट्युएंट असेम्बली ने deliberate करके हमारे कांस्टीट्यूशन को एक शेप दी। हम दो वर्ष पहले आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे थे। हम सब लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं, जिनको यह मौका मिला कि हम आजादी के अमृत महोत्सव में भागीदार बन सकें। आज हम संविधान के एडोप्शन पर अपने 75 वर्ष पूरे होने पर इस मौके के भी चश्मदीद गवाह बन रहे हैं। कुछ ही समय बाद, कुछ ही दिनों बाद हमें अपने republic को, गणतंत्र को 75 साल पूरे होते हुए देखने का भी सौभाग्य मिलेगा और उसका भी चश्मदीद ग्वाह होने का मौका मिलेगा। ये जो celebrations हैं, ये जो हम उत्सव के रूप में मनाते हैं, यह एक तरीके से हमारी संविधान के प्रति समर्पण, संविधान के प्रति प्रतिबद्धता, संविधान के प्रति commitment को मजबूती प्रदान करता है। चाहे कोई सदन में उस तरफ हो, चाहे इस तरफ हो, चर्चा, वाद-विवाद और discussion,

[α] Further discussion continued from 16.12.2024.

कुल मिलाकर ये सारे discussion एक तरीके से हम सबको अपने संविधान को मजबूती देने में, commitment के साथ खड़े होने में एक अवसर प्रदान करता है। इसलिए इस अवसर को, राष्ट्रीय लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम सब इसका सदुपयोग करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। हम सब जानते हैं कि भारतवर्ष largest democracy तो है ही, लेकिन जैसा हमारे प्रधान मंत्री जी ने कहा कि it is not only the largest democracy, but it is the mother of democracy. That we have to understand. यह प्रजातंत्र की जननी है और जब हम इस largest democracy की बात करते हैं, तो हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि संविधान समिति के सदस्य और संविधान के निर्माता इस बात को जानते थे कि यह देश nation in making नहीं है, यह नेशन था, पुरातन देश था और यह पुरातन देश हमारी मान्यताओं के आधार पर, हमारी संस्कृति के आधार पर, हमारे ethos के आधार पर, हमारे पुरातन विचार पर यह समाहित था और इसलिए जब आप Constituent Assembly की debates देखेंगे, तो हमेशा भारत की संस्कृति, भारत के गौरवमयी इतिहास में इसका बार-बार उल्लेख होता है। जब हम पुरातन विचार की बात करते हैं, हम Indian ethos की बात करते हैं, तो Indian ethos में हम पाते हैं कि democracy comprises freedom, acceptability, equality and inclusivity in society; it allows the common citizens to lead a dignified life. इसके लिए हम समर्पित हैं और यह विचार Constituent Assembly के सदस्यों के मन में पूर्ण तरीके से समाहित था और यह चर्चा हम सबको देखने को मिलती है।

(**उपसभापति महोदय** *पीठासीन हुए।*)

अगर हम ऋग्वेद की बात करें, अथर्ववेद की बात करें और हम अपने पुराने मैन्युस्क्रीप्टस की बात करें, तो हमें ध्यान में आता है कि सभा, समिति, संसद, इन सभी शब्दों का प्रयोग हुआ है। यह इस बात को बताता है कि यहाँ डिस्कशन, डिबेट और डेलिब्रेट हमारे इथोज, हमारे कल्चर और हमारी संस्कृति में विराजमान रहा है और इसी को आगे बढ़ाने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बात को ध्यान में रखा है कि उन बातों को पुन: समझकर, ध्यान में रखकर, अपने गौरवमय इतिहास को ध्यान में रखकर, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को ध्यान में रखकर यह जो राष्ट्र है - since times immemorial - उसको ध्यान में रखकर हम अपने संविधान का निर्माण कर रहे हैं।

महोदय, हम लोग जम्बूद्वीप, भारतखंड, आर्यावर्त, भारतवर्ष आदि शब्दों को आज़ादी से बहुत-बहुत वर्ष पहले प्रयोग में लाए थे। यह भी इस बात का प्रमाण है कि हमने निश्चित रूप से अपनी संस्कृति को ध्यान में रखकर संविधान की फॉर्मेशन की है। मैं यहाँ पर यह बात भी ध्यान में लाना चाहता हूं कि आजकल जब हम संस्कृति की बातचीत करते हैं, तो कई बार कई लोगों को तकलीफ़ भी होती है, जब हम संस्कृति की बात करते हैं, तो कई बार लोग यह महसूस करते हैं कि हम progressive नहीं हैं। मैं उनके ध्यान में सिर्फ यह बात लाना चाहता हूं कि संविधान की मूल प्रति में भी अजंता एलोरा की गुफाओं की छाप दिखती है। हम सबको उसमें कमल की भी छाप दिखती है और कमल इस बात को प्रतिबिंबित करता है, इस बात को प्रतिलक्षित करता है कि हम कीचड़ में से, दलदल में से निकलकर, आज़ादी की लड़ाई लड़कर नई सुबह के साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं, नये संविधान के साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं। हमारा संविधान भी उस कमल से

Contents Page

हमें यह प्रेरणा देता है कि हम तमाम मुसीबतों के बावजूद प्रजातंत्र को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे - हम इस कमिटमेंट के साथ खड़े हैं।

महोदय, अगर मैं पिछले 75 साल की यात्रा की चर्चा करूं, तो मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा – जिसका उल्लेख आदरणीय वित्त मंत्री जी ने डिबेट को प्रारंभ करते हुए किया था, उन्होंने बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर जी को उद्धृत किया था, उन्होंने उसे बाबा साहेब अम्बेडकर के शब्दों में कहा था। इससे पता चलता है कि बाबा साहेब अम्बेडकर कितने दूरंदेशी थे, उनकी दूरदृष्टि कितनी थी। How farsighted he was! I would repeat what he said. Yesterday, Shrimati Sitharaman had elaborated it but I am repeating it. It says, "However good a Constitution may be, it is sure to turn out bad because those who are called to work it, happen to be a bad lot. However bad a Constitution may be, it may turn out to be good if those who are called to work it, happen to be a good lot." मैं इसको इसलिए उद्धृत कर रहा हूं, क्योंकि मेरे वक्तव्य में good lot और bad lot बार-बार आने वाला है। That we have to understand. हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान को बहुत गहराई से रखा था, लेकिन संविधान के साथ छेड़छाड़ करना bad lot ने शुरू से ही ठान लिया था। जब वह bad lot ने ठाना – मैं जर्नी की बात कर रहा हूं, यात्रा की बात कर रहा हूं, मेरा मानना है कि जब, there are objective decisions, we get right answers; we get good results. But, when there are subjective decisions, we get bad lot; we get bad answers; we get wrong answers. और हमें इस बात को समझना चाहिए। आप देखिए कि देश को जोड़ने का काम भारत के तत्कालीन होम मिनिस्टर, आदरणीय सरदार पटेल जी को दिया गया। मैं यह गौरव के साथ कह सकता हूँ और मुझे बहुत खुशी भी हुई कि मैंने बहुत समय बाद कॉंग्रेस की तरफ से भी सरदार पटेल का नाम सुना। बहुत दिनों बाद! ...(**व्यवधान**)... After years, I heard from the *mukharvind* of the Congress people speaking about Loh Purush Sardar Vallabhbhai Patel. उन्होंने 562 रियासतों को जोड़ा, the Iron Man, and one was left -- that one which was left was Jammu and Kashmir – to the then Prime Minister Shri Jawaharlal Nehru...

श्री उपसभापतिः माननीय नड्डा जी, एक मिनट का समय दीजिए।

WELCOME TO PARLIAMENTARY DELEGATION FROM ARMENIA

श्री उपसभापतिः माननीय सदस्यगण, on behalf of this august House, I have great pleasure in welcoming H.E. Mr. Alen Simonyan, President of the National Assembly of the Republic of Armenia along with the Members of the Parliamentary Delegation who are on a visit to India as our honoured guest.

Hon. Members, the Delegation arrived in Delhi from Armenia on Monday, 16th December, 2024. They are now seated in the Special Box. Besides Delhi, they will

Contents Page

also visit Jaipur and Agra before their departure from India. We wish them a pleasant and fruitful stay in our country. Through them, we convey our greetings and best wishes to the Members of Parliament of Armenia, the Government and the friendly people of Armenia.

DISCUSSION ON THE "GLORIOUS JOURNEY OF 75 YEARS OF THE CONSTITUTION OF INDIA"- *Contd.*

श्री जगत प्रकाश नड्डा: मैं कह रहा था कि एक जम्मू कश्मीर की रियासत, जिसका जिम्मा उस समय के प्रधान मंत्री, जवाहरलाल नेहरू जी ने लिया था। हम सब जानते हैं कि महाराज हरि सिंह ने इस देश के साथ जम्मू कश्मीर की विरासत को विलय किया था, लेकिन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोविजन के माध्यम से इस बात का प्रयास हुआ कि शेख अब्दुल्ला को जम्मू-कश्मीर के विषयों में इन्वॉल्व किया जाए। इसके लिए जवाहरलाल नेहरू जी ने शेख अब्दुल्ला से कहा कि आप बाबा साहेब अम्बेडकर जी से बात कीजिए। जब उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर जी को अप्रोच किया, तो आर्टिकल 370, जो बाद में आया, उसके बारे में बाबा साहेब अम्बेडकर ने क्या कहा, वह मैं आपको उद्धृत करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, "You wish India should protect your borders, she should build roads in the area, she should supply you food grains and Kashmir should get equal status as India. But Government of India should have only limited powers and Indian people should have no rights in Kashmir. To give consent to this proposal, would be treacherous thing against the interest of India and I, as a Law Minister of India, will never do it." बाबा साहेब अम्बेडकर ने बड़े स्पष्ट शब्दों में शेख अब्दुल्ला के... लेकिन, संविधान पर आघात की शुरुआत तो हो चुकी थी। आर्टिकल 370 आया और मुझे यह बोलते हुए गौरव है कि आर्टिकल 370 के ही विरोध में उस समय के जनसंघ के संस्थापक और अध्यक्ष, डा. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जी ने आवाज को उठाया और कहा कि एक देश में दो निशान, दो विधान और दो प्रधान नहीं चलेंगे। उन्होंने इसके लिए बलिदान दिया। श्रीनगर की जेल में संदेहास्पद स्थिति में उन्होंने अंतिम सांस ली। यह इस बात का प्रमाण है। Again, I will talk about the good lot and the bad lot. श्यामाप्रसाद मुखर्जी की माता जी ने जवाहरलाल नेहरू जी को चिट्ठी लिखी और कहा कि इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, उनकी रहस्यमय मौत हुई है, लेकिन वह आवाज दबा दी गई और उस रिक्वेस्ट को नकार दिया गया। यह भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है।

मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि केवल आर्टिकल 370 ही नहीं आया, again, it is a question of good lot and bad lot, चीज़ें कैसे चेंज होती हैं? आर्टिकल 370 में एक Presidential Order के माध्यम से 1954 में धारा 35ए लाई गई और 35ए को जो Presidential Assent दिया गया, that was then without parliamentary debate. उस पर पार्लियामेंट में डिबेट नहीं हुई। आजकल डेमोक्रेसी की बहुत चर्चा होती है। आजकल प्रजातंत्र की बहुत चर्चा होती है। आप धारा 370 में 35ए को Presidential Order से लाते हैं और आप उसकी डिबेट तक

Contents Page

नहीं करते हैं! Bypassing the usual parliamentary procedures, वह धारा 35ए लागू हो गई। वह 35ए क्या था – धारा 35ए डिफाइन करती थी कि जम्मू-कश्मीर का नागरिक कौन होगा? Who will be the State's citizen? जम्मू-कश्मीर की दृष्टि से उसी को नागरिक माना जाएगा, जो 1944 से पहले वहां रहा करते थे। बाकी किसी को भी स्टेट की सिटिजनशिप, स्टेट की डोमिसाइल नहीं दिया जाएगा। मैं पहले ही बता चुका हूं कि एक देश में दो विधान हो गए थे, दो प्रधान हो गए थे और दो निशान हो गए थे। प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को एक काम दिया गया और वह हम सबको धारा 370 के रूप में देखने को मिला और पिछले दरवाजे से धारा 35ए के रूप में देखने को मिला। मैं यहां पर यह भी बताना चाहता हूं कि जो पीओके से आए हुए, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से आए हुए शरणार्थी भी जम्मू-कश्मीर के नागरिक नहीं बन सके, इसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसका नतीजा क्या निकला? What was the impact of Article 370? इस पर कभी चर्चा नहीं हुई। इसीलिए मैं कहता हूं कि संविधान ने क्या-क्या जर्नी देखी है, यह हमें समझना चाहिए। Sir, 106 laws passed by the Indian Parliament were not applicable in Jammu and Kashmir. 106 laws passed by the Parliament of India were not applicable in Jammu and Kashmir which includes The Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act and Protection of Human Rights Act. आपको जानकर आश्चर्य होगा कि POCSO--Prevention of Children from Sexual Offences Act--was not implemented in Jammu and Kashmir. आपको जानकार आश्चर्य होगा कि women's property rights were not implemented, जिसके सबसे बड़े वोकल एडवोकेट जवाहरलाल नेहरू थे। That was not applicable in Jammu and Kashmir. आपको यह भी जानकर आश्चर्य होगा कि अगर किसी कश्मीरी बहन की किसी नॉन-कश्मीरी से शादी हो जाती है, तो वह भी प्रॉपर्टी राइट्स से वंचित हो जाती थी। यह स्थिति आकर खड़ी हो गई थी। राजीव गांधी जी ने 73rd and 74th Amendment Acts लागू किए, वे भी जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं थे। That was also not applicable on Jammu and Kashmir. गुज्जर, बकरवाल के लिए रिज़र्वेशन एप्लिकेबल नहीं था। Reservation to STs - आज हम सब लोग बड़े चैम्पियन बनते हैं और बार-बार एसी-एसटी कहते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्यों सब चुप रहे, एसटी के रिज़र्वेशन के बारे में क्यों नहीं बोल पाए, गुज्जर, बकरवाल के रिज़र्वेशन के बारे में क्यों नहीं बोल पाए?

मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि वेस्ट पाकिस्तान से आए हुए, हमारे इस देश में तीन प्रधान मंत्री और उप प्रधान मंत्री हुए। मनमोहन सिंह जी, वेस्ट पाकिस्तान से आए थे, वे यहां आकर प्रधान मंत्री बने। आई.के. गुजराल, वेस्ट पाकिस्तान से आए थे, वे यहां पर प्रधान मंत्री बने। लाल कृष्ण अडवाणी जी, वेस्ट पाकिस्तान से आए थे, वे यहां पर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से आया हुआ व्यक्ति जम्मू-कश्मीर की विधान सभा में पंचायत का चुनाव भी नहीं लड़ सकता था। वह विधान सभा का सदस्य नहीं बन सकता था। यह आर्टिकल 370 की देन थी, जिसके बारे में अभी भी लोग बोलते हैं कि आर्टिकल 370 को वापस लाना चाहिए। वह आर्टिकल 370 क्या देता था! यानी वह पंचायत का चुनाव न लड़ सके, विधान सभा का सदस्य न बन सके, विधान सभा में वोट न दे सके। They were not allowed to give votes. यह स्थिति आकर खड़ी थी! यह आर्टिकल 370 के तहत हम लोगों को देखने को मिला।

Contents Page

उपसभापति जी, आपको जान कर बहुत आश्चर्य होगा कि जम्मू-कश्मीर में पंजाब से सफाई कर्मचारियों को लाया गया और उनको बसाया गया। उनको कहा गया कि आपको यहां पर हम जम्मू-कश्मीर की नागरिकता देंगे। आप आश्चर्य करेंगे कि उनको इतने सालों तक सिर्फ सफाई कर्मचारी की ही नौकरी का अधिकार था, बाकी उनका बेटा न डॉक्टर बन सकता था, न इंजीनियर बन सकता था, न वह एडमिशन ले सकता था। आप देखिए कि इस आजाद भारत में कानून की धज्जियां कैसे उड़ीं! अगर हम 'Glorious journey of 75 years of Indian Constitution' की चर्चा कर रहे हैं, तो ये बातें सामने आनी चाहिए कि सफाई कर्मचारी का बेटा सफाई कर्मचारी बन सकता है, he will not get admission in engineering college, he will not get admission in medical institutions and he will not get any reservation for any services in Jammu-Kashmir. यह स्थिति लाकर खड़ी की।

मैं इस पार्लियामेंट का धन्यवादी हूं and, again, after the bad lot, we got the good lot and that good lot, on 5th of August, 2019, abrogated Article 370. इसने आर्टिकल 370 को निरस्त कर दिया। मुझे याद है, पुराने हॉल में सब लोग आकर यहां धरने पर बैठे हुए थे। इतिहास इस बात का गवाह है कि आप किस कानून के लिए धरना दे रहे थे, किस कानून का विरोध कर रहे थे, किसलिए विरोध कर रहे थे। आज आदरणीय प्रधान मंत्री जी को मैं फिर से बहुत-बहुत बधाई देता हूं कि उनकी सूझ-बूझ के कारण आज जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया, part and parcel बन गया। यह हमको ध्यान में रखना है।

अभी कल हमारे आदरणीय खरगे जी कह रहे थे कि हम इमरजेंसी की चर्चा करते हैं। आपने 25 साल में संविधान में यह तोहफा दिया, 25 साल का पहला तोहफा आपकी तरफ से आया, हम चर्चा क्यों न करें! अब कल अभिषेक मनु सिंघवी जी कह रहे थे कि भाई, हमने माफी मांग ली, माफी हो गई, आप इमरजेंसी को छोड़ दीजिए। हम कैसे मान लें! अभी अगले साल 25 तारीख को इमरजेंसी को आए हुए 50 साल हो जाएंगे, हम 'लोकतंत्र विरोधी दिवस' मनाएंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस भी उसमें शामिल हो, इस बात का हम आह्वान करते हैं। 50 साल पहले इमरजेंसी के जरिए प्रजातंत्र का गला घोंटने का कुत्सित प्रयास हुआ। अगर आपके दिल में कहीं भी उनके प्रति कोई रहम है, अगर आपके दिल में कहीं कोई प्रायश्चित है, तो मैं आह्वान करता हूं और आपको before time बताता हूं कि 25 जून, 2025 को आप जरूर 'लोकतंत्र विरोधी दिवस' में शामिल होइए और उसके बारे में चर्चा कीजिए। अब उसमें भी मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इमरजेंसी किसलिए लगी। क्या देश को खतरा था? नहीं, देश को खतरा नहीं था, कुर्सी को खतरा था। किस्सा कुर्सी का था, कुर्सी को खतरा था, इसके चलते सारा देश अंधकार में डाल दिया गया और 25 जून, 1975 को Presidential assent के द्वारा Article 352 of the Constitution में internal disturbance बताते हुए Fundamental Rights को, Articles 19 and 21 को निलंबित कर दिया गया। उसमें लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग MISA और DIR में 22-22 महीने के लिए बंदी हुए। मुझे यह गौरव के साथ कहना है कि उस समय के जनसंघ और उस समय के आरएसएस के कम से कम 75,000 से ज्यादा हमारे लोग थे, जिनको उसमें बंदी बनाया गया। प्रजातंत्र की रक्षा के लिए हम सब लोगों ने अपने आपको आत्मसात करते हुए यह किया। ...(**व्यवधान**)...

मैं यहाँ यह भी बताना चाहता हूँ कि जहाँ एक लाख से ज्यादा लोगों को MISA और DIR में बंद किया गया, अब देखिए कि इस जर्नी में बातें सामने आती हैं, तो ध्यान में रहती हैं। मनोज जी

Contents Page

बैठे हैं। हमारी मीसा भारती जी पहले यहाँ की सदस्या रही हैं, जो आजकल लोक सभा की सदस्या हैं। आप लोगों को शायद मालूम नहीं होगा कि उनका नाम 'मीसा' क्यों पड़ा? ...(**व्यवधान**)... तब मैं छात्र था। I was student of intermediate at that point of time in Patna. I was twice arrested from the class. मैं वहाँ पढ़ने गया था। हमें क्लास से अरेस्ट किया गया। हमने वे दिन भी देखे हैं। लेकिन, उनका नाम 'मीसा' क्यों पड़ा, इसलिए क्योंकि जब मीसा बहन पैदा हुईं, तो लालू जी जेल में थे, वहाँ MISA में बंद थे, Maintenance of Internal Security Act में बंद थे। ठीक है, आज साथ-साथ हैं, समय का फेर है। यह भी glorious journey का पार्ट है।

मैं यहाँ एक बात और कहना चाहता हूँ। आजकल इस बात की भी बड़ी चर्चा होती है कि मीडिया का गला घोंटा जा रहा है। कल 'गोदी मीडिया' कह दिया गया, कल और कुछ कह दिया गया। आपको मीडिया की तपस्या के बारे में मालूम नहीं है। आप जरा 1975 के इंडियन एक्सप्रेस और स्टेट्समैन के एडिटोरियल्स निकाल करके देखिए। वे blank हैं। वे डटकर खड़े रहे। आज हम स्वर्गीय रामनाथ गोयनका जी को भूल नहीं सकते, जिन्होंने इंदिरा गांधी जी को कहा था कि लोटा लेकर के आया था, लोटा लेकर के चला जाऊंगा, प्रजातंत्र की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दूँगा। ...(**व्यवधान**)... आप modern India में हैं। ...(**व्यवधान**)...

एक माननीय सदस्यः सर, इनकी तपस्या की definition दूसरी है। ...(**व्यवधान**)...

श्री जगत प्रकाश नड्डाः आप देखिए कि वे कैसे लोग थे। उस समय बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग में अंधेरा छा गया था, censorship लग गई थी। कुछ लिखने के पहले censorship से उसकी clearance चाहिए थी। मीठी-मीठी लिखो, खट्टी-खट्टी बंद करो और आज आप 'गोदी मीडिया' की बात करते हैं! हमें मीडिया को सैल्यूट करना चाहिए। जब समय क्राइसिस का आया, तो मीडिया खड़ा रहा, डटकर खड़ा रहा और उसने Emergency का विरोध किया। ...(**व्यवधान**)... यह कांस्टीट्यूशनल जर्नी का पार्ट है। आप देखिए कि जब आपकी कुर्सी खतरे में पड़ी, तो आप 39th Constitutional Amendment Act, 1975 ले कर आ गये और आपने क्या कहा। उपसभापति जी, उसमें कहा कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर और प्रधान मंत्री, इनके इलेक्शन को कोई चैलेंज नहीं करेगा। आप ही बताइए कि यह black law था या नहीं था, आप बताइए कि यह bad lot था या नहीं था? ...(**व्यवधान**)... आप judicial scrutiny से अपने आप को निकाल रहे थे और उसमें भी देखिए कि फिर आपने क्या कहा कि "Amendment will be applied retrospectively." यह पीछे से लागू होगा। यानी आपने अपनी करतूतों को छुपाने के लिए और करतूतों से बचने का तरीका ढूंढ़ने का काम किया। उसके बाद आप देखिए कि आप यहीं पर रुक जाते तो भी हम समझते, लेकिन आप 42nd Constitutional Amendment Act, 1976 लेकर आ गए। वह 42nd Constitutional Amendment Act, 1976 क्या था? उसके इतने far-reaching effects थे कि it was almost like the re-writing of the Constitution. It was almost a mini-Constitution and to have made the Constitution unrecognizable. आज हम संविधान निर्माताओं की चर्चा करते हैं, तो हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि आपने Constitution की spirit को चेंज करने का प्रयास किया है, कुत्सित प्रयास किया है। अपने Constitution को rewrite करने का प्रयास किया है। आप अमेंडमेंट क्या लाए? That prevented Judiciary from calling in question any

constitutional amendment in any court, on any ground. हमारे संविधान निर्माता Constitution के बेसिक स्ट्रक्चर पर चर्चा कर रहे थे। हमारे संविधान निर्माता फंडामेंटल राइट्स पर चर्चा कर रहे थे और उन्होंने इंश्योर किया और आपने यहाँ judicial review में judiciary को curtail करके एक ही स्ट्रोक में फैसला कर दिया कि कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट का कोई भी फैसला किसी भी कोर्ट में किसी भी ग्राउंड पर scrutiny से बाहर रहेगा। इतना ही नहीं, it restricted the courts to issue orders and injunctions. ये सारे का सारा 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। आपने प्रियेम्बल के साथ भी छेड़छाड़ कर दी। आपने उसमें सोशलिस्ट और सेक्युलर वड्र्स जोड़ दिये।...(**व्यवधान**)... हाँ, जोड़ने चाहिए थे, लेकिन अगर आपने संविधान पढ़ा होता और संविधान निर्माताओं की आकांक्षाओं को समझा होता तो आपने इनको नहीं जोड़ा होता। डा. अम्बेडकर ने इस संबंध में क्या लिखा? उन्होंने लिखा, "There was no need to include the term 'secular' as the entire Constitution embodied the concept of 'Secular State' which meant no discrimination on grounds of religion and equal rights and status of all citizens". अब आप बताइए कि संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन ने स्पष्ट लिख दिया था कि सेक्युलर शब्द की जरूरत नहीं है। इस पर संविधान सभा में चर्चा हुई थी।...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः प्लीज, प्लीज, बैठ कर न बोलें।

श्री जगत प्रकाश नड्डाः लेकिन आपने सोचा कि हम जो करते आए हैं, वहीं करेंगे। हम वोट बैंक की राजनीति करें, हम अपीज़मेंट की पॉलिटिक्स करें, एक के साथ दो साधें और वोट बैंक की पॉलिटिक्स में माइनॉरिटीज़ को प्लीज़ करें। संविधान निर्माताओं ने जिसके बारे में यह कहा कि यह हमारे में रचा बसा है, उसके बारे में आप सेक्युलर शब्द क्यों जोड़ रहे हैं? यह संविधान के निर्माताओं ने लिखा। उसी तरीके से डा. अम्बेडकर ने सोशलिस्ट के बारे क्या लिखा? उन्होंने लिखा, "On the inclusion of the term 'socialist', he said that it was against the very grain of democracy to decide in the Constitution what kind of society the people of India should live in."

(**सभापति महोदय** *पीठासीन हुए।*)

यह हमारे डेमोक्रसी के मूल चरित्र को चैलेंज करता है कि भारत के लोग किस तरीके के सोसाइटी में रहना चाहें, यह वे तय करेंगे, यह हम तय नहीं करेंगे, यह संविधान नहीं तय करेगा। लेकिन आपने माइनॉरिटीज का अपीज़मेंट करने के लिए सेक्युलर शब्द और अपने आपको प्रोग्रेसिव बताने के लिए, a little left from the Centre बताने के लिए सोशलिस्ट शब्द का इस्तेमाल किया।...(**व्यवधान**)... कल मैडम निर्मला सीतारमण जी ने यहाँ पर सी. एम. स्टीफन का वक्तव्य पढ़ा है। उस वक्तव्य में क्या अहंकार दिखता है! एक तरीके से ज्यूडिशरी के लिए प्रताड़ना करने वाले शब्दों का उपयोग किया गया है, arm-twisting की गई है, धमकी दी गई है।...(**व्यवधान**)... वह भी पार्लियामेंट के अंदर की गई है।...(**व्यवधान**)... आप भी हमारे किसी बीजेपी नेता का

वर्णन उद्धृत कर दें, जिसमें हम लोगों ने कभी ज्यूडिशरी पर कुछ कहा हो। इस तरह से arm-twisting की गई। आपने क्या किया? His Holiness Kesavananda Bharati and the State of Kerala 1973 का जो जजमेंट था, 13 जजेज़ में 7:6 पर जो जजमेंट था, जिसमें उन्होंने basic structure of Constitution को डिफाइन किया। उन्होंने basic structure of Constitution में कहा कि the supremacy of the Constitution is the Basic Structure. The rule of law, the separation of powers, the independence of Judiciary and the fundamental rights - ये basic structure of Constitution हैं, इनके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। जिन जजेज़ ने यह फैसला दिया, उन्होंने संविधान की रक्षा तो कर ली, लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि वे अपनी रक्षा नहीं कर पाए। आपको मालूम होगा कि जब doctrine of basic structure, safeguard against the arbitrary amendments, particularly relevant during Emergency, जैसी बातों को ध्यान में रखा गया, तो तीन senior-most Judges of Supreme Court, Justice J.M. Shelat, Justice K.S. Hegde and Justice A.N. Grover who had upheld the basic structure, उनको supersede करके Shri A.N. Ray को Chief Justice of India बनाया गया, एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया। ...(**व्यवधान**)... सभापति जी, इतिहास को पुख्ता करना, यह हमारी जिम्मेवारी है।...(**व्यवधान**)... आपने माना, बहुत बड़ी बात है। ADM Jabalpur Vs. Shivkant Shukla के केस में यह फैसला किया गया कि जस्टिस एच.आर. खन्ना ने dissenting note दिया और जब उन्होंने कहा कि Right to Life and Right to Property को Fundamental Rights माना जाता है और यह इमरजेंसी में curtail नहीं होगा, तो आपने जस्टिस एच.आर. खन्ना को भी चलता कर दिया और जब उनकी चीफ जस्टिस बनने की बारी आई तो उसको भी supersede कर लिया। आपने जुडिशियरी को किस तरीके से रोक करके रखा, वह भी हमको ध्यान में रखना है। मैं आपको यहां यह भी बताना चाहता हूँ कि आपने जुडिशियरी को तो curtail किया ही, now, I will talk about the 44th Amendment Act. उसमें हमने इमरजेंसी के कारण को re-define किया और 'internal disturbance' की जगह पर हम लोगों ने 'armed rebellion' को इमरजेंसी का cause माना। इसी तरीके से हम लोगों ने यह भी कहा कि कैबिनेट के साथ-साथ पार्लियामेंट का भी assent चाहिए और वह भी एक महीने के अंदर चाहिए। Now you can understand the difference between the bad lot and the good lot. ..*(Interruptions)*...

सर, मैं यहां यह भी बताना चाहता हूँ कि आर्टिकल 352, जिसके बारे में कल सुधांशु भाई ने बहुत विस्तृत रूप से चर्चा की तथा अन्य वक्ताओं ने भी चर्चा की, लेकिन इसको on record तो लाना ही पड़ेगा। आज आप One Nation, One Election के बड़े विरोध में खड़े हो रहे हैं, लेकिन आपके कारण One Nation, One Election लाना पड़ रहा है, क्योंकि 1952 से 1967 तक जो One Nation, One Election था, उसको आपने आर्टिकल 352 लगा करके बारंबार स्टेट्स की चुनी हुई सरकारों को गिराकर आपने कई राज्यों में अलग-अलग चुनावों की परिस्थिति लाकर खड़ी कर दी। I am sorry, it is Article 356. I stand corrected, it is Article 356. The Article 356 has been used 90 times. Nehru*ji* used it eight times; Shrimati Indira Gandhi used it 50 times, half a Century!; Rajiv Gandhi*ji* used it nine times and Dr. Manmohan Singh used it 10 times. आप बताइए, संविधान की glorious journey में ये बातें आनी चाहिए कि नहीं

Contents Page

आनी चाहिए कि आपने किस तरीके से चुनी हुई सरकारों को एक बार नहीं, बारंबार गिराया, बारंबार गिराया और देश को हर तरीके से मुसीबत में डालने का काम किया?

सर, मैं यहां पर minority appeasement की बात भी करना चाहता हूँ। जब मैं minority appeasement की बात करना चाहता हूँ, तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि आप लोगों ने उस समय चर्चा में राजीव गांधी जी के बारे में कहा था कि यह 21वीं शताब्दी, thought-process, progressive है। सुप्रीम कोर्ट ने शाह बानो के केस में फैसला दिया। इंदौर की एक महिला को compensation के रूप में तलाक के बाद उसके जीवनयापन के लिए फैसला हुआ। उस समय के Muslim Clergy के दबाव में आकर शाह बानो केस के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निरस्त करने के लिए आप पार्लियामेंट में amendment लेकर आए। आप पार्लियामेंट में अमेंडमेंट लेकर आए, जिसमें आपने राजीव गांधी जी के नेतृत्व में अपीज़मेंट और वोट बैंक की पॉलिटिक्स को ध्यान में रख कर यह फैसला लिया। मैं यहां एक बात और जोड़ देना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट बार-बार बोलता था कि ट्रिपल तलाक समाप्त होना चाहिए, लेकिन आपमें courage नहीं थी, आपमें हिम्मत नहीं थी, आप वोट बैंक पॉलिटक्स और अपीज़मेंट से दबे हुए थे, आप अपीज़मेंट को nourish कर रहे थे — यह माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी हैं, जिनकी दूर-दृष्टि और पक्के इरादे से ट्रिपल तलाक को समाप्त किया गया। हमारी मुस्लिम बहनों को यदि किसी ने mainstreaming करने का काम किया, तो वह हमारे प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया है। यह भी 'Glorious Journey of Constitution' का यात्रा में लिखा जाएगा। ट्रिपल तलाक के बारे में आपका 'minoritism' और 'appeasement' कहां तक पहुंचा है, इसके बारे में मैं हाउस को बताना चाहता हूं। सभापति जी, there is no triple talaq in Bangladesh; there is no triple talaq in Pakistan; there is no triple talaq in Afghanistan; there is no triple talaq in Syria; there is no triple talaq in Indonesia. These are all Muslim-declared, constitutionally Muslim-declared States, Islamic States. यहां ट्रिपल तलाक नहीं है, लेकिन हमारा सेक्युलरिज़म का वर्ज़न देखिए कि हम यहां minority-appeasement को ध्यान में रख कर ट्रिपल तलाक को चढ़ाए हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने बोल रखा था कि यह नहीं होना चाहिए। But again, the good lot gets the credit that it was Prime Minister Narendra Modiji which finished the triple talaq and brought the Muslim sisters into the mainstream.

अभी मैं संविधान की दृष्टि से कुछ boundaries के बारे में भी चर्चा करना चाहूंगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब 'ceding of territories' का सवाल आता है, the Congress Party has neither been protecting India's sovereignty and territorial integrity, nor combating efforts to reduce India's influence in our neighbourhood. I start with Jammu-Kashmir. In 1949, although our valiant military had achieved success on the battlefield, a ceasefire was accepted by Pandit Nehru. That is why even today, we have Pakistan-occupied-Kashmir. यह आपका योगदान है, इसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए।

मैं यहां यह भी बताना चाहूंगा and the House is also aware that China had occupied 38,000 square kilometres of Indian territory and received through an illegal transfer of another 5,180 square kilometres from Pakistan. China could do this because Jawaharlal Nehru neglected defence preparations, including the border infrastructure

Contents Page

and was diplomatically naive. We all know that this occupation has been consistently underplayed by Congress to protect their leader's image. हमेशा underplay करने की कोशिश हुई।

अगर मैं म्यांमार की बात करूं, where Myanmar was concerned, the circumstances regarding the transfer of our control on Coco Islands in 1950s remains unclear even today. अभी तक unclear है। We also have seen a record of unconcerned about the developments that impinge on our national security between 2008 and 2010. We stood by silently as China built the Hambantota Port in Sri Lanka. The Members would appreciate the significance of this development for India's interests. In Maldives, an anti-Indian movement in 2012 led to the exit of Indian investment in key sectors. This too was always not countered by the Congress.

अब मैं Katchatheevu island की बात करना चाहता हूं। Katchatheevu island के बारे में आपने फिर संविधान को bypasse कर दिया। You have bypassed. संविधान क्या कहता है? संविधान कहता है- पहले मैं कि Katchatheevu island के बारे में बताना चाहता हूं। Katchatheevu is an island which was under the jurisdiction of Tamil Nadu before it was ceded to Sri Lanka in 1974. Mrs. Gandhi ने 1974 में Katchatheevu island को unilaterally दे दिया to Sri Lanka. *...(Interruptions)...* And the transfer was executed without amending the Constitution of India, raising significant constitutional and legal questions. *...(Interruptions)...* अब देखिए Article 1, सभापति जी, violation of Article 1 of the Constitution. What does Article 1 of the Constitution say — "Transferring of any part of the Indian territory to another country requires a constitutional amendment under Article 368 as it results in altering the territory of India." However, no such amendment was made for the transfer of Katchatheevu. यह स्थिति लाकर खड़ी की। अगर मैं बाउंड्रीज़ की बात करूं, तो एक चर्चा और करना चाहूंगा। ...(व्यवधान)...

SHRI TIRUCHI SIVA (Tamil Nadu): Sir, just a minute, please.

MR. CHAIRMAN: Tiruchiji, he is not yielding. Are you yielding, Mr. Minister?

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: Yes, Sir.

MR. CHAIRMAN: Okay. Shri Tiruchi Siva.

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, when Katchatheevu was conceded to Sri Lanka, DMK was in power in Tamil Nadu and allegations were made. But the DMK passed a resolution in the Assembly that Katchatheevu should not be ceded to Sri Lanka and our

Contents Page

Members here also opposed that move in Parliament. *...(Interruptions)...* So, DMK cannot be charged at any point of time. We were only silent spectators. *...(Interruptions)...*

MR. CHAIRMAN: Hon. Leader of the House.

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: Sir, I take the words of Tiruchi Sivaji, but now it is time to rethink association with Indian National Congress also. *...(Interruptions)...* I am talking about land boundaries agreement with Bangladesh. The India-Bangladesh Land Boundary Agreement was signed on 16th May, 1974 between the two countries to resolve the long-standing border issues. अब मैं इसमें एक बात बताना चाहता हूं कि that needed ratification. From 1974 till 2015, there was no ratification. कोई ratification नहीं हुआ और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का दो बातों का कमिटमेंट था – पहला, cooperative federalism और दूसरा, समर्पण, commitment for the Constitution. It was in 2015 that the Government finalised the agreement, and the International Agreement of Territorial Changes was agreed upon and ratified by the Parliament. जब मैं respect for federalism कहता हूं, तो मोदी जी नेतृत्व में the Central Government had consultations with Tripura, Assam, Meghalaya, West Bengal and सबकी consent लेने के बाद the Land Boundary Agreement was made and approximately 111 Indian enclaves in Bangladesh and 51 Bangladeshi enclaves in India were resettled, 50,000 population was brought under the agreement, और उनको सहायता मिली। आप देखिए कि bad law-1974; good law-2015 when the agreement was done and ratified. अब मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, लेकिन यह बात भी सच है कि आप असम को एक तरीके से दे चुके थे। जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि our heart goes out to the people of Assam. वह चला गया था। आज आप डेमोक्रेसी के चैम्पियन बनते हैं, यह अच्छी बात है। देर आए, दुरुस्त आए। अगर उस समय बोरदोलोई साहब नहीं होते, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं होते, तो शायद यह भी हम सबको देखना संभव नहीं होता।

12.00 **Noon**

महोदय, मैं एक और चर्चा करना चाहूंगा। मैं रिज़र्वेशन की चर्चा करना चाहूंगा और रिज़र्वेशन की दो-तीन बातों की चर्चा करूंगा। एक बात तो reservation for backwards है और दूसरी बात reservation for religious minorities है। ये दो बातें तो हैं ही, इसके साथ ही SC reservation की बात भी है। आपका बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ कैसा संबंध था - यह हम सभी जानते हैं, दुनिया जहान को मालूम है, मैं उस पर बहुत चर्चा नहीं करूंगा। आपने एक बार नहीं, बल्कि बारम्बार उन्हें चुनाव में हराने का प्रयास किया था। वे किस तरह से वैस्ट बंगाल से इलेक्ट होकर कांस्टीट्यूएंट असेम्बली में आए – वह बात भी हम सभी के ध्यान में है। आप कांस्टीट्यूएंट असेम्बली का चेयरमैन किसे बनाना चाहते थे और कैसे गाँधी जी ने कांस्टीट्यूएंट असेम्बली के

चेयरमैन के लिए हस्तक्षेप किया और वे इसके चेयरमैन बने। ...(**व्यवधान**)...लेकिन सभापति जी, by using the word 'backwards' ...(*Interruptions*)...

श्री जयराम रमेश: सभापति जी, ये यील्ड कर रहे हैं। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: He is not yielding. ...(*Interruptions*)... Jairam*ji*, the Leader of the House is not yielding. ...(*Interruptions*)...

SHRI JAIRAM RAMESH: But he has to authenticate it. ...(*Interruptions*)...

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: I will do that. But, by using the word 'backwards' ...(**व्यवधान**)...कांस्टीट्यूएंट असेम्बली ने बैकवर्ड के बारे में कहा कि "Reservations generally to the disadvantaged communities." और अम्बेडकर जी ने कहा कि मेरिट को भी ध्यान में रखना चाहिए और disadvantaged communities को भी ध्यान में रखना चाहिए। There should be a balance and reservation और रिज़र्वेशन को लागू करना चाहिए। नेहरू जी के क्या व्यूज़ थे - मैं उसको ऑथेंटिकेट कर दूंगा। पंडित नेहरू ने 27 जून, 1961 को चीफ मिनिस्टर्स को जो लैटर लिखा, उसमें उन्होंने लिखा था, "I have referred above the efficiency and to getting out of our traditional ruts..." -- Reservation को traditional ruts कहा -- "...This necessitates our getting out of the old habit of reservation and particular privileges being given to the caste of this group or that group. The recent meeting we held here, at which the Chief Ministers were present, to consider national integration, laid down that help should be given to economic considerations and not to the caste. It is true that we have tied up with certain rules and conventions about helping the Scheduled Castes and Tribes. They deserve help, but even so I dislike any kind of reservation, more particularly, in services. I react strongly against anything which leads to inefficiency and second rate standards." Backwards were called as 'second rate standards'. "I want my country to be a first class country in everything. The moment we encourage second rate, we are lost." See the mentality. आप इसमें उनकी मानसिकता को देखिए, ये शब्द उनकी मानसिकता के बारे में बता रहे हैं और यह glorious journey of Constitution की दृष्टि से आप लोगों को जानना चाहिए कि संविधान की सभा में जो लोग थे, जिन लोगों ने बाद में आकर at the helm of affairs देश को चलाया, उनके मन में रिज़र्वेशन के प्रति क्या भावना थी, वह इससे प्रतिलक्षित होती है। He further writes, "If we go for reservation on caste basis, we swamp the bright and the able people and remain second rate and third rate. I am grieved to learn how far the business of reservation has gone based on caste considerations." उसके बाद श्रीमती इंदिरा गाँधी ने तो नारा ही लगा दिया कि *'न जात पर, न पात पर, मोहर लगेगी हाथ पर'*, फिर हमारे राजीव गाँधी जी आते हैं, उनका क्या विचार था रिज़र्वेशन पर? ......(**व्यवधान**)...

Contents Page

श्री इमरान प्रतापगढ़ीः आप पूरा पढ़िए। ...(**व्यवधान**)...

श्री जगत प्रकाश नड्डाः मैं पूरा पढ़ रहा हूं। वह तो आप बोलेंगे, मैं तो जात पर, पात पर ही बोलूंगा। ...(**व्यवधान**)...मैं आपका propagator नहीं हूं। राजीव गाँधी जी ने कहा, "The second point which must be a part of the national goal is a casteless society." The Constitution very clearly differentiates between Scheduled Castes and Backward Classes. Why did our Constitution-makers make this distinction? They had something in their minds. Why have we lost that distinction today? I agree with you; the reality is that caste counts for a tremendous amount in this country. I don't disagree with that. But what is our goal? Is our goal a casteless society? If our goal is a casteless society, -- we might have made mistakes in the past and I am including myself in that — if you believe in a casteless society, every major step you take must be such that you move towards a casteless society. And you must avoid taking any step which takes you towards a caste-ridden society." आजकल उनके सुपुत्र संविधान की किताब को लेकर आरक्षण और जाति-जाति करते रहते हैं। यह हृदय परिवर्तन कब हुआ? यह हृदय परिवर्तन हुआ है या वोट परिवर्तन के कारण हृदय परिवर्तन हुआ? इसका उत्तर चाहिए। अब इसके आगे क्या है, वह सुन लीजिए। "No promotion of idiots in the name of reservation, and that promoting 'idiots' in the name of reservation would harm the entire country." यह हो गया रिजर्वेशन पर आपका मत। जिन्होंने 55 साल राज किया, मैंने उनका मत आपके सामने रखा है। आप काका कालेलकर रिपोर्ट लेकर आए, आपने 1955 में काका कालेलकर रिपोर्ट रख दी और आप 22 साल तक बैठे रहे, लेकिन आपने रिजर्वेशन के बारे में कुछ नहीं सोचा । आज आपको रिजर्वेशन की आतुरता हो रही है और आप बड़े चैम्पियन बन रहे हैं! आप 22 साल बैठे रहे, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। उसके बाद मंडल कमीशन आया। मंडल कमीशन कौन लेकर आया? जनता पार्टी की सरकार लेकर आई। 1979 Mandal Commission*...(Interruptions)...* छः सितंबर को राजीव गाँधी जी ने तथ्यात्मक त्रुटियों का हवाला देते हुए और रिपोर्ट को अधूरा बताते हुए मंडल आयोग के क्रियान्वयन का विरोध किया। मनोज जी, आजकल आप उधर बैठे हुए हैं, ज़रा ध्यान रखिए। Rajiv Gandhi called Mandal Commission Report 'one man's obstinacy'. *...(Interruptions)...* आपने पिछड़े वर्ग के साथ कितना अन्याय किया। चौधरी चरण सिंह जी, किसान पुत्र, बैकवर्ड प्रधान मंत्री, उनकी सरकार को गिराने का काम आपने किया। हमारे पूर्व प्रधान मंत्री, आदरणीय देवेगौड़ा जी बैठे हुए हैं, ये बैकवर्ड कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं - चेयरमैन साहब हैं - आपने इनकी चुनी हुई सरकार को गिरा दिया, इसलिए बैकवर्ड के चैम्पियन बनने की कोशिश न करें। अम्बेडकर जी ने नेहरू जी के बारे में क्या कहा, इसे मैं ऑथेंटिकेट कर रहा हूँ कि उन्होंने 27 अगस्त, 1951 को रामदासपुर, पंजाब में कहा - "Just see the leader of the Congress Party, Pandit Nehru. He has delivered 2,000 speeches during the last 20 years, but he has never spoken about the welfare of the Scheduled Castes even once. From this, you can judge what sympathy the Congress Party can have for our

people when its leader, Pandit Nehru, is so adamant." इसी तरीके से अब मैं रिलिजियस रिजर्वेशन पर बोलना चाहता हूँ। सरदार पटेल जी ने 28 अगस्त, 1947 को कांस्टिट्यूएंट असेम्बली में जो बात कही, उसे भी मैं उद्धृत करना चाहता हूं। उन्होंने कहा – "I thought that our friends of the Muslim League will see the reasonableness of our attitude and allow themselves to accommodate to the changed conditions after the separation of the country. But I now find them adopting the same methods, which were adopted when the separate electorates were first introduced in this country, and, in spite of ample sweetness in the language used, there is a full dose of poison in the method adopted." सरदार पटेल ने बताया कि विभाजन से पहले जो आपकी नीयत थी, वह फिर से प्रतिलक्षित हो रही है और यह कंट्री के लिए हानिकारक है। ...(**व्यवधान**)... बाबा साहेब अम्बेडकर ने रिलीजियस रिज़र्वेशन पर साफ कहा कि धर्म के आधार पर रिज़र्वेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन अब आप जाइए good lot और bad lot, bad lot – चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। अब क्या कर रहे हैं? आपने आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में बैकवर्ड कास्ट्स में चार परसेंट का रिज़र्वेशन देने का प्रयास किया और जब उसको हाई कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया, तो आपकी सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डीओपीटी का यह सर्कुलर लेकर आ गई कि 27 परसेंट के रिज़र्वेशन में 4.5 परसेंट हमारे मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को जोड़ो। सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी क्वैश कर दिया, लेकिन आप बाज नहीं आए और आज संविधान के निर्माताओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं! संविधान के निर्माताओं ने स्पष्ट रूप से डिस्कशन करके, मंथन करके, चिंतन करके यह तय कर दिया कि रिलीजन के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। It is written. मैं चाहूंगा कि इस पर बहस हो। देश को जानना चाहिए कि आप किस तरीके से संविधान की मूल बातों को तोड़-मरोड़कर appeasement की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए।

श्री जयराम रमेशः सर, कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं कहा ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Mr. Jairam Ramesh. *...(Interruptions)...* He is not yielding. Please sit down. *...(Interruptions)...* Nothing will go on record.

श्री जगत प्रकाश नड्डाः सभापति जी, मैं इसको टेबल पर रख देता हूं और इसे ऑथेंटिकेट कर रहा हूं। It is an Office Memorandum issued by the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training) with the subject - Reservation to Other Backward Classes in Civil Posts and Services in the Government of India – Sub Quota for Minority Communities. यह आपका सर्कुलर है। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: What is the date of this Circular?

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: Sir, it is dated 22nd December, 2011.

MR. CHAIRMAN: Please lay it on the Table of the House.

श्री जगत प्रकाश नड्डाः मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। ...(**व्यवधान**)... इसे सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश किया है। सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है। ...(**व्यवधान**)...

THE MINISTER OF FINANCE AND THE MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): I am sorry. Subject to correction, what Jairam Ramesh is saying now is wrong. What the Gujarat Chief Minister gave was on the basis of economic backwardness. Here, it mentions 'religious minorities'. These are two different categories. He is conflicting the two and misleading the House. I object to this. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Yes, Mr. Jairam Ramesh. One minute. I give the floor to Jairam Ramesh. Come on, what do you wish to say? ...*(Interruptions)*... Only Mr. Jairam Ramesh.

श्री जयराम रमेशः सर, धर्म के आधार पर हमने आरक्षण की बात कभी नहीं की है। ...(**व्यवधान**)... हमने धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बात कभी नहीं की है। जहां आरक्षण दिया गया है, जैसे कर्नाटक में, वह ओबीसी के आधार पर दिया गया है, It is for Socially, Economically and Educationally backward classes. धर्म के आधार पर नहीं ...(**व्यवधान**)... यह गलत बोल रहे हैं। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Yes, Nirmala Sitharaman ji. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I am sorry. He may come up with any number of clarifications but he is misleading the House on this point. ...*(Interruptions)*... Dr. K. Laxman, who headed the National Commission for the Backward Classes, should be given a chance to speak on this. ...*(Interruptions)*... He is misleading the House and I object to this.

MR. CHAIRMAN: Yes, Dr. K. Laxman.

DR. K. LAXMAN (Uttar Pradesh): Sir, as per the Mandal Commission recommendations, there were some Muslim professionals included in the list. Apart from that, exclusively, Muslims have been identified in Andhra Pradesh and Telangana. Exclusive reservations are given in both these States. They are purely

religious minority reservations, which is against the Constitution of Ambedkarji. Not only that, it is the same Congress which has removed SC/ST reservation from Aligarh Muslim University and also from JMI. It is the same Congress and the UPA Government, which has removed SC/ST reservation. ..(*Interruptions*)..

DR. SYED NASEER HUSSAIN: Chairman, Sir. ..(*Interruptions*)..

MR. CHAIRMAN: Leader of the House. ..(*Interruptions*)..

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: I think, now the Congress people have got a very befitting answer from our colleague who is also the Chairman of the National Commission for Backward Classes. मैं यहां यह भी बोलना चाहता हूं कि यह तो मैंने आपको 75 साल की यात्रा बता दी, लेकिन इस यात्रा में कुछ जो अच्छे काम हुए हैं, उनकी भी चर्चा होनी चाहिए। जब मैं अच्छी चर्चा की बात करता हूं, तो मैं Directive Principles of State Policy की बात करना चाहता हूं। Directive Principles of State Policy, उसको भी implement करना हमारा काम है। मुझे हाउस को बताते हुए खुशी होती है कि Directive Principles की दृष्टि से हम लोगों ने कहा कि justice will be given to social, economic, political and also the institutions, जो इन सारी चीजों को देखते हैं। अब अगर मैं social justice की बात करूं, तो of course, यह बात सच्चाई है कि Article 338B के तहत National Commission for Backward Classes को Constitutional status नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने दिया। वह Constitutional status हम सबको मिला है। उसी तरीके से 10 per cent of reservation to the economically weaker sections, वह भी नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने दिया और social justice लाने का काम किया। उसी तरीके से वाल्मीकि समुदाय को Union Territory of Jammu-Kashmir में रिजर्वेशन देने का काम किया, तो वह भी नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने किया। अगर मैं political justice की बात करूं, तो आर्टिकल 370 को abrogate करके जम्मू-कश्मीर को political justice देने का काम किया, तो वह भी मोदी जी की सरकार ने किया। SC, ST और Other Backward Classes को जम्मू-कश्मीर में जो rights दिए गए, वह political justice भी आर्टिकल 370 को abrogate करके दिया गया। उसी तरीके से women's reservation में हाउस के हमारे सभी लोगों ने उसमें साथ दिया, बहुत खुशी की बात है, लेकिन वह political will प्रधान मंत्री जी ने दिखाया, जिसमें सब लोगों ने साथ दिया और लंबे समय से लंबित 'नारी शक्ति वंदन विधेयक' को पारित करके women को reservation देने का काम किया। Abolition of triple talaq, वह भी करके justice देने का प्रयास हुआ। अगर मैं economic justice की बात करूं, तो चाहे वह मुद्रा योजना हो, चाहे जन-धन अकाउंट्स हों, चाहे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो, फिर चाहे वह लखपति दीदी हो, फिर चाहे वह हमारा स्वच्छता अभियान हो, फिर चाहे वह प्रधानमंत्री आवास योजना हो या फिर चाहे वह प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हो, इनके जरिए economic justice दिया गया। आयुष्मान भारत के बारे में as Health Minister मैं जरूर बोलना चाहूंगा। 55 करोड़ लोग और उसमें 6 करोड़ वृद्ध भी जोड़ लिए गए हैं, 55 + 6, यानी 61 करोड़ लोगों को प्रधान मंत्री, मोदी जी

Contents Page

के द्वारा 5 लाख रुपए प्रति फैमिली हर साल health coverage देना, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी तरीके से आवास योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना, इन सबने deprived classes को जोड़ने का प्रयास किया है और Directive Principles of State Policy के तहत उनको मुख्यधारा में जोड़ने का प्रयास किया है।

मैं समझता हूं कि यह जो glorious journey रही है, यात्रा रही है, इसमें हमने बहुत उतार-चढ़ाव देखे। हमें एक बात से सजग रहना है that we should be careful of the bad lot and we should be always hopeful for the good lot, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए।

सभापति जी, अंत में मैं एक बात और कहना चाहता हूं, क्योंकि मेरे मन में यह इच्छा हो रही है। मैं केवल ज्ञानवर्धन के लिए कहना चाहता हूं कि तपस्या से शरीर में गर्मी नहीं आती है। तपस्या से शरीर में गर्मी नहीं आती है, चित्त शांत होता है; जब चित्र शांत होता है, तो लक्ष्य साफ होता है; लक्ष्य तब साफ होता है, जब नीयत साफ होती है; जब नीयत साफ होती है, तो नीति साफ होती है और जब नीति साफ होती है, तो देश आगे बढ़ता है। इन्हीं शब्दों के साथ, बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI H.D. DEVEGOWDA (Karnataka): Sir, I heard the thought-provoking speech of the Leader of the House. I was very closely watching and hearing the speech made by the Leader of the House about reservation and various other issues in the last 75 years. He brought those issues to the notice of the august House. I am not going to react to those issues. My only appeal to the Leader of the House is this. On the overall issue of reservation, the House has to apply its mind, going by what happened in the past, whether we should give reservation to those who are suffering only on the basis of poverty in this country. The people are suffering even with all the reservations that we have given in the past. It has not lifted the people out of poverty and they are still suffering to get two square meals a day. On the basis of that, irrespective of political party consideration, the House should think over whether reservation should be continued along the same lines as has happened. Or it should be only for those who are suffering from extreme poverty as their living condition is very bad in the villages. Only that much I can say. If the House thinks it over and the leader thinks it over, this can be thought over by the hon. Prime Minister before taking any decision on reservation.

I don't want to make a long speech. I would just like to say a few words on the glorious journey of 75 years of the Constitution which we are debating in this House from yesterday. Yesterday, when I came here, the House was about to rise. I was not keeping well. Your good self has given me an opportunity today to speak on the glorious journey of 75 years of the Constitution. Sir, I welcome this discussion to mark the 75 years of adopting the Constitution. The Constitution drafted under the leadership of the great Dr. Ambedkar has withstood various pressures and politics of

old time. The Constitution could withstand various pressures and politics because of the democratic guarantees it was able to offer. Its great vision was understood by the poor and the oppressed people of our nation. If they had not seen hope in Dr. Ambedkar's vision and if they had not understood that it is the only saviour of the future, they would not have become its fierce guardians. It is important to remember that whenever the Constitution has been abused or threatened, the people have punished those who threatened it. The Constitution has meant everything to me. As a son of a poor farmer from a remote village, from the bottom caste order, I could become the Chief Minister and the Prime Minister. It was only the Constitution which made it possible.

Sir, after I became Prime Minister, to whichever corner of our nation I went, people told me that my rise to the top gave them great hope. They thought that if an ordinary person like me, from an ordinary background, can make progress, they too could make progress in this country. The people openly told me that my rise had given them hope in our democracy. Whatever they alleged and illusionist Delhi said, whatever conspiracy they hatched to pull me down, how much ever they ridiculed me by my dress, my language and my accent, people in every corner of India celebrated my rise. For them, it was a celebration of the potential and diversity of this nation. It is, therefore, as Prime Minister, I found a great satisfaction in working for the neglected part of our nation. I was the first Prime Minister to spend seven days in the North-East and after that an economic package to the region was given by me. It was about Rs.6,100 crore. Also, a Monitoring Cell in PMO's Office and Shukla Commission were constituted to make a detailed developmental plan of the region. I was the only Prime Minister to visit Kashmir. I was there for 320 days; I was hardly there for 10 months but I conducted elections during that period. It was purely under a democratic process. Thereafter, the Government was formed by Dr. Farooq Abdullah.

Sir, I would like to mention here what happened 50 years ago when the Constitution was suspended and when the Emergency was declared. Nearly, the entire political opposition of this nation was sent to jail. Youngsters of this generation do not realize how bad the situation was. I too was sent to jail at that time. When I was put in jail, my father was unable to withstand the mental pressure of the imprisonment. As a result, he lost his mental well-being and eventually he died. This was because deep fear was created in him by those people who visited him and said: "Your son will not come out of jail because the Emergency was clamped by Madam Indira Gandhi." Earlier, my father had lost three sons and his wife due to epidemic.

When he lost his mind, I was the only son. He was unable to bear the mental agony. During this period, he expired. I was sent to my village to cremate him on parole.

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI) *in the Chair.*]

I don't want to say what all I have suffered during that period. Thousands of people went to jail. Several important leaders were kept in jail. I don't want to say their names. During the Emergency period, lakhs of people went to jail. Many at that time went to jail -- it is my personal experience -- for their political belief and democratic values. It was all done for political survival of just one person.

I would just like to mention a few words. It was during Emergency that the nation realized the liberties and freedoms that the Constitution had guaranteed us. We have one of the finest Constitutions in the world. The architecture ensures balance of power between various institutions and pillars of our democracy. It recognizes our diversity and our federal structure and, at the same time, ensures that there is enough power at the Centre to hold everything together. After the end of one-party era in 1997, India has successfully demonstrated that broad coalition could do much more in terms of development and protected our democratic ethos. I ran a coalition of 13 parties for the first time. The economic record, the democratic credentials of that diverse Government highlight has been well-recognized. This was possible because of the letter and spirit of the Constitution. The simple rule I followed was, if you follow the Constitution closely and faithfully, then there was little chance of my Government making any mistake. This effort, how to remain closer to the word and spirit of the Constitution, is a continuous effort. You must never give up those efforts.

I conclude by paying rich tribute to Baba Saheb Amedkar on this occasion for giving his vision and genius drafting of the Constitution and to all the great souls who have fought to preserve the sanctity of our Constitution. May we celebrate the centenary of our Constitution and its many centenaries that lie ahead in the glorious future of this nation. *Jai Hind!*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): Ms. Sushmita Dev; three minutes.

MS. SUSHMITA DEV (West Bengal): Sir, I think the shortest way to show our allegiance to the Constitution is our oath of allegiance, and we need not say furthermore. But, as a participant in this important debate, I wish to make a few

Contents Page

points. We all must accept that the Constitution is a document of consensus which emanated from fearless and fierce debates. Different people had different opinions inside the Assembly and outside the Assembly and yet what we got is a Constitution which we all accept today. There is a stark contrast to what is happening inside Parliament and outside Parliament. We have all spoken about Dr. Ambedkar. And, I think, with Dr. Ambedkar in our hearts, we must remember his undelivered but published speech--'The Annihilation of Caste'. He was a champion of removing inequalities and, therefore, I speak about right to equality in this country which is not an idea but it is a right, a right that every Government must guarantee. So, let us look at economic inequalities. Today, in India, 1 per cent of the country is controlling about 40 per cent of the wealth! Is that the kind of equality that our forefathers wanted? Sir, today, corporate loans are waived! But, farmers are struggling and reeling under the burden of loans. Today, the middle class is the worst impacted by tax burden, but we see that the taxation on corporates keep reducing because of the policies of this Government. Highly qualified students don't compete for jobs. Today, they have to compete in stampedes. Now, let us come to the two most destructive policies of this Government which destroyed the informal economy. The first one is demonetization and the unplanned lockdown. We have seen what had happened between the haves and have-nots. There was a stark difference between them. Sir, next is social inequality. सर, यहां इतने लोगों ने भाषण दिया, लेकिन बीजेपी के एक भी सांसद ने मणिपुर पर नहीं बोला, एक भी सांसद ने नहीं बोला। Today, I say, while we are debating on the Constitution, which constitutional rights have you not suspended in Manipur? Liberty, Expression, Speech and everything has been suspended in Manipur. I stand here, as a Member of Parliament representing the North East, demanding the resignation of every MP from the North East and every Minister who is thumping their desk behind the Leader of the House. Today, while the Constituent Assembly debates are discussed, we, the citizens, are demanding to have equal rights. In Assam, the BJP is creating different classes of citizens with different rights. The NRC has become No Respite for Citizens. There is no equality in the way the NRC has been conducted. (*Time-bell rings.*)

With these few words, I end my speech by saying that this is a Government which wants one election, one leader, one religion, because this is not what Ambedkar*ji* wanted for this country. This is a fascist Government that is at play.

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): डा. जॉन ब्रिटास।

DR. JOHN BRITTAS (Kerala): Thank you very much, Sir. ...*(Interruptions)*...

SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA: Sir,...*(Interruptions)*...

DR. JOHN BRITTAS: No; my time is going on. ...*(Interruptions)*... Please. ...*(Interruptions)*...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): कृपया आप बैठिए। ...(**व्यवधान**)... You have eight minutes.

DR. JOHN BRITTAS: Sir, you have been kind enough to allow this discussion-- 'Glorious journey of 75 years of Indian Constitution.' However, the title should be changed to '65 years of undistinguished years and 10 years of glory.' According to them, 65 years have been horrible and horrendous. Only 10 years have been glorious and golden. Democracy survives on the trust of the people and trust on institutions. Sir, from CAG to Election Commission, to Parliament, to media, the trust of the people has been dented considerably.

Sir, the one person who has been responsible for all these woes is none other than Jawaharlal Nehru! Sir, last time while I was speaking, I requested Amit Shah*ji*, please make a ministry for Jawaharlal Nehru so that one minister can deal with all those ills committed by Jawaharlal Nehru. How many years will you dwell on Jawaharlal Nehru? Our party had disagreements with Jawaharlal Nehru. My Government in Kerala was dismissed. We have our disagreements. We had our disagreements against Emergency. But now what is happening in this country is that, there is an undeclared emergency in this country. Sir, for one week, the Parliament was disrupted on George Soros. A 95-year old man would be laughing in his last innings that because of him, the Indian Parliament, 140 crore people, a Prime Minister with 56 inch wide chest, shattered because somebody is being destabilized in this country. Sir, I am requesting, through you, let us appoint a JPC. Whose money? Soros' money. Where has the money reached? I am afraid that if a JPC is there, the JPC will reach the footsteps of the Prime Minister's office. Sir, let the JPC inquire into it. Even a Governor's name would be doled out. Sir, I would say that the tax payers' money has been given to George Soros because we are contributing to a UN fund on democracy and that particular fund is giving money to Geroge Soros' Open Society Foundations. Is it not a fact that our money is going to George Soros? And they said that the US State Department is responsible. Why can't they close down the US Embassy, declare all of them *persona non grata*, expel them from this country because they are trying to destabilize this nation. Sir, so many things have been said

about Jawaharlal Nehru, I will just quote something. In this very House in 1967, a statesman, a gentleman spoke. "In the Ramayana, Valkimi had said that Lord Rama brought the impossible together. In Pandit*ji*'s life, we see glimpses of Rama." Who said, Sir? Atal Bihari Vajpayee said in this very House. Pandit*ji* is being compared to Lord Rama, but for you, now, he is Ravana. This is a change that has happened. Dr. Ambedkar was not considered for Finance Minister's post. Very good! If you want to repeat that allegation, please go and apologize to L.K. Advani*ji*. You should have made him the Prime Minister of this country. Why did you not do that? Why did you kick him upstairs to *Margdarshak Mandal*? Before it is late, I would request you, please go to Advani*ji* and plead that you were wrong. Sir, the whole country is waiting as to what will happen to Narendra Modi*ji*, when he attains 75 years. He is already 74. Will he apply the same rule which he applied to Advani*ji* and Murli Manohar Joshi on himself? *...(Interruptions)...* I will ask the Treasury Benches. *...(Interruptions)...* Sir, now the biggest problem in this country is defection. I will give you statistics. Sir, 830 people were defected to BJP and they were all made candidates. There was retail defection happening, but they institutionalized whole-sale defection in this country. How many Governments have been brought down? Sir, I am very glad that the Prime Minster gave us 11 commandments, like the Moses was given by the God in Mount Sinai, the Ten Commandments. Do you know the first commandment? He said that every individual should perform their duties, be it individuals or administration. Let the Prime Minister go to Manipur and discharge his responsibilities as the Prime Minister of this country. Let him follow the eleven *mantras* which he gave on the floor of Lok Sabha. Sir, in the Parliament, we are discussing this glorious journey. I would expect the Prime Minister to come and listen to it. If he had given half the time, he gave to Raj Kapoor's family, to this Parliament, we would have been elated. And, the Prime Minister, of course, asked for, 'Where is Taimur?" If Taimur had come, there would have been a hate campaign against that family! That is the situation, Sir. Now they claim that the Constitution is theirs. *...(Interruptions)...* Let me just tell you. *...(Interruptions)...* I will quote from the editorial of 'The Organizer'. "It is just old adulterated wine,..." --They are talking about the Constitution.-- "...the same old British bottle bearing a new name. May we own up the error? We have the courage to correct it." That means, they disowned the Indian Constitution. They are exhorting people. I am quoting. I have the document here, Sir, which I got from the Teen Murti Library, which they have renamed it as 'Prime Minister Sangrahalaya. Sir, I will place it on the Table. They are saying, "If we have the courage, we will correct it." That is what Organizer Editorial talked about the Indian Constitution. I would say that the unity of this country can be protected by three ingredients. One is democracy,

second is secularism, and third is federalism. Without these three ingredients, the unity cannot be maintained. And, what is the status of federalism? The Office of the Governor has been used to destabilize the State Governments ruled by the Opposition. There are 3Ds -- either Defame the Government or Discriminate the Government or Destabilize the Government! Can a constitutional office of the Governor be turned into a hitman office? Sir, Kerala is giving so much to the national exchequer. The Wayanad calamity happened. Bot even a single pie has been given. The hon. Prime Minister came to Kerala and took the child in his lap and made the child to stroke his beard. Now, we have to pay for the arrangements we made for his visit to Wayanad. Not a single coin given! Are we not part of this country? Can you discriminate a State like this? Sir, now, they talk about 'One-Nation-One Election'. One-nation-One-Election is the extension of one leader, one country, one ideology. ...*(Interruptions)*... That is the extension. Do you want to finish off the federalism in this country? ...(*Time-bell rings*.)... If you are sincere, please apologize to the House for disagreeing with the Indian Constitution, for calling it a British ploy on India and for saying that you will correct the Constitution.

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): कृपया बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)...

DR. JOHN BRITTAS: I am asking the Treasury Benches, if you have courage, come forward and say, 'We were against the Indian Constitution'. And, if you are saying that Dr. Ambedkar was not made Finance Minister, go and apologize Shri L.K. Advani, for not making him the Prime Minister.

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): कृपया समाप्त कीजिए। ...(**व्यवधान**)...

DR. JOHN BRITTAS: And, also make sure that the 75-year-old criteria which you made for Advani*ji* and Murali Manohar Joshi*ji*, you will implement when Mr. Narendra Modi is at that age. ...*(Interruptions)*... I am challenging you. ...*(Interruptions)*... If you have the courage, you do it. I am challenging you, if you have the courage. ...*(Interruptions)*... And, if you have the courage to protect the Constitution, please do what I propose. Thank you very much, Sir.

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाथ ठाकुर): सभापति महोदय, आपने सदन में संविधान पर हो रही चर्चा में भाग लेने के लिए मुझे पुकारा है, इसके लिए मैं अपनी तरफ से और अपने दल की तरफ से आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं।...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): आप नियमों में लाइए, बैठे-बैठे मत बोलिए।

श्री राम नाथ ठाकुर: महोदय, मैंने कल से आज तक अच्छे से अच्छे वक्ताओं की बात सुनी है। मुझे कुछ लाभ हुआ और मन में कुछ जिज्ञासा भी जगी कि मैं अपनी और अपने दल की कुछ बात इस सदन में रखूँ। अभी सदन के नेता ने अपने भाषण में काका कालेलकर जी के नाम का जिक्र किया कि उनकी रिपोर्ट को सदन में रखने के बावजूद भी 22 वर्षों तक ठंडे बस्ते में रखने का काम किया गया — मैंने इसके बारे में सुना।

उपसभाध्यक्ष महोदय, आज़ादी के बाद, सन् 1952 के बाद कांग्रेस और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। महान देश भक्त और समाजवादी कुछ सोच-समझकर कॉंग्रेस से अलग हुए होंगे। अपने विचारों के माध्यम से, अपने कर्मों के माध्यम से हमें उन विचारों की तरफ जाना होगा और गए भी हैं। उन विचारों को सामने रखकर मेरे मन में यह भावना आई कि 1974 में छात्रों द्वारा जो आंदोलन घोषित किए गए और किए गए, वे किन कारणों से किए गए? मोरारजी देसाई जी कॉंग्रेस में थे। उन्होंने किस कारण से गुजरात में आमरण अनशन पर बैठने का काम किया? इन मुद्दों पर पक्ष के भी और विपक्ष के भी साथियों को सोचना चाहिए कि हम कहाँ थे और कहाँ जा रहे हैं। मोरारजी देसाई जी ने छात्रों की माँगों को लेकर आमरण अनशन किया। छात्रों की माँगों को लेकर लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने छात्र आंदोलन को समर्थन देने का एलान किया, तो उनको भी पटना में लाठियाँ खानी पड़ीं। छात्र आंदोलन उग्र हुआ। वह कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं था। छात्र आंदोलन का समर्थन लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने किया। इसके बाद कॉंग्रेस को छोड़कर सभी पार्टी के नेताओं ने घोषणा की कि जयप्रकाश बाबू हम आपके आंदोलन में सम्मिलित होना चाहते हैं। हम थोड़ा विचार करते हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): कॉंग्रेस के युवा तुर्क नेता भी आपके साथ हो गए थे।

श्री राम नाथ ठाकुर: ममता बनर्जी जी ने कॉंग्रेस क्यों छोड़ी? जयप्रकाश नारायण जी समाजवादी आंदोलन में क्यों आए? डा. राममनोहर लोहिया जी क्यों आए? माननीय श्रद्धेय चन्द्रशेखर जी कॉंग्रेस में थे, उन्हें जेल में क्यों डाल दिया गया? वे जयप्रकाश बाबू के अनुयायी थे, उन्होंने देखा कि जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, इसलिए उन्होंने कॉंग्रेस को छोड़ा और लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन में कूदने का काम किया। सिर्फ कूदने का ही काम नहीं किया, बल्कि जेल में भी रहे। मैं भी इसका भुक्तभोगी हूँ। 1974 के आंदोलन में तीन, चार और पाँच अक्टूबर को जयप्रकाश नारायण जी के आह्वान पर जो बिहार बंद हुआ, उसमें भी हम लोगों ने हजारीबाग जेल में जाने का काम किया। हमने चार महीनों तक जेल में रहने का काम किया। वह क्या दृश्य था, कैसे लोग भागते थे! सदन के नेता ने ठीक ही कहा कि एक लाख से अधिक लोग जेल में गए, महान लोग जेल में गए। इसका क्या कारण था? जयप्रकाश नारायण जी को गाँधी शांति प्रतिष्ठान से गिरफ्तार कर लिया गया। इसका क्या कारण था? अब लड़ाई में समाजवादी नेता, राज नारायण जी ने केस किया। जजमेंट आई, आंदोलन उग्र हुआ और उग्र होने के कारण कांग्रेस की प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने रातों-रात आपातकाल लगाने का काम किया। हमें तो विचार करना चाहिए कि यह कैसे छात्र आंदोलन से कुर्सी आंदोलन तक चला आया। हम कहना

चाहते हैं कि जब 1974 के आंदोलन के बाद, जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के बाद, इमरजेंसी के बाद चुनाव हुए, तब जनता ने जनता पार्टी को बहुमत देने का काम किया और सरकार बनी। बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने आरक्षण लागू करने का काम किया। उन्होंने 26 परसेंट आरक्षण लागू करने का काम किया। हम आपके माध्यम से विद्वान साथियों से, पुराने नेताओं से जानना चाहते हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने कौन सा गलत काम किया, जिससे उनके आंदोलन और उनके किए गए निर्णयों का कांग्रेस ने विरोध किया। संविधान पर चर्चा हो रही है, संविधान में 15(4) और 16(4) में उल्लिखित है और उन्होंने उसे लागू किया, इस पर हमको और आपको विचार करना चाहिए। हम अभी तक उस पर मौन क्यों थे, चुप क्यों थे, हमने उसे लागू क्यों नहीं किया? कमजोर वर्गों को उठाने का काम, उनको आगे बढ़ाने के काम से आपको किसने रोक रखा था?

हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि छात्र आंदोलन से उपजे हुए आंदोलन में अगर आरक्षण लागू हुआ, तो कौन सा जुल्म हो गया? यह हम पुराने साथियों से भी जानना चाहते हैं। हमने सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पर पिछड़े हुए लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया और जागृति पैदा करने का काम किया। किसी रचनाकार ने ठीक ही कहा है -

"है पेट जहां खाली नर का, उस घर में दीप जलेगा क्या,
जब घास न कोई देता है, तो बूढ़ा बैल चलेगा क्या?"

पिछड़ों को आरक्षण देने का जो काम किया, जो भूखे थे, जो पीड़ित थे, जो शोषित थे, जो दलित थे, जो लांछित थे, उनको अधिकार देने का काम किया, तो उसकी हमें सराहना करनी चाहिए। हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं, संविधान पर चर्चा कर रहे हैं, तो उसके बारे में किसी आदमी ने कोई जिक्र करने का काम किया है। मैं इस मंच के माध्यम से भारत के प्रधान मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने 23 जनवरी, 2024 को घोषणा की और चौधरी चरण सिंह जी, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी और नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न देने का काम किया। ऐसा करने से आपको किसने मना किया था? अम्बेडकर साहब को भी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, राजग गठबंधन ने भारत रत्न देने का काम किया है। उसकी चर्चा कोई आदमी नहीं कर रहा है। आपको क्या हुआ है? इसलिए राजग ने ठाना है,

"जज्बे-शौके-शहादत से हमें क्या फायदा,
हमने भी सर अपने हाथों पर धर लिया है,
आखिर कत्ल से कब तक डरूं मैं,
जब कातिलों के मोहल्ले में घर कर लिया है"।

हम कहना चाहते हैं कि हम जगे हैं, उठे हैं, हम संघर्ष करेंगे और जो संविधान में लिखित बातें हैं, उनको लागू करने का काम करेंगे। यही तो हमारा नारा है, यही तो हमारे पूर्वजों का कहना है। उन्होंने जो चिंतन किया, मनन किया, जो हमको देने का काम किया, उस चीज को लागू करने का अधिकार हमको है और हम उसे करेंगे।

Contents Page

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं 1974 की एक बात बताकर अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। 1974 में हम जेल में थे। सरकार के द्वारा हाई स्कूल के शिक्षकों को टारगेट दिया गया था कि उन्हें एक रोज में 20 नसबंदी करानी हैं।

1.00 P.M.

हमारे यहां चंदौली हाई स्कूल के हेड मास्टर, श्री शिवजी सिंह जी थे। उनको मेरा गांव पड़ गया। उस गांव में एक रोज में 13 आदमी का नसबंदी का ऑपरेशन हुआ। नसबंदी हो गई। जब हम लोग छूट कर आए, तो हमें पता लगा कि इन लोगों की नसबंदी हुई है। जब देखा, तो उन सभी 13 आदमियों को नसबंदी के बाद भी चार-चार बच्चे हो गए। हमको इस पर भी विचार करना होगा कि कैसी नसबंदी हुई, कैसा आदेश हुआ।

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): आप कृपया समाप्त करें।

श्री राम नाथ ठाकुर: इसलिए मैं आपके माध्यम से ...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): मुझे पता नहीं, मेरे माध्यम से उसका पता नहीं चलेगा।

श्री राम नाथ ठाकुर: हम आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि आप जरा इसके बारे में भी data collect कीजिए, इसकी भी जानकारी रखिए।

अंत में, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि

"मैं नहीं कहता कि तू सवेरा कर दे - 2
दो काम में एक काम तू मेरा कर दे,
रोशनी तेज कर दे कि मैं कुछ देख सकूं,
नहीं तो घनघोर अंधेरा कर दे।"

इन्हीं चंद शब्दों के साथ, मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): Dr. Syed Naseer Hussain. ...(Interruptions)...

SHRI MOHAMMED NADIMUL HAQUE (West Bengal): Sir, I have a point of order.

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): आपका point of order क्या है?

SHRI MOHAMMED NADIMUL HAQUE: Sir, under Rule 19, it has been said, 'The Chairman may, if he thinks fit, prescribe after taking the sense of the Council, a time limit for speeches.' Sir, I have only one request. You are giving a lot of time, extra

time. That is very good. We are fine with that. लेकिन आप इधर के सदस्यों को भी थोड़ा टाइम दीजिए। जैसे ही इधर का टाइम पूरा होता है, वहां से आप घंटी बजा दे रहे हैं। प्लीज़, आप यहां भी extra time दीजिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): बैठिए, बैठिए। माननीय सभापति महोदय ने ...(**व्यवधान**)... कृपया सुनें। ...(**व्यवधान**)... पहली बात तो यह है कि यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। ...(**व्यवधान**)... कृपया सुनें। यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। मैं व्यवस्था का प्रश्न निरस्त करता हूं। मैं आपकी बात माननीय सभापति महोदय तक पहुंचा दूंगा। डा. सैयद नासिर हुसैन।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): Dr. Syed Naseer Hussain, five minutes.

डा. सैयद नासिर हुसैन: सर, 5 मिनट!

श्री नीरज शेखर: सर, आप टाइम देखिए, कांग्रेस का समय समाप्त हो गया है। आप देखिए कि कांग्रेस का टाइम कितना हुआ है।

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): माननीय सभापति महोदय ने समय दिया है। आप कृपया बैठ जाएं। आप बोलिए।

DR. SYED NASEER HUSSAIN (KARNATAKA): Sir, I rise to speak on the glorious journey of 75 years of Constitution of India. आज यहां पर मैं सत्ता पक्ष के लोगों का भाषण सुन रहा था। कल वित्त मंत्री जी ने भी विस्तार से अपनी बात कही है और हमारे नड्डा साहब भी बात कर रहे थे। उनको 42nd Amendment पर आपत्ति थी। 'Socialism' और 'secularism' को Preamble में add करना और Fundamental Duties को उसमें शामिल करना इनके लिए बड़ी आपत्ति थी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, वे socialism पर भी विस्तार से बोले, कि socialistic pattern of society क्या होती है? क्या आपको सरकार और PSUs में आरक्षण पर एतराज है? क्या आपको गरीबों को जमीन देने पर एतराज है? क्या आप नहीं चाहते कि गरीब को इज्जत से जीने का अधिकार मिले, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा का अधिकार मिले? क्या आप नहीं चाहते कि गरीबों को, मजदूरों को मनरेगा में काम मिले या फिर Food Security कानून के तहत राशन मिले? सर, यही तो socialism है, यही तो socialistic pattern of society है। अगर आपको इससे इतना ही एतराज है, तो आप अपनी पार्टी के संविधान में Article 1 में जो 'socialism' लिखा है, उसको क्यों नहीं निकाल देते? यह मनुवादी सोच है। इसी मनुवादी सोच से वर्ण सिस्टम बना रखा था, आज आप उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। सर, इसके अलावा प्रधान मंत्री समेत बीजेपी के कई लीडर्स ने constitutional amendment की बात की और उसके ऊपर हैरानी जताई। I would like to say that between the adoption of Constitution in 1949 and 2014, there were 98 constitutional amendments. In that period, several pieces of legislation were enacted,

which significantly expanded the rights of average citizens. These were, unapologetically and uniformly, in the larger service of the Indian people, unlike the amendments and laws brought by the Modi Government for their own political and personal advancement.

Sir, let me list out a few of these laws. First Amendment, 1951 - Land reforms, reservation and restricting communal speeches; Banking Companies Act, 1969 — bank nationalisation; 26th Amendment, 1971 — abolition of Privy Purses; 42nd Amendment — addition of socialist and secular boards and insertion of Fundamental Duties; 73rd and 74th Amendments, 1992 — grassroot level of democracy through Panchayats and Local Bodies; Right to Information Act, 2005, MNREGA, 2005; 93rd Amendment — Reservation for OBCs, Right to Education as Fundamental Right, 2009, National Food Security Act, 2012, Land Acquisition Act, 2013, and so on. मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि इनमें से किन Amendments पर उसको परेशानी है और ऐसा कौन सा Amendment इन लोगों ने पिछले 10-11 सालों में लाया है?

वाइस-चेयरमैन सर, प्रधान मंत्री जी ने 11 संकल्पों की बात की, उसमें उन्होंने zero tolerance against corruption की बात की। अगर इतना ही है, तो अदाणी के मुद्दे पर जेपीसी गठित क्यों नहीं होती, राफेल के घोटाले पर जेपीसी क्यों नहीं बनाई, electoral bonds पर इंक्वायरी क्यों नहीं की, Pegasus पर जाँच क्यों नहीं की? ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। इन्होंने कांग्रेस के खिलाफ कई आरोप लगाए थे। हम लोगों ने उनमें जाँच करवाई, इनकी सरकार ने भी जाँच करवाई। कांग्रेस को बोफोर्स में clean chit मिली, 2जी में clean chit मिली और coal auction case में भी clean chit मिली। आप भी इन सभी घोटालों की जाँच करवा लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और आपका zero tolerance देश को पता चल जाएगा।

सर, इसी तरह से प्रधान मंत्री ने कांग्रेस के खिलाफ सत्ता सुख का आरोप लगाया। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि pandemic में मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार किसने गिराई, कर्नाटक की कांग्रेस-जेडीएस की सरकार किसने गिराई? क्या महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार बीजेपी ने नहीं गिराई? क्या अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को गिराने की कोशिश नहीं की गई? मेघालय और गोवा में बिना बहुमत तोड़-फोड़ करके किसने सरकार बनाई? हिमाचल की कांग्रेस सरकार को गिराने की कोशिश किसने की? सर, और तो और, इसी सदन में MPs को resign कराके बीजेपी ज्वाइन कराने का काम किया जा रहा है। यह सत्ता का सुख ही नहीं, यह सत्ता का नशा है।

वाइस-चेयरमैन सर, हर हिन्दुस्तानी का कोई न कोई मजहब होता है। हम तमाम लोग किसी न किसी धर्म में जरूर पैदा होते हैं। उस धर्म को मानते हैं और उसी धर्म में हम लोग रहेंगे भी। उस धर्म का कोई न कोई ग्रंथ भी जरूर होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हिन्दुस्तान के लिए, हिन्दुस्तान का मजहब लोकतंत्र होना चाहिए और उसका ग्रंथ संविधान होना चाहिए।

Sir, our Constitution guarantees equality and justice through its foundational principles. Article 14 ensures equality, Article 15 prohibits discrimination, Articles 25 and 26 guarantee freedom to practice and propagate religion and freedom to manage

religious affairs, Articles 29 and 30 protect the cultural and educational rights of minorities. ये guarantees में इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि ये सिर्फ privileges नहीं, बल्कि ये fundamental aspects of our democracy हैं। The subject of minority rights is germane to every country that calls itself a civilized nation. जिस सरदार पटेल साहब की आप बात करते हैं, वही सरदार पटेल जी की Advisory Committee on Fundamental Rights, Minorities, Tribals and Excluded Areas के तरह इन guarantees को संविधान में शामिल किया गया था। सरदार पटेल जी ने 1950 में कहा था, "Ours is a secular State and we cannot fashion our politics in the way Pakistan is doing it. Here every Muslim should feel that he is an Indian citizen and he has equal rights as an Indian". लेकिन आज हिन्दुस्तान में क्या माहौल बना हुआ है? I am sorry to say, Sir, कि आज हम लोग बहुत तेजी से minority hating nation बनते जा रहे हैं। This Government has gone to the extent of making communal division into a State policy, thereby betraying the vision of Constitution framers and the inclusive nation that they aspired to build. Dr. Ambedkar said, "Rights for minorities should be absolute rights." Mahatma Gandhi said, "The true measure of any society can be found in how it treats most vulnerable sections."

सर, यहाँ पर कल हमारे एक सांसद बता रहे थे कि संविधान पर शरिया का छाप है। उन्होंने मदरसा बोर्ड के बारे में कहा, वक्फ बोर्ड के बारे में कहा। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आर्टिकल 26 के तहत everyone has the right to freedom of religion and Article 26 provides freedom to manage religious affairs, including management of properties dedicated to religious and charitable causes. लेकिन सिर्फ वक्फ बोर्ड और मदरसा बोर्ड ही नहीं बना है, बल्कि इसके साथ ही अलग-अलग समुदाय के लिए भी Religious Endowment Acts बने हैं, अलग-अलग स्टेट में Temple Trusts बने हैं, अलग-अलग स्टेट्स में Religious Places Acts बने हैं। इस तरह से यह सिर्फ मुसलमान के लिए ही नहीं बना है। इनको इस तरह से भ्रम फैलाना, गलत तरीके से देश को दिशाहीन करना छोड़ना चाहिए। यह polarising tactics आगे नहीं चलेगी।

महोदय, देश में ध्रवीकरण की खतरनाक राजनीति चल रही है। नफरत और भय का एक माहौल बनाया जा रहा है। माइनॉरिटीज़ को आज वैसा ही लग रहा है जैसा * जर्मनी में Jewish का था। मैं इस सदन के माध्यम से देश के सामने कुछ उदारहण रखना चाहता हूँ। * जर्मनी में anti-Semitism and vilification of Jewish population था, मोदी जी के न्यू इंडिया में Islamophobia and vilification of minority population है। * जर्मनी में citizenship law excluded Jewish people. ...(*Interruptions*)...

* Expunged as ordered by the Chair.

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): * शब्द हटा दिया जाए।...(**व्यवधान**)...

DR. SYED NASEER HUSSAIN: CAA is here; law for protection of human blood and honour there. ...(*Interruptions*)... Law for prohibition of unlawful conversion of religion is here. ...(*Interruptions*)... वहाँ पर Propaganda Ministry controlled the Press ...(*Interruptions*)... वहाँ पर Economic boycott of Jewish businesses था, यहाँ पर मुस्लिम आर्थिक बहिष्कार है। वहाँ पर dehumanisation of Jews by referring them as fixers था, ...(**समय की घंटी**)... घुसपैठिए बोलते हैं, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले बोलते हैं और termites भी कहते हैं।...(**व्यवधान**)... वहाँ पर vandalism and destruction...#

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): आपका समय समाप्त हो गया। श्रीमती ममता ठाकुर, कृपया आप शुरू करें।...(**व्यवधान**)...आपकी बात रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है।...(**व्यवधान**)... नहीं, नहीं, कृपया आप बैठें।...(**व्यवधान**)... Not at all. ...(*Interruptions*).. श्रीमती ममता ठाकुर।

डा. सैयद नासिर हुसैन: #

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): आपकी बात रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है। आप समय बरबाद कर रहे हैं। कृपया आप बैठ जाएँ।...(**व्यवधान**)... श्रीमती ममता ठाकुर। वे बांग्ला में बोलेंगी। आपके सात मिनट हैं।

SHRIMATI MAMATA THAKUR (West Bengal): †"Firstly, I would like to express my gratitude to you hon. Vice-Chairperson Sir. The first speaker from the All India Trinamool Congress, delivered speech on the "Judicial System" as delineated in the Constitution's Preamble. Following this, the next speaker addressed another vital component of the Constitution Preamble: "We are citizens of India." I aim to examine the third element from the Preamble of the Constitution: Democracy and the Republic.

India is the world's largest democracy, and the nation's constitution was drafted by Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar in his capacity as Chairman of the Drafting Committee. Mahapran Yogendra Nath Mandal of Bengal and the Matua Samaj of Bengal played a significant role in securing Dr. Ambedkar's election to the Constituent

---

* Expunged as ordered by the Chair.
# Not recorded.

†English translation of the original speech delivered in Bangla.

Assembly. As a Bengali and a member of the Matua community, I take pride in this historical contribution.

Strengthening the borders - Strengthening the borders of democracy is critical in today's multi-faceted world. Encroachment on sovereign territory, attacks on troops, aggressive emigration and ongoing border skirmishes demand immediate attention. Of India's 4,000 km. border with Bangladesh, West Bengal alone shares a 2,270 km. border with Bangladesh, which is more than that of the other four states combined. Recent incidents of violence against minorities and their places of worship in Bangladesh are deeply disturbing and highly condemnable. As we advocate for the security of minorities in Bangladesh, the Central Government should ensure the same security for minorities in India. However, the security of diplomats' property must be prioritized to uphold international obligations! At the end of this discussion, the Prime Minister must come to the House and deliver his speech. The All-India Trinamool Congress believes in unity in diversity. I thank our leaders Mamata Bandhopadhyay and Abhishek Bandhopadhyay, and yourself for giving me the opportunity to participate in this historic discussion. Jai Bangla.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): Now, Dr. Ashok Kumar Mittal. You have five minutes.

डा. अशोक कुमार मित्तल (**पंजाब**): सर, आज़ादी के 75 साल बाद जब आज हम इस सदन में संविधान पर चर्चा कर रहे हैं, तो देश के किसी कोने में करोड़ों लोग सरकार और समाज से अपना हक मांगने के लिए लड़ाई लड़ रहे होंगे, करोड़ों लोग दो जून की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे होंगे, भारत के करीब 80 फ़ीसदी युवा, जो बेरोजगार हैं, वे कंपनियों के आगे, सरकारी दफ्तरों के आगे लाखों की संख्या में खड़े होकर नौकरी पाने के लिए लालायित होंगे।

सर, आज जब हम सदन में संविधान पर चर्चा कर रहे हैं, तो देश के लाखों बच्चे दूध के लिए छटपटा रहे होंगे, कई लाख माएँ खून की कमी के कारण बीमार होकर दवाई के लिए तड़प रही होंगी, देश के करीब 12 लाख बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे होंगे, देश में करीब 40 फीसदी लोगों के पास अपना मकान नहीं होगा और वे छत के अभाव में सड़कों और फुटपाथ पर जिंदगी जीने को मजबूर होंगे। सर, इन सबको समावेश करते हुए मैं चार पंक्तियां बोलूंगाः

"काबिल होने के बाद भी जो हों बेरोजगार,
वे कैसे करें संविधान की जय-जयकार?
जिनसे भेदभाव करता है विधान,
वे क्या करें लेकर इस देश का संविधान?
कमर तोड़ मेहनत के बाद भी जिसे खाना न मिला,
वह कैसे बताए कि उसे संविधान से क्या गिला?

कौन करे सामाजिक-आर्थिक न्याय की बात,
जब लोग व्यस्त हैं छेड़ने में जाति-धर्म के जज्बात?"

सर, इन सब चुनौतियों के बावजूद ...(**व्यवधान**)... प्लीज़, जरा दूसरा पक्ष भी सुनिए। इन सब चुनौतियों के बावजूद हमारा संविधान, भारत का संविधान भारत के लिए एक सारथी बना है। जैसे, महाभारत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे, उसी प्रकार हमारे संविधान ने भी इतने वर्ष इस देश की जनता और इस देश की सरकार का कठिन समय पर मार्गदर्शन करने का अमूल्य कार्य किया है। सर, हमारा भारत पहले सांप-सपेरों का देश कहलाता था, पर आज हम 'आत्मनिर्भर भारत' की बात कर पा रहे हैं। भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के सपने को शायद हम सच्चाई में बदलने के नजदीक पहुंचने वाले हैं। सर, ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसे डा. भीमराव अंबेडकर जी, सरदार पटेल जी और अन्य महान नेताओं के सामूहिक विचारों से तैयार किया गया है।

सर, इसकी समावेशता का एक उदाहरण यह है कि हमने 1950 में संविधान के लागू होने के पहले दिन ही महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया, जबकि अमेरिका जैसे देश ने अपनी स्वतंत्रता के 144 वर्ष बाद 1920 में महिलाओं को मत का अधिकार दिया। अफ्रीकन-अमेरिकन को वोट देने का अधिकार 1965 में, यानी 190 वर्षों के बाद दिया गया। सर, यूएसए में वे डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लेकिन 250 वर्षों में आज तक वे एक भी महिला राष्ट्रपति नहीं दे पाए, दो महिलाएं चुनाव लड़ीं, लेकिन वे दोनों ही हार गईं, जबकि हमारे देश के संविधान ने 1950 के 16 वर्ष बाद ही 1966 में देश को पहली महिला प्रधान मंत्री दिया, जो कि विश्व की दूसरी महिला प्रधान मंत्री थीं। हमारे संविधान ने इस देश को दो महिला राष्ट्रपति दिए तथा महिलाओं के रूप में इस देश को अनगिनत मुख्य मंत्री और गवर्नर्स दिए। सर, इस बात से हम समझ सकते हैं कि हमारे संविधान निर्माताओं की सोच कितनी ऊंची, कितनी बड़ी और कितनी दूरदर्शी थी। उन्होंने एक ऐसा संविधान बनाया, जिसका मूल स्वरूप कोई भी सरकार नहीं बदल पाई, लेकिन इस संविधान ने देश में एक के बाद एक कितनी ही सरकारें बदल डालीं। आज हम सब सांसद इसी संविधान की शक्ति की वजह से आपके सामने चर्चा कर पा रहे हैं।

सर, किसी भी देश की आयु में 75 वर्ष ज्यादा नहीं होते, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि यह संविधान इतना ताकतवर, पवित्र और इतना दूरदर्शी है कि यदि 100 वर्ष बाद यह भारत विकसित भारत के तौर पर आएगा, तो यह हमें राह दिखाएगा, जैसे प्रभु श्री कृष्ण ने हमें रास्ता दिखाया और हज़ार वर्ष बाद भी हमारा संविधान हमारे देश का, हम सबका, सभी सरकारों का और जनता का मार्गदर्शन करता रहेगा। सर, मैं संविधान के बारे में आखिर में कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा -

'हर वर्ग को खुद में समेटे जो बेखौफ़ लड़ा है,
जाति और धर्म के दायरे से जो आगे बढ़ा है,
नैतिक, निष्पक्ष और सबको अधिकार देने वाला संविधान ही है वह
जो 75 वर्ष बाद भी आज मज़बूती से खड़ा है।'

जय-हिन्द! जय भारत!

Contents Page

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): श्री गोला बाबूराव।

SHRI GOLLA BABURAO (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir. at the outset, I thank the framers of our Constitution; the Chief Architect of our Constitution, Dr. Bhimrao Ambedkar; the then President of India and the President of the Constituent Assembly, Dr. Rajendra Prasad; the first Prime Minister of India, Shri Jawaharlal Nehru; and the first Home Minister, the Iron Man of India, Sardar Vallabhbhai Patel, for giving such a great Constitution to the Indian society.

Sir, today's discussion should be focused on giving a tribute to the Constitution-makers and not on levying allegations or criticizing each other because it is really an important occasion and this type of debate has not taken place in the Parliament for the last so many years. I request all the political parties, especially, the two large parties in this House, to rethink as to what can be done for the welfare of the citizens of the nation, more particularly, the vulnerable sections of the society.

Sir, I am a *dalit* and I know what social discrimination or social inequality is. Even after 75 years of India's Independence, the social inequality or social injustice continues in spite of so many Acts and laws made in this regard. What is the reason for this? What I feel is that the administrators and the rulers are not serious to really do something strong and do justice to the vulnerable sections of the society. Sir, if you permit, I would like to give you an example.

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): आप बोलिए।

SHRI GOLLA BABURA: Sir, I would like to give you my own example. When I was studying in the Intermediate, my father, who was *Up-Sarpanch* of our Panchayat, was beaten and implicated in a case. He was sent to Rajahmundry jail. I went to *Sarpanch* who belonged to middle class and asked him as to why he sent my father to jail. Even without hearing me fully, he slapped me. I still remember that day when I said to him, "Today, you have slapped me. One day or the other, I will become MLA of this Constituency." I challenged that. At the same time, after resigning my job, I contested and became an MLA. I went to my village and showed my face. I went to see him as an MLA. He was shocked and astonished. He was unable to say any words. Do you know why I mentioned this? I mentioned this because our Constitution has given me the greatest opportunity to become an officer, an MLA and also an MP. This is a very clear example. I really sent this message to all the vulnerable sections of

Contents Page

India. The urgent need is to really take the worth of our life and do something good to our society. Now, there is an SC/ST Atrocities Act. That Act is being misused by everybody. Our *dalits* are misusing it; non-*dalits* are misusing it. So many Acts came. That is why I always say the *vivaksha* should become *suraksha and* our *avman* may become only *bhauman* to the poor people of India. This is what I always think and do.

Sir, coming to our important Preamble, India is a sovereign, socialist, secular, democratic republic. I don't want to go deep inside all this. I want to touch only the social aspect and economic aspect. If you see the economic aspect, since 75 years, not even 5 per cent growth is seen and visible among the poor people of India in spite of so many developmental schemes, so many welfare programs. What is the reason? Nobody is thinking. Nobody is asking. This is a pathetic situation prevailing in India. That is why I request the hon. the Prime Minister of India. He is a very, very daring and dashing Prime Minister. I want the Prime Minister of India to rethink and do justice to the entire Indian people in particular and vulnerable sections in general. That is why I always believe one point. I cannot forget the services of Indira Gandhi*ji*. Indira Gandhi*ji* started, when I was an officer, the 20 Point Program. With that 20 Point Program, so many poor people were benefited in India. Since that time, they became fans of Congress. But, unfortunately, it varies from Government to Government. I cannot say about that. But what I say is, the economic sector is also really in doldrums. Now, in spite of 75 years, land and industry are owned by just 5 per cent of our Indians. Remaining 95 per cent are becoming poorer and poorer from day to day. That is why I request this august House to rethink about what to do for this nation. Coming to the political sector, because of our Constitution makers, we got political equality. So many people from all the sections are becoming MLAs, MPs and Zila Parishad Chairmen and holding so many other posts. But, unfortunately, they are all under the clutches of only moneyed people and land holders. This is most unfortunate plight going on in our Indian society. That is why we want equality. We want freedom for every vulnerable section and also political representatives. Once they get freedom and equality, they can definitely do justice to the posts they are holding. At the same time, I request the hon. Members. Here we are all legendary figures. So many former Prime Ministers, so many former Chief Ministers, so many senior MPs are present. What I want is to rethink about the nation, to reconstruct the egalitarian society.

Lastly, I will speak on religious aspect. India's doctrine is unity in diversity. The best example of our unity in diversity is our freedom struggle. In the freedom struggle, all the Hindus, Muslims, Christians, Sikhs and Jains came together to throw the British out of our Indian soil. What else do we require for religious unity? It is tolerance for each other's religion. In this connection, I request the Government to at

Contents Page

least rethink about Manipur issue. The people are massacred there. People are dying there. As human beings, we all should really do something for Manipur. I just wanted to mention all these points.

Lastly, I want to place one slogan before you - *Bhartiya Samvidhan - Samman, samrakshak, samvardhak*. Jai Bharat! Thank you, Sir.

प्रो. मनोज कुमार झा (बिहार): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। महोदय, मैं वक्त के लिए थोड़ा हठ करूँगा, लेकिन आखिर में करूँगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): हुज़ूर, पहले शुरू तो कीजिए।

प्रो. मनोज कुमार झा: माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, यह अच्छी बात है कि हम सभी संविधान पर बात कर रहे हैं। यह चर्चा उस सदन में भी हुई और इस सदन में भी हो रही है। हमारे तमाम साथियों ने संविधान पर बात कही है, लेकिन मैं यह कहूंगा कि अपना-अपना दायरा है, अपनी-अपनी सोच है और अपनी-अपनी प्राथमिकताएं हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने संविधान पर बात की।

महोदय, दूसरे स्तंभ के कई ओहदेदार लोग तो ईश्वर से बात करने लगे हैं। भगवान को कितने काम हैं, किसी की नौकरी लगवानी है, किसी की शादी करवानी है, किसी को चुनाव जितवाना है आदि-आदि। किसकी पर्ची निकलेगी, किसकी अर्जी लगेगी, इससे तो अच्छा है कि हम संविधान के दायरे में बात कर रहे हैं।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, नेहरू जी पर बहुत चर्चा होती है। मैं जब से इस संसद में आया हूं, और मैं इस नई सरकार के बाद ही सदन में आया हूं - मैं बचपन में सोचा करता था कि पार्लियामेंट पहुंचूँगा - आज मैं एक कन्फैशन करता हूं कि मैं हमेशा से अपने आपको विपक्ष में देखा करता था तो विपक्ष में ही बैठा हूं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैंने कई दफा कहा है कि 2014 का चुनाव, 2019 का चुनाव और 2024 का चुनाव जवाहरलाल नेहरू नहीं हारे हैं, विपक्ष हारा है, कांग्रेस हारी है। आप 100 साल चुनाव जीतेंगे, लेकिन फिर भी नेहरू को वहां खड़ा पाएंगे। क्योंकि authoritarianism के खिलाफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के प्रतीक हैं नेहरू। वे ढाल हैं, वे रक्षा कवच हैं। मैं आपको बताऊं कि हमारे नड्डा साहब ने जेपी जी को उद्धृत किया। मुझे अच्छा लगा कि जयप्रकाश जी ने इंदिरा जी को - वे उन्हें इंदु लिखा करते थे, उन्होंने इमरजेंसी के दौरान जब उन्हें चिट्ठियां लिखी थीं, तो नेहरू को invoke किया। 'I am writing to you in the name of your father, Jawaharlal Nehru.' वे ऐसे व्यक्ति थे कि जब उनकी आलोचना नहीं होती थी, तब वे छद्म नाम से अपनी आलोचना स्वयं किया करते थे। तब मैं क्या कहूँ? जयप्रकाश जी ने कश्मीर पर नेहरू जी को जो चिट्ठी दी या इंदिरा जी को जो चिट्ठी दी, अगर आज वह चिट्ठी मनोज कुमार झा अपने नाम से कॉपी, पेस्ट करके लिख दे, तो मैं शाम तक टेलीविज़न डिबेट में विलेन बन जाऊंगा। मुझ पर UAPA लगे, न लगे - मैं सांसद हूं, शायद न लगे, लेकिन बहुत तरह की तोहमत जरूर लगेगी।

सर, एक आवश्यक बात कहना चाहता हूं कि हम महापुरुषों की जन्म तिथि, पुण्य तिथि पर माल्यार्पण करने वाले दुनिया के नंबर एक देश हैं। हम जन्म तिथि और पुण्य तिथि पर इतनी पुष्प वर्षा करते हैं, लेकिन वे तिथियाँ इस बात की भी होती हैं कि हम अपनी चुनौतियों को स्वीकार करें। अगर हम संविधान दिवस मना रहे हैं, तो क्या फ्रीडम के बारे में बात नहीं होनी चाहिए? दोनों तरफ ऐसी बातें हो रही है कि मेरी कमीज सफेद, तुम्हारी कमीज गंदीली! संविधान की कमीज देख लीजिए, वह गंदीली न हो, उस पर दाग न पड़ें, यह हमारा दायित्व होना चाहिए। आज से 25 वर्ष बाद मैं इस सदन में नहीं होऊँगा, हम में से बहुत से लोग नहीं होंगे, तब 100 साल पर चर्चा हो रही होगी, बहुत चर्चा होगी। लोग विश्लेषण करेंगे, जैसे आज हम करते हैं कि नेहरू को यह करना चाहिए था, नेहरू ने वह नहीं किया। 100 साल के बाद कोई आपके बारे में टिप्पणी करेगा। संभवतः, मैं जीवित नहीं रहूँगा, मैं सदन में नहीं रहूँगा, लेकिन वह भी अच्छा नहीं लगेगा, अशोभनीय लगेगा।

सर, टाइम मशीन नहीं है, वरना मैं अपने सारे साथियों को 1946-1947 ले जाता। दोनों तरफ खून की नदियाँ बह रही थीं। मंदिर में गायें काटकर फेंकी जा रही थीं, मस्जिद में सूअर फेंके जा रहे थे। उस दौर में एक ऐसे देश के निर्माण का संकल्प! गलतियाँ हुई होंगी, लेकिन आप विलेन क्यों बनाते हैं? विलेन मत बनाइए। आपसे भी गलतियाँ होती हैं, हमसे भी हुई हैं। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि जब हम इस तरह के नेताओं पर तब्सिरा करते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि 1947 में इस देश की क्या हालत थी। आपने घर बनाया होगा, मैंने अभी तक नहीं बनाया है, लेकिन मेरे पिता ने बनाया था। ग्राउंड फ्लोर बनाने में सबसे ज्यादा मेहनत लगती है। वह नींव है। नेहरू, अम्बेडकर, पटेल और आजाद ने नींव डाली थी। आप सेकेंड और थर्ड फ्लोर बना रहे हैं, उन्होंने फर्स्ट फ्लोर बनाया था। आप पाँच फ्लोर और बनाइए, लेकिन नींव के बगैर फ्लोर किसी काम का नहीं होता है, यह याद रहना चाहिए।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रधान मंत्री जी, भाजपा के कई साथी यूनियन सिविल कोड की बात करते हैं। यह संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी है। सर, मैंने विस्तार से अध्ययन किया है। नड्डा साहब ने भी अध्ययन किया होगा और तमाम साथियों ने भी किया होगा। सर, उस पर कई तरह के विचार थे, लेकिन डॉमिनेन्ट विचार था कि इसे रखो, किसी दिन वक्त आएगा, जब इस पर बात होगी। सर, आर्टिकल 44 जो कि ड्राफ्ट में आर्टिकल 35 था, उससे पूर्व आर्टिकल 39 (सी) है, about concentration of wealth. सर, इस देश में इनकम इनईक्वैलिटी का जो आलम है, उसकी वजह से हम टाइम बम पर बैठे हुए हैं। यह टाइम बम है और यह सबको इम्पैक्ट कर रहा है, न सिर्फ गरीब-मजलूम वर्ग, बल्कि मध्यम वर्ग को भी इम्पैक्ट कर रहा है। अभी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को लेकर रिपोर्ट आई, लेकिन उनके प्रॉफिट का एम्प्लॉइज़ की सैलेरी में कोई रिफ्लेक्शन नहीं है। Relative deprivation का जन्म हो रहा है। आर्टिकल 44, यूनियन सिविल कोड तक पहुंचिए, लेकिन रास्ते में एक मील का पत्थर है - आर्टिकल 39 (सी), वहाँ रुकिए, ठहरीय, सोचिए। आप सोशलिज्म को लेकर अम्बेडकर साहब को क्वोट कर रहे थे कि वे तो कहते थे कि वह तो रचा-बसा है। मैं यह मानता हूँ, लेकिन उन्होंने नेशनलाइजेशन ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्री की भी बात की थी। मैं आज के दौर में उसकी पैरोकारी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यह जरूर कहूँगा कि प्राइवेट प्लेयर्स ऐसे न हो जाएं कि एक को चादर से ढकने के चक्कर में पूरा देश नग्न सच्चाई से रूबरू होता रहे। यह नहीं होना चाहिए।

सर, मैं एक बात कहता हूँ। आज जब मैं यहाँ बोल रहा हूँ, तब इस देश के किसी-न-किसी कोने में सीवर से एकाध डेथ हो चुकी होगी। इस देश में कई जगहों पर खुदाई चल रही है। हम कई जगहें खोदे जा रहे हैं। एक खुदाई हम सब सांसद मिलकर करें। सेप्टिक टैंक और सीवर में उतरकर जहरीली गैस से मरने वाले लोग कौन हैं? क्या ये 'हम एक हैं तो सेफ हैं' में नहीं आते? क्या ये हमारा हिस्सा नहीं हैं? ये भी इसी समाज का हिस्सा हैं। हाँ, यह अव्वल बात है कि हमारी जातिगत सीढ़ीनुमा पदानुक्रम में वे नीचे आते हैं। हम उनके ऊपर थोड़ा कम गौर करते हैं। यह नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जब फ्रीडम की बात हो, तो हम मूल्यांकन करें। फ्रीडम में हाइफन नहीं होता है। 'फ्री' के बाद 'डम' नहीं है। जैसे George Orwell की किताब में था - All animals are equal, but some animals are more equal than others.

[**उपसभाध्यक्ष (श्रीमती एस. फान्गनॉन कोन्याक)** *पीठासीन हुईं।*]

इस देश में नाम और सरनेम से भी चीजें तय होती हैं। खालिद नाम है, तो जेल में रहोगे, सुनवाई नहीं होगी। मीरान हैदर नाम है, तो नहीं सुनवाई होगी। इमाम नाम है, शरजील इमाम, तो नहीं होगा ...(**व्यवधान**)... गुलफिशा नाम होगा, तो नहीं होगा ...(**व्यवधान**)... मैडम, मेरा टाइम pause कर दीजिए। ...(**व्यवधान**)... मैडम चेयरपर्सन, मेरा टाइम pause कर दीजिए। ...(**व्यवधान**)... मैडम, मैं यह बता रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में मूलवासी बचाओ मंच है। उसे आप unlawful बना देते हैं। कोई तो तौर-तरीका होना चाहिए। किसान विरोध करे, तो वह देशद्रोही है। अगर विद्यार्थी नौकरी के लिए विरोध करें — वे आपसे नौकरी मांग रहे हैं और कुछ तो नौकरी भी नहीं मांग रहे हैं, वे परीक्षा समय पर कराने की मांग कर रहे हैं - आप कह रहे हैं कि वे अराजक हैं, नक्सल हैं। यह जो शब्दावली और विशेषण आप लेकर घूमते हैं, आप इससे थोड़ा बाज आइए। मैं कह रहा हूं यह टेंप्टेशन होती है, जब बहुत बड़ी सत्ता होती है और 11वें वर्ष में प्रवेश करते हैं, लेकिन उस टेंप्टेशन को रोकना मैच्योरिटी है। परिपक्वता, परिपक्व लीडरशिप की बात होती है। अगर कोई आपसे वैकल्पिक विकास की मांग करेगा, तो आप कहोगे कि वह नक्सली है।

मैडम चेयरपर्सन, मैं एक और चीज कहना चाहता हूं। बंग्लादेश में जो हो रहा है, मैं उसकी पीड़ा साझा करता हूं। हमने 1971 के बारे में पढ़ा था और अभी देख रहा हूं। मैं महात्मा गांधी पर जाना चाहता हूं। नोआखली में जब देश आजादी का जश्न मना रहा था, महात्मा गांधी नोआखली में restoration of peace and normalcy के लिए दर-दर भटक रहे थे। वह दौर था। उन्होंने एक बात कही थी। आज का जो दक्षिण एशिया है, जिससे पाकिस्तान और बंग्लादेश निकले हैं। हमें इस बात का स्मरण करना होगा कि हमारी भूमिका सबसे बड़ी है। हम बड़े भाई वाली शब्दावली का इस्तेमाल नहीं करेंगे। We are the largest and the oldest democracy. बंग्लादेश और पाकिस्तान में democracy casualty हुई है। वहां संविधान तक नहीं आया। हम अपनी अकल्लियत के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, तो हम बंग्लादेश को कह पाते learn from us; to Pakistan, learn from us. This is how we treat. अगर हमारी report card में कमियां रहती हैं ...(**व्यवधान**)... Madam Chairperson, my time should be paused. ...*(Interruptions)*...

Contents Page

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI S. PHANGNON KONYAK): Hon. Members...*(Interruptions)*...

प्रो. मनोज कुमार झा: मैडम, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं। अम्बेडकर साहब को क्वोट किया गया ...(**व्यवधान**)... अगर किसी की भावना आहत हुई है, तो मैं वापस लेता हूं। ...(**व्यवधान**)... It is primarily a mode of associated living. Democracy is not simply a form of Government. It is primarily a mode of associated living, -- आप इसको अपने जीवन में कितना उतार पाए हैं -- of conjoint communicated experience. इसे कितना अपने जीवन में उतार पाए हैं? जब जातिगत जनगणना की बात होती है, तो हम बंट जाते हैं। आप बताइए कि क्यों बंट जाते हैं? वर्गीकरण की बात होती है, लेकिन बिना जनगणना के कैसा वर्गीकरण? NFS के माध्मय से एक नई रवायत का जन्म हो गया है। एक ओबीसी की लिस्ट में क्रीमी लेयर की interpretation के लिए आप राज्यों की समकक्षता, equivalence को एक ऑर्डर के माध्यम से छुपा देते हैं। मैं इसके लिए आपको दोष नहीं दूंगा, बल्कि यह कहूंगा कि अधिकारी वर्ग के अंदर अभी भी वह मानस है कि वह representation से परेशान होता है, चिढ़ता है। उसको लगता है कि ये यहां कहां आ गए।

अभी बिहार में सर्वेक्षण हुआ। कई लोगों ने कहा हम तो इतने कम नहीं हो सकते। Visibility और numerical strength में फर्क होता है। आप अपने आपको ज्यादा visible इसलिए समझते हैं कि आप न्यायालय में हैं, विद्यालय में हैं, सड़क पर हैं, चौक पर हैं, चौराहे पर हैं, तो आपको लगता है कि हम तो बहुत हैं, लेकिन हमें कम क्यों दिखाया गया है? मैडम चेयरपर्सन, इस रिश्ते को हम सबको समझना होगा और जो मैंने कहा conjoint experience and associated living. Together with that, I will take you, for a minute, to what Jawaharlal*ji* said in the beginning of Objective Resolution. उन्होंने कहा और मैं हिंदी में तर्जुमा करता हूं कि आज जब मैं यहां खड़ा हूं, तो 5,000 साल का अतीत मेरे सामने खड़ा है। मैं अभिभूत भी हूं, लेकिन मेरी चिंताएं भी हैं। इन चिंताओं और अभिभूत होने के बीच किस तरह के राष्ट्र का हम निर्माण करेंगे इस संविधान सभा के माध्यम से। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं अपने साथियों के साथ। Then, he mentioned 'Oath of Tennis Court.' मैंने इस सदन में एक दिन कहा था कि 1789 के revolution के बाद, जहां से 'Liberty, Equality and Fraternity' आया, जवाहरलाल जी ने कहा कि तब के बादशाह ने वहां कमरे बंद करवा दिए कि Constituent Assembly नहीं बैठ सकती है। एक कमरे से दूसरा कमरा, दूसरे कमरे से बरामदा और आखिर में टेनिस कोर्ट में पूरी की पूरी असेंबली बैठी और oath लिया। उसको कहते हैं 'Oath of Tennis Court'. उन्होंने क्यों यह उदाहरण दिया कि हमारी democracy में भी कभी इस तरह का challenge आ जाए, तो संसद इमारत की मोहताज नहीं होगी, संसदीय लोकतंत्र इमारत की मोहताज नहीं होगी, वह इबारत देखेगी। इबारत और इमारत में फर्क है। ...(**समय की घंटी**)... मैडम, आज मैंने कहा था कि मैं हठ करूंगा, मुझे डेढ़ से 2 मिनट और चाहिए।

मैंने कहा कि 'One-Nation-One-Election' की बात हो रही है। जिस दिन यह आएगा, मैं उस पर विस्तार से बोलूंगा, लेकिन अगर यह सेलेक्ट कमेटी को गया, तो अलग बात है। मैडम, इस देश में 'One-Nation-One-Election' था, नड्डा साहब ने कहा, मैं मानता हूं। कई दफा क्या

होता है कि जब आप quote करते हैं, हमारी यूनिवर्सिटी में कहते हैं कि semicolon के बाद किसी को quote मत करो। उसको हम लोग poor citation कहते हैं कि किसी को quote किया। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊँ, 30 सेकंड में, कि मार्क्स ने कहा कि 'Religion is the opium of masses.' मार्क्स ने ऐसा कभी नहीं कहा। वह semicolon के बाद का एक sentence था। उन्होंने यह कहा, 'Is the sigh of the oppressed.' लेकिन semicolon के बाद का sentence उठा कर कहा कि कार्ल मार्क्स religion के खिलाफ थे। उसी तरह से citation के साथ दिक्कत है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि 'One-Nation-One-Election' की वह cycle टूटी थी। 'One-Nation-One-Election' की cycle mid 60s में टूटी। आज क्या गारंटी है, हम कैसे अगले चुनाव तक ले जाएंगे? Will it be a proxy governance? Then won't it undermine the idea of 'will of the people'? मैं समझता हूं कि इस पर विशद चर्चा हो, तभी जाकर ...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI S. PHANGNON KONYAK): Kindly conclude.

प्रो. मनोज कुमार झा: बस, अभी तो 33 सेकंड लिया है, एक मिनट और दे दीजिए।

मैडम चेयरपर्सन, तारतम्य तो थोड़ा टूट जाता है, फिर भी अपनी एक बात कह कर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बचपन का एक छोटा किस्सा है। वे क्लास रूम में सबसे पीछे बैठे हुए थे। चूँकि वे mathematics में बहुत अच्छे थे, शिक्षक ने कहा कि आओ, इसको हल करो। ज्यों ही वे बोर्ड की तरफ बढ़े, जितने अपर कास्ट के बच्चे थे, वे दौड़ कर बोर्ड के पास गए, क्योंकि बोर्ड के पीछे उनका टिफिन बॉक्स था। उनको लगा कि यह pollute हो जाएगा। मैडम, आज वे मान्यताएं नहीं हैं, लेकिन pollution purity की नई मान्यताएं आ गई हैं, exclusion की नई मान्यताएं आ गई हैं।

मैडम, पोलैंड में Auschwitz एक जगह थी, इसको सिर्फ गैस चैंबर से मत समझिए। Auschwitz के बनने में सालों की नफरत और घृणा थी, जिसका अंजाम न सिर्फ जर्मनी में भुगता गया, बल्कि पूरी दुनिया में भुगता गया। इसलिए इस नफरत और घृणा पर लगाम लगे, नहीं तो हर मोहल्ले में Auschwitz होगा।

मैडम, आखिर में मैं कहना चाहता हूं कि

"मैं आज ज़द पर अगर हूं"

-- मतलब निशाने पर --

"मैं आज ज़द पर अगर हूं, तो ख़ुश-गुमान न हो,
चराग़ सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं।"

शुक्रिया, मैडम। जय हिंद!

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI S. PHANGNON KONYAK): Now, Shri Abdul Wahab; five minutes.

SHRI ABDUL WAHAB (Kerala): Madam, on this historic occasion, hon. Leader of the House, Nada*ji*, mentioned that this side is good and this side is bad. And, being good

and being a leader in the good part of this time, I request Mr. Nada*ji,* being the President of BJP, let us live. Madam, here, 'me' means Abdul Wahab living in India with dignity. I am very happy to be in India, not in Pakistan, Bangladesh or any Islamic country. India is the best. But my kids and recently born, grand kid, Sarah also wants to be a dignified citizen of India. I am a Muslim. 'Backward community' is not mentioned in the Constitution. It is not because of me, being Abdul Wahab. I may have a little money, but in most of the cases, especially, in North India, we are more backward than the Scheduled Castes and Tribes. So, please consider this in future. This is the 75th year of Constitution. We are going to celebrate 100 years. As Prof. Manoj Jha said, I may not be there, but these citizens should be there in the hundredth year. In this phase of changing, altering and interfering with the Constitution, I really feel that there will be no hundred years. Before that itself, it will be something else. You were talking about leaders like Nehru, Indira Gandhi, Rajiv Gandhi, Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi and all. But unfortunately, our leader is not married. What to do? Nehru was married and he had kids. But our Prime Minister is not having a family. So you cannot think of 140 crore…*(Interruptions)*… Yes, I am also included in that. Yes, we are a family. That means you are advocating for that. If there are good people in the family, then what is wrong? What is wrong if Priyanka or Rahul are coming or whoever it is? But now I am telling you, that family has travelled this all over India. She came and got elected from our Constituency, Wayanad, with a thumping majority. Why? It is because these people, the Indian people, they accepted the family for some reason. Why? They have sacrificed their life. They have sacrificed everything. Who was Motilal Nehru and who is Rahul Gandhi? I do not know the difference. So, whoever sacrificed for this country should be honoured. There is one more thing. In the Constituent Assembly, we had Members from the Indian Union Muslim League and we are still there. It was there from the very beginning and we are still there in the Lok Sabha. You can go through the history and see what we have done for this country. We are 140 crores. What is the percentage? Do some justice. Try to do some justice and try to have this Constitution till hundred years. There is one more thing coming to my mind. It is about Dr. Ambedkar. Dr. Ambedkar's name was mentioned here many times. Everybody, from here and there, is talking about Ambedkar. Ambedkar has now become a big personality, though he was earlier also, but now everybody is adoring him. I cannot see a speaker not referring to him. At last, Prof. Manoj Jha also referred to Ambedkar as to who he was, how he came to this level and who were behind him. I am not mentioning as to which place he came from or who Ambedkar was. At least, after listening about Ambedkar from our leader of the good part, Nadda*ji,* I hope that they will do some

Contents Page

good to the Indian Muslim minority also. Kerala has 26 per cent Muslim population. Forget about Kerala, what is the condition of Muslims in Uttar Pradesh, Bihar and Northern States? So please take this into consideration. We are moving towards hundred years. This is *Amrit Kaal*. What will it be called in 100 years? Maybe, diamond, I do not know! In that *kaal*, only if the four wheels would move, the country can go to that level. If one tyre is punctured, it cannot move. So, consider the minorities' rights. Whether it is written in the Constitution or not, consider the minority, especially, Muslims, the major minority. Madam, I thank you very much for giving me the opportunity.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI S. PHANGNON KONYAK): Now Shri Niranjan Bishi; five minutes.

SHRI NIRANJAN BISHI (Odisha): Thank you Madam Vice Chairman. During the discussion on the glorious journey of 75 years of adoption of Constitution of India, I pay tribute to the chief architect of the Constitution, Dr. B.R. Ambedkar, tribal leader, Jaipal Singh Munda and other Members of the Constituent Assembly.

Madam, Vice-Chairman, during the discussion on the Glorious Journey of 75 years of the Constitution of India, I pay tributes to Chief Architect of the Constitution of India, Dr. B.R. Ambedkar, tribal leader, Shri Jai Pal Singh Munda, and all Members of the Constituent Assembly. Madam, during the glorious journey of the Constitution of India, the tribals of India, particularly, 12 crore Schedule Tribes of India and 20 crore Scheduled Castes people of India have not yet given the reservation benefit in higher education, employment, promotion. As a result of which, the Constitution of India has not been properly implemented as dreamt by the architect of modern India, Dr. B. R. Ambedkar. During the glorious journey of the Constitution of India, the tribal languages like Ho, Mundari, Bhumij, Kui, Kosli, Saora have not been included in the Eighth Schedule to the Constitution of India. As a result of which the tribal languages have not been protected, preserved, and propagated. Thirdly, Madam, atrocities on the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are showing upward trends. Almost daily, members belong to Scheduled Castes and Scheduled Tribes are prey to atrocities like rape, gang-rape, murder, harassment, torture, and physical tortures, like Manipur situation. All the ST/SC communities in India are suffering and are the victims of atrocities. Then I come to creamy layer system. This Government is thinking to bring creamy layer system/creamy layer policy for SCs/STs. As a result of which, the STs and SCs are in fear that if the creamy layer system comes, the quota in quota

or sub classification of SCs/STs will happen, then the STs, SCs will lose reservation in Government job, in promotions, in political representation and also in higher education. They are deprived of quality education and professional education. The Government of Odisha is giving 12 per cent reservation instead of 22.5 per cent reservation for Scheduled Tribes and 8 per cent reservation in medical colleges, engineering and other professional courses! Eight per cent reservation is only given instead of 16.25 per cent in respect of our Scheduled Castes members! We, particularly, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes community, are deprived of our constitutional benefit. Dr. Babasaheb Ambedkar, Father of the Indian Constitution, has dreamt to bring the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the mainstream of the nation. But though 75 years have already been completed. These Scheduled Castes and Scheduled Tribes are not yet brought into the main-fold or mainstream of the India, that is, Bharat. So, it is time to bring the most backward, suppressed and oppressed communities like Scheduled Castes and Scheduled Tribes into the mainstream of the nation so that the glorious journey will be fulfilled and the dream of Babasaheb Ambedkar will be fulfilled. Thank you, Madam.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI S. PHANGNON KONYAK): Thank you. Now, hon. Member, Dr. Anbumani Ramadoss; you have seven minutes to speak.

DR. ANBUMANI RAMADOSS (Tamil Nadu): Madam, I rise to salute our Constitution and would like to thank our Founding Fathers, especially, Dr. Ambedkar and all the Members of the Constituent Assembly, for giving us this wonderful Constitution. India is on its path to being a developed country. Our hon. Prime Minister, time and again, says that by 2047, India will be a developed country. For that to happen, we need a holistic growth of our country. When we say growth, one should understand that growth is different and development is different. Growth is talked in terms of fiscal growth, economic growth, GDP, wealth distribution and so on. But development is of the masses, the downtrodden, the weaker section, the labourers, the farmers, the toilers, the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the OBCs. They have to develop, they have to grow and they have to progress.

2.00 P.M.

Only then we can achieve our target of a developed country. Article 54 talks about the Government rolling out affirmative action for the socially and educationally weaker

sections. But, there have been so many impediments and hurdles for the Government to affirm the same.

Madam Vice-Chairman, due to lack of time, I would like to bring three core issues, affecting the weaker sections of the society, to the notice of the Government. One, the 50 per cent cap on reservation; two, the Creamy Layer; and, three, the caste census. There are many other issues, but due to lack of time, I just want to talk about these three.

Why do we have a 50 per cent cap on reservation? Is it because of a law we passed in this Parliament? No! This was done by the Supreme Court way back in 1962-63 in the Balaji versus State of Mysore case; and, then, again reiterated the same in 1993 in the Indira Sawhney Case. We have nothing to do with this, the Parliament has nothing to do with this. And, the Supreme Court, the same Supreme Court, had turned it the other way when the EWS quota was brought in by this House, which went over the 50 per cent cap! Madam Vice-Chairman, time and again, the OBCs have been the most affected one and have repeatedly been discriminated. Today, the Scheduled Caste population in this country is approximately 15 per cent, and they have been given 15 per cent reservation in the centre. The Scheduled Tribe population is about 7.5 per cent. They have been given 7.5 per cent reservation, rightly so. The OBC population in this country, according to me, is about 63 per cent. According to the Mandal Commission, it was about 52 per cent. Then, why have they been given only 27 per cent reservation? Why time and again there is discrimination against OBCs only? And, to add to that, you have a concept called a 'Creamy Layer'. I will just come to that. Madam, today the OBC representation at the Central Government is as meagre as 18 per cent, some statistics say it is 21 per cent. And, even in that 18 per cent those people are also counted who get selected through open competition as 'general' candidates. But when you take their representation in Group A, it is very, very meagre.

Now, I come to my second point with regard to Creamy Layer. Why do we have the concept of Creamy Layer? Is it in our Constitution? It is unconstitutional. And, here again, the OBCs are affected. There is no Creamy Layer for the Scheduled Caste and the Scheduled Tribes, and rightly so. Why is this only for OBCs? I would like to urge the Government to bring in changes in this regard, like, at least, priority should be given for the Creamy Layer OBCs. The unfilled seats of OBCs should be filled by the non-creamy layer OBCs instead of those seats going to the 'General' category.

Madam Vice-Chairman, the third point which I would like to bring is about the caste census. Today, the Government of India as well as the State Governments are

rolling out affirmative action on the basis of old data, 95-year-old caste data, brought in by the British period during 1931. Why don't we have a modern data? We need to have a modern, contemporary, pertinent data to have more affirmative action and to know the social stature of all the downtrodden sections of our country. Why do we hesitate for that? Seventy-eight years of post-Independence, so many Governments have come, none of them have taken the current caste data, but all our reservations are based on caste. Why can't we do that? I would not like to blame this side or that side, but let us at least set right the issue. Madam, all we need is to add just an OBC column in the Decennial Census. Every 10 years, we conduct population Census. There is a column for SCs, there is a column for STs, there is a column for minorities. Why can't we add a column for OBCs? Why are we hesitating to bring in a column for OBCs so that we have the actual status, not only of the whole population, but also the actual social status of the OBCs as well? We also need to have an amendment to the 1948 Census Act. At that time, there were no OBCs, only SCs and STs were there. So, we need to do that.

Madam, another issue is that the hon. Prime Minister had appointed the Rohini Commission. That Commission had brought out its recommendations and we found some glaring issues within the OBCs. Today, there are 2,633 communities in the OBCs. (*Time-bell rings.*) Madam, give me just one minute. Out of which 10 communities take away nearly 24.9 per cent of the jobs and education; 38 communities take away 25.9 per cent of the jobs; 102 communities take away 24.6 per cent of the jobs and education; 506 communities take away 22.3 per cent of the jobs and education. So, put together, 656 communities take away 97.5 per cent of all the jobs and education; and, you have 994 communities having only 2.5 per cent of the jobs and education! The irony is that you have 983 communities not even having one job! Nothing. So, we need to set right this issue within the OBCs, within the downtrodden sections, farmers, labourers, the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. If they develop, then only we can have a developed India. The Leader of the House, Madam, earlier said about Katchatheevu issue. During the earlier Congress Government, Indira Gandhi*ji* had ceded it to Sri Lanka illegally, without any laws being enacted by this House. At that time, the DMK was part of the Government. Both of them kept silent at that time. ...*(Interruptions)*...

SHRI P. WILSON: Madam, we have not ...*(Interruptions)*...

SHRI M. MOHAMED ABDULLA: Madam, he is misleading... ...*(Interruptions)*...

DR. ANBUMANI RAMADOSS: Madam, I would like to request the Government ...*(Interruptions)*.. Last week, 40 fishermen had been arrested from Tamil Nadu by the Sri Lankan Government. Forty fishermen! This year, 569 fishermen have been arrested. Thousands have been arrested in the last three, four years. About 190 boats have been impounded by the Sri Lankan Government, 190 boats! We need to have a resolution on this. Every day, the fishermen's livelihood is at stake. This is not just the Tamil Nadu's problem, this is the Indian problem.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI S. PHANGNON KONYAK): Kindly conclude.

DR. ANBUMANI RAMADOSS: I urge the Government, again, to take measures to bring back Katchatheevu to India, because that is the core problem affecting us, and give safety and priority to the fishermen of our country. With these words, Madam, I would like to thank you for giving me time. Jai Hind!

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI S. PHANGNON KONYAK): Now, hon. Member, Shri Surendra Singh Nagar. You have 20 minutes.

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, भारत के संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा की इस चर्चा में आपने मुझे भाग लेने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं इस अवसर पर संविधान के निर्माण में योगदान लेने वाले संविधान सभा के सभी सदस्यों को याद करना चाहूंगा।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं इस चर्चा में बाबा साहेब डा. अम्बेडकर जी की कुछ पंक्तियां याद करना चाहूंगा। बाबा साहेब डा. अम्बेडकर जी ने कहा था, 'हर राष्ट्र के पास देने के लिए एक संदेश है, पूरा करने के लिए एक मिशन है, पहुंचने के लिए एक नियति है और भारत का मिशन मानवता और मार्गदर्शन करना है।'

(**सभापति महोदय** *पीठासीन हुए।*)

माननीय सभापति महोदय, वर्ष 1947 में इस देश को आज़ादी मिली, लेकिन इस देश में एक बड़ा वर्ग ऐसा है - जिसमें मैं भी शामिल हूं, जिनका जन्म आज़ादी के बाद हुआ। आज यहां धर्म को लेकर बड़ी चर्चा होती है, आरोप-प्रत्यारोप लगते हैं, लेकिन जब 1947 में भारत का बंटवारा हुआ, विभाजन हुआ। वह विभाजन धार्मिक आधार पर हुआ। मैं आज इस चर्चा में पूछना चाहता हूं कि आखिर ऐसी कौन-सी मजबूरी थी, आखिर ऐसा कौन-सा दबाव था, आखिर ऐसी कौन-सी महत्वाकांक्षा थी, जिसको लेकर हम उस समय के इच्छा रखने वाले नेताओं, खास तौर से कांग्रेस के नेताओं ने धार्मिक आधार पर भारत का विभाजन स्वीकार किया, यह देश जानना चाहता है। ...(**व्यवधान**)... ऐसी कौन-सी मजबूरी थी? देश जानता है कि एक व्यक्ति की प्रधान मंत्री बनने की

Contents Page

महत्वाकांक्षा थी, इसलिए स्वीकार किया गया। मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन आप अगर स्वीकार कर रहे हैं, तो मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

महोदय, इस चर्चा में स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में कांग्रेस को इसका श्रेय दिया गया और यह बात सही है कि इसमें कांग्रेस का योगदान भी था, लेकिन कांग्रेस के बारे में उस समय महात्मा गांधी जी के जो विचार थे, जो 1940 में रामगढ़ का अधिवेशन था और कांग्रेस को कुछ जगह सत्ता मिली थी, तो महात्मा गांधी जी ने रामगढ़ में कांग्रेस के अधिवेशन में कहा था कि 1940 के आस-पास अंग्रेजों के खिलाफ निर्णायक आंदोलन से पहले गांधी जी सर्वाधिक चिंतित थे कि कांग्रेस में यह चरित्रगत, आभा, निष्ठा न देखकर रामगढ़ में इस अवसर पर उन्होंने चर्चा की और सबसे पहले उन्होंने ख़ान अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ान को बोलने के लिए कहा। खान साहब का भाषण छोटा था, पर बड़ा महत्वपूर्ण था, प्रासंगिक था और आज के संदर्भ में देखें, तो मूल्यवान भी था। खान साहब ने संक्षिप्त में जो अपनी बात कही, मैं उसके कुछ अंश आपके सामने रखना चाहूंगा। खान साहब ने कहा – मुझे संदेह होता है कि हम शायद उस चीज़ के काबिल ही नहीं हैं, यहां काबिल का मतलब आज़ादी से है। हम उस चीज़ के काबिल ही नहीं हैं, हमारे हाथ में थोड़ी-सी सत्ता आई है। खान साहब ने कहा कि कांग्रेस के हाथ में थोड़ी-सी सत्ता आई है और उससे कलई खुल गई है। हम जिन्हें फरिश्ता समझते थे, थोड़ी-सी सत्ता आते ही हमने अपने इर्द-गिर्द बहुत भ्रष्टाचार देखा है- ख़ान अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ान ने 1940 में कांग्रेस के अधिवेशन में कहा था। जब कांग्रेस का राज केवल बहुत थोड़े-से राज्यों में था, तब उन्होंने यह चिंता व्यक्त की थी। यह आश्चर्यजनक था। अगर भावी आजादी के योग्य इंसानों को तैयार नहीं किया गया, तो महात्मा गांधी जी ने जो सविनय अवज्ञा का आंदोलन चलाया था, एक खतरनाक हथियार सिद्ध होगा और यह हुआ। जो 1940 के अधिवेशन में बात कही गई, वह हुआ। कांग्रेस ने जिस तरीके से इस संविधान का आपातकाल लगाकर गला घोंटने का काम किया, उससे यह साबित होता है कि जो चिंता ख़ान अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ान साहब ने व्यक्त की थी, उनकी वह चिंता आज सही साबित हो रही है।

माननीय सभापति जी, संविधान सभा के बाद हम लोग पहली बार संविधान पर चर्चा कर रहे हैं। हमारी इस बहस को देश की युवा पीढ़ी, हमारे विद्वान टकटकी लगाकर देख रहे हैं और इसकी तुलना संविधान सभा की बहस से कर रहे हैं।

मनानीय सभापति जी, मैं यहां पर इतिहास की एक घटना का जिक्र करना चाहूंगा। महोदय, मावलंकर जी संविधान सभा के स्पीकर थे। 1952 में, जब उन्होंने संविधान सभा के सदस्यों को दी गई फेयरवेल पर भाषण दिया था, जब उन्हें विदाई दी जा रही थी, तो मावलंकर जी ने एक ऐसी बात कही, जिसका उस समय की संविधान सभा के सदस्यों ने मेज थपथपा कर स्वागत किया था। महोदय, मावलंकर जी ने कहा था कि संविधान के पृष्ठों को कलाकार नंदलाल बोस ने प्राचीन काल के भारत के जीवन के दृश्यों से सजाया है। उसका अंग्रेजी संस्करण तैयार है और हिंदी संस्करण तैयार हो रहा है। सभापति महोदय, अगले दिन, जब संविधान सभा के सदस्यों को संविधान की कॉपी दी गई, तो उसमें वे दृश्य गायब थे। संविधान सभा के कई सदस्यों ने सोचा कि शायद उन्हें गलत कॉपी मिल गई है। महोदय, वे दृश्य कौन-कौन से थे, उसकी कॉपी मेरे पास है। महोदय, उसमें कौन-कौन से चित्र थे? उसमें भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, रामायण का दृश्य, कृष्ण और अर्जुन को दर्शाता हुआ महाभारत का दृश्य था। ...(**व्यवधान**)...

श्री जयराम रमेशः वह लाइब्रेरी में है। ...(**व्यवधान**)...

श्री सुरेन्द्र सिंह नागरः आप सुनिए, सुनने का सब्र रखिए। आप सुनिए, आपको बहुत परेशानी होती है। उसमें गुरुकुल वैदिक आश्रम का दृश्य था। ...(**व्यवधान**)...

श्री जयराम रमेशः सबको कॉपी मिली थी।

श्री सुरेन्द्र सिंह नागरः उसमें बौद्ध धर्म के दर्शन जैसे 22 दृश्य थे। जो मूल प्रति सबको दी गई थी, वह गायब हो गई। ...(**व्यवधान**)...

श्री जयराम रमेशः कहाँ गायब हो गई? लाइब्रेरी में है। ...(**व्यवधान**)...

श्री सुरेन्द्र सिंह नागरः वह कहाँ गायब हो गई, मैं उसी पर आ रहा हूं, आपको अभी बता रहा हूं। ...(**व्यवधान**)... बोलिए, बोलिए, इसी में तो मजा है। अच्छा है, इसी में मजा है। यही तो हमारा काम है। ...(**व्यवधान**)... भारत की हज़ारों वर्षों की सभ्यता और संस्कृति की निरंतरता है। महोदय, इन दृश्यों को हटाकर, देश को संस्कृति से काटने का प्रयास किया गया और आज 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मैं आपसे मांग करता हूं कि संविधान के पेजों पर इन दृश्यों को पुनर्स्थापित किया जाना चाहिए।

महोदय, जो सामने बोलने वाले हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि देश यह भी जानना चाहता है कि आखिर इन दृश्यों को हटाने वाला कौन था? ...(**व्यवधान**)... आपने खुद ही बता दिया है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ऐसा बताते हैं कि जो देश के पहले प्रधान मंत्री थे, इसमें उनका हाथ था। ...(**व्यवधान**)... वे नेहरू जी थे।

माननीय सभापति जी, देश की आज़ादी के बाद इन 75 वर्षों में संविधान में कई बार संशोधन किए गए। पिछले 10 वर्षों से जो नरेन्द्र मोदी जी की सरकार है, उनकी सरकार में भी संविधान में संशोधन किए गए, लेकिन वे संशोधन जन हित में किए गए। महोदय, वे कौन से संशोधन किए गए थे? पहला संशोधन किया गया कि इस देश में एक कर प्रणाली होनी चाहिए – जीएसटी होनी चाहिए। अब यह मत कह देना कि महाराष्ट्र की सरकार ने भी इसका समर्थन किया था। इसके अलावा, इस देश में एक लंबे समय से माँग थी कि इस देश में जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन्हें भी रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। इस देश में यह माँग एक लंबे समय से थी। संविधान संशोधन अधिनियम लाकर इस देश के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को दस प्रतिशत आरक्षण देने का काम नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने किया।

सर, यहाँ बहुत सी बातें होती हैं। महिलाओं की बात होती है। यह बात सही है कि हमारे संविधान में महिलाओं को वोट का अधिकार पहले से दे दिया गया था। मुझे लोक सभा में रहने का भी अवसर मिला है। जब 2009 से 2014 तक मुझे लोक सभा में रहने का अवसर मिला, तब तत्कालीन यूपीए की सरकार थी, महिला आरक्षण बिल लेकर आई थी। राज्य सभा में क्या हुआ था और जब राज्य सभा में वह बिल पास हुआ, तब क्या हालत हुई थी, कितने शीशें टूटे थे, यह किसी

से छिपा हुआ नहीं है। उस समय की यूपीए सरकार ने सत्ता में बने रहने के लिए, अपने साथियों के दबाव में कि कहीं सत्ता न चली जाए, लोक सभा में बिल पेश नहीं कर पाई थी। यह दर्शाता है कि यूपीए और काँग्रेस के लोग महिला विरोधी हैं। मैं इस देश के प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी को बधाई देना चाहता हूँ कि वे संविधान संशोधन लेकर आए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर आए, जिससे उस संविधान संशोधन के माध्यम से लोक सभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का काम इस देश के प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी ने किया। ऐसे बहुत से काम हैं, जिनकी मैं चर्चा कर सकता हूँ, लेकिन 14 मिनट हो गए हैं।

माननीय सभापति जी, यह मैंने काम गिनाए हैं। प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी धारा 370 जैसा संविधान संशोधन लेकर आए। कश्मीर में कुछ मेरे परिवार के लोग, जो एसटी समुदाय में आते हैं, जब मैं वैष्णो देवी गया था और मैं ऊपर जा रहा था, तो मैंने देखा कि कुछ कच्चे मकान थे और वे टूटे पड़े थे। मैंने पूछा कि परेशानी क्या है, ऐसा क्यों है, तो बताया गया कि ये गुर्जर-बकरवाल के मकान हैं, इनके पक्के मकान नहीं बन सकते हैं, क्योंकि दिल्ली के कानून यहाँ लागू नहीं होते हैं। उन्हें राजनीतिक आरक्षण नहीं दिया गया था। इस सदन में देश के प्रधान मंत्री ने पहली बार उस गुर्जर-बकरवाल समुदाय के -- आज गुलाम अली जी यहाँ सांसद के रूप में बैठे हैं, उन्हें इस राज्य सभा में प्रतिनिधित्व देने का काम किया गया। अगर वहाँ पर किसी ने राजनीतिक आरक्षण देने का काम किया, तो संविधान संशोधन के माध्यम से नरेन्द्र मोदी जी ने किया। बाकी विषयों पर नड्डा जी ने अपनी बात विस्तार से रखी है।

माननीय सभापति जी, यहाँ आरक्षण को लेकर बात हुई और भ्रष्टाचार को लेकर आजकल बड़ी चर्चा हो रही है। Stanley A. Kochanek की एक बुक है - ब्रीफकेस पोलिटिक्स इन इंडिया। इसमें हमारे एक जर्नलिस्ट... ...(**व्यवधान**)... आप सुन लीजिए, सुन लीजिए। ...(**व्यवधान**)... जब सुन लीजिएगा, तब रिएक्शन दीजिएगा। ...(**व्यवधान**)... आप इतनी जल्दी मत करिए। ...(**व्यवधान**)... माननीय सभापति जी, सी. एस. पंडित ने उस... ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: This will not go on record. ...*(Interruptions)*... And it is also not appreciated. It is not appreciated from a senior Member, and particularly when the senior Member knows ...(*Interruptions*)..

SHRI SURENDRA SINGH NAGAR: C.S. Pandit, Journalist and Writer, recalls in his book, "Often representatives of trade and industry were called to Delhi and asked to produce specific amount..." Please listen. ...(*Interruptions*)... सर, मेरे टाइम का ध्यान रखिएगा। ...(**व्यवधान**)... मेरा समय disturbance में जा रहा है। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Please continue.

SHRI SURENDRA SINGH NAGAR: "Often representatives of trade and industry were called to Delhi and asked to produce specific amounts. Those who declined were threatened with possible raids." आप ईडी की बात करते हो, आप ईडी का आरोप लगाते हो।

जो पैसे देने के लिए मना कर देते थे, उनके खिलाफ रेड की जाती थी। यह आपकी परंपरा है। यह हमारी परंपरा नहीं है। इस परंपरा की शुरुआत आपने की है। यह मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं। ...(**व्यवधान**)... "The Revenue Intelligence and the Enforcement Directorate, which were now operating under the Cabinet Secretariat, in Bombay financial circles, stories started circulating of the amounts secured by the Foreign Trade Minister under such threats. Others, who came forward willingly with whatever was asked for, received concessions." क्या अपनी मर्जी से आ गए? जिन्होंने आपको सौंप दिया, उनको कन्सेशन आपने दिए। यह वे कहते हैं। "....to expand their businesses and amass further resources." ये शुरुआत आपने की है और आज आप आरोप हम पर लगाते हैं!

माननीय सभापति जी, इस देश में धारा 356 का कई बार इस्तेमाल किया गया। उसकी चर्चा यहां बहुत हुई। क्या हमारे कम्युनिस्ट भाई यहां पर बैठे हैं? उनमें से कोई हैं या बाहर चले गए। ...(**व्यवधान**)... शायद बाहर चाय पीने गए होंगे, लेकिन वहां तक आवाज तो जा रही होगी। ...(**समय की घंटी**)... एक डिस्कशन हुआ था - Discussion under Rule 193 in Lok Sabha on 7th May, 1979. *...(Time-bell rings.)...* इसको कंवर लाल गुप्ता जी ने इनिशिएट किया और उस पर चर्चा हुई।

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, now round up.

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर: सर, मेरा एक विषय रह गया। इंडिया में 1973-75 में U.S. Ambassador, Daniel Patrick रहे। His tenure coincided with nuclear tests in 1974. उन्होंने बुक लिखी *'The Dangerous Place'* और जो उन्होंने कहा ...(**समय की घंटी**)... सर, मैं बस एक मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। इस बुक में उन्होंने कहा, he alleged that the funds were transferred. Mrs. Indira Gandhi was the then Congress President. He further alleged that on occasions, the payments were made directly to Mrs. Gandhi as the President of the Congress Party. Mrs. Gandhi became the President of Congress in 1959. The book alleges that the funds were transferred to defeat Communist Government in Kerala. It might be recalled that in 1959, the elected Government in Kerala, headed by EMS Namboodiripad, was dismissed. वह कैसे डिसमिस की गई थी? वह वहां के पैसे से डिसमिस की गई थी। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Thank you. Now, Shri P. Wilson. *...(Interruptions)...* Mr. Nagar, you have said enough. सुरेन्द्र जी, आपने बहुत कह दिया है। Now, Shri P. Wilson.

SHRI P. WILSON (Tamil Nadu): Thank you, hon. Chairman, Sir. Today, I stand here to participate in the discussion on Glorious Journey of 75 Years of Constitution of India.

Contents Page

(MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair*.)

According to me, in the last 10 years, this Government has done everything in its power, and some not in its power, to brick-by-brick destroy the edifice of our Constitution. From undermining Parliament to erosion of institutional integrity of other constitutional bodies, to misuse of governmental power and stripping the fundamental rights of citizens, the very fabric of our Constitution has been ripped to shreds by this Government.

My first point is on parliamentary sovereignty. Has this Government respected this august House? In the 17th Lok Sabha, more than 221 Bills were passed but one-third of these Bills were passed with less than an hour of discussion or with no debate! No discussion took place on worst genocide committed in Manipur! Standing Committees have been reduced to paper committees. In the 17th Lok Sabha, only 16 per cent of the Bills were referred to the Standing Committees for detailed examination in contrast to 71 per cent of the Bills referred to Standing Committees in UPA regime. Important Bills were passed without any debate, which made the Chief Justice of India to comment on it.

My second point is on Judiciary. I would say that the undeclared emergency now prevailing in this country is Government's threat to independence of judiciary. Some High Court judges have started attending political meetings and are giving speeches in language unheard of in this country with a hope of further elevation or post-retirement jobs. The recommendations of the Collegiums for transfer of judges are not given effect to by the Ministry of Law. The Government interferes with elevation of judges to the High Court and the Supreme Court every now and then. Honest judges are mercilessly transferred even in cases when they are having ailing parents or spouse. Elevation of judges, who follow their conscience, is not notified by the Ministry of Law. It sits over the recommendations for about one and a half years together despite Supreme Court collegium reiterating its recommendation multiple times. So, is this the independence of judiciary that you have maintained? Are we to celebrate this?

My third point is on Social Justice. Every step is undertaken by the Government, including in the higher educational institutions, to destroy reservations in education and employment under the guise of merit. In judiciary, 82 per cent of judges are from upper class. Higher judiciary is the only institution, where reservations are denied in India for the last 75 years. Every time I raise this issue, the Government says, "Constitution does not permit it." What have you done in this regard? Have you not amended the Constitution for other purposes? Why don't you

Contents Page

amend the Constitution for giving reservation? The very first constitutional amendment brought by Pandit Nehru, at the instance of Thandai Periyar and Perarignar Anna, was to enable reservation for backward classes throughout India. What have you done in the last 10 years? You have amended the Constitution to give reservation to the forward caste people under the EWS quota!

You deny undertaking the Caste Census fearing that reservation for Scheduled Castes, Schedule Tribes and the OBCs will go beyond 50 per cent. Sir, the 1931 data is very old and requires to be reviewed. You hide behind judgment in Indra Sawhney case and you have taken no steps to amend the Constitution to increase the artificial 50 per cent cap of reservation for SC/ST/OBC put together brought by the judiciary. Are we to celebrate this?

My fourth point is on language. The constitutional guarantee of linguistic diversity is wiped out with Hindi imposition, but you have consistently passed Bills in the name of Hindi instead of English in violation of Article 348. This is the respect you have for the Constitution. Are we to celebrate this?

My fifth point is on Governors. They are the death knell of State autonomy and cooperative federalism. They act as political opponents and publicly contradict policies of the State Governments, delay and even withhold the Bills passed by the State legislature. Are we to celebrate this?

My last point is related to the economic subjugation of southern States by unfair allocation of GST and funds. The southern States which are the engines of India's growth are punished for nothing. Are we to celebrate this?

Sir, I conclude by saying that this Government has given us no cause to celebrate because of the injustice they have done to our Constitution. We will celebrate this in 2029 when DMK alliance forms the Government at the Centre. Thank you, Sir.

श्री उपसभापतिः माननीय श्री भूपेन्द्र यादव जी। आपके पास 40 मिनट का समय है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री (श्री भूपेन्द्र यादव): माननीय उपसभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के उच्च सदन में संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर यह जो महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है, इसमें मेरी पार्टी ने मुझे भाग लेने का अवसर दिया है। मैं अपने नेतृत्व के प्रति धन्यवाद अर्पित करता हूँ और कुछ बुनियादी मुद्दे रखना चाहता हूँ।

लोक सभा की चर्चा में और राज्य सभा की चर्चा में हमारे कई विद्वान साथियों ने अपने-अपने पक्षों को और विषयों को बहुत अच्छे तरीके से रखा है तथा संविधान के बारे में हमारे जो अनुभव हैं, उनको साझा किया है। मैं अभी University of Chicago के एक law school की रिपोर्ट

को पढ़ रहा था, जिसका टाइटल है - 'The Lifespan of Written Constitutions.' माननीय उपसभापति महोदय, दुनिया में सामान्यतः जितने written constitutions हैं, उनकी average life 17 years है। मैं वह paragraph पढ़ना चाहूँगा। 'Results of the data analysis'. It says, "Constitutions, in general, do not last very long. The mean lifespan across the world since 1789 is 17 years. Interpreted as the probability of survival at a certain age, the estimates show that one-half of constitutions are likely to be dead by age 18, and by age 50, only 19 per cent will remain. Infant mortality is quite high — a large percentage, approximately 7 percent, do not even make it to their second birthday. Also, we see noticeable variation across generations and across regions. For example, Latin American and African countries fit the joke of the French-constitution-as-periodical much better than does France itself. Our current analysis suggests that the mean lifespan in Latin America and Africa is 12.4 and 10.2 years, respectively, with 15 percent of Constitutions from these regions perishing in their first year of existence. Constitutions in Western Europe and Asia, on the other hand, typically endure 32 and 19 years, respectively, and their lifespans are the least skewed."

माननीय उपसभापति महोदय, जब हमारी Constituent Assembly को यह Constitution बनाने का अवसर प्राप्त हुआ था, उस समय हमारे संविधान निर्माताओं ने इसमें बहुत सारे विषयों के बारे में सोचा था। उस समय जो चुनौतियाँ आई थीं, जब संविधान सभा को यह Constitution समर्पित किया गया था, उस समय डा. राजेन्द्र प्रसाद, जो कि Constituent Assembly के President थे, उन्होंने जो कहा था, अगर हम आज उसे देखें, तो हमारी Constituent Assembly के लोगों ने एक कितना बड़ा कार्य किया था। मैं डा. राजेन्द्र प्रसाद के कुछ शब्द क्वोट करना चाहता हूँ। "Before I do that, I would like to mention some facts which will show the tremendousness of the task which we undertook some three years ago. If you consider the population with which the Assembly has had to deal, you will find that it is more than the population of the whole of Europe minus Russia, being 319 millions as against 317 millions. The countries of Europe have never been able to join together or coalesce even in a Confederacy, much less under one unitary Government. Here, in spite of the size of the population and the country, we have succeeded in framing a Constitution which covers the whole of it."

माननीय उपसभापति महोदय, उस समय हम 31 से 35 करोड़ थे, जबकि आज 140 करोड़ हुए हैं। उसके बाद भी लगातार एक federal के रूप में देश की सभी विधान सभाओं में, देश की लोक सभा में हमने शान्तिपूर्ण तरीके से सत्ता का बदलाव भी किया है और Constitution की भावना को आगे बढ़ाया है। इसके लिए अगर कोई बधाई की पात्र है, तो वह इस देश की 140 करोड़ जनता है। हमारे देश का जो ethos है, हमारे देश की जो कांस्टीट्यूशनल वैल्यूज़ हैं, हमारी जो सिविलाइजेशनल वैल्यूज़ हैं, वे बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर हम हमारे संविधान के 75 वर्षों की यात्रा को स्वर्णिम यात्रा कहते हैं और इसकी हम चर्चा करते हैं, तो निश्चित रूप से किसी ने कहा है कि

Contents Page

'हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है,
जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा।'

मैं यह कहना चाहता हूँ कि 75 वर्षों की इस यात्रा के बाद कुछ लोग संविधान को जेब में रखकर फिरते हैं, लेकिन अगर यह संविधान केवल टाइपिंग का दस्तावेज होता, अगर यह केवल कुछ शब्द होते, तो मैं यह मानता कि यह बात ठीक है। हमारे संविधान निर्माताओं ने जब इस संविधान को बनाया, तो उस समय टाइपराइटर थे, लेकिन देश की जनता को जो संविधान समर्पित करना था, वह लाल किताब वाला नहीं है, यह वाला था, जयराम जी। इस किताब में उन्होंने कैलीग्राफी के साथ कुछ instances, कुछ illustrations हम सबके सामने रखे। मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह जो कैलीग्राफी और instances थे, ये अनायास नहीं थे।

उपसभापति महोदय, सब सदस्यों ने अलग-अलग तरीके से विषय रखे हैं, लेकिन संविधान में जो कैलीग्राफी रखी गई है, जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है और उनको जिस कॉन्टेक्स्ट में रखा गया है, मैं यहां पर अपनी पार्टी की ओर से उनके संदर्भ में विषय रखना चाहता हूँ। हम जब भी संविधान का पहला पेज खोलते हैं, तो हमारा एम्ब्लम है और एम्ब्लम के नीचे 'सत्यमेव जयते' लिखा हुआ है। इस 'सत्यमेव जयते' के माध्यम से भारत ने दुनिया को जो wisdom दी है, वह अपने आप में दुनिया को एक बड़ा उपहार है। हमारे उपनिषदों में जो वाक्य तय किए गए हैं, हम कितना ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले आएं, दुनिया में कितनी भी प्रगति, तरक्की और आर्थिक मुकामों को छू लें, लेकिन जीवन के अस्तित्व को जानने के लिए हमारे उपनिषदों ने दुनिया को बहुत नया रास्ता दिया है। यह 'सत्यमेव जयते' भी मांडूक्य उपनिषद् से लिया गया है और ऋषियों के संवाद में मांडूक्य उपनिषद् में यह कहा गया है :

"सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः।
येनाक्रमन्त्यृषयो हयाप्तकामा यत्र तत् सत्यस्य परमं निधानमं।।"

इसका अर्थ यह है कि जब इस एम्ब्लेम को लेकर इस देश की यात्रा लंबी चलेगी और हम तो सौभाग्यशाली हैं कि हम 75वें वर्ष पर यहां उपस्थित हैं, आगे इसी सदन में 100 वर्ष पर भी चर्चा होगी, 100 वर्ष पहले भी उन्होंने विज़न किया था कि जब इस देश की यह यात्रा चलेगी तो, अंततः जो भी संविधान के पैरोकार बनेंगे, जो भी लॉ मेकर बनेंगे, उनको सत्य का रास्ता चुनना होगा। कहते हैं कि सत्य के रास्ते पर चलकर ही ऋषियों ने अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त किया है। मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले तीन चुनावों में हमने देखा है। सत्य का अर्थ यह होता है कि जब भी हम जनता के सामने जनसमर्थन मांगने जाएं, उनका विश्वास लेने जाएं, तो सत्य के साथ विषयों को विश्वास के साथ रखें। जिन्होंने इस चुनाव में असत्य बोला कि हम संविधान बदल देंगे, वह असत्य हारा है और सत्य जीता है और जनता ने प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी को तीसरी बार मौका दिया है। लोकतंत्र में इस देश की जनता बहुत समझदार है। अक्सर हमारे कांग्रेस के मित्र बार-बार यह कहने की कोशिश करते हैं कि हम पीछे क्यों जाते हैं? जब हम संविधान की 75 वर्षों की यात्रा का अवलोकन करेंगे, तो जो गलतियां हुई हैं, उनसे सीख कर हम आगे कैसे बढ़ेंगे, उसको जानने का मौका मिलेगा। इन्होंने थोड़े समय के लिए लोकसभा में भ्रम फैलाया था, पर हरियाणा और

Contents Page

महाराष्ट्र का चुनाव जीतने के बाद जो थोड़ा भ्रम था, वह भी दूर हो गया और सत्य पूरी तरीके से विजयी हुआ।

माननीय उपसभापति महोदय, मैं अभी कैलीग्राफी की बात कर रहा था। हमारे संविधान में सबसे पहले पार्ट वन शुरू होता है। पार्ट वन में आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक भारत का संघ, "India, that is Bharat", हमारे फेडरल स्ट्रक्चर और हमारी भूमि की सीमाओं को बताया गया है। यह शब्दों में भी बताया जा सकता था, लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने उसमें कैलीग्राफी करके जो illustrations दिए, वे मोहनजोदड़ो के दिए। इस देश में लगभग 2,500 ईसवी पूर्व सभ्यतागत प्रमाण थे, civilizational values थे। इसलिए 26 नवंबर, 1949 को संविधान ने जो एक geographical area दिया, वह geographical area केवल आज का geographical area है, उसके सभ्यतागत प्रमाण पुराने हैं।

इसके बाद पार्ट 2 आता है, जिसमें नागरिकता का वर्णन है। आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता की बात कही गई है और उसमें नागरिकता की परिभाषा दी गई है। संविधान की मूल कॉपी में, जहां नागरिकता का पूरा चैप्टर लिखा गया है, वहां पर उन्होंने illustration के रूप में वैदिक गुरुकुल दिए हैं। ये वैदिक गुरुकुल क्यों दिए गए हैं? क्योंकि civilizational value में जब हम उपनिषद् में 'सत्यमेव जयते' के विषय से आगे बढ़ते हैं तो पाते हैं कि एक लंबे भू-भाग पर एक पुराने civilizational value का सिस्टम था, जिसमें विचारों की सहिष्णुता थी, जिसमें सारे दर्शन आपस में एक दूसरे के प्रति विचार करते थे। लेकिन, हम जानते हैं कि उस पुरानी civilizational land में बाद में 1947 में हमारे पड़ोस में जो देश राजनीतिक तरीके से अलग हुआ, वहां पर जो अल्पसंख्यक थे, उन पर अत्याचार हुए। इसलिए, संविधान की इस भावना को समझते हुए जब हम उन अल्पसंख्यकों के लिए CAA कानून ले करके आए, तो जो इस वैल्यू को नहीं समझते थे, उन्होंने उसका विरोध करने का काम किया। हम संविधान निर्माताओं की उन्हीं भावनाओं को आगे ले करके आए हैं। मेरा यह मानना है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने इस संविधान के रूप में इस देश के नागरिकों को केवल एक सबसे बड़ा उपहार ही नहीं दिया, बल्कि उसके साथ ही उन्होंने उसमें सब सरकारों, चाहे कोई भी सरकार आए, उनको एक तरीके से संविधान निर्माताओं का आदेश है कि सबका प्राथमिक उद्देश्य नागरिक अधिकारों की रक्षा करना है। हमारे राम गोपाल जी तो पोलिटिकल साइंस के प्रोफेसर ही रहे हैं और इसलिए कई बार उनके भाषण में Fundamental Rights के बारे में बातें आती हैं। हर सरकार ने Fundamental Rights की बातें की हैं। लेकिन, जब Constitution के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक Fundamental Rights की बात की गई और उसमें जो illustration दिया गया, वह भगवान राम का दक्षिण से अयोध्या जाते हुए दिया गया है, जिसमें राम और सीता दोनों हैं, क्योंकि देश में समान रूप से सबके फंडामेंटल अधिकार होने चाहिए।

सर, 75 वर्षों की इस यात्रा में हमने देखा है कि एक दौर ऐसा आया था, जब इस दौर में इस देश के अंदर मौलिक अधिकारों को छीना गया और मौलिक अधिकारों को छीनकर किस प्रकार से लोगों को सम्मानित किया गया था। हमने उससे पहले यह देखा था कि जब Nationalization of Banks का Bank Judgment आया था, तो वह 10:1 था। जब केशवानंद भारती का जजमेंट आया तो वह 7:6 था, लेकिन तत्कालीन सरकार के अहंकार को यह लगा कि अगर इस प्रकार का निर्णय ज्यूडिशरी देगी, तो यह ठीक नहीं है, इसलिए हमें committed

Contents Page

judiciary चाहिए। जब committed judiciary नहीं मिली, तो भारत के इतिहास में पहली बार, जिसको हम separation of power कहते हैं, उस पर सबसे पहला झटका यह लगा कि Supreme Court के तीन Judge, Justice Shelat, Justice Hegde और Justice Grover को supersede करके Justice A.N. Ray को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया। आप देखेंगे कि उस कालक्रम में तत्कालीन सरकार के हौसले बहुत बड़े थे। हमारे संविधान निर्माताओं ने एक ideal दिया था, जो राम और सीता का चित्र था, उसका एक ideal था। Rights of every being is recognized and protected. उसको समाप्त करके इमरजेंसी को लगाया गया था। इमरजेंसी में जो illegal detention किया गया, उसका जजमेंट एडीएम, जबलपुर केस में आया। उसमें चार judges ने यह कहा, 'No Right to Life and Personal Liberty will be availed at the time of emergency.' इसका मतलब देश के लोगों के मौलिक अधिकार कभी भी छीन लिए जा सकते हैं। एक courageous जज थे - जस्टिस खन्ना, उन्होंने असहमति ज़ाहिर की, तो सरकार के मन में जो judiciary को दबाने का भाव आया था, उस judiciary के भाव को दबाते हुए सरकार ने वापस मिस्टर खन्ना को पद छोड़ने पर मजबूर किया और उनको मजबूर करके एम.एच. बेग को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया। महोदय, आप देखिए कि कितनी committed judiciary थी। जस्टिस बेग, Chief Justice of India रिटायर होने के बाद National Herald के डायरेक्टर बने, conflict of interest तो था, लेकिन CJI रिटायर होने के बाद - जो कांग्रेस का मुखपत्र है, अब जो फैमिली का मुखपत्र है, उसके डायरेक्टर बने। सबसे पहले तो नागरिक अधिकारों को छीना। नागरिक अधिकारों को छीनने के लिए वे CJI बने, रिटायर होते ही वे नेशनल हेराल्ड के डायरेक्टर बने, कोई भी बन सकता है, लेकिन लिंक तो था। फिर वे National Human Rights Commission के चेयरमैन बने, ...(**व्यवधान**)... फिर National Commission for Minorities के चेयरमैन बने और बाद में, राजीव शुक्ला जी, आप लोगों ने उनको पद्म विभूषण दे दिया।

श्री राजीव शुक्ला: आपने रंजन गोगोई जी को ...(**व्यवधान**)... हाई कोर्ट के जज को ...(**व्यवधान**)...

श्री भूपेन्द्र यादव: राजीव जी, ऐसा है कि बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी।

श्री राजीव शुक्ला: मैं वही तो चाह रहा हूं।

श्री भूपेन्द्र यादव:

"लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे,
ये भी पूछेंगे तुम इतने परेशान क्यों हो,
जगमगाते लम्हों से गुरेज़ां क्यों हो"

15 साल से देश आगे चल रहा है। आपको क्या परेशानी हो रही है? महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो पद्म विभूषण मिला। उपसभापति महोदय, वर्ष 2023 में मैं पद्म भूषण अलंकरण समारोह में था। भारतीय जनता पार्टी ने भी पद्म विभूषण दिए। कर्नाटक के एक 83 वर्ष के local artisan, जो बीदरी वर्ग के होते हैं, उनके रशीद कादरी को मिला। वह गरीब मुसलमान यह बोला

Contents Page

कि मैं तो यूपीए सरकार से 10 साल से मांग रहा था, मुझे पद्म विभूषण नहीं दिया गया, मुझे तो पद्म विभूषण मोदी जी की सरकार ने दिया।

आपको तो उनको देना था, जो आपके प्रति समर्पित थे, मोदी जी उनका सम्मान करते हैं जो देश के लिए समर्पित हैं। महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मूलभूत अधिकारों को लेकर जिस प्रकार की परिस्थिति आई - मेरे बहुत सारे वक्ताओं और साथियों ने यहां अपना विषय रखा है – मैं हमारे संविधान के Part IV के बारे में बात करना चाहूंगा और 75 वर्ष की journey में क्या किया है, वह बताना चाहूंगा। संविधान के Part IV में आर्टिकल 36 से 51 (a) तक राज्य के नीति-निर्देशक तत्व आते हैं। यह एक coincidence है कि नीति-निर्देशक तत्व में संविधान के निर्माताओं ने जो अपना illustration लगाया, जो चित्र लगाया, वह वो वाला चित्र है, जिसमें अर्जुन रथ पर बैठे हैं और कृष्ण उपदेश के लिए खड़े हैं। अगर आप उस चित्र को देखेंगे, तो भगवत् गीता का जो दूसरा अध्याय है, जहां वे लगातार यह कहते हैं कि-

"क्लैब्यं मा स्म गमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते।
क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप"

शायद हमारे संविधान निर्माताओं को यह पता था कि राज्यों को जब नीति-निर्देशक तत्वों का पालन करना होगा, तो कई तरह के conflict की situation आएगी। ऐसे में अपना स्वधर्म क्या होगा, राज्य का स्वधर्म क्या होगा, good governance का विषय क्या होगा, policy formulation, functioning of Welfare State, philosophical foundation में ड्यूटी और governance का विषय क्या होगा? माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में हमारे संविधान निर्माताओं ने यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 में रखा। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सरला मुद्गल का जजमेंट आया, यूनिफॉर्म सिविल कोड में शाह बानो का जजमेंट आया, लेकिन संविधान निर्माताओं के इस डायरेक्शन का विरोध करना और उसको ध्वंस करने का काम यह आपने किया है, हमने उसको आगे बढ़ाकर तीन तलाक जैसे प्रगतिशील कानून लाने का काम किया है। अभिराम सिंह जैसे जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने इस देश के Constitution के culturalism को लिया और उसी के साथ separation of Judiciary, यह किस प्रकार से एग्ज़ीक्यूटिव से अलग होना चाहिए, वह नीति निर्देशक सिद्धांतों में कहा। इसका मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। जो संविधान निर्माताओं की इच्छा थी कि ज्यूडिशियरी का और एग्ज़ीक्यूटिव का सैपरेशन होना चाहिए। मैं एक ज्यूडिशियल सैपरेशन के ऊपर पढ़ रहा हूं, तो मैं एक बायोडेटा पढ़ना चाहता हूं। किस प्रकार से आपने ज्यूडिशियरी को कमिटेड बनाकर रखा है। सुप्रीम कोर्ट में एक जज, जस्टिस बहरुल इस्लाम थे। उनके बायोडेटा में लिखा है- Baharul Islam was an Indian politician and judge of the Supreme Court of India. He was elected to the Rajya Sabha, the Upper House of the Parliament of India, as a Member of the Indian National Congress. ...*(Interruptions)*...

श्री जयराम रमेशः सर, यह बात बोल चुके हैं। उसी को दोहरा रहे हैं।

Contents Page

SHRI BHUPENDER YADAV: In 1972, he resigned from the Rajya Sabha to become a judge in the Gauhati High Court, where he eventually retired as Chief Justice. He was later recalled and appointed as a judge of the Supreme Court, where he delivered a judgment absolving the then Chief Minister of Bihar, Jagannath Mishra, in the urban cooperative bank scandal. उसके बाद फिर उन्होंने पद छोड़ा। फिर आपने उनको चुनाव लड़ाया और फिर राज्य सभा में लेकर आए। जब दिल्ली में 1984 का दंगा हुआ, तो 1984 के दंगे में आपको जांच के लिए एक कमिशन की आवश्यकता थी और आपने जांच के लिए जस्टिस रंगनाथ मिश्रा का कमिशन बनाया। कमिशन की रिपोर्ट क्या थी? कमिशन की रिपोर्ट यह थी - Justice Misra found 19 Congress workers guilty, but gave the party a clean chit. कांग्रेस के 19 नेता इन्वॉल्वड हैं और कांग्रेस पार्टी को क्लीन चिट है। He declared और उन्होंने कहा "the riots which had a spontaneous origin later attained a channelised method at the hands of gangsters." यह दिल्ली की हालत आपने उस समय की थी। यह दिल्ली की स्थिति आपने की थी। उसके बाद तो आपने उनको राज्य सभा का सदस्य बनाया, सीजेआई भी बनाया। यह जो एक मेन्डेट था, शायद आपने अगर कांस्टीट्यूशन की किताब जेब में रखने के बजाय संविधान निर्माताओं का illustration देखा होता, तो आप संविधान की आत्मा के साथ चलते, केवल पेपर और शब्दों को साथ नहीं चलते। मैं यह कहना चाहता हूं कि आपके सामने कि हम जब आर्टिकल 5 की बात करते हैं, आर्टिकल 5 में सेंट्रल गर्वनमेंट के यूनियन और उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात की जाती है, आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक और वास्तव में उस समय जो हमारे संविधान निर्माताओं ने illustration के रूप में चित्र लगाया, वह भगवान गौतम बुद्ध का, जो सारनाथ में उन्होंने धर्मचक्र प्राप्त किया था, उसका लगाया।

3.00 P.M.

बहुत समय बाद हिंदुस्तान में एक ऐसी घटना घटी थी कि हमने शासन में करूणा, प्रेम, सत्य कल्याण की बात कही थी। इसलिए तीनों विषयों पर यह जो धम्म चक्र का चित्र है, मुझे लगता है कि यह शायद हमें यह संदेश देने के लिए था कि एग्जीक्यूटिव, ज्यूडिशियरी और लेजिस्लेशन - ये तीनों इस करुणा के भाव के साथ मिलकर चलेंगी। आपके समय में आपने एग्जीक्यूटिव के दौरान इमरजेंसी लगाई, आज आपने इस तरह की कमिटिड ज्यूडिशियरी खड़ी की है और लेजिस्लेशन में इसी सदन के अंदर, आपने और आरजेडी ने मिलकर, रात के 12 बजे, राजनीति प्रसाद जी से महिला बिल फड़वाकर केवल राजनीति करने का काम किया, सदन की गरिमा को गिराने का काम किया। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश में हम लोगों ने Part-VI से लेकर Part-VIII तक राज्य और केंद्र के संबंध कैसे होने चाहिए - उस पर कहा है। हम लोग स्ट्रेट एडमिनिस्ट्रेशन चलाना चाहते हैं, क्योंकि अगर संघवाद की बात करते हैं, तो हमारे देश के अंदर संघवाद के अंतर्गत एक harmonious structure खड़ा करना चाहिए।

महोदय, मुझ से पहले बहुत सारे वक्ताओं ने आर्टिकल 356 के दुरुपयोग को लेकर बोला, राज्यों को धमकाने के विषय को लेकर बोला। मैं इसके साथ ही साथ यह भी बताना चाहूंगा कि

आप ही के कारण जो सरकारें गिरीं, उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय को कांग्रेस के शासनकाल में यह बताना पड़ा कि बेसिक स्ट्रक्चर में आपकी लक्ष्मण रेखा क्या है, आप उसको देखिए। सर्वोच्च न्यायालय को मुंबई के जजमेंट में आपको यह बताना पड़ा कि आप मनमर्जी से राज्य सरकारों को नहीं गिरा सकते हैं। क्योंकि आप लगातार, एग्जीक्यूटिव पॉवर का, लेजिस्लेटिव पॉवर का, ज्यूडिशियरी के सेपरेशन का, उसकी इंटिग्रिटी का अपमान करने का काम कर रहे हैं और 75 वर्षों की यात्रा हमें यह बताती है, आपके शासन से हम यह सीखे हैं कि अंततः 'सत्यमेव जयते' है। सही तरीके से काम करने वाले को ही जनता बार-बार चुनती है और जनता ने हमें तीसरी बार चुना है।

माननीय उपसभापति महोदय, अगर हम संविधान के Chapter – IX पर जाएंगे, तो पाएंगे कि पंचायती राज में और इस देश में एक परिवर्तन आया है।

श्री जयराम रमेशः कब आया है?

श्री भूपेन्द्र यादवः आपके समय में आया है। इसमें कोई गलत बात नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

श्री जयराम रमेशः आपने विरोध किया था।

श्री भूपेन्द्र यादवः हमने विरोध नहीं किया।

श्री जयराम रमेशः राज्य सभा में पहले विरोध हुआ था।

श्री भूपेन्द्र यादवः यह कन्सेंसेस से पास हुआ था।

श्री जयराम रमेशः जी नहीं, राज्य सभा में विरोध किया गया था।

श्री भूपेन्द्र यादवः आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, यह कन्सेंसेस से पास हुआ था। ...(**व्यवधान**)... हमने कभी भी देश की प्रगति में एक कदम पीछे नहीं रखा है। आपने जीएसटी का बहिष्कार किया है, आपने नई संसद का बहिष्कार किया है, आपने देश के हर गौरवपूर्ण मौके पर चीज़ों को रोकने की कोशिश की है। हमारे लिए हमारी पार्टी का मूल सिद्धांत है – नेशन फर्स्ट। यह वह पार्टी है, जिसके संस्थापक अध्यक्ष ने कश्मीर के लिए बलिदान दिया। हमारे पहले अध्यक्ष के बलिदान से यह पार्टी खड़ी हुई, इसलिए देश के गौरवशाली मौकों पर पिछले दस सालों में हमने यह देखा है कि जब-जब गौरवशाली मौके आए हैं, तो कांग्रेस उस मैदान को छोड़ती हुई नज़र आई है। जयराम जी, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हमारे संविधान निर्माताओं ने पंचायती राज पर जो illustration दिया है, वह विक्रमादित्य के नौ रत्नों के साथ बैठे हुए दिया है। स्थानीय स्वराज, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ग्रामीण विषयों को आगे बढ़ाने का जो vision हमारे संविधान निर्माताओं ने दिया है, उसका अर्थ यह है कि सब कुछ आपस में सहमति से तय होना चाहिए, विचार-विमर्श से तय होना चाहिए, सबका ध्यान रखा जाना चाहिए। हमारे प्रधान मंत्री जी ने प्रधान मंत्री बनते ही सबसे पहले इस देश में ' आदर्श ग्राम योजना' शुरू की और 'प्रधान मंत्री ग्रामीण

Contents Page

सड़क योजना' को भी पूरा किया। यदि आप इस सरकार की पिछले 15 सालों की आर्थिक नीतियों को देखेंगे, तो वह चाहे 'स्वनिधि योजना' योजना हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने की योजना हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ने की योजना हो, ग्रामीण भारत को संपन्न करने का हमारे संविधान निर्माताओं का जो निर्देश है, वह उसके अंतर्गत है।

माननीय उपसभापति महोदय, निश्चित रूप से, हमारे संविधान का आर्टिकल 244 और चैप्टर 10 देश के ट्राइबल क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण संदेश देता है। कॉंग्रेस लंबे समय तक रही, लेकिन ट्राइबल मिनिस्ट्री बनाने का काम अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में ही हुआ। अगर आप चैप्टर 10 देखेंगे, तो उसमें जो इलस्ट्रेशन लगा हुआ है, जो हमारे कॉंस्टीट्यूशन में लगा हुआ है, वह नालंदा, बिहार का लगा हुआ है। हमारे यहाँ संविधान में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात की गई है। उपसभापति जी, अगर मैं सारे इलस्ट्रेशन बताने लगूँगा, तो मेरा सारा समय चला जाएगा।

[**उपसभाध्यक्ष (श्री राजीव शुक्ला)** *पीठासीन हुए।*]

मेरा यह मानना है कि हमें संविधान को केवल बहस के लिए उपयोग में नहीं लाना चाहिए, बल्कि संविधान को उसकी आत्मा के साथ अंगीकार और स्वीकार करना चाहिए। यही कारण है कि हमारे संविधान की 75 वर्षों की यात्रा गौरवशाली रही है और हमारा लोकतंत्र मजबूत हुआ है। आजकल जयराम जी अभयमुद्राइज्म के नए प्रवर्तक बने हुए हैं। यही उसके फिलॉस्फर और थिंकर हैं। मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि जो हमारे संविधान का चैप्टर 12 है, उसी में नटराज की मुद्रा है। राज्य और केंद्र के संबंध आपस में किस प्रकार से साथ हों, किस प्रकार से आगे बढ़कर चलें, इस देश के संविधान निर्माताओं ने इसे बड़े व्यापक अर्थों में दिया है। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि हम अपने प्रेरक तत्वों को बहुत छोटे स्तर पर ले आते हैं। जब हम अभयमुद्राइज्म की बात करते हैं, तो उसके माध्यम से जातिगत जनगणना की बात करते हैं, जबकि जो शिव के तत्व को जानता है, वह जानता है कि वहाँ पर कोई जाति भेद जैसी चीज नहीं है। हम आर्थिक तरक्की से देश को आगे बढ़ने वाला विषय लेकर जाते हैं। अभी हमारे साथी विल्सन जी बोल रहे थे। मैं कल सुन रहा था कि हमारे तिरुची शिवा जी ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि अपने सांसद के द्वार पर मकर द्वार लिख दिया। यह संस्कृत शब्द है, यह हमें समझ में नहीं आता है। मुझे भी लगा, लेकिन जब मैं अपने घर पर कर तमिल-इंग्लिश डिक्शनरी को खोली और विशेष रूप से, Cre-A Dictionary of Contemporary Tamil को खोला, तो उसमें मकर शब्द और मकर द्वार पर जो मूर्ति बनी हुई है, वह तमिल में ही लिखी हुई पाई है। कृपया यहाँ पर इस प्रकार की बात न करें। हम सभी भारतीय भाषाओं का सम्मान करते हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAJEEV SHUKLA): Hon. Minister, will you yield for him? ...*(Interruptions)*...

SHRI BHUPENDER YADAV: That is a name. Even there are ...*(Interruptions)*...

Contents Page

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAJEEV SHUKLA): Bhupender*ji*, will you yield for Mr. Thambidurai? *...(Interruptions)...*

SHRI BHUPENDER YADAV: No, Sir. *...(Interruptions)...*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAJEEV SHUKLA): He is not willing to yield. *...(Interruptions)...* He is not yielding. Will you please take your seat? *...(Interruptions)...* Okay, he has yielded. *...(Interruptions)...*

DR. M. THAMBIDURAI: Sir, we are not against any language. But, we are for our language, that is, the Tamil language. We do not have any objection if you put it in Hindi. But, put that in Tamil also; put that in regional language also. That is our demand. We are fighting for that. That is what I am requesting the Central Government to consider.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAJIV SHUKLA): Thambidurai*ji*, it is written in Hindi as well as in English and English is acceptable even in South India.

AN HON. MEMBER: Correct. Sir, you are right.

SHRI BHUPENDER YADAV: Sir, it is not a matter of debate. We respect every classical language and other languages in our country. सबसे बड़ी बात यह कि हमारे यहां पर जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, उस पर संविधान निर्माताओं ने जो चित्र लगाया, वह गांधी जी का लगाया है। हमको निश्चित रूप से नई शिक्षा पद्धति में भारतीय भाषाओं का गौरव होना चाहिए। तमिल हिंदुस्तान की एक सबसे प्राचीन और क्लासिकल लैंग्वेज है और उसमें लिखे गए स्क्रिप्चर्स पर पूरे देश को गर्व है। उसमें जो नीति, नियम, विषय दिए गए हैं, उन पर हम सबको गर्व है। इसलिए हम भी अपने घर में उस डिक्शनरी को रखते हैं। मैंने केवल curiosity के नाते देखा कि यह वर्ड है या नहीं है। उसमें मुझे केवल एक वर्ड नहीं मिला। उसमें मुझे दो वर्ड और मिले। *मकराय,* meaning of one of the extinct tamil music instruments and *मकरा यकम* meaning one of the war strategies. बांग्ला को भी हमारी सरकार ने क्लासिकल लैंग्वेज बनाया, मराठी को भी सरकार ने क्लासिकल लैंग्वेज बनाया। ...(**व्यवधान**)... इसी प्रकार कन्नड़ भाषा भी है। हमारी मातृभाषा में गीत, संस्कृति, कहानियों के साथ संस्कार भी होते हैं। जब इतना हम कर सकते हैं, तो विज्ञान और कॉमर्स भी देश की मातृभाषाओं में आना चाहिए। यही प्रधान मंत्री जी का विजन है कि भारतीय भाषाएं और मातृभाषाएं बढ़नी चाहिए। 75 सालों में अगर इसमें कमी रही है, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देकर निश्चित रूप से हम सब आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत इसको लाने और आगे बढ़ाने का काम किया है। इसलिए जब हमारे संविधान निर्माताओं ने even Part XIII में ट्रेड और कॉमर्स का

विषय दिया, तो वहां पर जो सबसे बड़ा चित्र भी लगा वह महाबलीपुरम का चित्र लगा है। उसका कारण है। अगर आप कहीं भी जाएंगे, आप कंबोडिया से लेकर के जितने भी दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में जाएंगे, हमारे तमिल लोगों ने वहां पर व्यापार में बहुत तरक्की की है। लंबे समय से देश के व्यापार को जोड़ कर रखा है। आखिर जब हम 75 वर्षों की इस गौरवशाली यात्रा की बात करते हैं, तो 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा का अर्थ है कि जो सिविलाइजेशनल वैल्यू के साथ हमको संविधान मिला है, उस संविधान को आगे कैसे बढ़ाया जाए। 75 सालों के अंतर्गत देश की शासन व्यवस्था में जिस प्रकार की, जो भी गलतियां हुई हैं, उनमें कैसे सुधार कर आगे बढ़ा जाए। भारत एक समवेत स्वर में आगे कैसे बढ़े और आने वाले समय में केवल सिविलाइजेशनल वैल्यू और लैंग्वेज के साथ विज्ञान से लेकर बाकी विषयों में भारत कैसे आगे बढ़े। इसलिए मैं कई बार यह कहता हूं कि हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा दिए गया जो cultural constitutionalism है, उसके साथ ही साथ हम transformative constitutionalism की ओर आगे जाएं। किस चीज का ट्रांसफॉर्मेटिव? ट्रांसफॉर्मेटिव दो चीजों के लिए equity और rationality. समता के सिद्धांत को और rational चीजों के विषय को अगर आगे बढ़ाने की बात होगी, तो उसी के लिए यह 75 वर्षों की डिबेट कराने की बात है। मैं आज आपके सामने कहना चाहता हूं कि पिछले 10 वर्षों में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नीतियों के परिवर्तन के संदर्भ में, भारत की गौरवशाली परंपरा के संबंध में जब यह नया संसद भवन बना, तो वह सिविलाइजेशन वैल्यू आनी चाहिए। इसी नए संसद भवन में हमने तमिलनाडु से सेंगोल को लाकर स्थापित किया, ताकि देश के लोगों और यहां बैठने वाले लोगों के मन में अपनी सिविलाइजेशन वैल्यू के साथ आगे बढ़ने का विषय आना चाहिए। कांग्रेस के समय में जब यह देश की आजादी के हस्तांतरण में दिया गया था, तो इसको इस देश के न्याय का एक प्रतीक न मानते हुए एक वॉकिंग स्टिक के रूप में बदल दिया गया था। उसको बदल करके ...(**व्यवधान**)...

श्री जयराम रमेश: सर, यह बिल्कुल गलत है। यह किसी को नहीं दिया गया था। ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAJEEV SHUKLA): One minute, please.

श्री भूपेन्द्र यादव: माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, ...(**व्यवधान**)... माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, ये यह नहीं बता रहे हैं कि वह 75 साल से कहाँ पर था। ...(**व्यवधान**)... ये कुछ नहीं बता रहे हैं। ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAJEEV SHUKLA): Bhupenderji, one minute.

श्री जयराम रमेश: सर, मैं इनका भाषण बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ, बहुत रचनात्मक और रोचक भाषण है। पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन में चित्र और टेक्स्ट के बीच में रिश्ता क्या है, वे हमें जानकारी दे रहे हैं। मैं बहुत educate हुआ हूँ, पर जो अभी-अभी इन्होंने सेंगोल के बारे में कहा है, यह एक कहानी इन्होंने फैलाई है। यह इतिहास नहीं है। यह किसी के हाथ में औपचारिक तौर से सौंपा नहीं

गया था। कुछ लोग आए, वह सेंगोल दिया गया, एक समारोह हुआ और इन्होंने उससे एक नया इतिहास खड़ा कर दिया। इसका पूरा सबूत मैं टेबल पर रख सकता हूँ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAJEEV SHUKLA): Leader of the House.

श्री जगत प्रकाश नड्डा: यह कहानी नहीं है, सच्चाई है ...(**व्यवधान**)... और मैं बताना चाहता हूँ कि जब आजादी मिल रही थी, तो उस समय लॉर्ड माउंटबेटन ने पूछा कि सत्ता के हस्तांतरण में ...(**व्यवधान**)...

श्री जयराम रमेश: सर, यह बिल्कुल गलत है। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री राजीव शुक्ला): आप बोलते रहिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री जगत प्रकाश नड्डा: सत्ता के हस्तांतरण में ...(**व्यवधान**)... सत्ता के हस्तांतरण में आपके यहाँ कोई विधि होती है, क्या उस विधि को अपनाया जा सकता है, इस तरीके की बात पूछी गई थी। जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि हमें तो इसका कोई ज्ञान नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

श्री जयराम रमेश: सर, यह बिल्कुल गलत है। ...(**व्यवधान**)...

श्री जगत प्रकाश नड्डा: सी. राजगोपालाचारी जी ...(**व्यवधान**)... अगर गलत होगा, तो आप contradict कर दीजिएगा। सी. राजगोपालाचारी जी ने तमिलनाडु से चोला डायनेस्टी ...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAJEEV SHUKLA): Naddaji, will you also authenticate this thing? ...*(Interruptions)*...

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: Sir, I will do that. I will do that. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAJEEV SHUKLA): Okay. ...*(Interruptions)*...

श्री जयराम रमेश: सर, authenticate करने के लिए कहिए। ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAJEEV SHUKLA): He has said that he will authenticate it. ...*(Interruptions)*... मैंने कहा। He will authenticate it. ...*(Interruptions)*...

श्री जगत प्रकाश नड्डा: चोला डायनेस्टी में सत्ता हस्तांतरण में जो प्रथा थी, उसके बारे में सी. राजगोपालाचारी जी ने चर्चा की। उस समय यहाँ से भारत का वायुयान मद्रास गया, जिसको अब

चेन्नई बोला जाता है और वहाँ से चोला डायनेस्टी के उस रीति-रिवाज को मानने वाले लोग और इसकी फिल्म है ...(**व्यवधान**)... यहाँ आए थे। जी, उनको लाया गया था। ...(**व्यवधान**)... सर, मुझे बोलने दीजिए। ...(**व्यवधान**)... उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी को, ...(**व्यवधान**)... जो चोला डायनेस्टी के लोग आए थे, उसी डायनेस्टी के लोग इस बार भी आए थे। ...(**व्यवधान**)... एक मिनट। अब आप सुन लें। वे आए। मुझे वह residence याद नहीं है, उस समय जवाहरलाल नेहरू जी वहाँ रहा करते थे, वे तीन मूर्ति में शिफ्ट नहीं हुए थे। वहाँ उनको पूजा-पाठ के साथ वह दिया गया। शायद तारीख 14 अगस्त, 1947 थी, उसकी दोपहर को दिया गया। बाद में वह आनंद भवन में पहुँचा और वहाँ रखा गया। बाद में वह म्यूजियम में गया और जब म्यूजियम में गया, तो वहाँ लिखा था - "Jawaharlal Nehru's Walking Stick". ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAJEEV SHUKLA): Will you authenticate it? ...*(Interruptions)*... Naddaji, will you authenticate it? ...*(Interruptions)*...

श्री जगत प्रकाश नड्डा: इसके जितने भी तथ्य हैं, वह मैं रख दूँगा। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री राजीव शुक्ला): इस पूरे प्रकरण को आप authenticate करके टेबल ऑफिस को दे दीजिएगा। ...(**व्यवधान**)...

श्री जगत प्रकाश नड्डा: मैंने कहा कि जितनी भी जानकारी है, वह मैं authenticate करके रख दूँगा। ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAJEEV SHUKLA): He will authenticate it. ...*(Interruptions)*...

श्री भूपेन्द्र यादव: माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय,...

उपसभाध्यक्ष (श्री राजीव शुक्ला): भूपेन्द्र जी, आपका टाइम खत्म हो गया। ...(**व्यवधान**)...

एक माननीय सदस्य: सर, अभी हमारा बहुत टाइम है। ...(**व्यवधान**)...

श्री भूपेन्द्र यादव: माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, कई बार संदर्भ आ जाते हैं। ये बार-बार कहते हैं कि आप लोग हमें क्यों कहते हैं। मैं कहना नहीं चाहता था। मैं सर्वोच्च न्यायालय में वकील था। मैं राम सेतु के केस में वकील था। उस समय केन्द्र में कांग्रेस की सरकार थी। आपका तो affidavit था कि राम exist नहीं करते। ...(**व्यवधान**)... यह part of record है। ...(**व्यवधान**)... अब जयराम जी नहीं बोलेंगे कि authenticate कीजिए। ...(**व्यवधान**)... आप अब नहीं बोलेंगे। ...(**व्यवधान**)... ...(**समय की घंटी**)... आप अब नहीं बोलेंगे। ...(**व्यवधान**)... Constitution में Fundamental Rights का जो chapter है, वहाँ पर भगवान राम की फोटो लगी हुई है, उसको

देखते हुए जब आपने लोगों के नागरिक अधिकार छीन लिए और सुप्रीम कोर्ट में affidavit दे दिया कि राम का कोई existence नहीं है, तो बताइए कि कांग्रेस को इस देश में कौन मानेगा? ...(**व्यवधान**)... ...(**समय की घंटी**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री राजीव शुक्ला): ठीक है। Next. Shrimati Mausam B. Noor.

श्री भूपेन्द्र यादव: माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय..

उपसभाध्यक्ष (श्री राजीव शुक्ला): आपका टाइम पूरा हो गया, 5 मिनट extra हो गया।

श्री भूपेन्द्र यादव: कितना टाइम है? ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री राजीव शुक्ला): 7 मिनट extra हो गया। ...(**व्यवधान**)...

श्री भूपेन्द्र यादव: माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं अपने विषय को..

उपसभाध्यक्ष (श्री राजीव शुक्ला): 7 मिनट extra हो गया। ...(**व्यवधान**)... वह अलग है। ...(**व्यवधान**)... वह अलग है। उसके अलावा बता रहा हूं। ...(**व्यवधान**)...

श्री भूपेन्द्र यादव: महोदय, मैं अपने विषय को एक वाक्य के साथ समाप्त करता हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री राजीव शुक्ला): ठीक है, आप बोलिए।

श्री भूपेन्द्र यादव: महोदय, संविधान की 75 वर्षों की इस यात्रा में ये जो 10 गौरवशाली वर्ष आए हैं, हम निश्चित रूप से इस बुनियाद को आगे बढ़ाते हुए देश की यात्रा में आगे बढ़ेंगे। अन्त में, मैं कुछ पंक्तियों के साथ अपना विषय समाप्त करूँगा:

"मैं भारत का संविधान हूँ, तुमको राह दिखाता हूँ।
पथ की सारी बारीकी को, बारीकी से सिखलाता हूँ,
उलझे न भारत का कोई, सदा जतन यह करता हूँ।
रातों के अंधकार में भी, मैं दीपक सदा जलाता हूँ,
मैं भारत का संविधान हूँ, तुमको राह दिखाता हूँ।"

महोदय, मैं अन्त में यही कहना चाहूँगा कि भारत का संविधान जो रास्ता दिखाता है, वह 'सत्यमेव जयते' है, वही 'भारत माता की जय' है।

SHRIMATI MAUSAM B. NOOR (West Bengal): Sir, on behalf of the All India Trinamool Congress, I would like to speak on the aspect of liberty, granted by our Constitution's Preamble. Sir, where are we on the World Liberty Index? As we embark on the 75th year of our Constitution, it is disheartening to see India rank 159 out of 180 countries in the World Press Freedom Index, 2024. We are even behind war-torn Lebanon. Between 2014 and 2019, more than 200 serious attacks on journalists have occurred. This has suppressed the freedom of expression guaranteed in Article 19. Further, laws have been made for targeting inter-faith marriages and conversions, which breaches the freedom of religion, provided in Article 25, and right to privacy in Article 21. Recently, changes to Criminal Laws removed safeguard to limiting police custody to 15 days thus allowing fragmentation of police custody over 60 to 90 days, which increases the risk of custodial abuse and arbitrary detention. This undermines individual rights and violates protection against misuse of power and constitutional right to life, dignity and liberty. Moreover, Sir, the systematic misuse of legal provisions like UAPA and changes in custody laws compromises the right to a fair trial that has been provided in Article 22. Further, criminalisation of 'Resisting, refusing, ignoring, or disregarding to conform to any direction given by a police officer', infringes on the right against self-incrimination. Journalist Sidheeq Kappan was arrested for reporting on the rape of a *Dalit* woman in Hathras, Uttar Pradesh! He remained in custody for two years! Father Stan Swamy died in judicial custody. At the old age of 83, he was denied access to basic necessities like straw and sipper! These are just a few examples. There are hundreds more struggling for their rights. Sir, 200 journalists were targeted by the Government agencies, non-State political actors, criminals, and armed opposition groups in 2022. Of these, 100 journalists were under Government Officials' radar. Thus, this really makes me wonder, what is the state of liberty in our country? Is this the concept of liberty that the Constituent Assembly had thought of? Is this the freedom that India was supposed to get at the stroke of midnight? Thank you.

श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिल (महाराष्ट्र): उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। हम संविधान के 75 साल पूरे होने के अवसर पर "Glorious Journey of 75 Years of the Constitution of India" पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे नेता, लोक सभा के एलओपी, श्री राहुल गांधी और यहाँ के एलओपी, श्री मल्लिकार्जुन खरगे जी ने इसके लिए एक लेटर लिखा था। उनकी माँग पर यह दो दिन की चर्चा लोक सभा और राज्य सभा में हुई। पहले मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ।

सर, मैं पहली बात महिलाओं की करूंगी, क्योंकि सबने बाकी सब बातें की हैं। जब संविधान बन रहा था, उस संविधान सभा में 299 लोग काम कर रहे थे। उनमें से 15 महिलाएँ थीं।

वे महिलाएं कभी भी खुद यह नहीं बोलीं कि हमें आरक्षण चाहिए। उन्होंने उल्टा महिला आरक्षण का विरोध किया। उन्होंने यह माना कि धीरे- धीरे इस देश में ऐसी स्थिति हो जाएगी कि देश में महिलाओं की आबादी राजनीति में बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोक सभा में आज की तारीख में सिर्फ 18 परसेंट महिलाएँ हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव्स में सिर्फ 9 परसेंट महिलाएँ हैं, जबकि साउथ अफ्रीका में 45 परसेंट, यूके में 40 परसेंट, यूएसए में 29 परसेंट और जर्मनी में 35 परसेंट महिलाओं का राजनीति में प्रतिनिधित्व है। हमारे यहां महिलाओं का वैसे भी थोड़ा कम पार्टिसिपेशन है। मैं उस महान नेता का आभार व्यक्त करना चाहूंगी, जिनके विजन से हमारी जैसी लाखों, करोड़ों महिलाएं राजनीति में आ गईं और वे हैं राजीव गांधी जी। इस देश में राजीव गांधी जी ने पहली बार पंचायत राज का सपना देखा और पंचायत राज बिल के माध्यम से 33 परसेंट महिलाओं को पंचायत में रिजर्वेशन मिला, जिसको बाद में पूरा कर दिया। आज की तारीख में 50 प्रतिशत महिलाएँ राजनीति में आई हैं। अगर उसका श्रेय किसी को जाता है, तो राजीव गांधी जी को जाता है। अब हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बोलेंगे, जैसा कि अभी बताया गया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की longevity सबसे ज्यादा है। जिसका लाइफ स्पैन 75 साल का हुआ है जब कि बाकी के सभी देशों में इसका औसत लाइफ स्पैन 17 से 19 साल है। इससे ज्यादा कहीं टिकी नहीं।

सर, ये जो बोलते हैं कि हम लोगों ने विरोध कर दिया, तो मैं सभागृह के सदस्यों को याद दिलाना चाहूँगी कि 1996 में लोक सभा में पहली बार महिला रिजर्वेशन बिल आया था और देवेगौड़ा जी प्रधान मंत्री थे। संयोग्य से उस समय मैं भी लोक सभा की सदस्या थी। उस समय इसका बाकी किसी ने विरोध नहीं किया, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की उमा भारती ने उस रिजर्वेशन बिल के टुकड़े-टुकड़े कर दिये और उसको नहीं होने दिया। मैं यहाँ यह बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं वहां थी। मैंने वहां पर इसके बारे में बोला भी था। हमारे भाई बोलते थे, *'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः'*। संस्कृत बोलने में तो उनका कोई हाथ नहीं पकड़ता है, वे संस्कृत में भाषण करते हैं। हमें लगा कि अच्छा है, हमें आरक्षण मिल जाएगा। जब हम सेंट्रल हॉल तक जाते थे, तो हमारे भाई बोलते थे कि आप पागल हो गईं हैं क्या, हम हाथ में बेलन थोड़े ही लेंगे! यह उनकी मानसिकता है, यह उनका सही रूप है और यह सही रूप बार-बार यह दर्शाता है कि वे महिलाओं को उनकी उपलब्धि नहीं देते हैं। अगर ऐसा होता तो आरएसएस की प्रमुख आज तक कोई महिला हो जाती, अगर ऐसा होता तो भारतीय जनता पार्टी की प्रमुख कोई महिला हो जाती, लेकिन नहीं, 'बोलने के दांत अलग और खाने के दांत अलग', यह उनका आचरण है।

सर, 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया और हम सब महिलाओं को बताया गया कि अब आपको आरक्षण मिलेगा। आपको आरक्षण विधान सभाओं में मिलेगा, लोक सभा में मिलेगा, राज्य सभा में मिलेगा और विधान परिषद् में मिलेगा। लेकिन, वह कब मिलेगा - 2029 में। इन लोगों ने बीरबल की खिचड़ी पकाने का काम किया है। इन्होंने आरक्षण दिया है और अपनी पीठ भी थपथपाई है, लेकिन जब उसको देने की बात आती है, तो उसको इन्होंने 10 साल के बाद देने का प्रॉमिस किया है, जो मालूम नहीं कब तक होगा।

सर, मुझे कहना है कि भारतीय जनता पार्टी 'संविधान दिवस' मनाने का सिर्फ एक दिखावा कर रही है। सच्चाई यह है कि संविधान पर हमले और संविधान को कमजोर करने की कोशिशें जितनी इन लोगों ने की है, उतनी किसी ने भी नहीं कीं। ये सिर्फ इमरजेंसी का नाम लेते हैं। इमरजेंसी का नाम लेकर ये सारा कुछ हमारे ऊपर डाल देते हैं, लेकिन इमरजेंसी से भी ज्यादा

undeclared emergency अगर किसी ने 10 साल लगाई है, तो इन लोगों ने लगाई है, यह मैं यहां बताना चाहती हूँ। आरएसएस की जो विचारधारा है, वह बुनियादी स्तर पर संविधान की विरोधी है। उन्होंने 1993 में अपने श्वेत पत्र में संविधान को कचरे का ढेर बोला था। उन्होंने कहा था कि यह संविधान नहीं, कचरे का ढेर है। उन्होंने संविधान को हिन्दू-विरोधी बताया था और यह भी बताया था कि हमें 'सेकुलर' नहीं चाहिए। उनको 'सेकुलर' शब्द पसंद नहीं है। उनको भारत की संस्कृति के साथ रहने वाली भाषा चाहिए, लेकिन उनका ये सब केवल दिखावा है। वे अभी भी मनुस्मृति लाना चाहते हैं। जैसा मैंने अभी बोला, "यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते...," वैसे ही "न स्त्री स्वातंत्र्यमर्हति" कहा गया है। उनको महिलाओं को स्वतंत्रता देनी ही नहीं है, उनको सिर्फ बातें करनी हैं। मैं यहां पर बताना चाहती हूँ कि मोहन भागवत जी ने भी इसी भावना को दोहराया था और कहा था कि संविधान के जरिये विदेशी कानूनों को थोपा जा रहा है। ...(**समय की घंटी**)... सर, दो मिनट। सन् 2000 में आरएसएस के तत्कालीन प्रमुख के. सुदर्शन ने भी संविधान बदलने की यही बात की थी। सन् 2000 में वाजपेयी सरकार ने भी संविधान के प्रमुख पहलुओं को बदलने के लिए NCRWC नामक एक आयोग स्थापित किया था। इस तरह, उनका संविधान से कोई भी नाता जुड़ा नहीं है।

सर, मैंने अभी जो बोला कि यह undeclared emergency है, तो मैं एक-दो मिनट में उसके चंद उदाहरण देना चाहती हूँ कि उन्होंने किस तरह से संविधान पर हमला किया है। उन्होंने चुनावी बॉण्ड की योजना शुरू कर दी, जिसके तहत सभी कॉरपोरेट्स को उनके धन की उगाही करने और भ्रष्टाचार को छिपाने का मौका मिला। जब तक इस योजना पर सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी नहीं लगाई थी, तब तक इन्होंने इसके बारे में कुछ डिक्लेयर नहीं किया था। ...(**व्यवधान**)... न्यायपालिका में जबर्दस्त दखलअंदाजी हो रही है, जिसमें न्यायिक नियुक्तियों को रोकना भी शामिल है। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री राजीव शुक्ला): रजनी जी, आपने constitutional authority के बारे में जो कहा है, वह रिकॉर्ड में जाएगा या नहीं, उस हिसाब से मैं देख लूँगा और उसे चेयरमैन को रेफर कर दूँगा। ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिल: सर, मैं वही बोल रही हूँ। ...(**व्यवधान**)... यह constitution का ही मामला है। ...(**व्यवधान**)... सर, जिस तरह से अल्पसंख्यक समाज के ऊपर हमले हो रहे हैं, माइनॉरिटीज के ऊपर जो हमले होते हैं, मुसलमानों के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, वह पुलिस की कार्रवाई के तहत साम्प्रदायिक पूर्वाग्रह से हो रहा है, चाहे वह उत्तर प्रदेश में हो। वहां जो बुलडोजर राज हो रहा है, उसके लिए भी हम ...(**समय की घंटी**)... ...(**व्यवधान**)...

एक माननीय सदस्य: आप नियम का पालन कीजिए। ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिल: भाई, मैं नियम का ही पालन कर रही हूँ। ...(**व्यवधान**)... सर, भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी वॉशिंग मशीन दी है। जब हम छोटे थे, तब हम गुजरात के निरमा वॉशिंग पाउडर की ऐड "वाशिंग पाउडर निरमा" देखते थे, अब यह बीजेपी का नया वॉशिंग पाउडर गुजरात से ही आया है। वॉशिंग मशीन, जिसमें हमारे कांग्रेस के वे लोग, जिन पर उन्होंने

30,000, 40,000 और 50,000 करोड़ के आरोप लगाए, उन सबको ये उस मशीन में डालते हैं और जब वे उससे बाहर आते हैं, तो वे शुद्ध हो जाते हैं, जिनमें से बहुत सारे यहां पर भी बैठे हैं। ...(**समय की घंटी**)... सर, आरएसएस की जो प्रमुख पत्रिका 'ऑर्गेनाइजर' है... ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAJEEV SHUKLA): Next speaker is Shri Rwngwra Narzary. Hon. Member to speak in Bodo language.

श्री रवंगवरा नारजारी (असम): महोदय, मैं बोडो में बोलना चाहूंगा हूं। मुझे गर्व हो रहा है कि मैं पहली बार अपनी मातृभाषा बोडो में बोलने जा रहा हूं। * "Respected Chairperson Sir, the discussion on the 75 years' journey of the Indian Constitution is going on since yesterday. I thank you for giving me the opportunity to take part in this discussion. Sir, I thank all the members of the Constituent Assembly who worked on making our Indian Constitution along Dr. B. R. Ambedkar. I express my respect to them. I would like to inform this House that a person from Assam's Kokrajhar Constituency, Shri Dharini Dhar Basumatary was also one of the members of the Constituent Assembly. He was also given the task of making the Constitution. I feel very proud of it. In the last 75 years, two major political parties got opportunity to work for the country. One is the Congress party and the other one is the BJP. Congress party got 55 years of opportunity to work under this Constitution. And because of this, I could come here as a representative of the tribal community. Our Bodo community has been struggling since last 50 years for our constitutional rights. During that period, from respected late Smt. Indira Gandhi to Dr. Manmohan Singh, we have been submitting numbers of memorandums to the Congress leaders. But we did not get any solution during Congress regime. However, I will thank our former Indian Prime Minister, late Shri Atal Bihari Vajpayee and former Deputy Prime Minister, Shri L. K. Advani. Because of their efforts, Bodo language got opportunity to be included in the 8th Schedule of the Constitution of India. And since then, the solution of problems of the Bodo Community had begun. In 2003, under the leadership of Shri L. K. Advani, Bodo Accord was done within the Sixth Schedule of the Constitution to solve the Bodo problems. Gradually, under the leadership of present Prime Minister of India, Shri Naredra Modi and Home Minister, Shri Amit Shah, another Accord was done in 2020. With this Bodo Accord, the problems of Bodo Community is being solved. Because of this situation, all the members of our Bodo Community has got love, respect and

---

* English translation of the original speech delivered in Bodo.

Contents Page

hope towards the hon. Prime Minister, Narendra Modiji. Under the leadership of BJP, the Government of India is working towards the tribal communities.

This Bodo Accord has sent a message that it has brought normal situation among the revolutionary groups in the entire country, including North-East India, that following this Accord, the revolutionaries are contacting the mainstream, coming into agreements and the peace situation has come amongst us. Today, because of this Bodoland Accord, the peace situation has returned to our region. And that is why, at present, our Bodo Community, mother and fathers, all the people in Bodoland region has got the peace and it was possible only because of the leadership of Shri Narendra Modi and Shri Amit Shah.

I would like to mention in this august House that we have been a community who had struggled for so long. We have been fighting for our political and educational rights. However, the successive Congress Governments did not heed any attention and did not solve the problem. But today, because of our India's pure leader, Shri Narendra Modi, the problem of our Bodo community is being solved one by one. And we are thankful for that. That is why, I want to mention one thing at this point of time that we have a trust that in the coming days, 125^{th} Amendment will be brought in this House and the provisions of the Accord made in 2020 is fulfilled and its problem would be solved immediately. And there was an agreement under this Accord that the Bodo people living in Karbi Anglong would be given the status of ST Hills. I hope this will also be brought in the Parliament and the problem will be solved immediately. That is why, we all are hoping that under the leadership of Narendra Modiji and Home Minister Amit Shahji, all our problems will be solved immediately. By saying this, I end my speech. Thank you."

श्री संजय सिंह (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली): उपसभाध्यक्ष, आपने इस महत्वपूर्ण विषय-भारत के संविधान के 75 वर्ष पूरा होने पर जो चर्चा हो रही है, उस चर्चा में मुझे भाग लेने का अवसर दिया, मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद।

मान्यवर, बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर जी ने जब भारत का संविधान लिखा, तो हिंदुस्तान के सभी वर्गों के बारे में सोचा। सबके अधिकारों के बारे में सोचा, भारत कैसे तरक्की के रास्ते पर जाएगा, कैसे आगे बढ़ेगा, इसको लेकर भारत के संविधान को उन्होंने बनाया। उसमें संविधान की जो मूल आत्मा है, उसको मैं एक-एक करके आपके सामने पढ़ना चाहूंगा कि उनकी मंशा क्या थी, हमारे संविधान की मंशा क्या है? सम्प्रभु राष्ट्र – यानी ऐसा देश, जो किसी दूसरे देश के प्रभाव, सम्प्रभुता से मुक्त है, अपने सभी निर्णय लेने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है और उस पर किसी बाहरी शक्ति का कोई प्रभाव नहीं होगा। समाजवादी – समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है, जो यह मानती है कि समाज के सभी लोगों तक संपन्नता का हिस्सा पहुंचना चाहिए। धन संपत्ति भी समाज से ही उपजती है, तो उसका बंटवारा भी शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण तरीकों से लोगों के बीच

Contents Page

होना चाहिए। लोकतांत्रिक समाजवाद की यह विचारधारा कहती है कि धन, समाज के कुछ लोगों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उत्पादन के साधनों पर लोगों का मिला-जुला मालिकाना हक होना चाहिए। यह भारत का संविधान कहता है। आज भारत की क्या स्थिति है, मोदी जी के राज में क्या स्थिति है? देश के 5 प्रतिशत लोगों के पास देश की 60 प्रतिशत संपत्ति है और देश के 50 प्रतिशत लोगों के पास मात्र 3 प्रतिशत संपत्ति है। वर्ष 2012 से लेकर 2021 तक का आप इनका रिकॉर्ड देखेंगे, तो 40 प्रतिशत संपत्ति 1 प्रतिशत लोगों के पास गई है। यह इनकी समाजवाद की विचारधारा है, यह इनकी बराबरी की सोच है। ये किस तरीके से भारत के अंदर गैर-बराबरी को जन्म दे रहे हैं।

(**उपसभापति महोदय** *पीठासीन हुए।*)

समाजवादी आंदोलन में नारा लगता था – 'जब तक दुखी इंसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा।' नारा लगता था- 'रोटी, कपड़ा और मकान, मांग रहा है हिंदुस्तान।' नारा लगता था- 'धन और धरती बंट के रहेगी, भूखी जनता चुप न रहेगी।' लेकिन आज इन्होंने भारत को इस हालत में पहुंचा दिया है कि जहां पर 3 प्रतिशत संपत्ति 50 प्रतिशत लोगों के पास है... और 5 प्रतिशत लोगों के पास देश की 60 प्रतिशत संपत्ति है। इसके आगे हमारा संविधान सेक्युलरिज्म की बात कहता है। धर्म निरपेक्षता - जिसका आप खुले आम विरोध कर रहे हैं। महोदय, यह कैसी सरकार है? हमारे प्रधान मंत्री जी भारत के संविधान की शपथ लेकर देश के प्रधान मंत्री बने, यहाँ पर बैठे हुए सांसद संविधान की शपथ लेते हैं, मंत्री संविधान की शपथ लेते हैं, लेकिन संविधान में लिखी हुई बातों को नहीं मानते हैं। इनको धर्म निरपेक्षता से मतलब नहीं है।

मान्यवर, अगर हमें दर्शन करने होते हैं, तो हम काशी जाते हैं, महाकाल के दर्शन करने के लिए उज्जैन जाते हैं, प्रभु श्रीराम के दर्शन करने के लिए अयोध्या जाते हैं, लेकिन जब भाजपाइयों को दर्शन करने होते हैं, तो ये मस्ज़िद में भगवान के दर्शन करने जाते हैं। ये पूरे देश के अंदर मस्ज़िद में मंदिर खोज रहे हैं। ...(**व्यवधान**)... इसलिए मैं इनसे कहना चाहता हूं कि घबराइए मत।

श्री उपसभापतिः कृपया सीट पर बैठकर मत बोलिए।

श्री संजय सिंहः महोदय, मैं जैसे ही बोलता हूं, ये टोका-टाकी शुरू कर देते हैं।

श्री उपसभापतिः आप बोलिए।

श्री संजय सिंहः मान्यवर, ये देश में 'भारत खोदो योजना' चला रहे हैं। मैं कहता हूं कि अगर इतना ही खोदना है, तो कल को कोई आकर यह दावा करेगा कि * आप संसद खोद दो। आप यह 'भारत खोदो योजना' बंद कीजिए, इससे देश का विकास होने वाला नहीं है।

* Not recorded.

महोदय, आपने शिक्षा के क्षेत्र में देश की क्या हालत की है?यहाँ पर माननीय शिक्षा मंत्री जी बैठे हुए हैं। मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि आपने शिक्षा के स्तर को कहाँ पर पहुँचा दिया है। यहाँ पर क्या-क्या बोला गया है, मैंने खूब सुना है, आप ही लोगों से सीखा है। महोदय, 11 लाख बच्चों को सरकारी स्कूलों से दूर कर दिया गया। यह देश के अंदर शिक्षा की व्यवस्था है! अगर इसमें किसी राज्य की भागीदारी है, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे सरकारी स्कूलों से दूर हुए हैं, तो मैं बताना चाहता हूं कि शिक्षा मंत्रालय ने पिछले आठ महीने का जो आंकड़ा लोक सभा में रखा है, उसमें बताया गया है कि 11 लाख में से अकेले 7 लाख, 84 हज़ार बच्चे उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों से दूर हुए हैं। शिक्षा के नाम पर आप यह कर रहे हैं! आपने देश की शिक्षा की हालत यह कर दी है। महोदय, असम में 63 हज़ार बच्चे सरकारी स्कूलों से दूर हुए —यह सरकार का आंकड़ा है, मैं अपनी ओर से नहीं पढ़ रहा हूं। जब सरकार से पूछा गया कि आप शिक्षा पर कितना खर्च करते हैं, आप जीडीपी का कितना हिस्सा शिक्षा पर खर्च करते हैं, तो पिछले तीन वर्षों से भारत की सरकार जीडीपी का .4 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करती है, लेकिन दिल्ली की सरकार, जहाँ अरविंद केजरीवाल की सरकार है, वहाँ हम शिक्षा पर बजट का 25 प्रतिशत हिस्सा खर्च करते हैं।

महोदय, स्वास्थ्य के ऊपर हम दिल्ली के अंदर 13 प्रतिशत खर्च करते हैं, लेकिन हमारे भारत की सरकार, जो अपने आपको कहती है कि मोदी जी की बड़ी योजनाएं हैं, बड़ी ताकतवर सरकार है, वह मात्र 2 प्रतिशत स्वास्थ्य पर खर्च करती है। यह इस देश की हकीकत है। महोदय, कैसे समानता आएगी, कैसे संविधान में लिखी हुई बातों की सुरक्षा हो पाएगी?

महोदय, अगर मैं दिल्ली की बात करूँ, तो दिल्ली के लोगों ने भी एक
राज्य सरकार चुनी, जिसको आप चलने नहीं देते, उस पर बार-बार रोक लगाते हैं, लेकिन उस राज्य सरकार के क्या काम हैं —आपको वे काम जानने बहुत जरूरी हैं। महोदय, एक ऐसी सरकार, जिसने...(**व्यवधान**)... देखिए, ये टोका-टाकी कर रहे हैं।

श्री उपसभापतिः आप बोलिए, आप क्यों उधर की बात पर चले जाते हैं?

श्री संजय सिंहः महोदय, जब ये लोग बोल रहे थे, तो मैंने चुपचाप सुना था। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः आप बोलिए...(**व्यवधान**)... आपस में बात मत कीजिए।

श्री संजय सिंहः ऐसी बातें मत करो। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः संजय जी, आपस में बात नहीं करें। ...(**व्यवधान**)... संजय जी, प्लीज़ आपस में कोई बात नहीं करें। ...(**व्यवधान**)... सभी लोग आपस में बात न करें। ...(**व्यवधान**)...

श्री संजय सिंहः सर, उन्हें कंट्रोल में लीजिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः प्लीज़ आप बैठे रहिए। ...(**व्यवधान**)... आप विषय पर बोलिए। ...(**व्यवधान**)... संजय जी, आप विषय पर बोलिए। ...(**व्यवधान**)... आप विषय पर बोलिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री संजय सिंहः ये भ्रष्टाचार पर बोलेंगे? ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः माननीय संजय सिंह जी, प्लीज़ एक मिनट रुकिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री जगत प्रकाश नड्डाः मुझे लगता है कि संजय जी अपना आपा खो गए हैं। ...(**व्यवधान**)... उन्हें अपनी शब्दावली को ध्यान में रखना चाहिए। उन्होंने जिस वाक्य का इस्तेमाल किया है, वह एक्सपंज होना चाहिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः प्लीज़ आप बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... आप बोलिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री संजय सिंहः सर, मैं दिल्ली के काम बता रहा हूँ कि दिल्ली की सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए क्या किया है। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः आप दिल्ली के काम बताइए। ...(**व्यवधान**)... आपस में टीका-टिप्पणी न करें। ...(**व्यवधान**)... मेरा सभी से आग्रह है कि आपस में टीका-टिप्पणी न करें। ...(**व्यवधान**)...

श्री संजय सिंहः दिल्ली की सरकार ने इस देश के नागरिकों को मजबूत बनाने के लिए क्या किया है। ...(**व्यवधान**)... दिल्ली की सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम करने के लिए क्या किया है। ...(**व्यवधान**)... दिल्ली की सरकार ने बाबा साहेब के लिखे गए एक-एक शब्द को जमीन पर उतारने के लिए क्या किया है। ...(**व्यवधान**)... हमने दिल्ली के अंदर शिक्षा पर 25 परसेंट खर्च किया, स्वास्थ्य पर 13 परसेंट खर्च किया, दिल्ली में बिजली फ्री दी। ...(**व्यवधान**)... पूरे देश में पहली सरकार है, जो बिजली फ्री देने का काम करती है। ...(**व्यवधान**)... दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी ने 200 यूनिट बिजली फ्री और 400 यूनिट बिजली आधे दाम पर दी। ...(**व्यवधान**)... दिल्ली के अंदर केजरीवाल की सरकार ने इलाज मुफ्त किया, पानी मुफ्त दिया। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः प्लीज़ सीट पर बैठकर बात न करें। ...(**व्यवधान**)...

श्री संजय सिंहः दिल्ली की सरकार ने दिल्ली के अंदर बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने का काम किया। ...(**व्यवधान**)... दिल्ली की सरकार ने माता-बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री करने का काम किया। ...(**व्यवधान**)... अगली योजना आ रही है, दिल्ली में केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे और दिल्ली की महिलाओं के खातों में हर महीने 2,100 रुपये पहुंचाए जाएंगे। ...(**व्यवधान**)... हम महिलाओं को सशक्त करेंगे, मजबूत करेंगे। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः आप संविधान से भी जोड़िए। ...(**व्यवधान**)... संविधान पर बोलिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री संजय सिंहः संविधान पर ही बोल रहा हूँ। ...(**व्यवधान**)...

Contents Page

श्री उपसभापतिः संजय जी, हाँ, संविधान पर बोलिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री संजय सिंहः मैं संविधान के अंतर्गत एक चुनी हुई सरकार के बारे में बोल रहा हूँ। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः प्लीज़, प्लीज़। ...(**व्यवधान**)... संविधान पर चर्चा हो रही है। ...(**व्यवधान**)... मेरी अपेक्षा होगी कि आप संविधान पर बोलें और आप शांत बैठे रहें। ...(**व्यवधान**)...

श्री संजय सिंहः सर, दिल्ली में 200 किलोमीटर के मेट्रो नेटवर्क को बढ़ाकर 450 किलोमीटर किया। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please speak on the Constitution. *...(Interruptions)...* संजय जी, कॉंस्टीट्यूशन पर बोलिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री संजय सिंहः सर, उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियाँ गिनाईं, आपने उन्हें नहीं रोका। ...(**व्यवधान**)... हम दिल्ली में चुनी हुई सरकार के बारे में बता रहे हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः हम सब से आग्रह कर रहे हैं कि अपने विषय पर बोलिए। ...(**व्यवधान**)... आपसे भी कर रहे हैं, उनसे भी किया था। ...(**व्यवधान**)...

श्री संजय सिंहः जिस राज्य से मैं चुना गया हूँ, उस राज्य में क्या काम हो रहा है, ...(**व्यवधान**)... इन्हें तकलीफ क्यों हो रही है? ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः विषय भारत के संविधान पर चर्चा है। ...(**व्यवधान**)... हम हर सदस्य से अपेक्षा करते हैं कि वे संविधान पर बोलें। ...(**व्यवधान**)...

श्री संजय सिंहः *

श्री उपसभापतिः संजय जी, आप बोलते हैं, प्रोवोक करते हैं। ...(**व्यवधान**)... आप विषय पर बोलिए। ...(**व्यवधान**)... ये सब चीज़ें रिकॉर्ड पर नहीं जाएंगी। ...(**व्यवधान**)...

श्री संजय सिंहः वे बोल रहे हैं कि जेल क्यों गए? ...(**व्यवधान**)... सर, क्या आप उन्हें रोक रहे हैं? ...(**व्यवधान**)...

---

* Not recorded.

श्री उपसभापतिः आप आपस में बात न करें। ...(**व्यवधान**)... आप संविधान पर बोलिए। ...(**व्यवधान**)... प्लीज़ आप माननीय सदस्यों पर इस तरह की टीका-टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। ...(**व्यवधान**)... एक दूसरे पर इस तरह की टिप्पणी करना, ये चीज़ें रिकॉर्ड पर नहीं जाएंगी। ...(**व्यवधान**)... आप विषय पर बोलिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री संजय सिंहः सर, आप ही का चेहरा दिख रहा है। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः नहीं, नहीं, मेरा नहीं, आपका ही चेहरा दिख रहा है। ...(**व्यवधान**)... आप बोलिए।

श्री संजय सिंहः *

श्री उपसभापतिः संजय जी, प्लीज विषय पर बोलिए। ...(**व्यवधान**)... आपको मालूम है कि जो आप विषय पर बोलेंगे, वही चीज़ रिकॉर्ड पर जाएगी। ...(**व्यवधान**)... माननीय सदस्यो, प्लीज़ आपस में बात न करें। ...(**व्यवधान**)... जोशी जी, प्लीज़। ...(**व्यवधान**)... संजय जी, आप विषय पर बोलें। ...(**व्यवधान**)...

श्री संजय सिंहः देश के अंदर एक चुनी हुई सरकार है, वह सरकार संविधान के तहत चुनी गई है। संघीय ढांचे का जिक्र संविधान के अंदर किया गया है। आप उसको क्यों नहीं मानते हैं? आप दिल्ली की सरकार क्यों नहीं चलने देते हैं? आप हमारे सारे कामों पर रोक क्यों लगाते हैं? ...(**व्यवधान**)... आपने देश की सबसे बेहतरीन काम करने वाली सरकार, एक ऐसी सरकार कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आई, तब मोदी जी ने पूरे देश का हवाला दिया, गुजरात का स्कूल देख लो, मध्य प्रदेश का स्कूल देख लो, उत्तर प्रदेश का देख लो, हरियाणा का देख लो, लेकिन उसने कहा कि मुझे केजरीवाल का स्कूल देखना है, मनीष सिसोदिया ने जो स्कूल बनाया है, वह स्कूल देखना है। ...(**व्यवधान**)... यह काम हमने किया है। आज दिल्ली के स्कूल मॉडल की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। ...(**व्यवधान**)... अस्पताल के मॉडल की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। ...(**व्यवधान**)... ये सरकार के मंत्री हैं ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. ...*(Interruptions)*... बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)...

श्री संजय सिंहः मान्यवर, यह हमारा टाइम खाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं। ...(**व्यवधान**)... चुनाव को भारत के संविधान का एक बड़ा पर्व माना जाता है। संविधान ने हमें ताकत दी है कि अपने हिसाब से विधायक चुनिए, अपने हिसाब से सांसद चुनिए और वही मंत्री, मुख्य मंत्री और प्रधान मंत्री बनते हैं। सर, दिल्ली में यह लोग कैसे चुनाव कर रहे हैं? ये महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव घोटाले का प्रयोग दिल्ली में करना चाहते हैं। ...(**व्यवधान**)... वह कैसे करना चाहते हैं? ...(**व्यवधान**)... सर, ध्यान से सुनिएगा।

---

* Not recorded.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. *...(Interruptions)...*

श्री संजय सिंह: मैं दिल्ली के अंदर चुनाव घोटले की रिपोर्ट लेकर आया हूं। यह रिपोर्ट आज पूरे देश को पता होनी चाहिए। मान्यवर, दिल्ली में जो चुनाव कराए जा रहे हैं, उसे ये घपले से जीतना चाहते हैं। शाहदरा में भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी ने 11,008 वोट्स कटवाने की अर्जी दी। जनकपुरी में भारतीय जनता पार्टी के 24 कार्यकर्ताओं ने 4,874 वोट कटवाने की अर्जी दी। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. *...(Interruptions)...* संजय जी ...(**व्यवधान**)...

श्री संजय सिंह: तुगलकाबाद में भारतीय जनता पार्टी के 15 कार्यकर्ताओं ने 2,435 वोट कटवाने की अर्जी दी। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: संजय जी, आप संविधान पर बोलिए, वही बातें रिकॉर्ड पर जाएंगी ...(**व्यवधान**)... आप संविधान पर चर्चा में भाग ले रहे हैं। ...(**व्यवधान**)... आप संविधान पर बोलिए। ...(**व्यवधान**)...प्लीज, आप बैठिए ...(**व्यवधान**)...

श्री संजय सिंह: सर, क्या चुनाव के बारे में बोलना गलत है? ...(**व्यवधान**)... क्या संविधान के अंतर्गत चुनाव नहीं होता है? ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: आप बोलिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री संजय सिंह: सर, फ्री एंड फेयर इलेक्शन संविधान ने दिया है। ...(**व्यवधान**)... सर, तुगलकाबाद में एक बूथ है, बूथ नम्बर 117, वहां कुल 1,337 वोट्स हैं, उनमें से 554 वोट्स कटवाने की अर्जी दो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने दी है। ...(व्यवधान)... पालम में भाजपा के 9 कार्यकर्ताओं ने 1,641 वोट्स कटवाने की अर्जी दी है। ...(**व्यवधान**)... सर, राजौरी गार्डन में ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: माननीय संजय जी, आप इसको ऑथेंटिकेट करेंगे। ...(**व्यवधान**)...

श्री संजय सिंह: सर, चुनाव का अधिकार संविधान ने दिया है। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: आप जो आरोप लगा रहे हैं, आप उनको ऑथेंटिकेट करके यहां देंगे। ...(**व्यवधान**)...

श्री संजय सिंह: सर, क्या हम चुनाव के घपले पर नहीं बोलेंगे? ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः आप इसको ऑथेंटिकेट करके देंगे। ...(**व्यवधान**)...

श्री संजय सिंहः जी हां, सर। मैं ऑथेंटिकेट करूंगा। ...(**व्यवधान**)... Sir, I will authenticate it. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. ...*(Interruptions)*...

श्री संजय सिंहः सर, मैंने आपकी बात सुन ली है, मैं ऑथेंटिकेट करूंगा ...(**व्यवधान**)... सर, हरि नगर में ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः आप अपनी जगह पर बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)...

श्री संजय सिंहः सर, हरि नगर में भारतीय जनता पार्टी के 4 कार्यकर्ताओं ने 637 वोट्स कटवाने का आवेदन दिया। करावल नगर में 2 कार्यकर्ताओं ने 3,260 वोट्स कटवाने की अर्जी दी। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Leader of the House बोलना चाहते हैं। ...*(Interruptions)*...

श्री संजय सिंहः मुस्तफाबाद में एक व्यक्ति ने 534 वोट्स ...(**व्यवधान**)... मैं yield नहीं कर रहा हूं। Sir, I am not yielding. ...*(Interruptions)*... Sir, I am not yielding. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Leader of the House. ...*(Interruptions)*...

श्री संजय सिंहः सर, क्या आप ऐसे अलाउ करेंगे? ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः हम आपको समय देंगे। Now, Leader of the House. ...*(Interruptions)*...

श्री जगत प्रकाश नड्डाः मैं एक ही बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि संविधान ने यह ताकत दी है। वे वोटर्स लिस्ट में से वोट्स कटवाने के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं, वह प्रोविज़न भी संविधान के अंतर्गत ही है। ...(**व्यवधान**)... उसमें देखने वाली बात यह है कि यह इतने दिन तक सत्ता में कहीं रोहिंग्या और बंग्लादेशियों के वोटों पर तो नहीं बने हुए थे।

4.00 P.M.

श्री उपसभापतिः माननीय संजय जी।

श्री संजय सिंहः सर, लीडर ऑफ़ द हाउस ने आज इतनी शानदार बात की है, मैं इनका नमन करता हूं। इतनी बढ़िया बात इन्होंने कह दी कि मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। सर, इन्होंने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं, जिनके नाम काटे जा रहे हैं, वे रोहिंग्या हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के भाई, हमारे पूर्वांचल के भाई, हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार के भाई, जो 40-40 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, अपने श्रम, अपने खून-पसीने से दिल्ली को बना रहे हैं, ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः प्लीज़, आप बैठें। ...(**व्यवधान**)... आप आगे बोलें। ...(**व्यवधान**)...

श्री संजय सिंहः मैं नाम पढ़ रहा हूं। ...(**व्यवधान**)... राम सिंह वसंत विहार में रहते हैं, उनका वोट कटवाया गया। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः प्लीज़, बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... आप सब बैठिए। ...(**व्यवधान**)... बैठिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री संजय सिंहः राम वसंत विहार में रहते हैं। ...(**व्यवधान**)... मुझे पता है, मैं इसको सदन के पटल पर रखूंगा। ...(**व्यवधान**)... ये हिंदू लोग हैं। ...(**व्यवधान**)... हिंदू लोग हैं ...(**व्यवधान**)... इनका नाम राम है ...(**व्यवधान**)... इनका नाम राम है ...(**व्यवधान**)... इनका नाम राम है, राम। ...(**व्यवधान**)... इनका नाम राम है। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः प्लीज़, आप बैठें। ...(**व्यवधान**)... आप बैठें। ...(**व्यवधान**)...

श्री संजय सिंहः छोटे लाल वर्मा, अंबेडकर नगर बस्ती, आर.के. पुरम, दिल्ली, इनका नाम कटवाया गया। ...(**व्यवधान**)... सोनिया, अंबेडकर नगर बस्ती, आर.के. पुरम, इनका नाम कटवाने की अर्जी दी गई। ...(**व्यवधान**)... संतोष कुमार, अंबेडकर नगर बस्ती, आर.के. पुरम, इनका नाम कटवाने की अर्जी दी गई। ...(**व्यवधान**)... आशा, अंबेडकर नगर बस्ती, आर.के. पुरम, इनका नाम कटवाने की अर्जी दी गई। ...(**व्यवधान**)... गीता, हरकेश, सुशील कुमार, नरेंद्र, सुमन, मैं ये सारे नाम लेकर आया हूं। ...(**व्यवधान**)... ये हमारे उत्तर प्रदेश के, बिहार के, ये दिल्ली में 40-40 साल पुराने रहने वाले लोग हैं। ...(**व्यवधान**)... ये बांग्लादेशी नहीं हैं, ये रोहिंग्या नहीं हैं। इनको आपने रोहिंग्या और बांग्लादेशी कहा है। आप देखना, पूर्वांचल के लोग दिल्ली के चुनाव में आपकी जमानतें जब्त कराएंगे। ...(**व्यवधान**)... सर, आप भी देख रहे हैं, ये मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः आप बोलिए। ...(**व्यवधान**)... आप ही बोल रहे हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री संजय सिंहः सर, आपको मैंने नाम पढ़ कर बता दिया। ...(**व्यवधान**)... यह लिस्ट मैं यहां रखूंगा। ...(**व्यवधान**)... मैं चाहता हूं, आपने इसको authenticate करने के लिए कहा है, मैं ये नाम दूंगा। ...(**व्यवधान**)... इसकी उच्च स्तरीय जांच कराइए कि कैसे इन लोगों के नाम कटवाने की

अर्जी दी जा रही है। ...(**व्यवधान**)... दिल्ली में यह चाल नहीं चलेगी। ...(**व्यवधान**)... याद रखना, केजरीवाल और आम आदमी पार्टी यहां पर बैठी है। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः आप संविधान पर बोलिए। ...(**व्यवधान**)... आप इससे आगे बढ़िए, संविधान पर आइए। ...(**व्यवधान**)...

श्री संजय सिंहः सर, मैं संविधान पर बोल रहा हूं। ...(**व्यवधान**)... ये चुनाव ही गड़बड़ कर देंगे। ...(**व्यवधान**)... सर, चुनाव ही गड़बड़ करेंगे, तो संविधान कहां से बचेगा! ...(**व्यवधान**)... ये लोग चुनाव ही निपटाने पर लगे हुए हैं। ...(**व्यवधान**)...

दूसरी बात दलितों के अधिकार की हुई। ...(**व्यवधान**)... सर, बांग्लादेशी घुसपैठिया ...(**व्यवधान**)... सर, पिछले 10 साल से हिंदुस्तान में किसकी सरकार है? ...(**व्यवधान**)... क्या यहां पर ट्रंप की सरकार है? यहां 10 साल से किसकी सरकार है? ...(**व्यवधान**)... नरेन्द्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं, अमित शाह जी से पूछना चाहता हूं कि सीमा की सुरक्षा किसके जिम्मे है? अमित शाह जी के जिम्मे है। बांग्लादेश की सीमा किससे लगती है? त्रिपुरा से लगती है, असम से लगती है, पश्चिमी बंगाल से लगती है। कोई बांग्लादेशी त्रिपुरा से, बंगाल से, असम से, झारखंड पार करके, उत्तर प्रदेश पार करके, बिहार पार करके दिल्ली कैसे आ गया! ...(**व्यवधान**)... क्या आप लोग घास छील रहे थे? ...(**व्यवधान**)... क्या आपकी सरकार घास छील रही थी? ...(**व्यवधान**)... बांग्लादेशी यहां पर कैसे आ गए? ...(**व्यवधान**)... 10 साल में ...(**व्यवधान**)... 10 साल में 10 बांग्लादेशी घुसपैठियों को दिल्ली से भगाया हो, तो उनका नाम बता दीजिए। ...(**व्यवधान**)... 10 साल में 10 बांग्लादेशी घुसपैठियों को दिल्ली से भगाया हो, तो उनका नाम बताइए न! राजनीति क्यों करते हो? *

श्री उपसभापतिः आप विषय पर बोलिए। ...(**व्यवधान**)... आप प्रधान मंत्री पर नहीं बोलिए। ...(**व्यवधान**)... Please speak on the subject. वही रिकॉर्ड पर जाएगा। ...(**व्यवधान**)... It will not go on record. ...*(Interruptions)*...

श्री संजय सिंहः भारत की बिजली चोरी करके बांग्लादेशियों का घर रोशन करते हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः संजय जी, आप संविधान पर बोलिए। वही रिकॉर्ड पर जाएगा। ...(**व्यवधान**)...

श्री संजय सिंहः आप हमें ज्ञान बता रहे हैं? ...(**व्यवधान**)... हमें ज्ञान बता रहे हैं? ...(**व्यवधान**)... हजारों करोड़ की बिजली चोरी करके, झारखंड की बिजली ...(**व्यवधान**)... सर, आप भी आ गए। मैं तो गायब हो जाता हूँ। ...(**व्यवधान**)... सर, झारखंड की बिजली चोरी करके, भारत की बिजली चोरी करके अदाणी बंगलादेश को पहुँचाता है। ...(**व्यवधान**)...

---

* Not recorded.

श्री उपसभापतिः संजय जी, आप इस आरोप को authenticate कीजिएगा। ...**(व्यवधान)**...

श्री संजय सिंहः सर, मैं इसको भी authenticate करूँगा। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापतिः हाँ, आप इसको authenticate कीजिएगा। ...**(व्यवधान)**...

श्री संजय सिंहः सर, आप जितना बोलेंगे, मैं सब हाजिर कर दूँगा। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापतिः आप जो आरोप लगा रहे हैं, उसको authenticate कीजिएगा। ...**(व्यवधान)**...

श्री संजय सिंहः हाँ, सर। मैं एकदम करूँगा। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापतिः प्लीज़। ...**(व्यवधान)**...

श्री संजय सिंहः यह दोहरी नीति नहीं चलेगी। ...**(व्यवधान)**... आपके लड़के क़तर के शेखों के साथ बिजनेस करेंगे, दुबई के शेखों के साथ बिजनेस करेंगे और यहाँ आप मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की बात करेंगे। ...**(व्यवधान)**... मैं इन लोगों को एक बात समझाना चाहता हूं। ...**(व्यवधान)**... आप दिल्ली चुनाव में आ रहे हैं, तो शान्ति से आना, एकदम शान्ति से आना। यहाँ पर अगर गंदी राजनीति की, हिन्दू-मुसलमान किया, तो हमने दिल्ली वालों को सिखा दिया है कि जब आप कहेंगे - हिन्दू-मुसलमान, तो वे कहेंगे – स्कूल-अस्पताल। ...**(व्यवधान)**... मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ...**(व्यवधान)**... दिल्ली का चुनाव मुद्दों पर लड़िए।...**(व्यवधान)**... चुनाव का घोटाला मत कीजिए। ...**(व्यवधान)**... आप तीन बार से चुनाव हार रहे हैं। अब आप सोच रहे हैं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करा देंगे। ...**(व्यवधान)**... इससे काम नहीं चलेगा। ...**(व्यवधान)**...सर, हम काम की बात करते हैं। ...**(व्यवधान)**... यहाँ पर दलितों के अधिकारों की बात हुई। ...**(व्यवधान)**... दलितों के अधिकारों की बात हुई। ...**(व्यवधान)**... मान्यवर, ST, SC, OBC – ये तीन categories हैं। ...**(व्यवधान)**... ST, SC, OBC –इन तीन categories में भारत सरकार के अन्दर Joint Secretary के level पर और Secretary के level पर 322 अधिकारी हैं। यह सरकार का आंकड़ा है, मेरा नहीं है। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि उनमें दलित, SC category के, अनुसूचित जाति के 16, ST के 13, OBC के 39 और 254 General castes के लोग हैं। यह आपका दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के प्रति न्याय है। यह आप उनके साथ न्याय कर रहे हैं! Lateral entry के जरिए आप दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का आरक्षण खा रहे हैं। आज IAS की नौकरी में बहुत सारे बच्चे हैं, 125 बच्चे हैं, जिनको इन्होंने creamy layer के नाम पर IAS, PCS, IFS बनने से वंचित कर दिया। यह इनका इतिहास है। ऐसा ये दलितों के साथ कर रहे हैं। ये उनको मन्दिरों में घुसने नहीं देते। यह इनकी मानसिकता है। ...**(व्यवधान)**... यह इनकी मानसिकता है। ...**(व्यवधान)**... इन्होंने अयोध्या में मन्दिर का शिलान्यास किया। ...**(व्यवधान)**... उस समय हमारे प्रधान मंत्री गए, उत्तर प्रदेश के

मुख्य मंत्री गए, राज्यपाल भी गईं, मगर उस समय के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को इन्होंने नहीं बुलाया। ...(**व्यवधान**)... मन्दिर के उद्घाटन में इन्होंने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया, क्योंकि वे दलित समाज से थे, ये आदिवासी समाज से हैं। यह आपकी मानसिकता है। ...(**व्यवधान**)... आरएसएस को 100 वर्ष हो गए, लेकिन एक भी दलित, पिछड़ा और आदिवासी आज तक आरएसएस का प्रमुख क्यों नहीं बना, इसका जवाब दीजिए? ...(**व्यवधान**)... इसका जवाब दीजिए। आप दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों से नफरत करते हैं। ...(**व्यवधान**)... यह आपकी मानसिकता है। ...(**व्यवधान**)...

सर, मैं आगे Constitution पढ़ता हूँ कि इसमें आगे क्या लिखा हुआ है। इसमें आगे लिखा हुआ है – Democratic, लोकतांत्रिक भारत देश की जनता वोट के माध्यम से अपने प्रतिनिधि खुद चुनती है। सभी के वोटों का महत्व बराबर है। जनता के द्वारा जनता का प्रतिनिधि चुना जाता है। ...(**व्यवधान**)... जनता के द्वारा जनता का प्रतिनिधि चुना जाता है। उनके चुने जाने के बाद सरकार बनती है और आप लोग खरीद-फरोख़्त करके संविधान को तार-तार करके लोकतंत्र का गला घोंट कर महाराष्ट्र में सरकार गिराते हैं, कर्नाटक में सरकार गिराते हैं, मध्य प्रदेश में सरकार गिराते हैं, उत्तरांचल में सरकार गिराते हैं, अरुणाचल में सरकार गिराते हैं। ...(**व्यवधान**)... पूरे देश में तोड़-फोड़, खरीद-फरोख़्त करके सरकारों को गिराने का काम करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब ये लोकतंत्र के बारे में बोलते हैं, संविधान के बारे में बोलते हैं, हम लोग यहाँ विपक्ष की तरफ से खड़े होते हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। सोच रहे हैं कि इनसे डर कर चुपचाप बैठ जाएँगे। ...(**व्यवधान**)... ये सोच रहे हैं कि हम इनसे डर कर चुपचाप बैठ जाएँगे।...(**व्यवधान**)... एक बात याद रखना, यह देश बाबा साहेब के संविधान से चलेगा, किसी ...(**व्यवधान**)... आप इसको याद रखना।...(**व्यवधान**)... तुम्हारा गठबंधन ईडी से है, सीबीआई से है।...(**व्यवधान**)... यहाँ इंडिया गठबंधन है, वहाँ ईडी गठबंधन है।...(**व्यवधान**)... मान्यवर, मैं भ्रष्टाचार की बात करूँगा।...(**व्यवधान**)... * हैं।...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः आप प्रधान मंत्री पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं।...(**व्यवधान**)...

श्री संजय सिंहः * ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः आपकी ये सब बातें रिकॉर्ड पर नहीं जाएँगी।...(**व्यवधान**).. Please speak on the subject. ..*(Interruptions)*.. आप माननीय प्रधान मंत्री जी पर इस तरह की टिप्पणी नहीं कर सकते हैं।...(**व्यवधान**)... संवैधानिक नियमों के अनुसार आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं।...(**व्यवधान**)...

श्री संजय सिंहः *

---

* Not recorded.

* Not recorded.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please speak on the subject. ...*(Interruptions)*...

श्री संजय सिंहः सर, हमारा समय बचा है।...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः आप सब्जेक्ट पर बोलें।...(**व्यवधान**)...

श्री संजय सिंहः सर, मैं सब्जेक्ट पर बोल रहा हूँ।...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः आपकी ये टिप्पणियाँ रिकॉर्ड पर नहीं जाएँगी।...(**व्यवधान**)... कृपया आप विषय पर बोलिए।...(**व्यवधान**)...

श्री संजय सिंहः मान्यवर, मैं न्याय की बात करता हूँ। भारत का संविधान सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर न्याय देने का वादा करता है।...(**व्यवधान**)... सर, क्या ये भारत के लोगों को न्याय दे रहे हैं।...(**व्यवधान**)... क्या ये न्याय कर रहे हैं? ...(**व्यवधान**)... क्या ये भारत की जनता को न्याय दे रहे हैं? ...(**व्यवधान**)... आज चुनी हुई सरकारों को ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः प्लीज़, प्लीज़।...(**व्यवधान**)... कृपया आप विषय पर बोलें।...(**व्यवधान**)...

श्री संजय सिंहः सर, वे यहाँ पर नारा लगा रहे हैं और आप इनको रोक नहीं रहे हैं।...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः मैं उनको भी बोल रहा हूँ और आपको भी बोल रहा हूँ।...(**व्यवधान**)...

श्री संजय सिंहः सर, वे यहाँ नारा लगा रहे हैं।...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः आपने शुरू किया।...(**व्यवधान**)... संसदीय परंपरा के अनुसार आप माननीय प्रधान मंत्री जी पर इस तरह की टिप्पणी नहीं कर सकते हैं।...(**व्यवधान**)... कृपया आप विषय पर बोलिए। संविधान पर बोलिए।...(**व्यवधान**)...

श्री संजय सिंहः उतना ही काम करें, जितना ठीक लगे।...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः कृपया आप इधर देख कर बोलें।...(**व्यवधान**)... आपस में बात न करें।...(**व्यवधान**)... संजय जी, प्लीज़, आपस में कोई टिप्पणी न करें।...(**व्यवधान**)... आपकी कोई बात रिकॉर्ड पर नहीं जाएगी।...(**व्यवधान**)... Please go back to your respective seats. ...*(Interruptions)*... आप समय का दुरुपयोग कर रहे हैं।...(**व्यवधान**)... आप सब

पीछे जाएँ।...(**व्यवधान**)... कृपया आप लोग पीछे जाइए।...(**व्यवधान**)... नागर जी, प्लीज़।...(**व्यवधान**)... कृपया आप पीछे जाइए।...(**व्यवधान**)... आप विषय पर बोलिए।...(**व्यवधान**)...

श्री संजय सिंहः सर, इनको चुप कराइए।...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः आपने प्रधान मंत्री जी पर जो भी टिप्पणी की है और जो भी नारे लगाए गए हैं, वे सब रिकॉर्ड पर नहीं जाएंगे।...(**व्यवधान**)... कृपया आप बोलिए।...(**व्यवधान**)... आपका समय खत्म हो रहा है।...(**व्यवधान**)...

श्री संजय सिंहः मान्यवर, दिल्ली के अंदर कानून-व्यवस्था की क्या हालत है? कल हमने दिल्ली में महिला अदालत का आयोजन किया था।...(**व्यवधान**)... आज देश की राजधानी दिल्ली अपराधों से सहमी हुई है, परेशान है।...(**व्यवधान**)... सर, आज क्या हालत है? ...(**व्यवधान**)... 2019 से दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 41 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।...(**व्यवधान**)... दिल्ली में एक साल के अंदर 14,000 महिलाओं के खिलाफ हिंसा और बलात्कार का अपराध हुआ है।...(**व्यवधान**)... दिल्ली के अंदर हर दिन तीन से चार रेप की घटनाएँ हो रही हैं।...(**व्यवधान**)... 2019 से 3,500 रेप की घटनाएँ हुई हैं।...(**व्यवधान**)... दिल्ली में प्रति दिन पाँच से छः महिलाओं को assault किया जाता है।...(**व्यवधान**)... सर, ये आंकड़े हैं। ...(**व्यवधान**)... दिल्ली में प्रतिदिन 11 महिलाएं और बच्चियां किडनैपिंग की शिकार होती हैं। ...(**व्यवधान**)... यह दिल्ली की हकीकत है। ...(**व्यवधान**)... देश के 19 शहरों के मुकाबले देश की राजधानी में 33 प्रतिशत रेप की घटनाओं में और 41 प्रतिशत किडनैपिंग की घटनाओं में वृद्धि हुई है। ...(**व्यवधान**)... दिल्ली के अंदर...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः आप ये सारे रिकॉर्ड यहां रख दीजिएगा। ...(**व्यवधान**)...

श्री संजय सिंहः सर, मैं रख दूँगा। ...(**व्यवधान**)... सर, आपको जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली के कोर्ट में हत्या की घटना हुई। ...(**व्यवधान**)...सर, जज के सामने हत्या की घटना हुई। ...(**व्यवधान**)...आप बताइए, दिल्ली में...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः आप लोग कृपया नारे न लगाएँ।...(**व्यवधान**)...आपके नारे रिकॉर्ड पर नहीं जाएंगे। ...(**व्यवधान**)...प्लीज़।...(**व्यवधान**)... आप कृपया नारे न लगाएं। ...(**व्यवधान**)...

श्री संजय सिंहः सर, दिल्ली के अंदर कोर्ट में हत्या हुई। ...(**व्यवधान**)... देश की राजधानी में राष्ट्रपति रहती हैं, प्रधान मंत्री रहते हैं, उपराष्ट्रपति रहते हैं, ये सारे लोग रहते हैं। ...(**व्यवधान**)...सर, मेरा वीडियो नहीं आ रहा है। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः वह आ रहा है, आप बोलिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री संजय सिंह: सर, ये सारे लोग देश की राजधानी में रहते हैं और इस देश की राजधानी की अदालत में हत्या हो रही है। ...(**व्यवधान**)... इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अंत में एक बात कहकर यह अनुरोध करना चाहता हूँ। ...(**व्यवधान**)... आज जब मैं यहां आ रहा था तो काशी, लंका में रेहड़ी-पटरी वालों की दुकानें तोड़ी जा रही थीं, गरीबों को उजाड़ा जा रहा था। ...(**व्यवधान**)... सर, हम लोग जिस राजधानी दिल्ली में रहते हैं, वहां झुग्गी बस्तियों को तोड़ा गया, झुग्गी बस्तियों को उजाड़ा गया और हर साल का आंकड़ा है, जिसको मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: मेरा आग्रह है कि आप सब अपनी सीट्स पर जाएँ। ...(**व्यवधान**)...

श्री संजय सिंह: मान्यवर, बशीर बद्र की एक लाइन है। ...(**समय की घंटी**)... मैं बस खत्म कर रहा हूँ। ...(**व्यवधान**)...सर, लोगों के घर उजाड़े जा रहे हैं। ...(**व्यवधान**)... सर, स्क्रीन पर फिर आप ही का चेहरा आ रहा है। ...(**व्यवधान**)... दिल्ली में गरीबों के घर उजाड़े जा रहे हैं। ...(**व्यवधान**)...सर, मैं बशीर बद्र की एक लाइन के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा:

"लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में,
तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में।"

लोगों को उजाड़ना बंद करो। ...(**व्यवधान**)... तुमने अयोध्या में उजाड़ा, तुमने काशी में उजाड़ा, तुमने दिल्ली में उजाड़ा। ...(**व्यवधान**)... इस बुलडोजर राजनीति से देश का भला होने वाला नहीं है। ...(**व्यवधान**)... ये नारेबाजी करके ...(**व्यवधान**)...बहुत-बहुत धन्यवाद, मान्यवर। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: माननीय Leader of the House. ...(**व्यवधान**)... आप एक-दूसरे पर टीका-टिप्पणी न करें और इस तरह के नारे न लगाएं। ...(**व्यवधान**)... आपस में बातें न करें। ...(**व्यवधान**)...प्लीज़। ...(**व्यवधान**)... माननीय Leader of the House, आप कुछ बोलने वाले थे। ...(**व्यवधान**)... माननीय Leader of the House.

श्री जगत प्रकाश नड्डा: सर, मैं तीन बातें बताना चाहता हूँ। पहली बात, संजय सिंह जी ने जो बात कही कि फलाने राम, फलाने राम, फलाने राम -- संविधान में किसी भी व्यक्ति को इलेक्शन कमीशन में किसी के वोट पर ऑब्जेक्शन करने का पूरा अधिकार है। उस ऑब्जेक्शन में रीजन देना होता है। जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऑब्जेक्शन दिया है, तो उसके साथ उन्होंने रीजन भी दिया है। वह चाहे पूर्वांचल हो, चाहे रोहिंग्या हो, चाहे बंगलादेशी हो, चाहे घुसपैठिया हो, वे सब उसमें आते हैं, इसलिए इसको राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं है। ...(**व्यवधान**)...एक मिनट। ...(**व्यवधान**)...

Contents Page

श्री उपसभापतिः संजय जी, आप प्लीज़ बैठिए। ...(**व्यवधान**)... मैं आपसे आग्रह करता हूँ, आप प्लीज़ बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... आपस में यह गला फाड़ प्रतियोगिता न करें, प्लीज़ बैठें। ...(**व्यवधान**)...

श्री जगत प्रकाश नड्डाः सर, इसको संविधान के नजरिये से देखने की आवश्यकता है और आज हम संविधान पर चर्चा कर रहे हैं। इसको राजनीतिक रंग देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह कि आपने कहा कि सरकारें गिरा दीं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में हम 5वीं बार चुनकर आ गए। हम उत्तर प्रदेश में दूसरी बार लगातार आ गए। आपने महाराष्ट्र के बारे में कहा कि वहां खरीद-फरोख्त हुई, तो मैं बता दूं कि महाराष्ट्र ने भारतीय जनता पार्टी को landslide victory दी। राउत साहब, लैंड स्लाइड विक्टरी मिली। आप तो उस दिन बोल रहे थे कि मैं तो विश्वास ही नहीं कर पा रहा हूं। ...(**व्यवधान**)... हम अरुणाचल प्रदेश में लगातार तीसरी बार चुनकर आ गए। गोवा में भी हम लगातार तीसरा बार आ गए। हम हैट्रिक बना रहे हैं और जनता के आशीर्वाद से चुनकर आ रहे हैं। वह समय दूर नहीं कि हम दिल्ली में भी चुनकर आएंगे। मैं संजय जी से यह ज़रूर कहना चाहता हूं कि भावनाएं कभी भी सीमा को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। आपने इस सदन की डिबेट का जहां-जहां स्तर नीचा किया है। माननीय उपसभापति जी, आप रिकॉर्ड देख कर उनको expunge करने की कृपा करेंगे, मैं इतना ही कहना चाहता हूं।

श्री उपसभापतिः वह देखा जाएगा। ...(**व्यवधान**)... माननीय भूपेन्द्र यादव जी, आपने बीच में संकेत दिया था। ...(**व्यवधान**)... आप बोल चुके हैं, प्लीज़। ...(**व्यवधान**)... माननीय भूपेन्द्र यादव जी।

श्री भूपेन्द्र यादवः सर, नियम 238 है, उसके दो बिंदु हैं। नियम 238 का एक यह है कि ऐसा कोई तथ्यात्मक विषय है, जिसमें न्यायी विषय विचाराधीन है। इलेक्शन कमीशन Quasi-Judicial Authority के रूप में काम करता है। आपको अगर ऑब्जेक्शन है, तो वहां decision के लिए फैक्ट पर विषय पेंडिंग है। ऐसे तथ्यात्मक विषय का यहां उल्लेख नहीं कर सकते, क्योंकि आप खुद ही गए हैं। इलेक्शन कमीशन का Quasi-Judicial decision है, आप यहां उसकी चर्चा नहीं कर सकते।

दूसरा, रूल 238 का 4 है। राज्य सभा के किसी निश्चय पर हम जो भी मोशन लेकर आते हैं, उसे रद्द करने का प्रस्ताव के अतिरिक्त आक्षेप नहीं करेगा। आप संविधान के अतिरिक्त जो भी बोल रहे हैं, वह गलत बोल रहे हैं। नियमों के तहत आप उसको हटा दीजिए।

श्री उपसभापतिः माननीय संदोष कुमार पी। ...(**व्यवधान**)... संजय जी, आप बोल चुके हैं। ...(**व्यवधान**)... माननीय संदोष कुमार पी, आपकी बात रिकॉर्ड पर जाएगी। ...(**व्यवधान**)... संजय जी, आप बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)...

श्री संजय सिंहः जो व्यक्ति 40 साल से एक जगह पर रहा है, क्या उसका...

श्री उपसभापति: संजय जी, अब इस पर बहस नहीं होगी। ...(**व्यवधान**)... माननीय संदोष कुमार पी, आपकी बात रिकॉर्ड पर जाएगी।

SHRI SANDOSH KUMAR P (Kerala): Thank you, Mr. Deputy Chairman, Sir, for giving me this opportunity. The Constitution of India is the finest by-product of our freedom struggle. I salute the brave memory of thousands of our freedom fighters; I salute the inspiring memory of our Constitution-makers on this special occasion. My party, the Communist Party of India, significantly contributed to the freedom movement, actively took part in the Constituent Assembly debates, and, in Independent India, my Party was in the forefront to support almost all progressive legislations. To name a few, we were the first to support the abolition of privy purses. We supported the 73rd and 74th Amendments. We supported the lowering of voting age from 21 to 18. We were the first political party to support the anti-defection law, and we supported the Right to Education Bill also. When we talk about the 'Golden Journey of our Constitution', we are also part of the same, and I am very proud to state that we are also part of it.

Sir, my Party stands for reservation in private sector. My Party stands for caste census. My Party stands for thorough electoral reforms, and we stand for reintroduction of the ballot system also. We have to implement the very idea of fraternity and liberty in all spheres of life. Of course, during these 75 years, we were also victims of the misuse of Constitution. I have no hesitation in stating that the Communists in Kerala were victims of the imposition of President's Rule in 1959. Article 356 was misused. We were the supporters of Emergency, but later on, we realised our mistake. Emergency was a black chapter in India's history. Sir, having said all this, I would like to say that I heard the speech of the Prime Minister; I heard the speech of almost all Ministers. ...(*Time-bell rings.*)... Sir, let me speak.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI SANDOSH KUMAR P: The point is that when the Constituent Assembly was in function, the RSS was acting as an anti-Constituent Assembly. So, through you, Sir, I would like to ask the Members who still believe in the RSS: Do they support the position of the RSS on the Constitution? It was K. S. Sudarshan, in the year 2000...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI SANDOSH KUMAR P: Sir, please let me to speak.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Your time is over. I have to call other names. *...(Interruptions)...*

SHRI SANDOSH KUMAR P: It was the RSS Chief who openly said, 'throw away the Constitution of India. *...(Interruptions)...* I am authenticating. I ask them: Do they still...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Three minutes are already over.

SHRI SANDOSH KUMAR P: Sir, are they still supporting the position? It was stated by the RSS that tricolour is an ill omen. Do they still support that?*...(Interruptions)...*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Chandrakant Handore; three minutes. *...(Interruptions)...* Mr. Chandrakant Handore - not present. Shri Mohammed Nadimul Haque; three minutes. श्री मोहम्मद नदीमुल हक, आप उर्दू में बोलेंगे।

श्री मोहम्मद नदीमुल हक: उपसभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि मुझे इस...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: माननीय शक्ति सिंह जी, आपको बाद में बुलाएंगे। हमने दो बार नाम लिया था, लेकिन चंद्रकांत जी आप खड़े नहीं हुए।

श्री मोहम्मद नदीमुल हक (पश्चिमी बंगाल): सर, मुझे इस विषय पर बोलने के लिए अलाउ करने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। सर,

"यह तर्ज़े खास है, कोई कहां से लाएगा,
जो हम कहेंगे, किसी से कहा न जाएगा।"

सर, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के 13 मेम्बरान राज्य सभा में मौजूद हैं। हममें से हरेक ने प्रिएम्बल में से एक लफ़्ज मुन्तखब किया है। हम मुख्तलिफ़ पसमंजर, मुख्तलिफ़ कम्युनिटी, मुख्तलिफ़ मजहब, मुख्तालिफ़ अकायद से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन हम सब पहले हिंदुस्तानी हैं, इंडियन हैं। मेरे साथियों ने sovereignty, socialism, democracy, justice, liberty, equality and fraternity के मौज़ुआत पर इज़हार-ए-ख्याल किया है। आज मैं secularism पर बात करूंगा और जैसाकि मैंने अभी जिक्र किया working secularism की शानदार मिसाल ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की टीम से झलकती है। आज की बहस कांस्टीट्यूशन के 75 साल मुकम्मल होने पर है और शायद इन बरसों में कांस्टीट्यूशन पर इतना मुनज्जम और मंसूबा बंद हमला कभी नहीं

हुआ है। कांस्टीट्यूशन में जिस लफ़्ज पर सबसे बड़ा हमला हो रहा है, वह सेकुलरिज्म है। सर, अब सीएए की बात करते हैं। मरकज़ी हुकूमत के सीएए के मुतारिफ कराना इस बात की वाजेह मिसाल है कि किस तरह अकल्लियतों को कमजोर किया जा रहा है। सीएए और एनआरसी को मिलाकर नाफिज किया जाए, तो इसका नतीजा लाखों शहरियों की शहरियत छीनने की सूरत में निकल सकता है। असम में यह तर्जुबा पहले ही हो चुका है। जहां सात फीसद लोग इसकी ज़द में आ गए और अगर पूरे मुल्क में लागू कर दिया जाए, तो 10 करोड़ से ज़ायद शहरी बेरियासत हो सकते हैं। सर, मेरा बीजेपी से सवाल है कि वह secularism की हिफाज़त के लिए क्या कर रही है? बीजेपी के सीनियर रहनुमा अकसर नफरत भरे बयानात देते हैं। यह सिर्फ इलेक्शन तक महदूद नहीं, बल्कि पार्लियामेंट के फ्लोर तक पहुंच चुका है। अगर अकल्लियतों के किसी नुमाइंदें को पार्लियामेंट में डराया, धमकाया जा सकता है, तो आप अंदाजा लगाएं कि हमारे मुल्क के शहरों और देहातों में क्या हालात होंगे? इस साल हिंदुस्तान में नफरत के वाक़यातों में 60 परसेंट इज़ाफा हुआ है और 75 फीसदी ऐसे वाकयात, बीजेपी के ज़ेर-ए-हुकूमत रियासतों, जैसे असम, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश हैं, उनमें हुए हैं। ...(**व्यवधान**)... सर, ये सभी सवालात सिर्फ हमारी कांस्टीट्यूशनल वैल्यूज़ की तहफ्फुज़ के लिए नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के सेक्युलर किरदार को बचाने के लिए भी उठाए जा रहे हैं। ....(**समय की घंटी**)...

†**جناب ندیم الحق) مغربی بنگال** :(سر، مجھے اس موضوع پر بولنے کے لیے الاؤ کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ـہ

‘سر یہ طرز خاص ہے کوئی کہاں سے لائے گا
جو ہم کہیں گے کسی سے کہا نہ جائے گا۔’

سر آل انڈیا ترنمول کانگریس کے 13 ممبران راجیہ سبھا میں موجود ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک نے پریمبل میں سے ایک لفظ منتخب کیا ہے۔ ہم مختلف پس منظر، مختلف کمیونٹی، مختلف مذاہب، مختلف عقائد سے تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن ہم سب پہلے ہندستانی ہیں، انڈین ہیں۔ میرے ساتھیوں نے sovereignty, socialism, democracy, justice, liberty, equality and fraternity کے موضوعات پر اظہار خیال کیا ہے۔ آج میں سیکولرزم پر بات کرونگا اور جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا ورکنگ سیکولرزم کی شاندار مثال آل انڈیا ترنمول کانگریس کی ٹیم سے جھلکتی ہے۔ آج کی بحث کانسٹی ٹیوشن کے 75 سال مکمل ہونے پر ہے اور شاید ان برسوں میں کانسٹی ٹیوشن پر اتنا منظم اور منصوبہ بند حملہ کبھی نہیں ہوا ہے۔ کانسٹی ٹیوشن میں جس لفظ پر سب سے بڑا حملہ ہورہا ہے، وہ سیکولرزم ہے۔ سر، سی اے اے کی بات کرتے ہیں۔ مرکزی حکومت کے سی اے اے کے متعارت کرانا اس بات کی واضح مثال ہے کہ کس طرح اقلیتوں کو کمزور کیا جارہا ہے۔ سی اے اے اور این آر سی کو ملاکر نافذ کیا جائے، تو اس کا نتیجہ لاکھوں شہریوں کی شہریت چھیننے کی صورت میں نکل سکتا ہے۔ آسام میں یہ تجربہ پہلے ہی ہوچکا ہے۔ جہاں سات فیصد لوگ اس کی زد میں آگئے اور اگر پورے ملک میں لگو کردیا جائے، تو دس کروڑ سے زیادہ شہری بے ریاست ہوسکتے ہیں۔ سر، میرا بی جے پی سے سوال ہے کہ سیکولرزم کی حفاظت کے لیے کیا کررہی ہے؟ بی جے پی سے سوال ہے کہ وہ سیکولزم کے لیے کیا کررہی ہے؟ بی جے پی کے سینئیر رہنما اکثر نفرت بھرے بیانات دیتے ہیں۔ یہ سر الیکشن تک محدود نہیں، بلکہ پارلیمنٹ کے فلور تک پہنچ چکا ہے۔ اگر اقلیتوں کے کسی نمائندے کو پارلیمنٹ میں ڈرایا، دھمکایا جاسکتا ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے ملک کے شہروں اور دیہاتوں میں کیا حالات ہونگے؟

اس سال ہندستان میں 60 نفرت کے واقعات میں فیصد اضافہ ہورہا ہے اور فیصد ایسے واقعات، بی جے پی کے زیر حکومت ریاستوں میں ہیں، جیسے آسام گجرات، مدھیہ پردیش اور اترپردیش ہیں۔ ---)مداخلت(--- سر، یہ سبھی سوالات صرت ہماری کانسٹی ٹیوشنل ویلیوز کے تحفظ کے لیے نہیں، بلکہ ہندستان کے سیکولر کردار کو بچانے کے بھی اٹھائے جارہے ہیں۔ ---)وقت کی گھنٹی(---

† Transliteration in Urdu script.

श्री उपसभापतिः प्लीज़ कंक्लूड कीजिए।

श्री मोहम्मद नदीमुल हकः महोदय, सेक्युलरिज्म वह बुनियाद है, जो हमें मुत्तहिद लगती है। आइए, हम सभी मिलकर इसका तहफ्फ़ुज़ करें।

'जिन चिरागों से तहफ्फ़ुज़ का धुआँ उठता है
उन चिरागों को बुझा दो, तो उजाले हो जाएंगे।'

†**جناب ندیم الحق) مغربی بنگال**: (مہودے، سیکولرزم وہ بنیاد ہے، جو ہمیں متحد رکھتی ہے۔ آئیے، ہم سبھی مل کر اس کا تحفظ کریں۔

'جن چراغوں سے تحفظ کا دھواں اٹھتا ہے،
ان چراغوں کو بجھادو، تو اجالے ہوجائیں گے۔'

श्री उपसभापतिः आपका बहुत-बहुत धन्यावाद। माननीय चंद्रकांत हंडोर जी, आपके पास तीन मिनट हैं।

श्री चंद्रकांत हंडोरः मेरे सात मिनट हैं।

श्री उपसभापतिः यहाँ पर तीन मिनट लिखे हुए हैं।

श्री चंद्रकांत हंडोर (महाराष्ट्र)**:** उपसभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे संविधान पर हो रही चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया है। महोदय, संविधान के 75 वर्ष संपन्न होने पर यहाँ जो चर्चा चल रही है, मैं उसके संदर्भ में यह कहना चाहता हूं कि लोक सभा और राज्य सभा में बहुत बेहतरीन चर्चा चल रही है।

महोदय, यहाँ पर कुछ कटु अनुभव भी सुनने के लिए मिल रहे हैं। मेरी दोनों सदनों के माननीय सदस्यों से विनती होगी कि हम सभी मिलकर अगर इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें आपस की कटुता और अन्य सभी बातें बाजू में रखकर सोचना होगा कि इस देश का संविधान कैसे मजबूत हो, हमारी डेमोक्रेसी कैसे मजबूत हो और भारत दुनिया का सबसे बेहतरीन देश कैसे बने। इस बात पर हम सभी का एकमत होना चाहिए।

महोदय, कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर जी को एक मौका दिया था। उनके दिए अवसर के अंतर्गत ही उन्हें काम करने का मौका मिला और हज़ारों वर्षों से जो जातिवाद था, पिछड़े लोग थे, देश में untouchability थी, उन्हें दूर करने का मौका बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर जी को संविधान के माध्यम से मिला।

महोदय, यह संविधान दुनिया का सबसे बेहतरीन और सुंदर संविधान है। इसमें Fundamental Rights से लेकर अन्य सभी बातें हैं। आप देखेंगे कि पूरा देश यहाँ पर बैठा है। आप

† Transliteration in Urdu script.

देखेंगे कि तमिलनाडु से लेकर जम्मू-कश्मीर और नागालैंड से लेकर सौराष्ट्र तक हर स्टेट के लोग, उनकी भाषा, उनका रहन-सहन, उनका खाना-पीना, उनके रीति-रिवाज़ अलग-अलग हैं, फिर भी विविधता में एकता है। यह सारी देन संविधान की है। इस संविधान का प्रचार और प्रसार करने के लिए हम सभी लोग मिलकर काम करें।

महोदय, मैं 2008 में महाराष्ट्र सरकार में सोशल जस्टिस मंत्रालय विभाग का कैबिनेट मिनिस्टर था। मैंने वहाँ के तत्कालीन मुख्य मंत्री दिवंगत विलासराव देशमुख जी से कहा था कि हम संविधान दिवस मनाएंगे। उसके पीछे मेरा यह मकसद था कि संविधान क्या है, लोगों में संविधान के प्रति आस्था रहनी चाहिए और कानून का बारे में सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। इसके लिए हमने संविधान दिवस मनाया गया। ....(**समय की घंटी**)... आप देखेंगे कि मोदी साहब बोल रहे थे कि जब वे मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने संविधान समर्थन यात्रा निकाली थी। आप देखेंगे कि हमारे नेता, राहुल गाँधी जी ने भी भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी।

श्री उपसभापतिः आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री विक्रमजीत साहनी, आपके पास तीन मिनट हैं। ...(**व्यवधान**)... श्री विक्रमजीत साहनी, आप बोलिए, आपके नाम के सामने तीन मिनट का समय लिखा हुआ है। ...(**व्यवधान**)... आप बोलिए, केवल आपकी बात ही रिकॉर्ड पर जाएगी।

SHRI VIKRAMJIT SINGH SAHNEY (Punjab): Mr. Deputy Chairman, Sir, I am sorry to point out that the discussion on the 'Glorious Journey of 75 Years of the Constitution' and giving suggestions thereof was predominantly marked by ...(*Interruptions*)...

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Mr. Deputy Chairman, Sir ...(*Interruptions*)...

SHRI VIKRAMJIT SINGH SAHNEY: Instead of coming out with suggestions, we have spent more time in accusing each other. The Indian Constitution guarantees Right to Equality irrrespective of race, caste, class, religion or gender. But, despite 75 years of Independence, we continue to witness atrocities based on caste and religion, and gender equality enshrined in our Constitution remains elusive. Further, the data reveals that 87 rapes occur every day in India and 49 crimes against women are reported, not to talk about continuation of disparity in pay promotion. As regards social equality enshrined in our Constitution, the top one per cent of the Indian population owns 40 to 50 per cent of country's wealth. I think, we will have to take more initiatives for inclusive growth to reduce poverty and income disparity of the gap between the rich and the poor.

मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ। We should take this opportunity to pay gratitude to the entire Sikh community who suffered the most by losing over 10 lakh lives for sake of India during partition. It is a historical fact that the Sikhs were promised special treatment at the time of Constituent Assembly. The Sikhs are Indian not by

Contents Page

chance but by choice. As regards the freedom to practise own religion, I would like to remind the House the supreme sacrifice of Shri Guru Tegh Bahadurji for the sake of religious freedom against forced conversions of Kashmiri Pandits. Yet, we have seen, in recent times, that reclaiming religious places of worship is really threatening the spirit of tolerance. I think, it is a futile discussion to rake up the past and we should respect the Places of Worship Act, 1991, which mandates maintaining status quo as on August 15, 1947.

मैं यह बताना चाहूँगा कि यह रायसीना हिल्स, जहाँ पर अभी साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक और पार्लियामेंट हाउस है, यह भी कभी गुरुद्वारा रकाब गंज साहिब की थी, पर यह इतिहास है। आज हमें job, social inequality, poverty को address करना है। Article 243 emphasises empowering Gram Sabhas and Panchayats. Article 245 talks about relation between Union and the States, and co-operative federalism requires synergy between Union and the States. Our Constitution provides a balancing synergy between the Executive, the Legislature and the Judiciary.

If we are discussing the Constitution today, it will be incomplete if the concerns of the last man in the line, that is, our poor farmers, is not addressed expeditiously and there is contentment among farmers as part of social and economic justice. ...(*Time-bell rings.*)...

श्री उपसभापतिः माननीय विक्रमजीत सिंह जी, कन्क्लूड कीजिए। ...(**व्यवधान**)...

SHRI VIKRAMJIT SINGH SAHNEY: As a preamble, we should address it. Last, Abraham Lincoln said, "Democracy is a government of the people, by the people, for the people." I think, in a lighter vein, I would say it has acquired a new meaning. It is "Off the people, Far the people and Buy the people." Thank you, Sir.

श्री उपसभापतिः माननीय सदस्यगण, जो समय आपके लिए अलॉटेड है, वह मैं नाम पुकारने से पहले बता रहा हूँ। समय मेरे हाथ में नहीं है। समय पहले से तय होता है। समय तय होने का फॉर्मूला आप जानते हैं।

दूसरी बात, कॉंग्रेस का समय काफी पहले खत्म हो चुका है। चंद्रकांत जी को तीन मिनट अलग से समय दिए गए। उनकी मेडन स्पीच कंसिडर नहीं हुई है, इस कारण उन्हें तीन मिनट का समय मिला है, धन्यवाद। माननीय सदस्य, संजय राउत जी, आपके पास तीन मिनट हैं।

श्री संजय राउतः सर, धन्यवाद। मैं नहीं बोल रहा हूँ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I am helpless...*(Interruptions)*... Sanjayji, I am helpless. Please follow the time. मेरे हाथ में नहीं है। ...(**व्यवधान**)... यह समय आप सबने तय किया है। ...(**व्यवधान**)...

श्री संजय राउत: सर, समय कहाँ पर है? आप हमें Glorious Journey of 75 Years of Constitution के विषय पर तीन मिनट में बोलने के लिए बोल रहे हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: आप बोलिए, आप बोलिए। आपकी क्षमता है कि आप दो मिनट में भी बोल सकते हैं।

श्री संजय राउत (महाराष्ट्र): सर, हम संविधान पर चर्चा कर रहे हैं और पाँच मिनट पहले यहाँ * के नारे लगाए गए। मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूँ कि कौन * है, कौन * है, लेकिन इस देश के * भी प्रामाणिक रहे हैं और स्वतंत्रता संग्राम में उनका भी सहयोग रहा है। उस जमाने के * महाराष्ट्र और चंबल में ब्रिटिश खजाने * मूवमेंट चलाने के लिए क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी को देते थे, लेकिन वहाँ से न कोई स्वतंत्रता संग्राम में रहा, न किसी लड़ाई में रहा, न वहाँ का माल कभी जनता और देश के लिए... सर, बात यह है कि जब वहाँ से संविधान की बड़ी चिंता हो रही थी, तब मुझे डर लगने लगा था। मैं संविधान के ऊपर आपका प्यार देख रहा था, तो मुझे इतनी चिंता हुई कि आज सचमुच संविधान खतरे में आ रहा है। जब आप लोग कभी किसी के ऊपर ज्यादा चिंता दिखाते हो, प्यार दिखाते हो, तो खतरा बढ़ जाता है। सर, हम 'Glorious Journey of 75 Years of Constitution of India' की बात करते हैं, लेकिन यह ग्लोरियस जर्नी 2014 में खत्म हो गई। ...(**व्यवधान**)... अगर सचमुच यह 400 पार का नारा सच हो जाता, तो संविधान बदलने में आप लोग पीछे नहीं हटते और आज की डिबेट का विषय होता कि संविधान बदलना क्यों जरूरी है - यह हमारा आज का विषय होता। 'हम भारत के लोग', यह हमारे संविधान की शुरुआत है, लेकिन 10 साल में भारत गायब हो गया और हम मोदी के लोग, हम मोदी के लोग की बात हो रही है। जहां भी जाओ, जो मोदी के लोग हैं, वही बैठेंगे, चाहे संविधान की चेयर हो या कोई और हो, लेकिन भारत गायब हो गया है। हमने प्रधान मंत्री जी का भाषण लोक सभा में सुना, वह रिप्लाई था, जोरदार था और भ्रष्टाचार मुक्त भारत का बहुत बड़ा एलान किया गया। जीरो टोलरेंस ऑफ करप्शन की बात की गई। मैं तो यह बोल रहा हूं कि जब आपको भ्रष्टाचार की चिंता होती है, तो भ्रष्टाचार बढ़ जाता है। ...(**समय की घंटी**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

* Expunged as ordered by the Chair.

Contents Page

श्री संजय राउतः सर, हमारे प्रधान मंत्री जी बहुत मीठी वाणी के नेता हैं, लेकिन वाणी की मिठास अंदर के भेद नहीं खोलती है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

श्री संजय राउतः देखिए, मोर कितना सुंदर दिखता है, कितना सुंदर नृत्य करता है, सुंदर गाता है और मोर को देखकर, सुनकर कौन कह सकता है कि वह सांप भी खाता है। ...(**समय की घंटी**)...

श्री उपसभापतिः संजय जी, अब कन्क्लूड करें।

श्री संजय राउतः सर, हमारा संविधान अलग-अलग धर्मों और जातियों को, भारत की 140 करोड़ की आबादी को एक देश की तरह जोड़ता है। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः संजय जी, प्लीज कन्क्लूड करें। मैं दूसरा नाम बुला रहा हूं।

श्री संजय राउतः इसीलिए हम हमेशा कहते हैं हम सब 140 करोड़ एक हैं, तो देश सेफ है। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः माननीय अजीत कुमार भुयान। ...(**व्यवधान**)... Next speaker is Shri Ajit Kumar Bhuyan. *...(Interruptions)...* I am helpless. *...(Interruptions)...* Now, Shri Ajit Kumar Bhuyan. You have three minutes' time. मैंने बताया कि समय मेरे हाथ में नहीं है। ...(**व्यवधान**)... श्री अजीत कुमार भुयान।

SHRI AJIT KUMAR BHUYAN (Assam): Mr. Deputy Chairman, Sir, as you all know, I hail from that remote corner of the country, which most of the people of the mainstream India mention as an area inhabited by jungle people. *...(Interruptions)...*

श्री उपसभापतिः माननीय संजय राउत जी, आपकी बात रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है। अजीत कुमार भुयान जी, आप बोलिए, नहीं तो आपका समय खत्म हो जाएगा। ...(**व्यवधान**)...प्लीज़, आप बोलें।

SHRI AJIT KUMAR BHUYAN: Sir, I am a citizen of that part of the country, for which no one speaks... *...(Interruptions)...* Manipur is the latest example. Let me tell this House what Constitution means to us. Geographically, the hicken's Neck in Assam-Bengal border connects us with the mainland but in reality, it is the Constitution,

which binds us with this great nation. Constitution for us is a promise of equality, promise to safeguard our cultural and linguistic identity, promise of fair share in resources, etc. It gives us the confidence to be a part of this great nation. Constitution promises to uphold diversity of the country. We felt assured that small nationalities living in the North-East would be allowed to flourish. Constitution promises to uphold diversity and secularism. We felt assured that our unique religious beliefs would not be trampled. Constitution promises federalism. We hope that we would have rights over nation's resources and we would be able to set the path for our future on our own. This is the beauty of the Constitution. The very foundation of this great nation is this Constitution. But with a heavy heart, I have to say this before the House that in the last one decade, there is an attempt to breach every promise made to us. Our culture, our identity and our very existence is under threat due to actions and inactions of this Government. Manipur is an example. The manner in which the Central Government is allowing the State to rot is nothing but breach of constitutional promise. This Government, in its attempt to impose its ideology of *one nation, one culture*, is trying out on our very roots. CAA is a glaring example of such attempt. An Act was brought to confer citizenship to foreigners by breaking solemn promise made by the Indian State to people of Assam in 1985 through Assam Accord. A State, which was forced to take burden of large number of foreigners entering till 1971, will now take further burden. ...(*Time-bell rings.*)... Two minutes, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No. Please conclude.

SHRI AJIT KUMAR BHUYAN: Sir, I am from the North-East. Please don't neglect us. That is what I want to apprise you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We are not neglecting. Time is limited. Please conclude.

SHRI AJIT KUMAR BHUYAN: Let me conclude, Sir. We have been opposing construction of big dams in Arunachal Pradesh. But without consulting people of the State, dams are being constructed. There are so many issues. I would like to say that, but due to paucity of time...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have already taken one minute.

SHRI AJIT KUMAR BHUYAN: The Chief Minister of Assam has been openly saying that he does not need Muslim votes and support.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. Shri Manan Kumar Mishra. You have seven minutes.

SHRI MANAN KUMAR MISHRA (Bihar): Sir, the basic structure of Indian Constitution is a set of fundamental features that cannot be amended normally by the Parliament. These features include supremacy of Constitution and separation of powers. The Constitution establishes separation of powers between Legislature, Executive and Judicial branches of the Government. Another feature is federalism. Our Constitution establishes a federal system of governance between the Union and the States. Next is rule of law. The Constitution establishes our commitment to the rule of law. Next is independence of judiciary. The Constitution establishes an independent judiciary that can invalidate Government actions or violate legislations. Secularism is the fifth criterion. The landmark Kesavananda Bharati judgment is a leading judgment on the basic structure doctrine of the Constitution. Shankari Prasad's case in 1951 ruled that Parliament can amend any part of the Constitution under Article 368, including Fundamental Rights. Same was the verdict of the Supreme Court in Sajjan Singh's case in 1965. However, in Golaknath's case in 1967, the Supreme Court reversed its earlier views that Fundamental Rights can be amended and it said that the Fundamental Rights are not amenable to parliamentary restrictions. In Kesavananda Bharati's case in 1973, the Supreme Court held that although no part of Constitution, including Fundamental Rights, was beyond the parliamentary powers of amendment, but the basic structure of the Constitution could not be abrogated even by the Parliament. The judgment, in fact, said that the Parliament can only amend the Constitution and not rewrite it, meaning thereby that the power to amend it is not the power to destroy it. It further held that judiciary can strike down any amendment passed by the Parliament that is in conflict with the basic structure of the Constitution. Again, in the case of Indira Gandhi versus Raj Narain in 1975, the Supreme Court applied the theory of basic structure and struck down Clause 4 of Article 329-A, which was inserted by 39^{th} amendment in 1975. In 1980, Minerva Mills' case further strengthened the basic structure doctrine. The judgment struck down two changes made by 42^{nd} amendment.

In 1981, in Bommai's case, Supreme Court again reiterated the doctrine of basic structure. In Indra Sawhney's case, while examining the scope and extent of Article 16(4) regarding reservation of jobs for backward class, the Supreme Court added Rule of Law to the list of basic structure of the Constitution. In the year 1994, in case of S.R. Bommai, Supreme Court tried to curb the blatant misuse of Article 356

relating to imposition of President's Rule on the States. The Supreme Court held that policies of the State Government directed against element of basic structure of Constitution would only be a valid ground for exercise of Central power under Article 356. Article 356 would be applied only in cases of constitutional breakdown and/or the failure of constitutional machinery. Though Dr. B.R. Ambedkar had assured that this provision would remain a dead letter in the Constitution, even then, it had been misused 90 times by the Congress Government. All the time, it was political consideration rather than any general breakdown and, in most of the cases, majority Governments were removed on the ground of political instability. S.R. Bommai's case laid down the conditions under which State Governments may be dismissed. Sir, during mid 1970s, there was a huge political and social turmoil throughout the country. There were economic challenges, social unrest and, resultantly, political instability. There was unemployment, inflation and, therefore, there occurred a widespread protest by the people. Mrs. Gandhi had to impose Emergency in the year 1975. As stated by hon. Finance Minister yesterday, there were only five leaders in Lok Sabha to oppose the passing of 42nd Amendment Act and there was none in Rajya Sabha to oppose it. All the big leaders and opponents had been sent to jail under MISA. The 42nd Amendment was brought in, and it undermined the very foundation of our Constitution. It destroyed the Constitution, and the Congress Government, under Indira Gandhiji, completely spoiled the democracy. सर, इस किताब को खतरा आज नहीं है, इस किताब को खतरा 1970 के दशक में था। The primary object of the Amendment was to enhance the power of the Centre and to reduce the influence of judiciary. Articles 32, 226 and 131 of the Constitution were amended. The role of the Supreme Court and the High Courts regarding judicial review was curtailed and it was provided that judiciary could not interfere with the legislative matters.

सर, कल रात की एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। इमरजेंसी पर, 42nd Amendment पर बहुत बहस हो गयी है। कल मेरे सपने में शिव जी आ गए। कभी-कभी LoP के सपने में आते हैं, तो वे शिव जी को दिखाते हैं। मैं उनका फोटो या तसवीर तो नहीं लाया हूँ। वे कल मेरे सपने में आ गए और बोले कि बच्चे, एक बड़े दुख की बात है कि इस संविधान की किताब, जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने, डा. राजेन्द्र बाबू ने तथा उन जैसे लोगों ने बनाया, इसको लेकर दो-तीन आदमी, एक भाई-बहन घूमते रहते हैं। ज़रा सा जनता को समझाओ कि ये क्यों घूम रहे हैं।

सर, 1970 में साहेबजादे जी का जन्म हुआ और 1975 में इमरजेंसी लग गई। 1975 में जब इमरजेंसी लगी तो तमाम हो-हल्ला हुआ। हालत यह हुई कि तख्तापलट हो गया। दादीजी की जो कुर्सी थी, वह चली गई। पता चला कि ऐसा क्यों हुआ, तो यह जो संविधान है, उन्होंने 42nd Amendment करके संविधान बदल दिया था। अब यह जो संविधान का हौवा – उस समय कुर्सी जो पलटी, तो एक thunder type हो गया, बिजली गिर गई, कुर्सी चली गई और देखा कि कल तक राजा थे, आज रंक हो गए। वे इसी वजह से संविधान लेकर घूमते हैं। उनको दिन में भी

संविधान का सपना आता है। तो हमारे बाबा शिव जी का जनता को यह संदेश है ...(**समय की घंटी**)... कि जनता इस संविधान के घूमने से नहीं घबराए। कुछ मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, इसलिए वे संविधान लेकर घूमते हैं। ...(**समय की घंटी**)...

श्री उपसभापतिः आप conclude कीजिए।

श्री मनन कुमार मिश्रः और कोई खास बात नहीं है, धन्यवाद।

श्री उपसभापतिः धन्यवाद। श्री राजीव शुक्ला जी, 3 मिनट।

श्री राजीव शुक्लाः सर, 3 मिनट नहीं, उसमें 5 मिनट था।

श्री उपसभापतिः यहाँ मेरे सामने 3 मिनट लिखा हुआ है।

श्री राजीव शुक्लाः 5 से 3 मिनट किसने कर दिया?

श्री उपसभापतिः आप समय का पालन करें, प्लीज़। यहाँ 3 मिनट लिखा हुआ है। अगर आप चाहें, तो आकर बाद में देख सकते हैं।

श्री राजीव शुक्लाः सर, यह तो गलत बात है। 3 मिनट में कोई आदमी क्या बोलेगा।

श्री उपसभापतिः आप 3 मिनट में बोलिए।

श्री राजीव शुक्ला (छत्तीसगढ़)**:** आदरणीय उपसभापति जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं सोच रहा था कि संविधान पर बहस होगी। हम सब बहुत खुश थे कि संविधान पर बहस होगी, गरिमामयी बहस होगी, गंभीर बहस होगी, चिंतन होगा और बिना मनमुटाव के लोग इस पर बहस करेंगे। लेकिन यह क्या बहस है? इस पर दोनों सदनों में जो भाषण हुए, उनको मैंने सुना है। लगता है कि पूरे टाइम यह बहस जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ है, पूरे टाइम नेहरू जी को गालियां, इंदिरा जी को गालियां, राजीव जी को गालियां, मनमोहन सिंह जी को गालियाँ। सर, यह क्या बहस हो रही है? ऐसा लग रहा है कि यह संविधान पर कोई चर्चा ही नहीं है, सिर्फ आरोप-प्रत्यारोप है।...(**व्यवधान**)... मैं सब तरफ की बात कर रहा हूँ।...(**व्यवधान**)... यह सिर्फ आरोप-प्रत्यारोप है। आज क्या होना है, आगे क्या होना चाहिए - इस पर कोई बात ही नहीं है। क्या नेहरू जी ने कोई काम नहीं किया? क्या इंदिरा जी ने कोई काम नहीं किया? क्या लालबहादुर शास्त्री जी ने कोई काम नहीं किया? क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कोई काम नहीं किया? इस बहस में अटल जी का नाम तक नहीं है, जिन्होंने 6 साल इतने काम किये कि पूछो मत। यह हम बता सकते हैं कि उन्होंने कितने काम किए। मनमोहन सिंह जी ने 10 साल में इतने काम किये, economic reforms से मनरेगा तक तमाम चीजें कीं,

लेकिन उनका कोई जिक्र नहीं है। दो दिनों तक सुबह से शाम तक पूरी बहस सिर्फ आरोप-प्रत्यारोप पर चल गई। क्या यह संविधान पर बहस है? क्या यह 75 साल के गौरवशाली इतिहास पर बहस है? हमें शर्म आनी चाहिए कि हमने इस गंभीर बहस को सिर्फ गाली-गलौज की बहस बना दिया। हमने कहीं यह बात नहीं कही कि किसने क्या-क्या काम किये। खुद मोदी जी कहते हैं कि हर प्रधान मंत्री का योगदान है। क्या हमने उन योगदानों पर चर्चा की? हमने उनकी खामियों पर चर्चा की। हमने उनकी कमियों पर चर्चा की। हमने सिर्फ आलोचना पर ध्यान दिया, इसलिए मुझे लगता है कि यह सार्थक बहस नहीं हुई है। मुझे तीन मिनट का मौका मिला, मैं यही कह सकता हूँ कि यह सार्थक बहस नहीं है और अगर सार्थक बहस करनी थी, तो 60 साल पहले किसने क्या निर्णय लिया, किन परिस्थितियों में लिया, हमें उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। चन्द्रशेखर जी प्रधान मंत्री थे। चार महीने में उन्होंने कई काम किये। नरसिम्हा राव जी ने economic reforms वगैरह के काम किए। राजीव गांधी जी ने बैंकिंग सेक्टर पर Raja Chelliah Committee बनाई, Narasimham Committee बनाई। उन्होंने चुनाव सुधार किए, दल-बदल विधायक लाया। हमने संविधान पर क्या किया कि आप कह रहे हैं कि आपने सरकारें गिराईं। अगर आप यह कहते हैं कि हमने संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत सरकार गिराई, तो आपने एमएलए खरीद कर सरकारें गिराईं। क्या हम यही आरोप-प्रत्यारोप करते रहेंगे? क्या यही बहस है कि हम एमएलए खरीद कर सरकारें गिराएंगे और आपने संविधान के अनुच्छेद 356 के जरिए सरकार गिराई। यह कोई बहस का विषय नहीं है।

उपसभापति महोदय, मेरा अपना मानना है कि यह एक सार्थक बहस नहीं है। यह ठीक है कि उन खामियों को दर्शाना है, लेकिन देश में 75 साल में सारे प्रधान मंत्रियों ने मिल कर काम किया है, चाहे विकास का काम हो, चाहे सुधारों का काम हो। जो पहले संविधान संशोधन की बात होती है, उसमें जमींदारी उन्मूलन था, भूमि सुधार था। क्या वह गलत था? छुआछूत को मिटाने का काम था। छुआछूत को खत्म करने संबंधी संविधान संशोधन था। क्या वह गलत था? कुछ संविधान संशोधन, जो देश और समाज के हित में थे, वे किए गए। क्या वे गलत थे? मेरा यह मानना है कि हमें उस पर बहस करने के साथ-साथ यह भी सोचना चाहिए कि आगे हमें क्या-क्या करना है। किसानों के लिए हमें कुछ करना चाहिए। आज युवा परेशान हैं क्योंकि तमाम राज्यों में परीक्षाओं का पर्चा बिक जाता है, उसको खत्म करके उनके लिए कुछ करना चाहिए। बेरोजगारी के लिए कुछ होना चाहिए। महिलाओं के लिए कुछ होना चाहिए। हमें हर क्षेत्र में विकास की बात करनी चाहिए। हमें गाली-गलौज बंद करनी चाहिए।

मैं लास्ट बात ज्यूडिशरी पर बोलता हूँ। कहा जाता है कि आपने ज्यूडिशियल सिस्टम में तमाम लोगों को यह बना दिया। अगर ये जाएँगे, तो हम भी दस उदाहरण दे सकते हैं कि कैसे आपने भी जजेज़ को लोक सभा चुनाव लड़ा दिया। उन्होंने पश्चिमी बंगाल में एक बयान दिया।...(**व्यवधान**)... गुमान मल लोढ़ा...(**व्यवधान**)... यहाँ पर हमारे मित्र रंजन गोगई जी राज्य सभा में आ गए। मैं कहता हूँ कि यह बात गलत है। जो डिजर्व करते हैं, उनको मिलना चाहिए।...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः कृपया आपस में बात न करें।

श्री राजीव शुक्ला: सर, ज्यूडिशरी में भी रिफॉर्म्स आने चाहिए। मैं यह बार-बार कहता हूँ कि जो ज्यूडिशरी सब चीजों में रिफॉर्म ला रही है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में रिफॉर्म, बीसीसीआई में रिफॉर्म, हॉकी में रिफार्म, लेकिन ज्यूडिशरी में कोई रिफॉर्म्स की बात नहीं हो रही है। हमें यह बात यहाँ रखनी चाहिए थी। हमने जो NJAC पास किया था, भूपेन्द्र जी यहाँ बैठे हैं, वे यह जानते हैं कि किस तरह से NJAC का बिल पास हुआ था और किस तरह से executive और judiciary को मिल करके जजेज़ अप्वाइंट करना है, लेकिन यह नहीं हुआ।...(**समय की घंटी**)...

श्री उपसभापति: धन्यवाद, राजीव जी।

श्री राजीव शुक्ला: सर, एक-एक जगह पर 60-60 vacancies हैं।...(**समय की घंटी**)... मेरी यह माँग है कि अगले सत्र में संविधान पर दोबारा एक बार बहस होनी चाहिए। यह वाली बहस नहीं, बल्कि असली वाली बहस होनी चाहिए।

श्री उपसभापति: माननीया श्रीमती सागरिका घोष जी। आपके पास तीन मिनट का समय है।

5.00 P.M.

SHRIMATI SAGARIKA GHOSE (West Bengal): Hon. Mr. Deputy Chairman, Sir, India is constituted as a Sovereign Republic. That is the Preamble of our Constitution. 'Sovereign' means independent legitimate rule. India is a Sovereign Independent country, but in a democracy, it is the citizen who is sovereign. The citizen is the ruler. All this time, from the Treasury Benches, we hear Jawaharlal Nehru*ji*, Indira Gandhi*ji* and court cases. We do not hear how this Government intends to uphold the sovereignty of the citizen, which is the prime teaching of the Constitution. Articles 19 to 22 establish the individual freedoms of every citizen. Articles 23 to 24 establish the citizen's right against exploitation and coercion. Articles 25 to 28 establish freedom of conscience and freedom of religion for every citizen. But, is the sovereignty of the citizen being upheld today? No, Sir; it is not. When free speech is stamped out, when writers are charged with sedition, the citizen is not sovereign. When a Government is dictating to citizens what to wear, what to eat, who to marry, what to think, what to read, what to write, what movies to see, the citizen is not sovereign. When *Gau Rakshaks* attack and kill those who eat a certain kind of food, citizens are not sovereign. When so-called media managers are asked to remove or suspend journalists who tell the inconvenient truth, citizens are not sovereign. When a former BJP Chief Minister says if women dress a certain way, they are asking to be assaulted, citizens are not sovereign. When the BJP calls for economic boycott of Muslims, citizens are not sovereign. When voluntary interfaith marriages are called

love jihad, citizens are not sovereign. When democratic institutions that are supposed to protect the citizens are subordinated to political power, citizens are not sovereign. The truth is; the BJP doesn't understand constitutionalism. They only understand majoritarianism. And, majoritarianism is the enemy of constitutionalism. It is because of majoritarianism and that they don't respect political diversity. States like Bengal have been denied funds since 2021. It is because of majoritarianism that today there is not a single Muslim Member in their Lok Sabha team in Parliament. ...*(Interruptions)*... That is their majoritarianism, even though they say they are protecting Muslim women. It is because of majoritarianism that there were over 500 attacks on Christians in 2023.

श्री उपसभापति: आप बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)...

SHRIMATI SAGARIKA GHOSE: It is the majoritarian mindset that weaponizes the Enforcement Directorate and uses it to target the opposition leaders and once they switch to the BJP are given washing machine! Sir, the Constitution gives sovereignty to the citizen. The Constitution gives sovereignty to the individual. The Constitution gives sovereignty to the people. The Constitution does not give sovereignty to the * The Constitution does not give sovereignty to the *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you, Sagarika*ji*. *(Time-bell rings.)*

SHRIMATI SAGARIKA GHOSE: The Constitution does not give sovereignty to the *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, *Mananiya* Shri Haris Beeran; three minutes.

SHRI HARIS BEERAN (Kerala): Sir, with eternal thankfullness, I remember, the efforts made by the freedom fighters and later the efforts made by the members of the Constituent Assembly, particularly, "Quaid-e-Millat" Muhammad Ismail Sahib, who happened to be the founder of my party, Indian Union Muslim League, and then a Member of this august House. Undoubtedly, our Constitution is one of the finest documents in the world, but the question we have to ask is, whether we have done justice to the framers of the Constitution. We are proud of the fact that there is no

---

* Expunged as ordered by the Chair.

Contents Page

other country in the world like India which offers diversity. Diversity, in fact, defines the country. But what happens to the idea of India is, the 'idea of India' is being disappeared. Now, secularism is one of the basic structures of the Constitution. Now, we have to test secularism by looking at the laws which have been passed. Now, there is a law which was passed three or four years back. It is the Citizenship (Amendment) Act, where the criterion for giving citizenship was religion, which is an affront to the secularism, which was an affront to the Constitution and is an assault on the Constitution. Now, there is another Act, Places of Worship Act. There is a lot of discussion on the Places of Worship Act. It has not been implemented in letter and spirit resulting in a lot of law and order situation. Now, there are assaults on the minorities. We have Manipur issue, the bulldozer justice, mob-lynching, hate speeches, etc., which are also assault on the Constitution. Now, federalism is also one of the basic structures of the Constitution. I come from Kerala. In Kerala, there is a Governor who acts as a super Chief Minister, sits on the Bills and doesn't give his assent to the Bills. That is affront to the federalism of the country.

One Nation, One Election Bill has been introduced in the Lok Sabha, which is also an affront to federalism. On the socialism aspect, reservation which is under article 16(4) of the Constitution clearly says that adequate representation should be given to the socially and educationally backward classes. Is adequate representation given to a particular backward class? That can only be done by a caste census. Caste census has not been done by this Government for ten or twelve years. That is also another affront to the Constitution. Independent Judiciary is another basic structure of the Constitution. We have seen Press conferences by the judges of the Supreme Court themselves that all is not well within the system. We have seen controversies with regard to master of the roster. We have also seen that the judges are saying, "I got divinity for writing the judgements". Judges are also bound by the Constitution and Constitution alone and not by divinity. Therefore, we have to say that the Constitution has to go deep into the system. The Constitution has to work from the ward level. The values have to be protected from the ward level.

The non-residents Indians are abroad. There is voting right given to everybody. But we have forgotten them. We have forgotten these non- resident Indians who are abroad. We have to get them to the voting system. ...(*Time-Bell rings.*)... Sir, I am concluding. The history will judge us very poorly. Therefore, we have to act together. We have to consciously act to see that the Constitution works really well in letter and spirit.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Dr. Fauzia Khan, three minutes.

डा. फौजिया खान (महाराष्ट्र): सर, अनेक भाषण सुने, 11 संकल्प सुने। संकल्प किया गया women-led development का, यह अच्छा संकल्प है, परंतु 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' भी आज भविष्य की ही बात करता है। सर, आज की बात होती, तो कोई बात होती। आज की बात होती, तो बृज भूषण शरण सिंह की बात होती, बिलकिस बानो के हत्यारों की बात होती, बदलापुर की बात होती। सर, प्रज्वल रेवन्ना की बात होती, बीजेपी के पूर्व मुख्य मंत्री येदुरप्पा पर पॉक्सो की बात होती। सर, सबके साथ का संकल्प बहुत अच्छा संकल्प है, परंतु अगर आज की बात होती, तो बुलडोजर जस्टिस की बात होती, मॉब लिंचिंग की बात होती, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात होती। सर, भ्रष्टाचार के प्रति नो टोलरेंन्स का संकल्प तो बहुत ही अच्छा है, परंतु अगर आज की बात होती, तो आज भ्रष्टाचार कहां नहीं है? आज भ्रष्टाचार बेसिक सर्विसेज़ में, योजनाओं में, मुफ्त घर में, मुफ्त अनाज में, कास्ट सर्टिफिकेट्स में, 'आयुष्मान भारत' में, यहां तक कि सब-स्टैंडर्ड काम में है। एयरपोर्ट्स की छत गिर रही हैं, रोड में गड्ढे पड़ रहे हैं, ब्रिजेज़ गिर रहे हैं, शिवाजी महाराज का पुतला तक गिर रहा है, हर जगह भ्रष्टाचार दिख रहा है, लेकिन बात हो रही है संकल्प की कि भ्रष्टाचार के लिए नो टोलरेंन्स । गुजरात में बार-बार ड्रग्स पकड़े जाते हैं, सारे देश में छोटे-छोटे बच्चों को नशे की आदत लगायी जा रही है, ये आज की बात है। गौ मांस का व्यापार करने वालों की कंपनी सरकारी पक्ष को कैसे डोनेशन देती है? सर, न्यायाधीश नफ़रत का खेल खेल रहे हैं। चुनाव में पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है, यह आज की बात है। सर, संविधान के सम्मान की बात भी बहुत अच्छा संकल्प है, लेकिन संविधान के संस्मरण की निशानियां और क्या बाबा साहेब डा. अंबेडकर के पुतलों की तोड़-फोड़ संवैधानिक मूल्यों की तोड़-फोड़ नहीं है? सर क्यों इतनी घटनाएं बढ़ रही हैं? पिछले तीन-चार महीनों में - आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में पांच बार, मध्य प्रदेश में, परभणी में महाराष्ट्र में बाबा साहेब डा. अंबेडकर के पुतलों की तोड़-फोड़ होती है और परसों एक आदमी की कस्टोडियल डेथ हो गई। क्या यह सब संविधान के लिए शर्मनाक बात नहीं है? इसकी चर्चा क्यों नहीं हो रही है? आज की चर्चा क्यों नहीं हो रही है? सर, ये कहते हैं कि 15 प्रतिशत लोगों से 85 प्रतिशत लोगों को डर है। सर, एक मेंबर ने कहा..

†**ڈاکٹر فوزیہ خان) مہاراشٹر** :(سر، انیک بھاشن سنے، گیارہ سنکلپ سنے۔ سنکلپ کیا گیا وومین لیڈ ڈیولپمنٹ کا، یہ اچھا سنکلپ ہے، لیکن' ناری شکتی وندن ادھینیم 'بھی آج بھوشیہ کی ہی بات کرتا ہے۔ سر، **آج کی بات ہوتی، تو کوئی بات ہوتی۔ آج کی بات ہوتی تو برج بھوشن شرن کی بات ہوتی، بلقیس بانو کے ہتھیاروں کی بات ہوتی، بدلاپور کی بات ہوتی۔ سر، پرجول ریوننا کی بات ہوتی، بی جے پی کے سابق مکھیہ منتری یدورپّا پر پاکسو کی بات ہوتی۔** سر، سب کے ساتھ کا سنکلپ بہت اچھا سنکلپ ہے، لیکن اگر آج کی بات ہوتی، تو بلڈوزر جسٹس کی بات ہوتی، ماب لنچنگ کی بات ہوتی، پلیسیز آف ورشپ ایکٹ کی بات ہوتی۔ سر، بھرشٹاچار کے تئیں نو ٹالرینس کا سنکلپ تو بہت ہی اچھا ہے، لیکن اگر آج کی بات ہوتی، تو آج بھرشٹا چار کہاں نہیں ہے؟ آج بھرشٹاچار بیسک سروسیز میں، یوجناؤں میں، مفت گھر میں، مفت اناج میں، کاسٹ سرٹیفکیٹس میں، آیوشمان بھارت میں،، یہاں تک کہ سب اسٹینڈرڈ کام میں ہے۔ ائرپورٹس کی چھت گررہی ہے، روڈ میں گڈے پڑرہے ہیں، برنیس گررہے ہیں، شیواجی مہاراج کا پتلا تک گررہا ہے، ہر جگہ بھرشٹاچار دکھ رہا ہے، لیکن بات ہورہی ہے سنکلپ کی کہ بھرشٹاچار کے لیے نو ٹالرینس۔ گجرات میں بار بار ڈرگس پکڑے جاتے ہیں، سارے دیش میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو نشے کی عادت لگائی جارہی ہے، یہ آج کی بات ہے۔ گومانس کا ویاپار کرنے والوں کی کمپنی سرکاری پیش کو کیسے ڈونیشن دیتی ہے؟ سر، نیائے دھیش نفرت کا کھیل کھیل رہے ہیں۔ چناؤ میں پیسہ پانی کی طرح بہایا

† Transliteration in Urdu script.

Contents Page

جارہا ہے، یہ آج کی بات ہے۔ سر، سمودھان کے سمّان کی بات بھی بہت اچھا سنکلپ ہے، لیکن سمودھان کے سنسمرن کی نشانیاں اور کیا بابا صاحب ڈاکٹر امبیڈکر کے پتلوں کی توڑ پھوڑ سمودھانک ملیوں کی توڑ پھوڑ نہیں ہے؟ سر کیوں اتنی گھٹنائیں بڑھ رہی ہیں؟ پچھلے تین چار مہینوں میں آندراپردیش میں، اترپردیش میں پانچ بار، مدھیہ پردیش میں، پربھنی میں مہاراشٹر میں بابا صاحب ڈاکٹر امبیڈکر کے پتلوں کی توڑ پھوڑ ہوتی ہے اور پرسوں ایک آدمی کی کسٹوڈیل ڈیتھ ہوگئی۔ کیا یہ سب سمودھانک کے لیے شرمناک بات نہیں ہے؟ اس کی چرچہ کیوں نہیں ہورہی ہے؟ آج کی چرچہ کیوں نہیں ہورہی ہے؟ سر، کہتے ہیں کہ 15 فیصد لوگوں سے 85 فیصد لوگوں کو ڈر ہے۔ سر، ایک ممبر نے کہا۔

that in 2014, a saviour came and saved the nation and its Constitution from some illusionary doom. ...*(Time-bell rings.)*... I am reminded of a famous quote by Saadat Hasan Manto, “India needs to be saved from the people who say it should be saved.” Thank you.

डा. दिनेश शर्मा (उत्तर प्रदेश): उपसभापति महोदय, आपका आभार है कि आपने मुझे आज इस महत्वपूर्ण चर्चा पर बोलने का अवसर दिया है। तमाम चर्चाओं के बीच में हम सब ने बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर जी को न केवल भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में देखा, बल्कि सामाजिक न्याय के एक प्रबल प्रवर्तक के रूप में हमने उनका स्तुतिगान भी किया है। उन्होंने संविधान को एक ऐसा दस्तावेज बनाया था, जो नागरिकों के समान अधिकार, स्वतंत्रता, समन्वय के लिए भविष्य में काम आए। डा. अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि संविधान केवल कागज़ों पर लिखे शब्दों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज की आत्मा है। उन्होंने इस पर जोर देते हुए कहा था कि संविधान के प्रावधानों का पालन तभी प्रभावी होगा, जब समाज के लोग समानता, बंधुता और न्याय के मूल्यों को अपनाएंगे। किसकी कैसी दृष्टि है और आत्मा को कैसे पहचानता है, लोगों की सकारात्मक दृष्टि भी है और नकारात्मक दृष्टि भी है। तमाम चर्चाओं के बीच में लोगों ने जो आरोप लगाया, मैं कह सकता हूं कि आज की वर्तमान सरकार की जो दृष्टि है, वह सकारात्मक है। पिछली सरकारों में नकारात्मक दृष्टि के कारण कई बार संविधान की धज्जियां उड़ीं। मैं कभी-कभी उदाहरण देता हूं कि दो पक्षी लंबी उड़ान उड़ते हैं, जिसमें एक गिद्द है और दूसरा गरूड़ है। गरुड़ की दृष्टि मंदिर के पवित्र गुम्बद पर होती है और गिद्द की दृष्टि मरे हुए पशुओं के मांस के लोथड़ों पर होती है। एक की सकारत्मक दृष्टि है और दूसरे की नकारात्मक दृष्टि है। जब शक्ति के साथ संविधान का अनुपालन सुनिश्चित हुआ, तब अटल बिहारी वाजपेयी जी के रूप में देश के प्रधान मंत्री के कार्यकाल में तमाम काम हुए। मैं कह सकता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो 81वां संविधान संशोधन किया। उसके अंतर्गत तमाम संशोधनों की नीतियां सुनिश्चित हुईं और अनुसूचित जाति, जनजाति के प्रति संविधान की न्याय सुनिश्चित करने की जो मानसिकता थी, वह 81वें संविधान संशोधन में पूरी हुई। इसमें यह सुनिश्चित हुआ कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए खाली पड़े आरक्षित पदों को भरा जा सकता है। यह माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की दूरदृष्टि थी।

सर, मैं एक माननीय सदस्य को देख रहा था कि वे बोड़ो लैंग्वेज में बोले। अटल जी ने उस समय, जब उनका शासन था, सत्ता में थे, तो आगे का जो कार्यकाल था, उन्होंने न केवल बोडो को, बल्कि डोगरी थी, मैथिली थी, संथाली थी, उसमें 92वां संशोधन किया। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इन भाषाओं को, जिसमें आज वे बोडो में बोल रहे थे, इन भाषाओं को

Contents Page

उन्होंने 8वीं अनुसूची में शामिल किया। यह एक ऐसे मनुष्य की दूरदृष्टि थी, जिन्होंने भाषाई विविधता को एक समरूपता का भाव दिया। आज कोई गब्बर सिंह टैक्स बोलता है, कोई और कुछ आरोपित करता है, तो 1999 में जीएसटी पर माननीय अटल जी की जो मनोभावना थी कि करों का एकीकरण हो और इनको मिलाया जाए, उसमें उन्होंने अपनी क्रियाविधि को प्रारंभ कर दिया था। उन्होंने वैश्विक जीएसटी मॉडल का अध्ययन करने के लिए एक रूपरेखा बनाई और डा. विजय केलकर के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया था। आज यही जीएसटी, कई गुना आय के स्रोत का माध्यम बना है और इसी से न हमारा केवल निवेश बढ़ा है, बल्कि आर्थिक संतुलन भी बढ़ा है। हमारी जो तमाम प्रकार की योजनाएं हैं, उनका संचालन आज हम जीएसटी के माध्यम से पारदर्शी तरीके से कर रहे हैं।

मान्यवर, डा. भीमराव अम्बेडकर जी का जो संविधान है, उसके प्रति जो दृष्टिकोण है, वह समतावादी, प्रगतिशील न्याय पर आधारित है। वे संविधान को न केवल कानून का दस्तावेज मानते थे, बल्कि वे इसको सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण का एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में भी देखते थे। आज समय के अनुसार संविधान को लोगों ने एक तरीके से अपनी नकारात्मक दृष्टि के कारण, उसको घायल करने की चेष्टा की है और मैं कहूंगा कि भीषण हत्या हुई है। भीषण हत्या का जो स्वरूप था, वह 1975 में दिखाई पड़ा। हालांकि 1952 में, 1957 में, 1962 में और 1967 में एक साथ चुनाव होते थे। महोदय, उस समय विधान सभा और लोक सभा के एक साथ चुनाव होते थे, लेकिन उस समय की सरकारों ने संविधान का उल्लंघन करना प्रारंभ करके एक साथ नौ-नौ सरकारों को गिराने का जो उत्क्रम प्रारंभ किया, वहीं से इस संविधान का पतन अथवा संविधान के पतन की जो चेष्टा थी, वह प्रारंभ हुई। मैं कह सकता हूं कि यह प्रक्रिया यहीं ठहरी नहीं, बल्कि 1975 में एक ऐसा समय भी आया था, जिस इमरजेंसी को मैंने अपने छोटेपन में देखा है। मैंने घरों की स्थिति देखी है कि लोगों को किस तरह से असत्य आरोपों में निरुद्ध किया गया। उस समय पत्रकारों पर प्रतिबंध लगा, जबरन नसबंदियां कराई गईं और विभिन्न प्रकार के अत्याचार की जो पराकाष्ठा थी, वह भी हुई। महोदय, जो संवैधानिक व्यवस्थाएं थीं, उनको न केवल नष्ट किया गया, बल्कि संविधान में बगैर नियम और कानूनों के अनुचित संशोधन किये गए। यह क्रम यहीं पर नहीं रुका, बल्कि समय-समय पर जो-जो परिवर्तन किए गए, उन परिवर्तनों की दृष्टि यह हुई कि जो जीएसटी का मुद्दा था - मैंने बोला था कि उसका विरोध इसलिए किया गया, क्योंकि उसमें 17 से अधिक कर थे और 13 उपकर थे, उनका एक मद में निरुद्धीकरण हुआ।

महोदय, इसके साथ-साथ तमाम ऐसी चीजें थीं कि संविधान में आरक्षण के संबंध में जो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वह पहले से बोलती आई है, लेकिन उन्होंने अपने समय में न केवल उसको नष्ट करने की चेष्टा की, बल्कि उसका उपहास भी उड़ाया।

महोदय, हम लोग जिक्र करते हैं कि आज तमाम राजनीतिक दल आपस में दोस्ती करते हैं, हालांकि, उन दोस्तियों में समय के अनुसार परिवर्तन होता है। कभी-कभी यह भी होता कि अंतर्मन में जो विचार होते हैं, जैसे आचार-व्यवहार होते हैं, वे शब्द स्वतः कहीं न कहीं से निकल आते हैं।

महोदय, हमारे एक वरिष्ठ नेता हैं। वे अब प्रौढ़ावस्था की ओर अग्रसरित हैं। वे कभी-कभी ऐसी बातें बोलते हैं कि उनका जवाब देना मुश्किल होता है। उनकी इच्छाशक्ति तब जागृत होती है, जब उनका विदेश भ्रमण प्रारंभ होता है। ऐसी विदेशी सोच वाले लोग, जो नकारात्मक दृष्टि से

भारत को शक्तिविहीन करना चाहते हैं, जो भारत में राष्ट्रवाद को नहीं पनपने देना चाहते हैं, ऐसे लोगों की संगत में उनके चित्र विदेशों में जाने पर दिखाई पड़ते हैं। मान्यवर, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि जो आरक्षण है, जब उसका एक निश्चित समय आ जाएगा और एक निष्पक्षता हो जाएगी, तो हम भारत में आरक्षण को समाप्त करने पर विचार करेंगे। महोदय, कांग्रेस की यह मानसिकता ऐसे ही ज़ाहिर नहीं हुई। इतने बड़े नेता के मन में आरक्षण को समाप्त करने की जो भावना थी, वह हिंदुस्तान में नहीं निकली, क्योंकि विदेश के प्रति आकर्षण का भाव था और जब विदेश में गए, तो जो उत्कंठा थी, वह उनके अंतर्मन से निकलकर बाहर आ गई। उन्होंने यह ऐसे ही नहीं कहा था। यह उनके परिवार का एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड रहा है। मैंने पहले ही कहा है कि उनके आदरणीय पूज्य नानाश्री के समय में किस प्रकार से सरकारों को बर्खास्त किया गया, संविधान की धज्जियाँ उड़ाई गईं। महोदय, पूज्य दादी जी के समय क्या हुआ था? दादी जी के समय में तो इमरजेंसी आ गई और इमरजेंसी से पहले भी, जब मंडल कमीशन को लागू करने की बात हो रही थी, तो मंडल कमीशन को लागू करने पर उन्होंने न केवल इसका विरोध किया, बल्कि उनके पूज्य पिताजी, आदरणीय नेहरू जी ने जो बोला था कि मैं नौकरियों में आरक्षण से सहमत नहीं हूँ, उन्होंने इसके बारे में जो व्यंग्यात्मक टिप्पणियाँ की थीं, उसका परिपालन आदरणीय इंदिरा जी के द्वारा किया गया। जब आदरणीय राजीव जी सत्ता में आए, तो राजीव जी ने 2 घंटे, 43 मिनट तक संसद में खड़े होकर भाषण दिया, ताकि पिछड़ों को आरक्षण न मिले और मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं होने दिया।

महोदय, यह तब लागू हुई, जब बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर की जो इच्छा थी कि पिछड़ों को अधिकार मिले, अनुसूचित जातियों को अधिकार मिले, उनकी यह इच्छा तब आगे बढ़ी, जब भारतीय जनता पार्टी की समर्थक सरकार आई और इस प्रकार के आरक्षण की प्रविधि सुनिश्चित हुई।

मान्यवर, मैं यही कहना चाहता हूं कि यह बदलता हुआ समय है और इस समय में आप यह देख सकते हैं कि अभी हमने 25 जून को जो 25वां 'संविधान हत्या दिवस मनाया' है, वह इसीलिए मनाया है कि इस प्रकार की घटनाएं क्यों हो रही है? क्योंकि 1975 में ज्वालामुखी से भी ज्यादा बड़ा विस्फोट हुआ था और उसके बाद से ये लगातार इस प्रकार की कृतियां कर रहे हैं कि विदेशों में जाओ, नैरेटिव बनाओ, नैरेटिव बनाने के बाद भारत को बदनाम करो। भारत को बदनाम ही न करो, बल्कि देश की आर्थिक स्थिति का संतुलन बिगाड़ने की कोशिश करो। यहाँ के स्टोक एक्सचेंजेज़ को प्रभावित करने की कोशिश करो, यहाँ के नेताओं को बदनाम करने की कोशिश करो। संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, जो इस प्रकार की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने वाली चीज़ें थीं, वे संवैधानिक प्रक्रिया को नष्ट करने वाली थीं। मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमने संघवाद को बढ़ावा नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, यानी एनडीए की सरकार में 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट आई और इसमें हमने राज्यों को हस्तांतरित करों का हिस्सा 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत करने का काम किया। सरकार, चाहे वह विपक्ष की कोई राज्य सरकार हो या किसी अन्य की सरकार हो, वह एक अच्छे समन्वय के साथ काम करना चाहती है। इसे लेकर जो चर्चाएं हुईं, उन चर्चाओं में यहाँ पर एक पक्षीय आरोप-प्रत्यारोप लगाए गए। कुछ लोग तो संसद भवन की बात करते थे कि अगर यहाँ पर खोदेंगे, तो डिग्री मिलेगी। मान्यवर, यह मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जनता कह रही है कि अगर शीश महल

को खोदेंगे, तो भ्रष्टाचार की बोतल मिलेगी, उसमें कुछ और नहीं मिलेगा। यह बदला हुआ समय है। अगर इसमें हम संविधान का उल्लंघन करते हैं और संविधान की अवहेलना करने का काम करते हैं, तो आज की जनता कोई अल्पज्ञ नहीं है, वह सबसे ज्यादा जानती है। हमारे बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर ने महिला सशक्तिकरण की बात की थी। अगर काँग्रेस के मित्रों से पूछें, तो वे कहेंगे कि हमने पहली महिला प्रधान मंत्री और पहली महिला राष्ट्रपति बना दी। मान्यवर, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम कब हुआ? इनके समय में कविता होती थी –

"अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी,
आँचल में है दूध और आँखों में पानी।"

अब महिला की आँखों में पानी नहीं है, बल्कि महिला की आँखों में संभावनाएं हैं, प्रगति की आकांक्षाएं हैं। देश की प्रगति में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए मोदी जी के द्वारा महिलाओं को दिया गया 33 प्रतिशत का आरक्षण है। जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, वह उनके लिए कवच बनकर सामने आया है, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि केवल बात करने से कुछ नहीं होता है। ये तो वे लोग हैं, जो 1985 में शाहबानो केस में महिला के अधिकारों का अतिक्रमण करके एक नया कानून पास कर देते हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम तो 1996 में आ जाता, लेकिन इन्होंने उसको पास नहीं किया। और तो और, ये हर समय इस प्रकार के कृत्य करते हैं। नारी शक्ति का प्रतीक रानी लक्ष्मीबाई हैं और जैसा कि हमारे मित्र ने अपने उद्बोधन में बताया कि वे संविधान के पृष्ठ पर थीं। उनका चित्र क्यों था, यह किसी ने नहीं सोचा। वे नारी सशक्तिकरण की प्रतीक थीं। नारी सशक्तिकरण की प्रतीक इसलिए थीं, क्योंकि देश को स्वतंत्रता दिलाने में उनका योगदान था। आप लोग विभिन्न प्रकार की बात करते हैं। आज समय के अनुसार हमारी सरकार ने जितने भी औपनिवेशिक कानून थे, उन्हें बदला है और निष्पक्षता के साथ बदला है। हमारे देश का आर्थिक विकास हो सके, इसके लिए उन्होंने आगे काम किया है। हमारे संविधान के अध्यक्ष डा. राजेन्द्र प्रसाद ने कहा कि यदि चुने हुए लोग चरित्रवान तथा ईमानदार हैं, तो दोषपूर्ण संविधान भी सर्वश्रेष्ठ बन सकता है। आज मोदी जी के नेतृत्व में यह संविधान सर्वश्रेष्ठ अवस्था में पहुंचने की ओर अग्रसर हो रहा है। मान्यवर, मैं यह इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि उसे खत्म करने के लिए इन्होंने जितने भी कुकर्म किए, विदेश में जाकर बयान दिए, विदेशी शक्तियों के माध्यम से दुष्प्रचार किया, तो मैं उन्हें कहूँगा -

"अमृत को दे तिलांजलि, विष को चाट रहे हैं,
कोयले में हीरों की कनी छांट रहे हैं,
जाने कहाँ अकल मिली,
जिस डाल पर बैठे हैं, उस डाल को काट रहे हैं।"

उस डाल को मत काटिए। संविधान के अनुरक्षण के लिए मोदी जी के नेतृत्व में जो देश का आह्वान है, उस नेतृत्व को सच्ची भावना से करने की जरूरत है। यह मोदी जी का कार्य है। काँग्रेस के हमारे तमाम विद्वान मित्र हैं, विपक्ष के तमाम विद्वान मित्र हैं, मैं उन्हें विद्वान मानता हूँ। विद्वान इसलिए मानता हूँ, क्योंकि वे जानकारी रखते हैं। हमारे आदरणीय प्रमोद जी को जानकारी है,

खरगे जी को जानकारी है। वे विद्वान हैं, लेकिन विद्यावान नहीं हैं। विद्यावान क्यों नहीं हैं - मैं क्षमा चाहते हुए कहूँगा कि मैं जिनका नाम ले रहा हूँ, उनकी तुलना किसी से नहीं कर रहा हूँ। हम लोग रावण को विद्वान कहते थे। रावण की जो विद्वता थी, उसकी सोच नकारात्मकता की तरफ जाती थी, इसलिए हम केवल विद्वान कहते है। बजरंगबली श्री हनुमान को हम विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर क्यों बोलते हैं ...(**समय की घंटी**)... क्योंकि उनकी सोच सकारात्मक थी और समाज के हित, चिंतन के लिए थी। इसलिए संविधान समाज के हित रक्षण के लिए है, इसका अनुरक्षण करना चाहिए और हम इसके रक्षक बनकर काम करें, इसके भक्षक बनकर काम न करें। मैं इस सदन से यही आह्वान करते हुए, अपनी वाणी को विराम देता हूं।

श्री उपसभापतिः धन्यवाद, माननीय दिनेश शर्मा जी। माननीय श्री रीताब्रता बनर्जी जी।

SHRI RITABRATA BANERJEE (West Bengal): Thank you, Sir, for giving me this opportunity. The discussion on the 'Glorious Journey of 75 years of our Constitution' will be incomplete without mentioning of a true polymath. He died almost a decade ago before we adopted our Constitution and declared ourselves as a Republic. His profound and deep impact on majority of the Members of the Constituent Assembly in general and on the country as a whole is an integral part of recorded history. A man of distinctive appearance, an accomplished musician and artist, an electric philosopher, and a passionate political activist, Rabindranath Tagore read out a five stanza poem in 1911 at a political session in Kolkata. The poem envisaged the inclusive idea of India.

On 24th of January 1950, the Constituent Assembly adopted the first stanza of the poem as our National Anthem. The rest of the four stanzas are equally important, and today I will, here in this august House, mention about the four stanzas. The four stanzas in 1911 were read out in the Calcutta Session.

Tagore said and I quote the following lines:

*"You call us to unite, day and night,
Hindus and Buddhists, Jains and Sikhs,
Parsis, Muslims and Christians meet
From East and West your throne above
We move to weave a garland of love
You the guardian of India's destiny
Victory to you, victory to you, victory to you."
"Through rugged paths that rise and fall
Your pilgrims have traversed them all

* English translation of the original speech delivered in Bengali.

Oh Charioteer the roar of your wheels
Echo day and night
On the trail we tread
The clarion call of your sacred conch
Saves us from riot, despair, and dread
You the shield of India's fate
Victory forever to you, Victory forever to you,
Victory forever to you."
"When the night was dark and utterly bleak
When our land lay in the fevered swoon,
O loving Mother, you held us close and shielded us from time's morose.
You the remover of all agony
The guardian of our destiny
Victory forever to you."

...*(Time-bell rings.)*... Sir, I crave your indulgence. Half a minute more.

"The darkness of the night is done
Now watch the glory of the rising Sun
As India awakes
You the Lord of mighty Lords
Your glory we shall always applaud
The remover of all agony
Guardian of our destiny
Victory forever to you."

Tagore's idea of India and our Constitution has always emphasized, 'We, the people'. Our Constitution is a fight between monologue and dialogue. Dialogue will always defeat monologue. Eternal glory, eternal victory to dialogue, eternal glory, eternal victory to our Constitution - Ever onward to victory!

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Jose K. Mani; three minutes.

SHRI JOSE K. MANI (Kerala): Sir, I rise today to address a matter that strikes at the very heart of democracy, the soul of our Constitution, a document that enshrines the value of liberty, equality and fraternity. We gather here not only to debate, but hold a mirror to the Central Government on its functioning. Today, the ideals of our Constitution are under siege and it is our duty as Members of Parliament to defend them. Our Constitution envisions a Government of the people, by the people, for the

people. However, under this Government's rule, governance has increasingly been for the few, by the few and of the few. Hon. Deputy Chairman, Sir, the world is watching us. India, once hailed as the largest democracy, is being described as a partially free democracy, even an electoral autocracy. Respected organizations such as *Freedom House* and *V-Dem Institute* and others have documented a steady erosion of democratic norms in India. In its 2024 report, V-Dem went so far as to call India one of the worst autocratizers in the world.

Sir, our Constitution envisions a federal structure where the Centre and the States work as equal partners. Yet, under this Government's rule, federalism has been systematically undermined. A large portion of financial resources has been transferred outside the ambit of Finance Commission giving the Centre undue control and leaving the State at its mercy. Sir, the centralization of financial powers undermines the spirit of cooperative federalism enshrined in India's Constitution and, moreover, violates the spirit of Article 275, which mandates financial aid to States to ensure balanced development.

Sir, a democracy without a free Press is like a body without a soul. Yet, under this Government, the Press has been systematically cowed into submission.

Hon. Deputy Chairman, Sir, the Constitution is not just a document. It is a promise, a promise to protect the weak, to empower the marginalized and to uphold justice for all. The Government, through its policies and actions, has broken this promise. It has failed the Constitution and, by extension, the people of this great nation. To the ruling party, I say this -- the people of India have spoken. It is time to listen, to reflect and to change course. Thank you, Sir.

MESSAGE FROM LOK SABHA

Appropriation (No.3) Bill, 2024.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Message from Lok Sabha; Secretary-General.

SECRETARY-GENERAL: Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha at its sitting held on 17th December, 2024 passed the Appropriation (No.3) Bill, 2024.

The Speaker has certified that the Bill is a Money Bill within the meaning of article 110 of the Constitution.

Sir, I lay a copy of the said Bill on the Table.

Contents Page

DISCUSSION ON THE "GLORIOUS JOURNEY OF 75 YEARS OF THE CONSTITUTION OF INDIA "- *Contd.*

श्री उपसभापतिः प्रो. राम गोपाल यादव जी।

प्रो. राम गोपाल यादव (उत्तर प्रदेश): सर, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं बहुत थोड़े वक्त में ही बोलूंगा।

श्री उपसभापतिः मालूम है, आपके पास 3 मिनट का समय है। वैसे भी आप कम बोलते हैं।

प्रो. राम गोपाल यादवः मैं इतने समय में ही अपनी बात कह दूँगा। यह जो यात्रा है, वैसे तो इतने कम समय में 100 मीटर की रेस दौड़ कर तब उस तरफ तक पहुंचा जा सकता है। देखिए, जब संविधान लागू हुआ, संविधान एक रास्ता था। जब संविधान बना, बाबा साहेब अम्बेडकर कमिटी के चेयरमैन थे, राजेन्द्र बाबू अध्यक्ष थे। उन्होंने संविधान बनाया, तो दुनिया का सबसे अच्छा संविधान बना। वे सब लोग, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। जब यह लागू हुआ, तो कुछ कानून बने। बिहार का Land Reforms Act, उत्तर प्रदेश का जमींदारी उन्मूलन विधेयक, आप जानते हैं कि कामेश्वर सिंह वर्सेस बिहार स्टेट में वह रद्द कर दिया गया। पंडित नेहरू ने लोक सभा में कहा कि अगर ऐसे ही फैसले होंगे, then haves will remain haves and have-nots will remain have-nots. उसके बाद first amendment आया, challenge हुआ, शंकरी प्रसाद केस में उसको valid माना गया। यह मामला चलता रहा। आगे फिर कोई एक केस आया, सज्जन सिंह केस में भी first amendment को valid करार दिया गया। लेकिन 1967 में गोलकनाथ केस में पूरी व्यवस्था बदल दी गई। उन्होंने कहा कि संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का कोई हक नहीं। इसके बाद जब इंदिरा जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, privy purses खत्म किए, तो इसी फैसले के आधार पर दोनों रद्द कर दिए गए। तब 1971 में 3 संशोधन हुए — 24वाँ, 25वाँ और 26वाँ। 24वें संविधान संशोधन के जरिए मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संसद को दिया गया। 26वें संशोधन में compensation का विषय था। असली झगड़े की जड़ यह थी कि सम्पत्ति के मौलिक अधिकार में, Article 31 में यह लिखा हुआ था कि बिना उचित मुआवजे के किसी की सम्पत्ति को नहीं लिया जा सकता है। उस compensation शब्द को 26वें संविधान संशोधन के जरिए amount में बदल दिया गया। उस वक्त भी जस्टिस एस.एम. सीकरी ने यह कहा था कि अगर amount nominal होगा, यदि आप कोई बहुत बड़ी सम्पत्ति को अधिगृहीत करेंगे, तो that will be a farce on the part of the Government. उसके बाद जगमोहनलाल सिन्हा का जजमेंट आ गया, इमरजेंसी लगी और इमरजेंसी में सारे अधिकार छीन लिए गए। कांग्रेस को उसका दंड भी भोगना पड़ा। 1977 के चुनाव में वह पूरे उत्तर भारत में हार गई। मैं एक चीज यह कहना चाहता हूँ कि इमरजेंसी इंदिरा जी ने लगाई थी, लेकिन इमरजेंसी को इंदिरा जी ने ही हटाया था। उसे न तो हमने हटाया और न ही आपने हटाया। ...(**समय की घंटी**)... अब देश में अघोषित इमरजेंसी है।

Contents Page

1978 में 44वें संशोधन के जरिए, संविधान में जो विकृतियाँ 42वें संविधान संशोधन के जरिए हुई थीं, वे खत्म कर दी गईं। केवल नागरिकों के कर्तव्य और प्रस्तावना में कुछ संशोधन जो हुए थे, उनको बरकरार रखा गया। उसमें Socialist और Secular शब्द जोड़े गए थे। Unity के आगे Integrity और कुछ अन्य संशोधन भी हुए थे। लेकिन कुछ लोग यह कहते हैं कि ये Socialist और Secular शब्द कहाँ से चुपके से घुसेड़ दिए गए? इनकी याददाश्त बहुत कमज़ोर है। तब जनता पार्टी की सरकार थी। उसी ने यह स्वीकार किया। उसमें आपके और देश के दो सबसे बड़े नेता, बहुत बड़े नेता, सम्मानित नेता, बहुत important Ministers थे। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री थे और माननीय आडवाणी जी सूचना और प्रसारण मंत्री थे। ये दोनों उनमें शामिल थे, जिन्होंने इसको retain किया। ...(**समय की घंटी**)... तो यह कहना कि यह चुपके से आ गया, Secular शब्द आ गया, Socialist शब्द आ गया, यह कहना बेमानी है। ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए।

1980 में जस्टिस वाई.बी. चंद्रचूड़ उस वक्त चीफ जस्टिस थे। वे इन चंद्रचूड़ जी के पिताजी थे। एक मामला आया, तो उन्होंने रवींद्रनाथ टैगोर जी की 'आमार सोनार बांग्ला' के आधार पर, उसको क्वोट करते हुए कहा कि इस देश के संविधान के 3 Articles – 14, 19 और 21, ये golden triangle है। अगर इनमें से कोई एक में भी गड़बड़ होती है, तो संविधान की प्रस्तावना का कोई लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। ...(**समय की घंटी**)... अब आप देखिए कि समता का अधिकार क्या है? कानून के समक्ष सब समान हैं। व्यवहार में..

श्री उपसभापतिः प्रोफेसर साहब, अब आप कन्क्लूड करें।

प्रो. राम गोपाल यादवः सर, मुझे बस एक मिनट लगेगा।

श्री उपसभापतिः आपको ऑलरेडी 6 मिनट हो गए हैं। आपका 3 मिनट का समय था, लेकिन आप 6 मिनट बोल चुके हैं।

प्रो. राम गोपाल यादवः असली बात तो रह ही गई। ...(**व्यवधान**)... हमारे देश हिन्दुस्तान के जो सबसे बड़े राज्य हैं, उनमें मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया गया। सच बात तो यह है। सम्भल में जिस तरह से लोगों को मारा गया - Article 21 में क्या लिखा हुआ है – जीवन को बिना विधिसम्मत प्रक्रिया के नहीं लिया जा सकता। ...(**समय की घंटी**)... वहाँ लोगों को मारा गया। उनको जेल में मारा गया और पुलिस कस्टडी में मारा गया। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः प्रोफेसर साहब, प्लीज़ खत्म कीजिए।

प्रो. राम गोपाल यादवः चाहे जितना बड़ा अपराधी हो, ...(**व्यवधान**)... चाहे जितना बड़ा अपराधी हो, ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः अब आप प्लीज़ कन्क्लूड कीजिए। ...(**व्यवधान**)... प्लीज़। ...(**व्यवधान**)...

प्रो. राम गोपाल यादवः सर, एक मिनट। ...(**व्यवधान**)... ठीक है, मैं अब खत्म कर रहा हूँ। ...(**व्यवधान**)... मैं आखिरी बात कह रहा हूँ। ...(**व्यवधान**)...

मैं यह कह रहा हूँ कि जब कृष्ण जाने को थे, तो उन्होंने कहा कि मेरा काम पूरा हो गया है। उन्होंने बलदेव से कहा कि आप चलिए, हम लोगों को जो करना था, कर दिया। उन्होंने अर्जुन से कहा कि यह द्वारिका समुद्र में डूबने वाली है, इसलिए यहाँ की महिलाओं को हस्तिनापुर ले जाओ। वे उनको लेकर चले। ...(**समय की घंटी**)...

श्री उपसभापतिः अब आप प्लीज़ कन्क्लूड कीजिए।

प्रो. राम गोपाल यादवः वहाँ भील थे। ...(**व्यवधान**)... अभी बन्द मत कीजिएगा। ...(**व्यवधान**)... छोटा सा sentence है। भीलों ने गोपिकाओं को लूट लिया। तब फिर क्या कहा गया? लोग क्या कहते हैं? लोग अब भी कहते हैं कि :

"मनुज नहीं बलवान है, समय बड़ा बलवान,
भीलां लूटी गोपियाँ, वही अर्जुन वही बाण।"

श्री उपसभापतिः श्रीमती महुआ माजी, 7 मिनट। ...(**व्यवधान**)... प्रोफेसर साहब, आपके 7-8 मिनट हो चुके हैं। प्लीज़। ...(**व्यवधान**)... श्रीमती महुआ माजी, आप बोलिए।

श्रीमती महुआ माजी (झारखंड): उपसभापति महोदय, भारतीय संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर इस देश की जनता केंद्र सरकार से संविधान की रक्षा की उम्मीद करती है। हमारे संविधान निर्माताओं ने secularism, unity, integrity की बात की है। बुद्ध सांप्रदायिक भेदभाव के खिलाफ थे। Communism, socialism में भी सामाजिक बराबरी की बात की गई है। कबीर दास, संत रविदास, कांशीराम, बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे तमाम मनीषियों के प्रयासों की अनदेखी करके वर्तमान केंद्र सरकार ने भाजपा के नेताओं द्वारा चुनाव के वक्त देश के विभिन्न राज्यों में 'बँटोगे तो कटोगे' जैसे सांप्रदायिक नारे के साथ घोले जा रहे जहर को फैलाने से रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया?...(**व्यवधान**)... इस बार विधानसभा चुनाव में झारखंड में भाजपा के बड़े-बड़े नेताओं ने विभिन्न राज्यों से आकर जनता के बीच 'बँटोगे तो कटोगे' जैसे सांप्रदायिक नारे दिए, हिंदू-मुस्लिम के बीच नफरत का जहर घोला, 'बँटोगे-कटोगे' का पोस्टर चिपकाया, पैंफ्लेट बांटे, अपने कैडर्स को 'बँटोगे-कटोगे' लिखा हुआ टी-शर्ट पहना कर वोटिंग के समय गलियों में वोटरों के सामने से मार्च करवाया, सोशल मीडिया में सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाली कई वीडियोज़ वायरल किये। सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए, जो बड़े-बड़े नेता थे, जो झारखंड में गठबंधन में चुनाव लड़े थे, उनको भी लेकर तरह-तरह के वीडियोज़ बनाए गए और इस तरह से सांप्रदायिक मुद्दों को भड़का कर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की गई। क्या यही संविधान के प्रति रूलिंग पार्टी का सम्मान है?

प्रधान मंत्री जी ने संविधान पर अपने वक्तव्य में कहा, हम लोकतंत्र की जननी हैं। उन्हें सोचना चाहिए कि क्या उनकी पार्टी लोकतंत्र और अम्बेडकर का सम्मान कर रही है? यह देश

अनेकता में एकता का देश है, बहुरंगी संस्कृति का देश है, क्योंकि यहां Dutch, Turkey, Portuguese, French, Mughal, पठान, अंग्रेज आदि विभिन्न संस्कृति के लोग आते रहे हैं। सदियों से उन्होंने यहां के स्थापत्य कला, साहित्य संस्कृति, खान-पान, रीति-रिवाज, रहन-सहन, वेशभूषा, शिक्षा-दीक्षा, भाषा-बोली जैसे हर क्षेत्र में अपना योगदान दिया है। बहुत सारे लोग कई पीढियों से यहीं के होकर रह गए हैं। हमने और आपने उनसे बहुत सारी चीजें जाने-अनजाने ग्रहण कर ली हैं। अब हम उनके योगदान को नकारने या खारिज करने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं हैं। जब हमारे पुरखों ने, संविधान निर्माताओं ने उन्हें स्वीकार कर लिया, तो भाजपा कौन होती है उन्हें आपस में लड़ाने वाली या खारिज करने वाली? सरकारी तंत्र उन्हें प्रश्रय क्यों दे रहा है? जनता द्वारा चुने हुए झारखंड के लोकप्रिय आदिवासी मुख्य मंत्री हेमंत सोरेन जी को लोक सभा चुनाव से ठीक पहले केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी द्वारा बिना किसी सबूत के जेल में डाला गया। 5 महीने तक वे जेल में रहे। तब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया और कहा कि जब ईडी कोई सबूत ही नहीं दे पाई है, तो उन्हें बेल मिलनी चाहिए और उन्हें बेल मिली। विपक्षी नेताओं के साथ ऐसा लगभग हर राज्य में किया जा रहा है। इस प्रकार से यह सरकार संवैधानिक अधिकारों का खुलेआम सरकारी एजेंसियों के माध्यम से हनन कर रही है। क्या ऐसी सरकार को Glorious Journey of 75 Years of Constitution of India को सेलिब्रेट करने का हक है?...(**समय की घंटी**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mahuaji, please conclude.

श्रीमती महुआ माजी: सर, संविधान में भारत में रहने वाले आदिवासियों के अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता दिखाई गई है। वर्तमान केंद्र सरकार आदिवासी की बात तो करती है, लेकिन आदिवासियों के हित में कुछ करने से कतराती है। हमारी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कुडुख, मुंडारी आदि महत्वपूर्ण आदिवासी भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करवाने हेतु झारखंड के मुख्य मंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार से मांग की। ...(**समय की घंटी**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mahuaji, please conclude. ...*(Interruptions)*...

श्रीमती महुआ माजी: सर, सरना धर्म कोड, 1936... खतियान आधारित स्थानीय नीति...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. Shri K.R. Suresh Reddy. You have five minutes. ...*(Interruptions)*... Mahuaji, it is not going on record.

SHRI K.R. SURESH REDDY (Telangana): Sir, coming from Hyderabad, we have a special attachment and gratitude towards the Constitution of India on how it helped, guided and inspired us. I would like to take this opportunity to refresh the memory of the House on how it guided and helped us.

[THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA) *in the Chair.*]

Sir, when India became independent with 560-plus Princely States, Hyderabad was one of the few States which could not be part of the jubilation and celebration which happened then. It took us one year, one month and two days to become part of the Indian Union. And, in that one year and one month of struggle, it was the struggle of the entire people of Hyderabad State, who stood like a rock, who wanted to be part of the freedom and who fought for the freedom and eventually attained it. We compelled the Government of India for a police action, and, through the Government of India's intervention of police action, Hyderabad became part of the Union of India and we became part of Article 1. While our journey continues through Article 1, Mr. Vice-Chairman, Sir, I would like to remind the House that if I stand here, and say that I, K.R. Suresh Reddy, Member of the BRS Party, coming from the State of Telangana, it is because of Article 3. It is because of Article 3, I stand here as a Member from Telangana State. To achieve the Statehood, there was a struggle led by our leader KCR ji for 13 long years. It was a struggle to attain a separate Statehood and it was only possible after so many lives were lost. The entire *samaj*, be it the Government employees, be it the women, be it the youth and everyone, came together to awaken the Government of India and pressurize them. Of course, we thank both the national parties, the Congress and the BJP that they could sense the feelings of the people, and, again, thanks to Article 3 that we stand here as Members of this august House. Sir, we acknowledged and we did not leave the dreams there. Hon. Member spoke of prophets of doom and said, when India was created, how they spelt doom for India. Similarly, when Telangana attained Statehood, similar expressions were expressed and it was said that Telangana will not prosper, Telangana will not have power, Telangana will not have electricity, and Telangana will not be able to contain the opportunities given. But, thanks to the Constitution of India and the Directive Principles enshrined in it, which guided my leader KCR Garu, from a region which was the most backward, in a matter of 10 years, today, we could become one of the most progressive States. When Telangana was under the Nizam's rule, the ruler was the richest person in the world and in the ten years after we attained the statehood, we made the people of Telangana one of the richest in the country. Again, thanks to the Constitution, thanks to the Directive Principles.

Mr. Vice-Chairman, Sir, I would like to give a small example of our journey. *...(Interruptions)...* Article 38 speaks about the distribution of wealth and equal opportunities. It was so well established under the leadership of KCR ji in Telangana

that we became number one State with highest per capita income in the country. This gives us a message that if the Constitution inspires you and if the leadership has got the ability, definitely, we can attain this and we have proved it. Not only did we prove ourselves by making Telangana number one State with highest per capita income and but we are also contributing to the GDP of the country also and this expresses our nationalism. As far as our contribution to GDP is concerned, we have given almost 4 percent, and, now, we have gone up to 4.8 per cent. We did not limit ourselves only to Article 38. There are various other Articles. There is Article 47 which speaks about health and we have won many awards from Government of India. There is Article 40, which you got in, regarding creation of village panchayats and empowering people. We have created many, many *Gram Panchayats* to create a sense of per capita governance in the State of Telangana. I can continue on and on and on but there is limitation of time.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please conclude.

SHRI K. R. SURESH REDDY: Sir, just give me a minute to conclude. While the journey of Telangana continues to inspire India through the Constitution, we have suggestions from our party.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please conclude.

SHRI K. R. SURESH REDDY: Sir, just give me 30 seconds. There are three or four suggestions on the occasion of celebrating this grand journey. We request for an anti-defection law. The Congress Party brought in an amendment and the BJP supported it, but instead of tightening it, the loose ends are so clearly visible which many of the Members expressed. So, bring in a stringent anti-defection law. Secondly, bring in delimitation. States like ours, which are contributing to the country's growth, should not be punished just because we are less in population.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please conclude.

SHRI K. R. SURESH REDDY: Sir, with these few words, I conclude. Even though we are a 4-Member Party, and, I am the only Member speaking in the world's largest parliamentary democracy, I should not be looking at you and I should not be fighting for democracy in Parliament, but nevertheless, respecting your direction, I take leave. Thank you. Jai Hind!

Contents Page

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Shrimati Priyanka Chaturvedi. You have three minutes.

SHRIMATI PRIYANKA CHATURVEDI (Maharashtra): Sir, I am truly grateful to you that you are in the Chair today, especially when I am speaking. सर, इस सेशन में हमारी hundred percent attendance है। मैं यहां दो दिन से सबकी चर्चा सुन रही हूं, because I do believe in the glorious 75 years of our Constitution and the need for us to celebrate it. I come from a regional party in Maharashtra. It is this Constitution, it is Dr. Babasaheb Ambedkar *ji*'s vision which has brought us to be able to speak about Maharashtra, to be able to compete as a political party against several national parties. Having said that, I was hoping that in this celebratory mode, we would be able to raise our voices. But, unfortunately, only three minutes have been assigned to us thanks to the Treasury Benches. What is equally unfortunate is amongst the 'Others', some get five minutes and some get three minutes. My floor leader got three minutes, while others who are in the 'Others' got five minutes to speak. उसमें भी भेदभाव है। That goes to show that they do not believe in actually speaking up for the Constitution and what the Constitution guarantees us. I had spoken about how several parts make an entire whole. The Constitution has several parts to it and the whole is greater than the sum of its parts. If I were to go into every single part about the Constitution, we would see how this Government has systematically weakened every single part of India's Constitution and undermined the Constitution at every single given point in time.

Sir, everybody has spoken about fundamental rights. So I will not spend my time on that. You look at part V of the Constitution. You look at part VI of the Constitution. You look at part VIII of the Constitution. You look at part XI of the Constitution. And you look at the Tenth Schedule of the Constitution. It is about the federal structure of this country. It is about Union versus States. It is about political parties. It is about anti-defection law. There is undermining of the Tenth Schedule, which mandates that two-thirds of the people, even if they defect, they need to merge into another party. Otherwise, they will be facing disqualification. It has been denied to them. What is equally unfortunate is this. We are talking about judiciary. Part V of the Constitution has judiciary in it. The Constitution Bench takes forever to take a decision which impacts, harms, undermines and weakens our Constitution. And that is the unfortunate reality that smaller parties like us face. We continue to hope that our judiciary will ensure and highlight and fasten the process of giving us justice. Unfortunately, we are still fighting that out in the courts of law. Election forms a very important part of the Constitution. We have seen in Maharashtra how 46 lakh

people were added in the electoral rolls between the Lok Sabha and the Vidhan Sabha elections. We still don't have an answer from the Election Commission on that. The second thing is 13 per cent jump in voter turnout, which even the former CEC has questioned. (*Time-bell rings.*) Just one minute more. I seek your indulgence because you are in the Chair. And I am happy to see you in the Chair, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please conclude.

SHRIMATI PRIYANKA CHATURVEDI: Sir, the last thing I want to say here is this. Another important part of the Constitution is finance, property, contracts, trade and commerce. These form part of the Constitution. We have seen how income tax forms the highest revenue component of the Government, which is personal income tax, and it is 31 per cent. Corporate tax is just 26.5 per cent which it is contributing. How one particular industrialist is getting land in Maharashtra, in Mumbai, undermining all rules of law, and favouritism is being seen from the Government of the day. All those are unconstitutional...(*Time-bell rings.*)... With these kind words, I would like to thank you so much for allowing me to speak on this important issue.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Shri Ramji. Three minutes.

श्री रामजी (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे भारत के संविधान के 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। साथ ही, मैं भारत रत्न, बोध सत्य, बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करता हूं, जिन्होंने न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व आधारित विश्व का सबसे सुंदर और गौरवशाली संविधान देने का काम किया। मैं बहुजन नायक बामसेफ, डीएस4, बीएसपी के संस्थापक माननीय श्री कांशी राम जी को भी नमन करूंगा, जिन्होंने पूरे देश में दबे, कुचले, शोषित, वंचितों के अंदर संविधान और बाबा साहेब डा. अम्बेडकर जी के विचारों के प्रति नई चेतना पैदा कर, उनके अंदर सत्ता के प्रति आगाज़ पैदा किया।

मान्यवर, इसके साथ ही मैं अपनी पार्टी की आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपने चार बार के शासनकाल में बाबा साहेब के संविधान को उत्तर प्रदेश में लागू करके दिखाया। सर, संविधान की मंशा के अनुरूप उत्तर प्रदेश में माननीय बहन जी ने गरीबों की शिक्षा को फ्री किया। तमाम स्कूल्स, तमाम डिग्री कॉलेज, तमाम आईटीआई कॉलेज, तमाम यूनिवर्सिटीज़ खोलने का काम उत्तर प्रदेश में माननीय बहन मायावती जी ने करने का काम किया। अभी उत्तर प्रदेश की एक रिपोर्ट के अनुसार 7,84,000 बच्चे शिक्षा से महरूम हैं। यह गंभीर विषय है। मैं सरकार से चाहूंगा कि इस पर गंभीरता से विचार करे और इसके रीजन्स के बारे में देखने का भी काम करे।

Contents Page

सर, बहनजी के शासनकाल में गुंडे, मवाली और बलात्कारियों के लिए कोई जगह नहीं थी। भू-माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं थी। वे लोग उत्तर प्रदेश को छोड़कर भागते थे। पहली बार उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त बना। बहनजी ने किसी के घर पर बुलडोज़र चलाने का काम भी नहीं किया। कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है कि संविधान दिखाने की होड़ लगी हुई है। जिसको देखो संविधान दिखा रहा है। कहीं पक्ष के लोग हैं, तो कहीं विपक्ष के लोग हैं, लेकिन संविधान की मंशा के अनुरूप कोई चलना भी नहीं चाह रहा है। 75 सालों से किसी ने भी संविधान की मंशा पर पूरी तरह से चलने का काम नहीं किया है। आज भी दलित समाज को सामाजिक और आर्थिक न्याय नहीं मिला। ओबीसी को भी आर्थिक और सामाजिक न्याय नहीं मिला। आज भी दलित समाज के बच्चों के साथ जाति भेदभाव होता है, छुआछूत होती है। कहीं मूंछ रखने पर हत्या होती है, अच्छे कपड़े पहनने पर हत्या होती है, घोड़ी पर बैठने पर हत्या होती है। जाति आधारित अत्याचार चरम पर है। आज भी दलित समाज की बच्चियों के साथ बलात्कार और हत्या रुकने का नाम नहीं ले रही है। यह हमारे ऊपर एक कलंक है कि हम दलित समाज की बच्चियों के बलात्कार क्यों नहीं रोक पा रहे हैं?

मान्यवर, मैं कुछ घटनाओं को क्वोट करना चाहता हूं। ये अभी हाल की घटनाएं हैं। बिहार के औरंगाबाद में खम्भा गांव पड़ता है। वहां दलित समाज की नाबालिग बच्ची थी। दो दबंग जबरन घर में घुसे और उन लोगों ने उस बच्ची का बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी। मंदसौर के अंदर दबंगों ने दलित समाज के घर में घुसकर फायरिंग की और महिला की हत्या कर दी। सर, अभी एक घटना महाराष्ट्र के परवनी की है। महाराष्ट्र के अंदर परवनी में बाबा साहेब की प्रतिमा और संविधान की प्रति को क्षतिग्रस्त किया गया। वहां पर लोगों ने प्रदर्शन किया और उसके बाद पुलिस ने उन ऊपर तांडव किया। पुलिस ने वहां पर सोमनाथ सूर्यवंशी नाम की बच्ची को गिरफ्तार किया। उसको वहां थाने में बहुत पीटा, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। यह शर्म की बात है। ...(**समय की घंटी**)... सर, संविधान की चर्चा तभी सार्थक होगी, जब सरकार संविधान के अनुरूप चलने का काम करेगी। मैं कुछ तमाम प्वाइंट्स आपके सामने रखना चाहता हूं।...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please conclude.

श्री रामजी: मैं कन्क्लूड कर रहा हूं। तमाम उद्योग-धंधों में एससी/एसटी की भागीदारी तय की जाए। एससी/एसटी और ओबीसी को पूरे देश में सरकारी ठेकों में रिजर्वेशन दिया जाए। एससी/एसटी और ओबीसी के गरीब बच्चों के लिए शिक्षा को फ्री किया जाए। समाज के गरीब बच्चों के लिए शिक्षा को फ्री किया जाए। मैं कहना चाहता हूं कि प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल पेंडिंग पड़ा हुआ है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि उसको वापस लाया जाए और उसे पास कराया जाए।

मान्यवर, प्राइवेट सेक्टर में लंबे समय से रिजर्वेशन की मांग चली आ रही है। ...(**समय की घंटी**)... पब्लिक सेक्टर और सरकारी विभागों के अंदर जो कॉन्ट्रेक्ट बेसिस के ऊपर जो भर्तियां की जा रही हैं, उन पर रिजर्वेशन लागू किया जाए। सर, lateral entry में भी एससी/एसटी और ओबीसी को ...(**व्यवधान**)...

Contents Page

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Thank you. I have to move on.

श्री रामजी: सर, मैं खत्म कर रहा हूं। मेरा लास्ट प्वाइंट है। Lateral entry में भी एससी/एसटी और ओबीसी को वहां पर रिजर्वेशन देने का काम करना चाहिए।...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Sorry! I will have to move on.

श्री रामजी: मेरा एक लास्ट प्वाइंट यह है कि दलितों की आवाज़ पहुंचाना जरूरी है। ...(**व्यवधान**)... मान्यवर, मैं आपको माध्यम से पीएम साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Sorry! I will have to move on. Now, Shri Ramdas Athawale.

श्री रामजी : अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एससी/एसटी के वर्गीकरण में...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा) : ठीक है, बोलिए।

श्री रामदास अठावले: उपसभाध्यक्ष महोदय,...(व्यवधान)...

श्री रामजी: एससी/एसटी के रिजर्वेशन को नवीं अनुसूची में डालने का काम करें। ...(**व्यवधान**)... कुछ दिनों से संविधान विरोधी ताकतें इस देश के अंदर हावी हो रही हैं, उन पर रोक लगाएं। ...(**व्यवधान**)... जो बदलने की बात कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई करें, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान!

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा) : श्री रामदास अठावले जी। आपका समय अभी शुरू होता है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामदास अठावले): उपसभाध्यक्ष महोदय,

"आज की राज्य सभा की शाम,
हम करते बाबा साहेब के संविधान के नाम,
हमें नहीं चाहिए कांग्रेस वालों का दाम,
हम पूरा करते संविधान का काम।"
"संविधान को पूरे हुए हैं 75 साल,
मोदी साहब बदल रहे भारत का हाल,
कांग्रेस ने खाया था बहुत सारा माल,
मोदी साहब ने तोड़ दिया है

कांग्रेस का भ्रष्टाचार का जाला।'

6.00 P.M.

'सारी दुनिया का है भारत की तरफ ध्यान,
क्योंकि सबको प्यारा है अपना संविधान।'

...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Hon. Members, just one minute. It is about 6.00 p.m.. If the House agrees, we may extend the sitting of the House till the conclusion of the ongoing discussion. Do I have the sense of the House?

SOME HON. MEMBERS: Yes, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Thank you. Please continue.

श्री रामदास अठावले :

'माननीय नरेन्द्र मोदी जी रखते हैं संविधान की आन,
और ये कांग्रेस वाले दिखाते हैं हाथ में लेकर संविधान।
संविधान ने हम सभी लोगों को जगा दिया है,
इसलिए कांग्रेस को सत्ता से जनता ने भगा दिया है।
70 सालों में इसी कांग्रेस ने लोगों को दगा दिया है,
70 सालों में कांग्रेस ने सारे देश को दगा दिया है,
और मोदी जी ने गांव-गांव में समता का पेड़ लगा दिया है ।
ओबीसी समाज के मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने की है
कांग्रेस को जलन,
इसलिए मोदी जी के साथ हुआ है मेरा मिलन।
हमारे साथ हैं जेडीयू के ललन
आरजेडी का बंद हुआ है वहाँ पूरा चलन।'

...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा): प्लीज कन्क्लूड। थैंक यू, आपका समय समाप्त हो गया है। Please sit down.

श्री रामदास अठावले: महोदय, भारत का संविधान दुनिया में सर्वश्रेष्ठ संविधान है। ....(**समय की घंटी**)...

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा): थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया।

Contents Page

श्री रामदास अठावलेः संविधान के आर्टिकल 17 के मुताबिक अपने देश में जो कास्टिज्म था, उसको खत्म कर दिया है। बाबा साहेब के संविधान की शान बढ़ाने के लिए हमारी जो एनडीए सरकार है, मोदी जी सरकार है, यह सरकार काम कर रही है।

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा): थैंक यू।

श्री रामदास अठावलेः बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जिस पार्टी को जन्म दिया, वह रिपब्लिकन पार्टी है और मैं उसी पार्टी को चला रहा हूं। बाबा साहेब अम्बेडकर जी का सपना पूरा करने के लिए, संविधान का भारत खड़ा करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं।

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा): आपका बहुत शुक्रिया।

श्री रामदास अठावलेः इसलिए हमें सभी लोगों का साथ मिलना चाहिए। हमें कांग्रेस वालों का भी साथ मिलना चाहिए। आज कांग्रेस अपोजिशन में है, आप 70 साल तक सत्ता में थे। ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Hon. Member, I will have to move on. Please conclude. ...*(Interruptions)*... Thank you. ...*(Interruptions)*...

श्री रामदास अठावले: महोदय, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन संविधान पर चर्चा हो रही है, इस चर्चा में सभी लोगों ने भाग लिया है और हमारी सरकार, मोदी जी की सरकार संविधान को मजबूत करेगी – इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Thank you. Now, Shri Derek O'Brien. ...*(Interruptions)*... Thank you, hon. Member. Hon. Shri Derek O'Brien, ten minutes.

SHRI DEREK O'BRIEN (West Bengal): Sir, every Member of my Party has taken one word from the Preamble as a theme and spoken on it, on the Constitution. The Constitution is more than a book in a library. It is a living, breathing document on the streets of India. We have heard lots from 1940, 1950, 1960 and 1970, lots in the 40s and 50s, and good. History is always

(MR. CHAIRMAN *in the Chair.*)

useful. But I wish to take you on the streets of this living, breathing document. Let me start with 1984. A young lawyer, a part-time milk booth attendant, a political activist in 1984 suddenly went to the United Nations within one year 1984-85. Why? It is because this Constitution gave that person a chance to be elected to the Lok

Contents Page

Sabha. It was Rajiv Gandhi who gave her a ticket. Doesn't matter bank account, doesn't matter social status, but she got the ticket and, after that, went and represented India at the United Nations. There are many light-hearted stories about how she took her *murmurah* around because she still lives in that one room home in Kolkata. That was 1984 and the Constitution made that happen for her. In 1997, again, the Constitution, not in a library but, on the streets. The Congress party, she felt, was too close to the CPI(M). So, they had a Bengal seminar, big seminar in Bengal, of the Congress Party. They had it inside the stadium. This lady had her own conference outside the stadium. Five thousand people came inside the stadium. Fifty thousand people came outside the stadium. This is the Constitution on the streets. There are about 40-50 examples. I will just give you one more. And, that is fighting for farmers. All options had run out. So, she went on a 26-day hunger strike. This is a woman who has sent people like me to Parliament. Next time, you people here talk about women, listen to what this woman has to tell you. One is, Women's Reservation Bill. You brought it. When will women come into Parliament? It is 2034. In my party, All India Trinamool Congress, out of our 43-44 MPs, 38 per cent of women are already in Parliament. This is the kind of a debate we should be having. Otherwise, it is screaming and shouting! What have you done for women in Parliament? In the last Lok Sabha, it was 14.5 per cent. This Lok Sabha, you brought it down to 13.5 per cent! Don't talk to us about women. I am glad you took a good idea from a State --State health card, Swasthya Sathi and, two years later, you turned it into *Ayushman* Bharat. Good. But, the health card in Bengal is in the name of the woman of the house. And, under Lakshmir Bhandar, Rs. 1,200-1,500 given to women, I welcome that the idea started by Mamata Banerjee in Bengal many years ago has now been copied by multiple States. Very good! But, see your arrogance! On a day where we are debating the Constitution of India, your hubris makes you bring a Bill to amend the Constitution at 12 noon! Bring it, we will fight you. We will defeat you; on the One-Nation-One-Election. And you are bringing this Bill. For heaven's sake, you cannot conduct one election in one State in one phase. You need seven phases! I will give you examples. You can't conduct one election in one constituency! You need two different days.

Sir, it has been a 30-hour debate. There are one lakh forty-six thousand words in the Constitution. I want to talk about three important words which are not in the Constitution. Very important. And, let us reflect. Federalism! As per your view, you say, cooperative federalism. Your view is PF, not 'provident fund' but 'political federalism'. What do you say? You say, 'We don't like you. We can't defeat you. So, what we will do? We will block MGNREGA funds and we will block *Awas* Yojana

Contents Page

funds.' It doesn't matter. We brought our own funds to pay in Bengal. You will do this. It is because double engine is an unconstitutional concept. We spend so much time on words, words, words. I want to pause for 10 seconds and give my 10 seconds for everyone, through you, Sir, to introspect. Think about it. Federalism! Second word not mentioned in the Constitution - 'media.' And, we have all the respect for journalists; all of them, not mentioned in the Constitution. I want to use this platform of Parliament to ask the 10 biggest media owners. You are watching this, I hope. The ten biggest media owners! Don't give me examples of 1975 in the Emergency. No! The ten big media owners, you are the billionaires. The next seven seconds are for you. In silence, reflect, and introspect. And the third word not mentioned in the Constitution, which is very important, is the 'Opposition'. It is not mentioned in the Constitution. It is the very basic rule. The Opposition must have its say. We do not have the numbers here. The Government will have its way. It is as simple as that. So allow us to have our say. I am happy that the hon. Home Minister is here because sometimes, the Opposition is not in Parliament. Let me give you two examples. One, unanimous resolution passed in the Bengal Assembly to fast track a Bill for the safety of the women who are raped, the Aparajita Bill. And the second example is to change the name of the State to 'Bangla'. Where are these Bills? The Governor's office - deep freeze. After that, it comes to high constitutional office. I have no problem with the high constitutional office, not at all, because the high constitutional office will only act on the advice of Mr. Modi, Mr. Shah, the Home Minister, the Cabinet. I want the high constitutional office or those advising on these issues of the Opposition to reflect. *...(Interruptions)...* Sir, reflection is difficult. Reflection has to be in silence. So, don't hassle me when I am speaking. Then, the Farm Bills. What happened on that? I have got 30 examples of the Parliament. I will take one. Sir, 146 MPs were thrown out for another Bill, Criminal law Bills. There is an enabling act of the Nazis that they brought there in 1933. Read that because that also gives you similarity. But come to the Farm Bills. What happened to the Farm Bills? The Opposition objected. Why? It is because we wanted voting on the Bills. What happened when the Opposition objected? Everyone got suspended. The videos went out. "Oh! The Opposition was dancing or moving around on the tables!" My question is: When you repealed the Farm Bills, you quietly sat down and repealed the Farm Bills. Why did not you allow the Opposition to debate that subject when you repealed those Bills? Allow us. Sir, in all this, some of these explanations will not be understood because there are parties like mine led by Mamata Banerjee and the people of Bengal. You try and get us in Bengal, every time out of ten seats, you lose three, we win eight. So, you are stuck with that. Sir, we will not allow this Parliament

to ever become an RSS *shakha*. Never! We will fight for it. But I want to end on a celebratory note, on a happy note. I have stayed only with the Constitution. And when I started, I said that the Constitution is more than a book in the library. It is a living, breathing document on the streets, and I know these streets of Kolkata, of every district in Bengal. Sir, I will end with a story. It is a reality. There is a Jewish bakery in Kolkata where a week away from Christmas,-- there must be about 4,000-5,000 Jews in India -- the Jewish bakery makes delicious Christmas cakes. All the 300 bakers in that Jewish bakery belong to one community. They are all Muslims, each one of them. And about a week before Christmas, there are long lines outside the bakery, and if you go and ask the people in those lines, they will tell you, "Bhaskar, Reema, Arun". It does not matter, they are all Indians, but they are in that line in that Jewish bakery. Eighty per cent are Hindus. ...*(Interruptions)*...

Sir, I will take one more minute. And, what are they celebrating? A Christian festival! Sir, I want to conclude by saying, come to Bengal. Come at the end of March. Now, you can come and celebrate Christmas. Come at the end of March to line up on Red Road and watch the Eid prayers. Or, mark the date, on the 30th of April, come to Digha to see the beautiful new Jagannath Temple. Thank you, Sir.

MR. CHAIRMAN: Now, Shri P. P. Suneer.

SHRI P.P. SUNEER (Kerala): Hon. Chairman, Sir, previous speakers have highlighted the history of our Constitution and the challenges it faces today. Given the nature of the topic and listening to some of the speeches from the Treasury Benches, there is much to be said. Opening the discussion, the hon. Finance Minister targeted the Soviet Union's model by forgetting their immense assistance for our country in terms of numerous infrastructure projects at the scale of the Bhilai Steel Plant and their support to us during the 1971 war. It was a joint Indo-Soviet space program that sent the first Indian into space. Like this, there is much to call out and expose the lies spoken from the Treasury Benches. But given the paucity of time, I rise to speak only on the reality behind the 11 resolutions given by hon. Prime Minister in the Lok Sabha. While these resolutions may appear optimistic, they do not align with the reality of governance under the BJP. The first one, 'Be it Government or citizens, all must fulfill duties' While it is noble to call for duties, this comes from a Government that has sidestepped its responsibilities, particularly, in tackling unemployment and inflation. In our Constitution, duties follow behind rights and rights of the people is a term the BJP has no value for. The second is 'Sabka Saath, Sabka Vikas.' This slogan falls flat as Dalits, Adivasis and Minorities, especially

Contents Page

Muslims, continue to face discrimination. The Government and the BJP's action contradict this call for inclusive development. The third one is 'Zero tolerance towards corruption.' The BJP's call for zero tolerance is undermined by its own actions. The Treasury Benches repeatedly obstructed discussions on corruption charges against a corporate house and several alleged corporate individuals are now ruling party leaders. The fourth one is 'Laws of nation' - we should be proud of them.' Selective enforcement of laws like UAPA target dissenters and activists. The recent suicide of an individual in Madhya Pradesh due to ED harassment raises serious questions about misuse of power and fairness of law enforcing authorities. The fifth one is 'Freedom from colonial hangover, pride in India's culture and heritage.' While it is important to move beyond Colonial legacies, the BJP's obsession is with distorting India's path to further its divisive agenda. Creating artificial enemies to divide the people does not help national progress. The sixth is 'Freedom from dynasties in politics.' The BJP's own dynasties, naturally, is evident, with several leaders holding power for decades. The PM should look to the Left for lessons in political merit if he wants to pursue politics that looks beyond dynasties. The next is 'Samvidhan ka Samman.' The RSS's early attacks on our Constitution remain relevant. Their allegiance to Manusmriti over the Constitution speaks volumes about their commitment to democratic principles. 'Don't take away reservations of those who did them.' While the hon. Prime Minister's statement is welcome, the BJP's policies, including privatisation, have eroded opportunities for marginalized communities to benefit from reservations. Reservations can be safeguarded only when there is a strong public sector. Last point, Sir, is 'Women-led development'. Real women's empowerment requires more than rhetoric. CPI leader, Comrade Gita Mukherjee, was the pioneer of the Women's Reservation Bill. The BJP has created obstacles from moral policing to the mistreatment of women wrestlers. The hon. Prime Minister must act on his words by implementing the Women's Reservation Act immediately.

In conclusion, these resolutions fail to address the true needs of our country. There is a growing gap between the Government's promises and its action. True progress requires a commitment to equality, justice, security and federalism as enshrined in our Constitution. Thank you, sir.

SHRI SANA SATHISH BABU (Andhra Pradesh): Thank you, Mr. Chairman, Sir, for giving me this opportunity to make my maiden speech and that too on the 'Glorious Journey of 75 Years of the Constitution of India'.

I thank Shri Nara Chandrababu Naidu for giving me the opportunity to be a part of this House and a chance to speak on the Constitution of India. In this context, I

Contents Page

would like to remind this House and the people of India of the great Telugu people who contributed in the drafting of the Constitution of India -- Shri Moturi Satyanarayana, Shri Alladi Krishnaswamy Ayyar, Shri T.T. Krishnamachari, and Sri Thirumala Rao -- as Members of the Constitution Assembly, representing the Madras Presidency. The great Telugu people played a significant role in the drafting of the Constitution. Andhra Pradesh has been a pioneer in the implementation of the Constitution and the subsequent amendments to it. The democratic process has been vibrant in the spirit of the Constitution. Equality and justice have been upheld by the people of Andhra Pradesh. I would like to bring to the notice of this House and the country that Andhra Pradesh has resolved to the Swarnandhra 2047 Vision Document, formulated by hon. Chief Minister Shri Nara Chandrababu Naidu, as a part of 'Viksit Bharat 2047', envisaged by the hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi.

Education is the foundation of equality and this Government is ensuring that no child is left behind through the record-breaking parent-teacher meetings in all Government schools and the mega DSC initiatives for 16,500 teachers' posts. We are empowering the future generations by laying the foundation of equal opportunities to all. In just five months, this Government has taken steps towards social justice; an investment of Rs. 18,000 crores has been made in pensions to provide support to 64 lakh citizens, ensuring dignity and care of the most vulnerable among us ...(*Time-bell rings.*)... It is my maiden speech, Sir.

Andhra Pradesh has introduced transformative policy initiatives, designed to ensure economic justice for creating inclusive growth opportunities across various sectors, including AP Industrial Development Policy 4.0, AP MSME Policy, AP Food Processing Policy, AP Electronics Policy, AP Integrated Clean Energy Policy. ...*(Interruptions)*... The Central financial assistance of Rs. 1500 crores for the development of new capital Amaravati is the testament of the nation's standing with Andhra Pradesh. ...(*Time-bell rings.*)... Just one minute more, Sir.

An hon. Member, belonging to the YSRCP, had yesterday made certain comments here about the implementation of the Constitution in Andhra Pradesh. Their party workers commented on social media against women. That is unconstitutional. The party people commented very, very wrongly. And, their party had falsely arrested a three-term serving Chief Minister at the age of 74 without evidence by misusing the state machinery.

SHRI MASTHAN RAO YADAV BEEDHA (Andhra Pradesh): Thank you, Mr. Chairman, Sir, for this opportunity to speak on this solemn occasion. I am delighted

Contents Page

to stand in this august House and speak about our great Constitution on the occasion of 75th year of its adoption. But, for the visionaries like Mahatama Gandhi, Dr. Baba Sahab Ambedkar, Sardar Vallabhbhai Patel*ji,* Bhogaraju Seetaramayya, Maulana Abdul Kalam Azadiji, etc., a person like me could not have entered the portals of this temple of democracy. These leaders provided the language of substance of India's unity in diversity, and the ideals enshrined in the preamble, justice, liberty, equity, and fraternity. I pay homage to all those who provided us this great Constitution of India. "*Hamara Samvidhan, Hamara Samman*", a campaign which has been launched by Her Excellency, the hon. President of India, aims to deepen citizens' understanding of the Constitution. In spite of there being cultural barriers, language divide, historical tensions regionalism and social-economic disparities, our Prime Minister, Shri Narendra Modi says, "India is strong because of its diversity. We are proud that our Constitution framed by our founding fathers is standing as a solid rock over the last 75 years and it is the responsibility of all of us to stand united for the integrity and prosperity of all Indians so that India becomes a developed nation, 'Viksit Bharat' by 2047. On this occasion, this is to submit a few critical aspects of the need for inclusivity of OBCs in the development of our country. Though, as per our Constitution, all are, may be, equal before law but I have no hesitation to mention that all are not equal in getting the fruits of freedom as envisaged by our founding fathers of the Constitution.

While representation of weaker sections in public services, especially, for OBCs, has been improving, though at snail's pace, thanks to the reservations after the belated and partial implementation of Mandal Commission's recommendations, their share in the wealth of the Nation is dismal and disproportionately low. (*Time-bell rings.*)

We are proud that hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi, an OBC leader, is leading the nation successfully over the past 11 years and keeping the Indian flag high in the international platforms. I hope that hon. Prime Minister will focus on the development of OBCs in all walks, especially, in the field of industry, trade and business and help the OBCs grow on par with others. This will be possible if all the recommendations of the Mandal Commission are implemented within a fixed time frame. I also humbly implore the hon. Prime Minister to create a separate Ministry for the welfare and development of the OBCs, so that there will be a special focus on the overall development of OBCs in the country. I thank the Chair and my leader, hon. Chief Minister of Andhra Pradesh.

Contents Page

MR. CHAIRMAN: You have made your point. Now, Shri R. Girirajan. You have three minutes.

SHRI R. GIRIRAJAN (Tamil Nadu): * "Hon. Chairman, Sir, I thank you for giving me an opportunity to participate in the special discussion to mark the Coral Jubilee of the adoption of the Constitution by the Constituent Assembly. Constitution is the mother of all other laws of the country. Every law enacted by the Government has to be in conformity with the Constitution. Unfortunately, most of the Bills brought and passed by this Government from 2014 are against the guiding principles of the very own Constitution. The BJP leaders are accusing the Congress for indiscriminate use of Article 356 to topple State Governments in the past. But, what BJP is doing is a different technique - poaching and purchasing the MLAs to topple the duly elected Governments. It is unfortunate that BJP is resorting to undemocratic means to topple State Governments which are ruled by Opposition parties. Sir, people will not forget what they did in Karnataka or Madhya Pradesh, what they did in Maharashtra, Goa and Arunachal Pradesh to topple Governments. Sir, the Governors are being used as BJP State presidents in all the Opposition-ruled States. The BJP appointed Governors, interfering in the affairs of the duly elected Government; not respecting and responding to the Cabinet decisions and Bills passed by the Assembly of the duly elected Government, is unconstitutional. The Governors acting as super Chief Ministers in the Opposition-ruled States like Tamil Nadu, Telangana, Karnataka, Kerala, West Bengal, Punjab and Delhi is untenable and unwarranted. The injustice caused by the BJP Government to ruin the aspirations of the States and to protect and promote their regional languages is unconstitutional and misuse of power. Their penchant for imposition of Hindi on non-Hindi speaking people is nothing but the "linguistic terrorism." (*Time-bell rings.*) The Government should declare all the regional languages as the official language of the State and allow them to practise in respective High Courts as the official language, thereby ensuring autonomy to the States, federalism at the Centre. (*Time-bell rings.*) Give me one minute, Sir. The Constitution of India is our holy book and must ensure that Fundamental Rights and core values enshrined are maintained undisturbed and revered. To the current ruling dispensation the Preamble of the Constitution is a stumbling block to fulfil their 'Hindu Rashtra' day dream but we will forever stand as the most powerful unbreakable iron wall to protect our Constitution. Thank you, Sir.

* English translation of the original speech delivered in Tamil.

Contents Page

MR. CHAIRMAN: Shri R. Dharmar; three minutes.

SHRI R. DHARMAR (Tamil Nadu): "*"Hon. Chairman Sir, I thank you very much for giving me this opportunity. Social justice is the lifeline of Tamil Nadu. *Hon. Puratchi thalaivar* M.G.R., the founder of the AIADMK party, had laid the foundation for social justice in Tamil Nadu. *Hon. puratchi thalaivi* Amma,, Ms. J. Jayalalitha, goddess of our heart, had successfully implemented 69% reservation for Other Backward Classes in Tamil Nadu. She was instrumental in bringing the amendment in Ninth Schedule of the Constitution. In 1993, the Legislative Assembly of Tamil Nadu passed resolution for implementing 69% reservation to the Other Backward Classes. Our *hon. Puratchi thalaivi* Amma staunchly pursued the matter with the Union Government and succeeded in getting the approval from the Union Government also. Shri Shankar Dayal Sharma, the then President of India, accented his approval to this Bill within a month. Her commitment in implementing this reform is laudable. Her schemes for the welfare of women and children are of much significance. Schemes like '*Amma Unavagam*' and some educational schemes are appreciated by people of Tamil Nadu even today. She implemented many schemes for the upliftment of the poor and downtrodden. Due to her courage and perseverance, Tamil Nadu enjoys the fruits of social justice. Social equality and social justice are the landmark achievements of Tamil Nadu. It is possible because of the efforts of our *hon. puratchi thalaivi Amma*. I would like to put this point on the record of this august House. With these words, I conclude my speech. Thank you, Sir."

MR. CHAIRMAN: Shri Kartikeya Sharma; and after Shri Kartikeya Sharma, the hon. Minister.

SHRI KARTIKEYA SHARMA (Haryana): Thank you, Mr. Chairman, Sir, for giving me an opportunity to speak on the historic occasion, a rare privilege. Today, when we celebrate 75 years of the Indian Constitution, we commemorate not just a legal document but the very spirit of India - our hopes, dreams and aspirations. Our Constitution is a living testimony of the vision of our forefathers, the sacrifices of our people and the resilience of our democracy. Sir, it has weathered many challenges, including deliberate attempts to undermine its foundations, yet stood firm as the

---

* English translation of the original speech delivered in Tamil.

bedrock of justice, liberty, equality and fraternity. Dr. Ambedkar emphasised that the Constitution must reflect the needs of the people and evolve with time. Political democracy cannot last unless there lies at the base of it social democracy. What does social democracy mean? It means a way of life which recognizes liberty, equality and fraternity as the principles of life. Sir, Dr. Ambedkar warned the Assembly on 26th January 1950. He said, we are going to enter a life of contradictions. In politics, we will have equality, but in our social and economic life, we will have inequality. How long shall we live this life of contradictions?

Today, Sir, when we stand, I, as an Independent Member, want to appeal to the Government and the Opposition that we should take this opportunity and must compliment and congratulate our forefathers for having envisaged such a beautiful Constitution which has seen it through in the last journey along its way in the last 75 years, and I am reminded of a quote by the then Prime Minister of England who said, "Power will go to the hands of rascals, rogues and freebooters. Indian leaders will be of low calibre and men of straw."

Sir, today, when we have completed 75 years of the adoption of our Constitution, our economy has become the fifth largest economy, on the way to becoming the third largest economy in the world. It is a befitting reply to those who thought that the Constitution will not befit Indians as a country and our calibre was undermined.

Sir, democracy is an evolutionary process. There is no finite point in democracy. We strive towards an optimum form of democracy and the Constitution is a guiding force for that. That is what the Constitution has given us. It has guided us through the tough times, through the times that it has been put to test, in the challenging times, from 1975 to 1977, under the Congress Government, which curtailed freedoms, suspended fundamental rights and misused constitutional provisions. However, the people, inspired by Constitution and the promise of liberty, did overthrow the authoritarian Government in 1977.

Sir, there have been umpteen instances. I have very limited time. But I would just say that the underlying principle of the Constitution has been to protect the vulnerable sections of society whether they are Scheduled Tribes, dalits or the economically weaker sections, and it goes to the extent that there should be positive discrimination also, if required, and specially in the case of women. I want to thank the Government because by bringing the Women's Reservation Bill, they have taken that constitutional provision and positively discriminated against women by making them an integral part of our democratic process.

Sir, many Opposition Members and my friends have spoken about bulldozers. They spoke yesterday, including a very senior Member. I want to remind them that in 1976, it was the then Congress Party which started the culture of bulldozers under the Sanjay Gandhi regime, at Turkman Gate. They spoke of one nation, one election, as if there is some sort of a ploy to destabilise the election process.

Sir, for 15 years, from 1952 to 1967, including the time when our forefathers had started, that was the norm. That was until it so happened that subsequently the Congress regime decided to change that applecart. Sir, we have had more than 400 elections since 1952 till now, out of which 200 elections took place in the decade of 70s and 80s, which was the most unstable political period in our country and cost us very dearly, because this was the time where economically we fell behind countries like China and were not able to come out it.

Sir, thank you for giving me an opportunity to speak on this historic event. I wish that we, in unison, can appreciate the Constitution and celebrate it.

MR. CHAIRMAN: Hon. Home Minister.

गृह मंत्री (श्री अमित शाह) : माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले मैं आपके प्रति आभार का भाव प्रकट करना चाहता हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण चर्चा में हिस्सा लेने का मौका दिया। महोदय, यह चर्चा एक ओर तो हमारे संविधान के कारण हमारा देश कितना आगे बढ़ा, इसका जनता को एहसास कराएगी, दूसरी ओर हमारे संविधान की मूल भावनाओं के कारण ही 75 साल में लोकतंत्र की मूल पाताल तक गहरी गई है, इसका भी एहसास होता है और तीसरी ओर यह भी मालूम पड़ता है, जब संविधान की भावनाओं को दरकिनार करके कोई अपने लिए संविधान को तोड़-मरोड़ कर आगे चलने का प्रयास करता है, तो किस प्रकार के अकस्मात और किस प्रकार की दुर्घटनाएं होती हैं। सभी दृष्टि से अगर देखें, तो दोनों सदनों में संविधान पर जो चर्चा हुई है, वह चर्चा एक प्रकार से हमारे किशोरों के लिए, हमारी युवा पीढ़ी के लिए, आने वाले दिनों में ये दोनों महान सदनों में बैठ कर देश के भविष्य का निर्णय करने वालों के लिए बहुत शिक्षणात्मक रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। देश की जनता के लिए भी क्षीर-नीर करने में बहुत मदद करेगी कि किस पार्टी ने - आज जो 75 साल की मीमांसा होगी, उसमें स्पष्ट हो जाएगा कि जब-जब जनता ने किसी पार्टी के हाथ में शासन दिया, तब उस पार्टी ने संविधान का सम्मान किया या नहीं किया।

मान्यवर, आज़ादी की बहुत लम्बी लड़ाई के बाद हम आज़ाद हुए। जब हम आज़ाद हुए, तब दुनिया भर के कई राजनीतिक पंडितों ने कई आगाहियां की थीं कि यह देश बिखर जाएगा, शायद बन ही नहीं पाएगा। कुछ लोगों ने ऐसी आगाही की थी कि यहां डेमोक्रेटिक वैल्यू प्रस्थापित नहीं हो सकती। एकता हो नहीं सकती और यह देश आर्थिक रूप से कभी भी आत्मनिर्भर नहीं होगा। आज जब 75 साल के समय के बाद संविधान को स्वीकार करने के बाद पीछे मुड़कर देखते हैं, तो सरदार पटेल का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि सरदार साहब के अथक परिश्रम के कारण आज देश एक होकर मजबूती से दुनिया के सामने खड़ा है।

Contents Page

मान्यवर, जो कहते थे कि लोकतंत्र इस देश में सफल नहीं होगा, मैं उन सभी लोगों को सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि 75 साल हो गए हमारे साथ भी, आस-पास में, पास-पड़ोस में, दुनिया भर में कई लोग आज़ाद हुए, नई शुरुआत की, लेकिन वहां कई बार अकस्मात हुए, लोकतंत्र सफल नहीं हुआ। हमारा लोकतंत्र आज पाताल तक गहरा पहुंचा है। हमने रक्त की एक बूंद बहाए बगैर अनेक परिवर्तन किए हैं और विचारधाराओं के आधार पर भी परिवर्तन किए हैं। अनेक तानाशाहों के गुमान, अभिमान और अहंकार को चूर-चूर करने का काम इस देश की जनता ने किया है, मगर लोकतांत्रिक तरीके से किया है। मान्यवर जो कहते थे कि हम आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं हो पाएंगे, उनको भी हमारी जनता ने, हमारे संविधान की खूबसूरती ने जवाब दिया है। आज हम सम्मान के साथ दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा अर्थतंत्र बने हैं। ब्रिटेन, जिन्होंने सालों तक हम पर राज किया और जो मैंने तीनों आगाही की, वहीं से पक्ष-विपक्ष में से आई थी कि आज ब्रिटेन भी अर्थतंत्र की तालिका में हमारे पीछे खड़ा है। मान्यवर, यह हम सबके लिए गौरव लेने का पल है, हम सबके लिए बोध लेने का भी पल है और हम सबके लिए संकल्प लेने का भी पल है। महोदय, इस सदन में आपने 80 से ज्यादा सांसदों को बोलने का मौका दिया। 31 घंटे की चर्चा हुई और इस चर्चा में सभी भाव पक्ष या विपक्ष से कहीं न कहीं प्रकट हुए हैं।

महोदय, आज जब मैं यहां आया हूं, तब यह बात कहना चाहता हूं कि आज हम जिस मुकाम पर खड़े हैं, उस मुकाम पर महर्षि अरविंद और स्वामी विवेकानंद जी की वह भविष्यवाणी सच होती दिखाई देती है कि भारत माता अपने दैदीप्यमान ओजस्वी स्वरूप से जब खड़ी होगी, तब दुनिया की आंखें चकाचौंध हो जाएंगी और पूरी दुनिया उस रोशनी से भारत की ओर देखेगी। वह दिन सच होगा, इसके नजदीक काफी मजल हमने काट लिए हैं। मान्यवर हमारा संविधान, संविधान सभा की रचना और संविधान की रचना की प्रक्रिया, ये तीनों एक प्रकार से समग्र विश्व के सभी संविधानों में अनूठे हैं, अलग प्रकार के हैं। हमारे यहां दुनिया का सबसे ज्यादा विस्तृत, लिखित संविधान चर्चा के सभी हमारे पारंपरिक लक्षणों को पार करते हुए किया है। इस संविधान सभा में 299 सदस्य रहे, 22 धर्म, जाति समुदाय के सदस्य रहे। हर प्रिंसली स्टेट का प्रतिनिधित्व रहा, हर राज्य का प्रतिनिधित्व रहा, एक प्रकार से समावेशी प्रतिनिधित्व के साथ भारत का भविष्य तय करना, इसका मतलब यह है कि संविधान को रचने की हमारी प्रक्रिया आगे बढ़ी। 2 वर्ष, 11 माह और 18 दिन तक अहर्निश चर्चा चलती रही, विस्तृत चर्चा चलती रही। देश के भविष्य, देश चलाने के नियम और देश की परंपरा को समाहित करते हुए देश को आगे ले जाने का संकल्प इतनी विस्तृत चर्चा के बाद बना। 13 समितियों में कार्य विभाजन किया गया। सात सदस्यीय ड्राफ्टिंग समिति बनी और जनता के अभिप्राय के लिए भी शायद ही दुनिया को कोई ऐसा संविधान होगा, जिसका ड्राफ्ट पूरी जनता को कमेंट के लिए दिया गया। और कमेंट्स पर भी बहुत डिटेल मे चर्चा करके उचित बदलाव भी किए गए। इतनी लोकतांत्रिक परंपरा और प्रक्रिया से बना हुआ हमारा संविधान है। महोदय, हमारा संविधान 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियों में बँटा है। मान्यवर, संविधान के ये जो सभी अनुच्छेद, भाग एवं अनुसूचियाँ हैं, ये विश्व में किसी भी संविधान से ज्यादा उद्दात और उत्तुंग मानव मूल्यों का सृजन करने वाले रहे हैं, इसलिए हम सबको इस पर गर्व है और हम सब इस संविधान को हमेशा मस्तक झुकाकर प्रणाम करते हैं।

मान्यवर, मैं एक विशेष उल्लेख करना चाहूंगा। नंदलाल बोस, जो गुरुवर टैगोर के अंतेवासी थे, बहुत बड़े कलाकार थे, उन्होंने चार वर्ष का समय लेकर संविधान को सजाने का

काम किया था। जो संविधान लिखा गया था, उन्होंने इसके अनुरूप घटनाओं को संविधान के अंदर उकेरने का भी काम किया था। उन्होंने इतिहास, धर्म, संस्कृति, परंपरा सभी से मानव जीवन के उच्च मूल्य देने वाले सभी संदेशों को, घटनाओं को चित्र रूप में यहां पर उकेरा था। महोदय, यहां पर भगवान राम का चित्र भी मिलेगा, बुद्ध और महावीर का भी मिलेगा, दशम पिता गोविंद सिंह जी का भी चित्र मिलेगा। गुरुकुल में हमारी शिक्षा नीति कैसी होनी चाहिए - इसमें इसका संदेश भी मिलता है, राम, सीता, लक्ष्मण एक प्रकार से हमारे अधिकारों का चित्रण करते वक्त दिखाए गए हैं, भगवत गीता के संदेश का चित्र भी दिया है, शिवाजी और लक्ष्मीबाई को भी यहां पर स्थान देकर हमें देशभक्ति के उत्तुंग पाठ पढ़ाए हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति का स्मरण कराती है और नटराज से जीवन में बैलेंस कैसे होना चाहिए, - उस बैलेंस के सिद्धांत को प्रतिबिंबित करता है।

महोदय, राज्य सभा में क्या-क्या चर्चा हुई, यहां आने से पहले, मैंने आज उस पर भी थोड़ा काम किया। उसमें हमारे एक सम्माननीय सदस्य ने कहा कि चर्चा का स्तर इतना नीचा हो गया है कि यहाँ चित्रों की चर्चा हो रही है। मान्यवर, अगर संदेश लेना नहीं आता, तो संविधान का भी कोई उपयोग नहीं है। ये सारे जो चित्र लगाए हैं, वे हज़ारों साल से चलने वाले हमारे राष्ट्र के जीवन को उद्घोषित करने वाले हैं और कोई यह न समझे कि हमारा संविधान दुनिया के संविधानों की नकल है। हाँ, हमने हर संविधान का अभ्यास जरूर किया है, क्योंकि हमारे यहां ऋग्वेद में कहा गया है कि हमें हर कोने से अच्छाई प्राप्त हो, शुभ विचार प्राप्त हो और शुभ विचार को स्वीकारने के लिए मेरा मन खुला हो। मान्यवर, हमने सबका सबसे अच्छा लिया है, मगर अपनी परंपराओं को नहीं छोड़ा है। अगर पढ़ने का चश्मा विदेशी है, तो संविधान में भारतीयता कभी नहीं दिखाई देगी और मैं मानता हूं कि जिसने भी संविधान को सिर्फ शब्दों में छापा है और चित्रों को निकाल दिया है, उन्होंने संविधान की भावनाओं के साथ छल किया है, चित्र बगैर का संविधान अधूरा संविधान है।

मान्यवर, इस संविधान सभा में राजेंद्र प्रसाद जी थे। इसमें राजेंद्र बाबू अध्यक्ष बने, डा. बी आर अम्बेडकर, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, श्रीमान काटजू, के.टी. शाह, आयंगर, मौलाना आजाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर राधाकृष्णन्, के.एम. मुंशी जैसे विद्वानों ने अनेक चर्चाओं में हिस्सा लेकर संविधान को समृद्ध और संपूर्ण बनाने का काम किया। महोदय, इतना ही नहीं, इसके अलावा भी संविधान सभा के जो सदस्य थे, जिनमें विवेकानंद, महर्षि अरविंद, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, तिलक महाराज, वीर सावरकर, लाला लाजपतराय ने राष्ट्र, लोकतंत्र और हमारी परंपराओं में उच्च मूल्यों को स्थापित करने वाली भावनाओं का उल्लेख करकर कोई न कोई सिद्धांत प्रस्थापित किया है।

मान्यवर, जिस संविधान में इतने सारे मनीषियों के अच्छे विचार हों, उसे तो सफल होना ही था। अगर कोई संविधान सभा की चर्चा को ध्यान से पढ़ेगा, तो हमने इसके अंदर वेद, उपनिषद, चाणक्य नीति, विदुर नीति, शांति पर्व, रामायण और महाभारत, इनमें से उपजे हुए मानव जीवन के सभी मूल्यों को भी समाने का प्रयास किया था।

मान्यवर, 75 साल हो गए, तो हमारे राजनीतिक दलों, हमारी पोलिटिकल पार्टियों के साथ-साथ हमारी सरकारों ने भी संविधान को किस प्रकार से आगे बढ़ाया, इसकी भी चर्चा जरूर होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि यह चर्चा समयोचित होगी। हमारे संविधान की रचना के बाद डा. अम्बेडकर ने बहुत सोच-समझकर एक वाक्य कहा था। मैं अम्बेडकर जी के वाक्य को सदन के

Contents Page

सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। "कोई संविधान कितना भी अच्छा हो, वह बुरा बन सकता है, अगर जिन लोगों को पर उसे चलाने की जिम्मेदारी है, वे अच्छे ना हों। उसी तरह से कोई भी संविधान कितना भी बुरा हो, वह अच्छा साबित हो सकता है, अगर उसे चलाने वालों की भूमिका सकारात्मक और अच्छी हो।" मान्यवर, हमने ये दोनों घटनाएं हमारे संविधान के 75 साल के कालखंड के अंदर देखीं। मैं तथ्यों के आधार पर सदन के सामने और सदन के माध्यम से देश की जनता के सामने भी रखना चाहता हूँ। हमारे संविधान को कभी भी अपरिवर्तनशील नहीं माना गया है। समय के साथ-साथ देश भी बदलना चाहिए, समय के साथ-साथ कानून भी बदलने चाहिए और समय के साथ-साथ समाज भी बदलना चाहिए। परिवर्तन जीवन का मंत्र है, सत्य है। इसे हमारी संविधान सभा ने स्वीकार किया, इसलिए आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन के लिए प्रोविजन किया था। अभी कुछ राजनेता आए हैं, जो 54 साल की आयु में अपने आप को युवा कहते हैं और घूमते रहते हैं कि ये संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे! मैं उन्हें समझाना चाहता हूँ कि संविधान के प्रावधानों को बदलने का प्रोविजन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में ही है। मैं आज फिर से एक बार कहना चाहता हूँ, इससे किसी का थोड़ा ज्ञानवर्धन भी हो जाए। मान्यवर, भाजपा ने 16 साल राज किया, छः साल अटल जी ने किया, दस साल मोदी जी ने किया और पाँच साल और मोदी जी ही करेंगे। एक प्रकार से हमने 16 साल शासन किया है। हमने 16 साल में 22 बार संविधान बदला, संविधान के अंदर परिवर्तन किए। काँग्रेस ने 55 साल शासन किया और काँग्रेस के 55 साल के शासन में 77 परिवर्तन हुए। अब भारतीय जनता पार्टी और काँग्रेस दोनों ने परिवर्तन किए। इन परिवर्तनों का टेस्ट कैसा था, किस प्रकार से किए गए थे? संवैधानिक प्रक्रिया से भी परिवर्तन होते हैं और संविधान को तोड़-मरोड़ कर फॉर्मेलिटी करके भी परिवर्तन कर सकते हैं। परिवर्तन करने का उद्देश्य क्या था, क्या हासिल करना था? क्या हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए परिवर्तन किए गए, क्या जिनके पास अधिकार नहीं हैं, ऐसे लोगों को समकक्ष अधिकार देने के लिए परिवर्तन किए गए या अपनी राज्य सत्ता को टिकाने के लिए परिवर्तन किए गए? इससे ही पार्टी का कैरेक्टर, पार्टी के चलने की पद्धति और पार्टी का संविधान में विश्वास सबको मालूम होता है। मैं संविधान संशोधन में ज्यादा नहीं जाऊँगा। मैं दोनों प्रमुख दलों के चार-चार संविधान संशोधनों को लेना चाहूँगा। पहला संशोधन 18 जून, 1951 में हुआ। यह संशोधन संविधान सभा को ही करना पड़ा, क्योंकि संविधान बनाने के बाद, संविधान स्वीकारने के बाद काँग्रेस पार्टी में आम चुनाव तक जाने का धैर्य नहीं था। अभी लोक सभा नहीं बनी थी, राज्य सभा नहीं बनी थी और संशोधन लेकर आए। उसका उद्देश क्या था? 19ए जोड़ा गया। वह किसलिए जोड़ा गया? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कर्टेल करने के लिए पहला सुधार आया। मान्यवर, उस वक्त प्रधान मंत्री कौन थे? श्रीमान जवाहरलाल नेहरू उस वक्त प्रधान मंत्री थे। ...(**व्यवधान**)... आप बता चुके हैं ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: No. ...*(Interruptions)*... Sit down. ...*(Interruptions)*... Jairam *ji*, he is not yielding. ...*(Interruptions)*... He is not yielding. ...*(Interruptions)*... We heard the Leader of the Opposition. ...*(Interruptions)*... Unless he is yielding, let us hear him.

श्री अमित शाह: मान्यवर, मेरा लंबा अनुभव है। आज-कल करते हुए मुझे विधान सभा, लोक सभा और राज्य सभा में बैठते हुए 30 साल हो गए हैं। संसद में भाषण देने का मुझे अनुभव है। वे विरोध तभी कर सकते हैं, जब मेरी बात सच न हो। अगर मेरी बात सच नहीं है, तो वे बताएं। संविधान संशोधन नंबर एक ...(**व्यवधान**)... अब सुनिए, संविधान संशोधन नंबर एक अभिव्यक्ति की आजादी को कर्टेल करने के लिए ही लाया गया था और जवाहरलाल नेहरू जी के लिए लाया गया था। मान्यवर, जवाहरलाल नेहरू जी की सुपुत्री इंदिरा जी उस वक्त प्रधान मंत्री थीं, कांग्रेस पार्टी ही सत्ता में थी और 5 नवंबर, 1971 को संविधान में 24वां संशोधन किया गया और संविधान संशोधन के माध्यम से संसद को नागरिकों के मौलिक अधिकार कम करने का अधिकार दे दिया गया। कांग्रेस पार्टी के एक प्रधान मंत्री अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कर्टेल करते हैं और दूसरे प्रधान मंत्री उसी परिवार से आते हैं, वे नागरिकों के मौलिक अधिकार को कर्टेल करने का अधिकार लेते हैं। 39वां संविधान संशोधन - अब तो इंतिहा ही कर दी और सब सीमाओं को पार कर दिया। मान्यवर, आप तो अधिवक्ता रहे हैं। 10 अगस्त, 1975 के उस दिन का हमारे संविधान के इतिहास में जब भी जिक्र होगा, तो वह काले अक्षरों से ही करना पड़ेगा। मान्यवर, उस वक्त 39वां संविधान संशोधन आया। 39वां संविधान संशोधन क्या था? इंदिरा गांधी जी के चुनाव को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अमान्य घोषित कर दिया था। अभी कुछ नहीं है और ईवीएम ले लेकर घूमते हैं। हारते हैं और ईवीएम लेकर घूमते हैं और कहते रहते हैं कि ईवीएम ने हरा दिया, ईवीएम ने हरा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 24 बार ईवीएम की अर्जी नकार दी है। चुनाव आयोग ने तीन दिन ईवीएम 10 से 5 बजे तक रखा कि कोई इसे हैक करके बताए, लेकिन कोई नहीं गया। सुप्रीम कोर्ट में कोई नहीं गया और हारते हैं, तो ईवीएम का दोष निकालते हैं। मान्यवर, एक ही समय, एक ही दिन दो परिणाम घोषित हुए। एक तो महाराष्ट्र में सूपड़ा साफ हो गया, जो जनादेश के साथ द्रोह किया था, उसका दंड महाराष्ट्र की जनता ने दिया और अब दूरबीन लेकर दिखाई नहीं पड़ते हैं। उसी दिन वे झारखंड में जीते, तो महाराष्ट्र में ईवीएम खराब है और झारखंड में टप से जाकर नए कपड़े पहनकर शपथ ले ली! भाई, जरा तो शर्म करो, जनता देख रही है! एक जगह ईवीएम सही है, एक जगह ईवीएम खराब है ...(**व्यवधान**)... मान्वयर, ऐसा कैसे हो सकता है! मान्वयर, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी जी के चुनाव को निरस्त कर दिया, अमान्य किया और उन्होंने संशोधन से प्रधान मंत्री पद की न्यायिक जांच पर भी प्रतिबंध लगा दिया।

7.00 P.M.

आपको जो करना है, वह करो, कोई न्यायिक जांच नहीं है। अभी मेरे कम्युनिस्ट भाई जो अधिकारों की गुहार लेकर घूमते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि किसके साथ बैठे हो? रात को अंधेरे में अपनी आत्मा को टटोलना भइया, मालूम पड़ेगा। मान्यवर, संविधान संशोधन retrospective effect से किया गया कि अगर पुराना भी मुकदमा है, तो वह खारिज हो जाएगा। कभी ऐसा होता है! हमारे प्रधान मंत्री तो कहते हैं कि मैं प्रधान मंत्री नहीं हूं, प्रधान सेवक हूं और कोई कहता है कि मुझ पर मुकदमा नहीं हो सकता, मैं शासक हूं, शासक के खिलाफ उंगली नहीं उठाई जाती, भले ही संविधान ने अधिकार दिया, वह अधिकार हम समाप्त कर देते हैं। मान्यवर, ऐसे-ऐसे सुधार किए हैं।

मान्यवर, उस वक्त भी श्रीमती इंदिरा गांधी जी थीं और 45वां संविधान संशोधन आया। मान्यवर, अभी-अभी सुबह दूसरे सदन में 'One Nation One Election' का बिल पेश हुआ। सारी कांग्रेस पार्टी और इनके साथी दलों ने कहा कि लोक सभा को विधान सभा और लोक सभा का कार्यकाल बदलने का अधिकार नहीं है। मैं सुन रहा था। है या नहीं है, वह तो जब बिल आएगा, तब चर्चा करेंगे, परंतु आपने क्या किया! 42वें संशोधन से 3 जनवरी को लोक सभा और राज्य की विधान सभाओं का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ा कर 6 साल कर दिया। क्यों किया? कि अभी चुनाव होगा, तो हम हार जाएंगे, इसलिए लोक सभा को ही लंबा कर दो। इतनी निर्लज्जता के साथ विश्व में कोई संविधान संशोधन नहीं हुआ होगा। मान्यवर, दूसरा, कुछ कानून पारित करने थे। सदस्य उस वक्त ज्यादा विरोध तो कर नहीं सकते थे, मगर विरोध करने का नया तरीका, कांग्रेस में कुछ जितनी थोड़ी-बहुत बची-खुची हिम्मत थी, वे absent रहने लगे, तो कोरम नहीं होता था। इसलिए एक फरवरी को संविधान संशोधन किया कि संसद और राज्य सभा में कोरम की आवश्यकता नहीं है, 5 लोग भी हैं, तो चला लो। इसके बाद राष्ट्रपति शासन की अवधि ...(**व्यवधान**)... खरगे साहब, किया है, तो सुनना पड़ेगा, हिम्मत के साथ सुनना पड़ेगा। ...(**व्यवधान**)... मान्यवर, राष्ट्रपति शासन की अवधि ...(**व्यवधान**)... राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 महीने तक बढ़ा दी। ...(**व्यवधान**)... मान्यवर, ये चार संशोधन ...(**व्यवधान**)... मैं समझ रहा हूं कि क्यों गुस्सा आ रहा है। ...(**व्यवधान**)... मैं समझ रहा हूं कि क्यों गुस्सा आ रहा है। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: He is not yielding. ...*(Interruptions)*... The hon. Minister is not yielding. ...*(Interruptions)*... Are you yielding? ...*(Interruptions)*...

श्री अमित शाह : मान्यवर, मैं अब आपको address करूंगा। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Only what the hon. Home Minister says will go on record. ...*(Interruptions)*...

श्री अमित शाह: मान्यवर, अब मैं आपको address करूंगा। ...(**व्यवधान**)... खरगे जी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: He is not yielding. ...*(Interruptions)*...

श्री अमित शाह: आपकी हाजिरी वहां दर्ज कर ली गई है कि आप यहां बैठे हैं, मुझे बोलने दीजिए। ...(**व्यवधान**)... मान्यवर, ये चारों संशोधन, ...(**व्यवधान**)... ये चारों संशोधन मैं अपनी पार्टी के दफ्तर से नहीं ला सकता था, ये चारों संशोधन संविधान में हुए। किसी को अदालत ने निरस्त किया, किसी को जनता पार्टी की सरकार आई, तब उसने निरस्त किया, कुछ lingering test में रह गए, पर ये चारों संशोधन वास्तविकता हैं। इन चार संशोधनों से कांग्रेस पार्टी की संविधान सुधार करने की मंशा क्या है? एक में हम पर केस न हो; दूसरे में हम चुनाव हारने वाले हैं, तो

Contents Page

समय बढ़ा देना; तीसरे में मेरे ऊपर जांच नहीं हो सकती और चौथे में नागरिकों के संविधान प्रदत्त अधिकारों को समाप्त कर देना। ये उद्देश्य बताते हैं।

मान्यवर, अब मैं हमारे चार संशोधन लेकर आता हूं। सबसे पहला संशोधन नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने किया, 101वां नंबर भी अच्छा आया है, हम 101वां संशोधन, 1 जुलाई, 2017 को जीएसटी को लेकर आए और इस देश के अर्थतंत्र को rhythm में लाने का काम किया। कश्मीर से कन्याकुमारी और कामाख्या से द्वारका तक फैले हुए हमारे विशाल देश में 100 अलग-अलग बिक्री कर के कानूनों को समाप्त करके, लोगों की परेशानी खत्म करके, जीएसटी के तहत एक कानून लाने का काम नरेन्द्र मोदी जी ने किया और वह लोगों की भलाई के लिए किया।

महोदय, मैंने कल की डिबेट पढ़ी है। किसी सदस्य ने बोला कि नरेन्द्र मोदी जी ने विरोध किया था। मैं रिकॉर्ड पर कहता हूँ कि हाँ, नरेन्द्र मोदी जी ने विरोध किया था, लेकिन किस मुद्दे पर किया था? आप जीएसटी तो लाना चाहते थे, मगर राज्यों को कम्पनसेशन की गारंटी देना नहीं चाहते थे। हम जीएसटी भी लाए और राज्यों को विकास दर के हिसाब से कम्पनसेशन की गारंटी भी दी। इतना ही नहीं, गारंटी का 10 साल तक पालन करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की नरेन्द्र मोदी सरकार ने किया। हम संशोधन लाए, देश के अर्थतंत्र को सुचारू बनाने के लिए लाए। हम दूसरा संशोधन, 102वाँ संशोधन लाए और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज़ को संवैधानिक दर्जा देने का काम किया।

सर, अब कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है कि नरेन्द्र मोदी जी ने यह क्यों किया। मैं आगे बहुत सी बातें बताऊंगा। नरेन्द्र मोदी जी यह इसलिए कर पाए, क्योंकि आपने यह नहीं किया था। अगर आप यह कर देते, तब तो यह मोदी जी के भाग्य में ही नहीं आता। मगर पिछड़ी जातियों के कल्याण में कभी भी कांग्रेस पार्टी का विश्वास नहीं रहा, मान्यता नहीं रही, उसकी नीति भी नहीं रही। ...(**व्यवधान**)... भारतीय जनता पार्टी पिछड़ी जातियों के कल्याण के लिए संविधान संशोधन लेकर आई।

मान्यवर, हम तीसरा संशोधन क्या लाए - 103वाँ संशोधन 12 जनवरी 2019 को लाए। ऐसी किसी भी जाति को, जिसको आरक्षण का फायदा नहीं मिलता है, ऐसी जाति के गरीब से गरीब बच्चों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला लिया गया। ...(**व्यवधान**)... उन्होंने गरीब कल्याण और गरीबी हटाओ की बातें सालों तक कीं, लेकिन सुध नहीं ली, उसे समय नहीं मिला, विचार नहीं आया। यह विचार नरेन्द्र मोदी जी को आया और पूरे देश भर में गरीबों के बच्चों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया।

मान्यवर, हम 105वाँ संशोधन लाए। ओबीसी की पहचान करने के लिए केंद्र के पास अधिकार थे। मैं बताना चाहता हूँ कि इतने बड़े विशाल देश में 140 करोड़ की जनसंख्या में पिछड़ी जातियों का पिछड़ापन क्या कोई एक केंद्र सरकार तय कर सकती है? फेडरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, मगर अब तक यह केंद्र सरकार के पास ही रहा था। नरेन्द्र मोदी जी ने कहा कि इसके कारण पिछड़े समाज के साथ अन्याय होता है। यह संविधान संशोधन करने के बाद, 10 अगस्त 2021 के बाद, पिछड़ापन का निर्णय करने का अधिकार राज्यों की सरकारों को देने का काम नरेन्द्र मोदी जी ने किया।

मान्यवर, अब मैं सबसे अंतिम संशोधन के बारे में कहना चाहता हूँ। यह 106वाँ संशोधन है। मैंने तो क्रम में बोला है, एक भी नहीं काटा है। 101, 102, 103, 104, 105 और 106 - ये सब के सब

जन कल्याण के लिए लाए गए थे। 106वाँ संशोधन 28 सितंबर, 2023 को मातृशक्ति को शक्ति प्रदान करने का था, मातृशक्ति को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का था। ...(**व्यवधान**)... तब 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' बना। मान्यवर, मैं आज आपके माध्यम से पूरे सदन से और पूरे सदन के माध्यम से देश भर की 140 करोड़ जनता से कहना चाहता हूँ कि जब इन दोनों सदनों में 33 प्रतिशत नारी शक्ति बैठेगी, तब संविधान निर्माताओं की कल्पना पूरी हो जाएगी, उनकी आत्मा को बहुत शांति मिलेगी।...(**व्यवधान**)...

मान्यवर, इसके अलावा भी हम कई कानून लेकर आए। हम 'ट्रिपल तलाक' को निरस्त करने का कानून लाए। अब ये कहते हैं कि यह आपकी वोट बैंक की राजनीति है। मान्यवर, क्या सुप्रीम कोर्ट का कोई वोट बैंक होता है? सुप्रीम कोर्ट तो चुनाव नहीं लड़ती है, जजों को चुनाव नहीं लड़ना है। 'ट्रिपल तलाक' को समाप्त करना चाहिए और शाहबानो को मुआवजा देना चाहिए - दोनों जजमेंट्स सुप्रीम कोर्ट ने अलग-अलग समय पर दिए थे। परंतु वोट बैंक की राजनीति हम नहीं कर रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति करके मुस्लिम बहनों के साथ इतने सालों तक अन्याय करने का काम इस कांग्रेस पार्टी ने किया है। हमने तो ट्रिपल तलाक समाप्त करके मुस्लिम माताओं-बहनों को अधिकार दिया कि आपका भी अधिकार आपके पति जैसे है। ट्रिपल तलाक समाप्त हो गया, मगर अभी कोई नहीं कहता है कि यह अच्छा हुआ। कैसे कहेगा? एक उदाहरण पड़ा है। हमारे आरिफ मोहम्मद खान, बेचारे मंत्री थे, अच्छे-खासे मंत्री थे, फर्राटे की अंग्रेजी बोलते थे, बहुत पढ़े-लिखे व्यक्ति थे, फारसी के विद्वान, उर्दू के विद्वान, हिंदी तो मातृभाषा थी। अब उन्होंने कहा कि शाहबानो को मुआवजा देना चाहिए। इसके कारण उनका मंत्री पद भी गया, सांसद पद भी गया और बेचारे कई सालों तक संघर्ष करते रहे। कौन बोलेगा? इनकी वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने की पद्धति है।

मान्यवर, 2020 में हम नई शिक्षा नीति लाए। आजादी के बाद पहली शिक्षा नीति आई है, जिसका विरोध कम्युनिस्ट भी नहीं कर पाई। बाकी तो शिक्षा नीति आए और कम्युनिस्ट पार्टी विरोध न करे! ऐसा कभी हो सकता है? मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ है कि प्रकृति बदल गई है या उनकी सोच बदल गई है। खैर जो भी हुआ। फिर मुझे किसी ने बताया कि आपने इतनी अच्छी शिक्षा नीति लाई है कि अगर वह इसका विरोध करेगी, तो लोग उसका विरोध करेंगे, इसलिए उसने विरोध नहीं किया।

मान्यवर, हमने जम्मू-कश्मीर में आरक्षण देने का संशोधन विधेयक लाया और तीन नए आपराधिक कानून भी लेकर आए। हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ये तीन कानून 160 साल बाद आए। पहले अंग्रेजों ने बनाए थे, अंग्रेजों के पार्लियामेंट में बने थे।...(**व्यवधान**)... मान्यवर, नरेन्द्र मोदी जी ने बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए के माध्यम से हमारी संपूर्ण आपराधिक न्याय प्रणाली का भारतीयकरण करने का काम किया है। वे कानून, जो अंग्रेजों को राज टिकाने के लिए बने थे, वे कानून को समाप्त करके हमारे संविधान ने हमारे नागरिकों को जो अधिकार दिए हैं, समय पर न्याय मिलना चाहिए, इसको पूरा करने का काम नरेन्द्र मोदी जी ने किया है। इस देश को गुलामी की मानसिकता से आजाद करने का काम कई सालों के बाद अगर किसी ने किया, तो हमारे नेता नरेन्द्र मोदी जी ने किया। आप तो कई साल तक बजट शाम को साढ़े पाँच बजे रखते थे। आप शाम को साढ़े पाँच बजे क्यों रखते थे? ऐसा इसलिए, क्योंकि इंग्लैंड की रानी की घड़ी में उस वक्त 11.00 बजते थे। आजादी के इतने सालों तक अंग्रेज की रानी की घड़ी से बजट

रखने की आदत थी। उसको भी किसी ने बदला, तो भारतीय जनता पार्टी ने बदला। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बदला।

मान्यवर, संविधान के सम्मान की बहुत बातें हुई हैं, मगर संविधान का सम्मान सिर्फ बातों में नहीं होना चाहिए, कृत्य में भी होने चाहिए, करतूतों में भी होना चाहिए और कल्पना भी होना चाहिए। जब कृत्य में नहीं है, करतूतों में नहीं है, तो कल्पना में आ ही नहीं सकता। अभी मैंने इस चुनाव में अजीबोगरीब नजारा देखा। अजीबोगरीब नजारा था। आज तक इतने साल चुनाव हुए, किसी ने आम सभाओं में संविधान को लहराया नहीं। संविधान को लहरा कर असत्य बोल कर जनादेश लेने का कुत्सित प्रयास कांग्रेस पार्टी के नेताओं के माध्यम से हुआ।...(**व्यवधान**)... मान्यवर, संविधान लहराने का मुद्दा नहीं है, संविधान बहकाने का मुद्दा नहीं है, संविधान विश्वास है, संविधान श्रद्धा है, संविधान सम्मान करने का मुद्दा है।...(**व्यवधान**)... मान्यवर, वह नरेन्द्र मोदी जी हैं।...(**व्यवधान**)... लोक सभा में तो किसी को मालूम नहीं पड़ा...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Not yielding. ...*(Interruptions)*... Nothing will go on record. ...*(Interruptions)*... No; he is not yielding. ...*(Interruptions)*...

श्री अमित शाह: मान्यवर, लोक सभा चुनाव में तो किसी को मालूम नहीं पड़ा, क्योंकि जागरूकता थी। महाराष्ट्र में भी लहराने के अलावा बाँटने गई, तो वह एक पत्रकार के हाथ में भी आ गया। उसने उसको खोला, तो वह पूरा कोरा था।...(**व्यवधान**)... अंदर कुछ लिखा ही नहीं था।...(**व्यवधान**)... मान्यवर, उसमें Preamble भी नहीं था। ...(**व्यवधान**)... इतना बड़ा छल! ...(**व्यवधान**)... मैं आपकी बात नहीं कर रहा, पकड़े जाने के बाद तो सब लोग सुधर जाते हैं। ...(**व्यवधान**)...

मान्यवर, 75 साल के इतिहास में, संविधान के आयुष्य में, संविधान के नाम पर इतना बड़ा छल मैंने अपने जीवन में न तो देखा है और न ही जाना है। ये कारण ढूंढ़ते हैं कि ये क्यों हारे। मैं बता दूँ, आप कारण मत ढूंढ़िए, कमिटी की जरूरत नहीं है। ये लोग संविधान और आरक्षण-आरक्षण करते थे, लोग जान गए कि ये फर्जी संविधान लेकर घूमते हैं, इसीलिए लोगों ने इन्हें हरा दिया। मान्यवर, ये जो प्रति लेकर घूमते हैं, उसमें गोखले साहब ने क्या लिखा है, वह एक बार हम पढ़ लेते हैं। उन्होंने लिखा है कि इंदिरा जी और कांग्रेस पार्टी ने संविधान पर सबसे ज्यादा कठोर कुठाराघात करने का काम किया है। ये जो प्रति लेकर घूमते हैं न, उसकी प्रस्तावना में यह लिखा है।

माननीय सभापति महोदय, संविधान कैसे तोड़ा-मरोड़ा जा सकता है, मैं इसके भी दो उदाहरण देना चाहता हूँ। हमारी सेना के जवान, सुरक्षा बलों के जवान हमारी मातृभूमि की एक इंच भूमि पर अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। एक इंच भूमि के लिए सैकड़ों-हजारों लोग शहीद हुए। मान्यवर, यदि किसी को भी भूमि देनी है तो आर्टिकल वन अमेंड करना पड़ेगा। आर्टिकल वन में हमारे भू-भाग की व्याख्या की गई है। इसको बदलना पड़ता है। तमिलनाडु के पास एक कच्चाथीवु नामक टापू था। वह टापू 1974 में अचानक ही एक एग्रीमेंट के द्वारा one fine morning श्रीलंका को दे दिया गया। चलो भाई, आपका बहुमत था। मान लो, इस भरोसे से ऐसा किया होगा कि संसद मेरा सम्मान रखेगी, परंतु बाद में भी इस आर्टिकल वन का बदलाव आज तक नहीं आया

Contents Page

है और हमारा वह भू-भाग आज हमारा हिस्सा नहीं है। संविधान के साथ ऐसा खिलवाड़ भारत नहीं, दुनिया के किसी भी देश में शासकों द्वारा नहीं किया गया होगा। मान्यवर, आप तो अधिवक्ता हैं। 35A को Constitution order से, राष्ट्रपति महोदय के ऑर्डर से दाखिल किया गया। वह दाखिल तो हो सकता है, परंतु Constitution order को दोनों सदनों की परमिशन चाहिए, जो हमने धारा 370 हटाने के लिए ली। मैं आज कांग्रेस के मित्रों, जो संविधान की दुहाई देते हैं, उनसे यह पूछना चाहता हूँ कि जब आपने 35A लागू किया, तो उसके Constitution order पार्लियामेंट में डिबेट के लिए कब आया? कब मतदान हुआ? किसने पारित किया? पार्टी को तो आप निजी परिवार की जागीर समझते हो, संविधान को भी आपने निजी परिवार की जागीर समझ रखी थी। ...(**व्यवधान**)...

मान्यवर, देश के दोनों सदनों के साथ इतना बड़ा छल किया गया। संविधान में एक पूरा 35A डाल दिया गया और पार्लियामेंट के पास वह सब्जेक्ट ही नहीं आया! देश का भू-भाग दे दिया, परंतु पार्लियामेंट के पास वह विषय ही नहीं आया! आपने किस प्रकार से संविधान के साथ खिलवाड़ किया है, किस प्रकार से आपने देश को चलाया है, देश की जनता को आज इस बहस से यह मालूम पड़ना चाहिए।

मान्यवर, अभी दोनों सदनों के कांग्रेस के मेरे साथी सदस्य आपातकाल के बारे में बड़ी-बड़ी उद्दात भावनाओं का स्मरण कर रहे थे। जब यंग सदस्य ऐसा करें, तो मैं समझ सकता हूँ कि शायद उन्होंने इतिहास न पढ़ा हो, मगर जो लोग आपातकाल के वक्त थे, वे भी ऐसा कर रहे थे। मान्यवर, किसी की भी स्मृति इतनी अल्पकालीन कैसे हो सकती है? आपातकाल में क्या हुआ था? तब लाखों लोग कोई अपराध किए बगैर जेलों में ठूँस दिए गए। कोई पॉलिटिकल पार्टी बाकी नहीं है। आज जो इनके साथ बैठे हैं, उनमें से भी कुछ लोग जेल में थे, वे भी कुछ नहीं बोलते हैं। न्यायालय में डर का माहौल, मीडिया पर सेंसरशिप, इंडियन एक्सप्रेस ने एक भी शब्द लिखे बगैर कोरा सम्पादकीय प्रकाशित किया, क्योंकि लिख नहीं सकते थे, श्रीमान शुक्ला साहब से एडिट कराना होता था, वापस ही नहीं आता था, तो उन्होंने कोरा अखबार ही निकाल दिया, इस तरह से विरोध किया और मान्यवर, तय हो गया कि एक व्यक्ति कहेगी, वही कानून होगा। वह क्यों किया? क्या देश पर आक्रमण हुआ था, क्या देश की आंतरिक सलामती ठीक नहीं थी? मैं बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सिर्फ इतना हुआ था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनको सांसद के रूप में अयोग्य ठहरा दिया था। अपनी कुर्सी जाने वाली थी, चुनाव नहीं कराना था। मान्यवर, जब इसको चैलेंज किया गया, सर्वोच्च अदालत में जब इस पर चर्चा हुई, तब उन्होंने निरेन डे से पूछा कि क्या आर्टिकल 21 के तहत के अधिकार इमरजेंसी में समाप्त हो सकते हैं? तो उन्होंने कहा, यस सर। महोदय, किसी भी वकील को यस सर कहने की इतनी बड़ी फीस नहीं मिली होगी। एक यस सर कहने पर निरेन डे 11 साल तक एटॉर्नी जनरल रहे। मान्यवर, जो डी.ओ. ड्राफ्ट होता है, वह कैबिनेट में मंत्रालय से आता है। कैबिनेट में, मंत्रालय में डी.ओ. ही नहीं है। कैबिनेट का जो प्रस्ताव होता है, वह कैबिनेट में मंत्रालय के through जाता है। मगर आज कैबिनेट का मंत्रालय में कोई रिकॉर्ड नहीं है।

मान्यवर, मैं तो छोटा था, इसलिए मुझे जेल में नहीं जाना पड़ा। मेरी आयु होती, तो मेरा भी सौभाग्य होता, मैं इसके विरोध में पूरे 19 महीने जेल में रहना पसंद करता, परंतु मैं छोटा था। मुझे इमरजेंसी की मालूमात कैसे हुई? मैं बिनाका गीतमाला सुनता था। अचानक बिनाका गीतमाला बंद

Contents Page

हो गई, तो मैंने घर में झगड़ा किया कि बिनाका गीतमाला क्यों नहीं आती है? मेरे पड़ोस वाले चाचा जी ने कहा कि किशोर कुमार जी के साथ इंदिरा गांधी जी का झगड़ा हो गया है, बिनाका गीतमाला में किशोर कुमार जी की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, तो नए गीतों की रिकॉर्डिंग हुई और किशोर कुमार और लता मंगेशकर के duet गीत भी लता दीदी की आवाज़ में ही पूरे देश ने 19 महीने सुने। ये डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। मान्यवर, देश की जनता ने उनको ऐसा दंड दिया कि वे अब स्वप्न में भी इस प्रकार की कृत्य नहीं कर सकते हैं। ऐसी कृत्य कोई न करे, इसलिए यह बहस ज़रूरी है।

मान्यवर, हम तो संविधान का सम्मान करते हैं। नरेन्द्र मोदी जी ने संविधान दिवस मनाने की बात रखी, तो एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने कहा कि संविधान दिवस की क्या ज़रूरत है, 26 जनवरी तो मनाते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आप संविधान का जितनी बार भी स्मरण करेंगे, इसकी भावनाओं के प्रति आपकी आस्था दृढ़ होगी। मान्यवर, इसलिए नरेन्द्र मोदी जी संविधान दिवस मनाते हैं, संविधान के निर्माताओं की पुण्य स्मृति में मनाते हैं।

मान्यवर, आज ही मुझे किसी शायर ने इमरजेंसी के ऊपर दुष्यंत कुमार जी की पंक्ति भेजी है। मैं इमरजेंसी पर ज्यादा भाषण नहीं करना चाहता, परंतु मैं दुष्यंत कुमार जी की पंक्ति ज़रूर कहना चाहूंगा-

"एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है,
आज शायर यह तमाशा देखकर हैरान है।
कल नुमाइश में मिला वह चिथड़े हाल कपड़े पहने हुए,
मैंने उसको नाम पूछा तुम कौन हो, तो उसने कहा मैं संविधान हूं।।"

मान्यवर, यह दुष्यंत कुमार जी की कविता है, इंदिरा गांधी जी को समर्पित है। महोदय, जब संविधान बन रहा था, तब संविधान के हर आर्टिकल पर चर्चा चल रही थी। हम आज़ाद हो गए थे। आज़ाद हुए थे, पर हमारा देश कोई नया नहीं था, हम तो हज़ारों सालों से दुनिया में सबसे चिर पुरातन संस्कृति, चिर पुरातन धर्म और चिर पुरातन समाज जीवन लेकर निकले हुए देश हैं। हां, एक कालखंड के लिए गुलाम हो गया था। आजादी मिली और आगे देश कैसे चले, इसका एक डॉक्यूमेट बनाना था। तो उस डॉक्यूमेंट की चर्चा में आया कि देश का नाम क्या होगा? अंग्रेज इंडिया लिखकर गए थे, क्योंकि वे भारत को जानते नहीं थे। यूरोप में जो प्रचलन में शब्द होंगे, वह शब्द उन्होंने हम पर थोप दिया था और गुलामी की मानसिकता ने इसको स्वीकार भी किया था। मगर जब आजाद हुए, तब इस पर चर्चा हुई। उस वक्त के सदस्य सेठ गोविंद दास ने दरख्वास्त की कि देश का नाम भारत रखना चाहिए। उस वक्त जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि और पीछे देखने की जरूरत नहीं है, भविष्य की ओर देखिए, जिसकी वजह से देश के नाम के अंदर इंडिया भी रहा और भारत भी रहा। मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। यह नजरिए का सवाल है। अगर इंडिया के चश्में से भारत को देखोगे, तो भारत समझ में नहीं आएगा और पूरा जीवन चला जाएगा। इसलिए इन्होंने अपने गठबंधन का नाम भी इंडिया ही रखा है। इसलिए रखा है, क्योंकि उसी सोच से चलना है। हमारे प्रधान मंत्री जी ने कहा कि विकास तो करना है, दुनिया में सबसे आगे बढ़ना ही है, विकास के साथ-साथ विरासत को भी अपनाकर आगे बढ़ना है। गुलामी की हर परंपरा को हम समाप्त करना चाहते हैं। हम एक आज़ाद मुल्क हैं, सार्वभौमिक मुल्क हैं, किसी की

परम्परा हमें स्वीकार नहीं। परम्परा बदलनी है, तो हम बदलेंगे। नए कपड़े हर कोई पहनता है, हम भी पहनेंगे, परंतु हमारी पुरानी परम्पराओं पर हमें शर्म नहीं है। मान्यवर, नरेन्द्र मोदी जी ने क्या किया? राजपथ, जिसका नाम अंग्रेज सम्राट के सम्मान में रखा गया था, उसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखा गया। इंडिया गेट पर किंग पंचम जॉर्ज की मूर्ति लगी थी, मूर्ति को हटा दिया। वहां स्थान खाली था, हमने वहां सुभाष बाबू की प्रतिमा लगा दी। मान्यवर, नेवी का चिन्ह जो वे देकर गए थे, वह ही चल रहा था, हमने वीर छत्रपति शिवाजी महाराज का चिन्ह नेवी को दिया। हमने भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को जनजातीय गौरववर्ष के रूप में मनाया। हमने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक बनाया और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में अमर जवान की ज्योति को विलीन करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेन्द्र मोदी जी ने किया। संसद के अंदर राजा जी ने जो उद्दात भावनाएं व्यक्त की थीं, जिसको जवाहरलाल जी ने भी स्वीकारा था, मगर बाद में शर्म का एहसास हुआ, सेंगोल को इलाहाबाद के म्यूजियम में भेज दिया, नरेन्द्र मोदी जी ने विधिवत तरीके से सेंगोल को संसद के अंदर प्रस्थापित किया। नई संसद बनाई और विश्व भर में चोरी की गई मूर्तियां आर्टिफैक्ट्स जो थे, उन 345 आर्टिफैक्ट्स और मूर्तियों को वापस लाने के लिए हमारे विदेश मंत्रालय ने काम किया। पूरा देश अंग्रेजी में चले, इतने सालों तक ऐसा षडयंत्र चला, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हमनें कम्प्लसरी कर दिया कि बच्चे की प्राथमिक शिक्षा मातृ भाषा में होगी।

महोदय, मातृभाषा में आईएएस, आईपीएस का एग्जाम नहीं दिया जाता था, लेकिन हमने वहां मातृभाषा में एग्जामिनेशन को किया। अभी तमिलनाडु के सदस्य बोल रहे थे। आप जिनके साथ बैठे हैं, उनके शासन में तमिल में आईएएस, आईपीएस का पेपर नहीं लिख सकते थे, लेकिन आज तमिल मीडियम में पढ़ा हुआ बच्चा गर्व के साथ देश का टॉप ब्यूरोक्रेट बन सकता है। यह व्यवस्था हमने की। मान्यवर, अंडमान और निकोबार के द्वीप समूहों का नाम अंग्रेजों ने रखा था। सुभाष बाबू ने जब अंडमान और निकोबार जीता, तब उन्होंने नामकरण किया था। उन्होंने शहीद और स्वराज नामकरण दिया था, लेकिन उसको भुला दिया गया। आज़ादी के बाद फिर से अंग्रेजों के नाम वापस लाए। नया न रखो, कोई बात नहीं - सुभाष बाबू ने रखा, उसको निकाल दिया, लेकिन हमने डंके की चोट पर सुभाष बाबू के नाम शहीद और स्वराज, दोनों नाम वापस लाने का काम किया। लुटियन में रेस कोर्स रोड पर रहते थे, हमने लोक कल्याण मार्ग किया। डलहौजी रोड का नाम, दारा शिकोह रोड के नाम से किया और निर्मला जी ब्रीफकेस की जगह, बहीखाता लेकर, आज जब बजट पर भाषण देती हैं, तब पूरे देश की भारतीय संस्कृति के लोगों को आनंद मिलता है।

मान्यवर, हमने 1,500 से ज्यादा पुराने कानूनों को समाप्त करने का काम किया, लेकिन इन्होंने अपने परिवार की प्रसिद्धि के अलावा कुछ नहीं किया। हजारों जगहों पर गांधी, नेहरू परिवार के नाम मिलेंगे, और किसी का नाम नहीं है। सुभाष बाबू का पुतला भी हमने लगाया।

मान्यवर, हमने प्रधानमंत्री संग्रहालय बनाया। जवाहरलाल जी से लेकर नरेन्द्र मोदी जी से पहले जितने भी प्रधानमंत्री बने, हमने उन सभी प्रधानमंत्रियों के जीवनकाल को दिखाने का काम किया, लेकिन पहले वहां सिर्फ जवाहरलाल जी का म्यूजियम था। हमने जी*20* की अध्यक्षता की और भारतीय, सांस्कृतिक और वैश्विक समन्वय को भी प्रोत्साहित किया। महोदय, राम मंदिर का निर्माण, काशी विश्वनाथ धाम का पुनरुद्धार, काशी, उज्जैन, शारदा पीठ, करतारपुर साहिब कॉरिडोर, योग को वैश्विक पहचान और 160 साल पुराने कानूनों को खत्म करने का काम नरेन्द्र

मोदी जी ने किया। महोदय, हम पीछे नहीं गए। वे मानते थे कि पीछे चले जाओगे, हम पीछे नहीं गए, पीछे तो आप छोड़कर गए थे। आप 14वें नंबर पर छोड़कर गए थे, अटल जी 11वें पर लाए, फिर 11वें से नीचे नहीं गए - देश पर बड़ा उपकार किया, मोदी जी 11 वें से 5वें नंबर पर लाए और 2027 में तीसरे नंबर पर पहुंच जाएंगे।

मान्यवर, अभी-अभी कुछ नेताओं को आरक्षण में चुनाव जीतने का फार्मूला दिखाई पड़ गया है। वे आरक्षण-आरक्षण-आरक्षण-आरक्षण कहते हैं। महोदय, आरक्षण कोई आज की कल्पना नहीं है, यह कल्पना हमारे संविधान निर्माताओं ने की थी। आर्टिकल 15 और 16 में एससी, एसटी और ओबीसी को आरक्षण देने का प्रोविजन किया गया था। मान्यवर, यह मूल प्रोविजन है, कोई नया नहीं है, लेकिन ये इतनी जोर से आरक्षण-आरक्षण-आरक्षण कहकर, छाती चौड़ी करके चिल्लाते हैं, पर आज मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से आरक्षण विरोधी पार्टी मानी जाती है। इनका कहना और करना दोनों अलग हैं।

मान्यवर, मैं अंत में आरक्षण के लिए नेहरू जी के उद्‌गार बताऊंगा। ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने के लिए 1953 में काका साहेब कालेलकर कमीशन बना। मान्यवर, इसकी रिपोर्ट कहां है? मैंने दोनों सदनों के रिकॉर्ड पर ढूंढ़ा, लेकिन यह कहीं नहीं है, इसे भुला दिया गया। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया, क्योंकि ओबीसी को आरक्षण मिलना था। ...(**व्यवधान**)... बैठिए। आप बैठिए, मैं प्रक्रिया बताता हूं।...(**व्यवधान**)...

श्री जयराम रमेशः आप अर्धसत्य बोलते हैं।

श्री अमित शाहः मैं अर्धसत्य नहीं बोलता हूं।...(**व्यवधान**)... एक सेकंड, आप सुनिए।

डा. सैयद नासिर हुसैनः कुछ छिपाया नहीं है।...(**व्यवधान**)...

श्री अमित शाहः छिपा कैसे सकते हो, यह बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान है। देश में लोकतंत्र है, कैसे छिपाओगे? मान्यवर, कोई भी रिपोर्ट आती है, ...(**व्यवधान**)... सुनिए, जब कोई भी रिपोर्ट आती है, तो उसको कैबिनेट के सामने रखना पड़ता है, फिर इस पर जो कार्यवाही की गई, वह भी उसकी रिपोर्ट के साथ संसद के सामने रखना है। ...(**व्यवधान**)...

श्री जयराम रमेशः संसद की लाइब्रेरी में रखी है।...(**व्यवधान**)...

श्री अमित शाहः ये सही कह रहे हैं, उन्होंने संसद में लाने की जगह, पुस्तकालय में रख दी। इन्होंने ओबीसी का आरक्षण लाइब्रेरी में रख दिया।

मान्यवर, अगर काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट स्वीकार कर ली गई होती, तो 1980 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। यह कमीशन ही इसलिए बनाया गया था, क्योंकि काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट स्वीकारी नहीं और 1980 में मंडल कमीशन की भी रिपोर्ट आ गई, लेकिन किसी ने इस पर अमल नहीं किया। इस पर अमल कब हुआ? जब 1990 में इनकी सरकार गई, तब अमल हुआ। मान्यवर, तब तक मंडल कमीशन की रिपोर्ट को भी ठंडे बस्ते

में डाल दिया गया था। ...(**व्यवधान**)... जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट को स्वीकार किया गया, तब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राजीव गाँधी जी थे। मैंने राजीव गाँधी जी के सभी भाषणों को खंगाला, उन्होंने सबसे लंबा भाषण मंडल कमीशन रिपोर्ट का विरोध करने के लिए दिया है। इन्होंने कहा कि पिछड़ों को आरक्षण देने से इस देश में योग्यता का अभाव हो जाएगा। अब ये तो आपके विचार हैं! मान्यवर, राजीव गाँधी जी की स्पीच भी लोकसभा के रिकॉर्ड पर पड़ी है। जयराम जी, आप लाइब्रेरी में जाते हैं, तो लोकसभा की स्पीच निकलवाकर नहीं पढ़ते हैं? एक बार पढ़ लीजिएगा।

मान्यवर, नरेन्द्र मोदी जी ने क्या किया? नरेन्द्र मोदी जी ने ओबीसी कमीशन को मान्यता दी, पिछड़े वर्ग का सम्मान किया, नेट, नीट, जेईई में ओबीसीज़ को आरक्षण दिया। इन्होंने क्या किया? मान्यवर, यह नेहरू जी, इन्दिरा जी से लेकर अब तक चलता रहता है। इन्होंने क्या किया - * बोलना शुरू किया कि हम आरक्षण बढ़ा देंगे, आरक्षण बढ़ाना चाहिए, आरक्षण 50 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ाना चाहिए। महोदय, यह क्यों बढ़ाना है, मैं यह बताना चाहता हूँ। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः मान्यवर, *नहीं असत्य बोलिए। * की जगह असत्य बोलिए।

श्री अमित शाहः मान्यवर, चलिए, खरगे जी की बात को स्वीकार कर लेता हूँ। उन्होंने * नहीं बोला, वे सत्य से परे बोले हैं। यह नहीं बोलना चाहिए। मान्यवर, इन्होंने 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण देने की वकालत की। मैं आज देश की जनता को बताना चाहता हूँ कि देश के दो राज्यों में धर्म के आधार पर आरक्षण अस्तित्व में है। यह गैर-संवैधानिक है। आप आरक्षण का प्रावधान करने वाली संविधान सभा की कोई भी डिबेट पढ़ लीजिए, उनमें स्पष्ट किया गया है कि कोई भी आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं हो सकता है। आरक्षण पिछड़ेपन के आधार पर होगा। ...(**व्यवधान**)... मान्यवर, जब दोनों राज्यों में काँग्रेस की सरकार थी, तब धर्म के आधार पर आरक्षण दिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में रुक जाता था, क्योंकि 50 प्रतिशत की सीमा है। ...(**व्यवधान**)... वे ओबीसी का कोई कल्याण नहीं चाहते हैं, बल्कि 50 प्रतिशत की सीमा बढ़ाकर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं, धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं। मैं आज फिर एक बार इस सदन में जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि जब तक दोनों सदनों में भाजपा का एक भी सदस्य है, तब तक हम धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं आने देंगे। ...(**व्यवधान**)... ये संविधान विरोधी है।

श्री जयराम रमेशः सर, काँग्रेस पार्टी ने कभी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया है।

श्री अमित शाहः दिया है। ...(**व्यवधान**)... मान्यवर, इससे तो ये बच जाएंगे, मगर जो संविधान सभा की चर्चा का रिकॉर्ड है, मैं उसमें से कुछ क्वोट करना चाहता हूँ। जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा -

---

* Expunged as ordered by the Chair.

* Expunged as ordered by the Chair.

"मैं यह देखकर सचमुच आश्चर्यचकित हूँ कि नियुक्ति में आरक्षण के सिद्धांत को कितनी दूर तक ले जा रहे हैं", मतलब कितना बढ़ा रहे हैं। "मुझे नहीं लगता कि यह बिल्कुल अच्छा है। ऐसा लगता है कि मुदलियार और ब्राह्मणों के सिवा लगभग सभी जातियों को पिछड़े वर्ग में शामिल कर देंगे।" मान्यवर, सरकारी सेवाओं में आरक्षण के लिए इनके विचार थे - "मैं इस बात से चिंतित हूँ कि सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए जिस तरह से बहुत सारी जातियां और समूहों के आरक्षण के प्रस्ताव आते हैं, यह बहुत बुरी प्रवृत्ति है।" "इससे सरकारी कामकाज और आम तौर पर विकास और सार्वजनिक जीवन में गिरावट आएगी।" ...(**व्यवधान**)...मान्यवर, यही इनके विचार हैं, जो आज तक नहीं बदले हैं। मगर अभी जोर से बोलना - एक शब्द का प्रयोग मैं नहीं कर सकता, यह गलती हो गई थी - असत्य बोलना और सार्वजनिक रूप से बोलना, इस सिद्धांत को कुछ नेताओं ने स्वीकार कर लिया है। ...(**व्यवधान**)...

मान्यवर, हमारे संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, भाग चार के अनुच्छेद 44 में एक एंट्री है, जो कॉमन सिविल कोड, यूसीसी की बात करती है, क्योंकि हमारे संविधान का फैब्रिक पंथनिरपेक्ष है, हर जाति, हर धर्म और हर समुदाय के लोगों के लिए समान कानून होना चाहिए। इसका हमारा संविधान पक्षधर है। मान्यवर, यह यूसीसी क्यों नहीं आया? यूसीसी इसलिए नहीं आया कि संविधान सभा समाप्त होने के बाद, चुनाव होने के बाद पहले प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू जी मुस्लिम पर्सनल लॉ लेकर आए और यूसीसी नहीं आया। मैं आज कांग्रेस पार्टी को इस सदन में पूछना चाहता हूं कि क्या पंथनिरपेक्ष राष्ट्र के अंदर सभी धर्मों के लिए एक कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसकी कांग्रेस पार्टी स्पष्टता करे। ...(**व्यवधान**)... क्या आप मुस्लिम पर्सनल लॉ का समर्थन करते हैं? मान्यवर, इससे बड़ा **छलावा** नहीं हो सकता है। ...(**व्यवधान**)... इससे बड़ा **छलावा** नहीं हो सकता। ...(**व्यवधान**)... ये हिंदू कोड बिल भी लाए। हिंदू कोड बिल उठाकर देख लीजिए। हम तो नहीं चाहते हैं कि हिंदू न्याय शास्त्र के आधार पर इस देश का कानून बने। अभी के जीवन के मूल्यों के आधार पर कानून बनना चाहिए। ...(**व्यवधान**)... मगर हिंदू कोड बिल में पुरानी हिंदू न्याय व्यवस्था का कोई नामोनिशान नहीं है। हिंदुओं को बुरा न लगे, इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ दिया, तो सामान्य कानून को हिंदू कोड बिल बना दिया। ...(**व्यवधान**)... मान्यवर, चलो मैं तो कहता हूं कि खरगे जी और जयराम जी कह रहे हैं कि पर्सनल लॉ का अधिकार मिले, तो हमें आपत्ति नहीं है, तो फिर पूरा शरिया लागू करिए। आप यह बताइए कि क्रिमिनल लॉ में क्यों शरिया निकाल दिया? क्या कोई चोरी करे, तो इसके हाथ काट दोगे? कोई महिला के साथ जघन्य अपराध करे, तो क्या पत्थर मारकर मार दोगे? देशद्रोही को रोड पर सूली चढ़ाओगे? विवाह के लिए, निकाह के लिए पर्सनल लॉ, वारिस के लिए पर्सनल लॉ, तो फिर क्रिमिनल शरिया क्यों नहीं? अगर उनको देना ही है, तो पूरा ही दे देते। मान्यवर, ये इन्होंने तुष्टीकरण की शुरुआत वहीं से की है। मुस्लिम पर्सनल लॉ इस देश में संविधान आने के बाद तुष्टिकरण की शुरुआत है। यह आर्टिकल 14 और 15 का भंग है। यह अम्बेडकर जी, लोहिया जी, के.एम. मुंशी, एच.वी. कामथ, इन सबने इसका विरोध किया है। 1973 से 2016 तक 11 बार देश की सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी लाने का आग्रह देश की और राज्य की सरकारों से किया है। आप नहीं ला सकते हैं, तुष्टिकरण से ऊपर नहीं उठ सकते हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री दिग्विजय सिंह: लाने से रोकता कौन है?

श्री अमित शाह: बैठिए, मैं बताता हूं। मान्यवर, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूसीसी लाई। मैं आपके माध्यम से दिग्विजय सिंह जी को कह रहा हूं, वे कहते हैं कि कौन रोकता है? हम खुद रोकते हैं। मैं इसका कारण बताऊं, आपको सुनने का धैर्य चाहिए, क्योंकि हमारा तरीका है कि लोकतांत्रिक तरीके से काम किया जाए। समाज के जीवन में इतना बड़ा सामाजिक बदलाव करने वाले कानून को उत्तराखंड सरकार ने मॉडल कानून के रूप में पारित किया है। इसकी न्यायिक मीमांसा होगी, इस पर सामाजिक चर्चा होगी और धर्म के विद्वान चर्चा करेंगे। कुछ सजेशंस आएंगे, तो उनको स्वीकारेंगे और बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर राज्य में कॉमन सिविल कोड लेकर आएगी। यह आज तक नहीं मिला, तो वह भी कांग्रेस पार्टी की तुष्टिकरण नीति थी।

मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है - अम्बेडकर, अम्बेडकर, अम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते, तो सात जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता! अच्छी बात है। ...(**व्यवधान**)... सुनिए तो, सुनिए न। ...(**व्यवधान**)... आप सुनिए न, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि अम्बेडकर जी का नाम लेते हैं। अम्बेडकर जी का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु सच्चे अर्थ में अम्बेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है, यह मैं बताता हूं। मान्यवर, अम्बेडकर जी ने देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अम्बेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं, सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वे छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। डा. बी.सी. रॉय ने एक पत्र लिखा कि अम्बेडकर जी और राजा जी जैसे दो महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे, तो क्या होगा, तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है कि राजा जी के जाने से तो थोड़ा-बहुत नुकसान होगा, लेकिन अम्बेडकर जी के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर, यह विचार है। जो खरगे जी कह रहे हैं कि क्या आपत्ति है, तो जिसका विरोध करते हो, उसका वोट के लिए नाम लेना कितना उचित है! चूंकि अब अम्बेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप अम्बेडकर-अम्बेडकर कर रहे हैं। मान्यवर, मुंबई के मेयर ने एक पत्र लिखा था कि महू में अम्बेडकर जी का स्मारक बनाना चाहिए, जो अम्बेडकर जी का जन्म स्थान था। उन्होंने सुझाव लिखा। उन्होंने कहा, "आम तौर पर स्मारक निजी पहल से बनाने चाहिए, यदि सरकार किसी प्रकार की सहायता करती है, तो वह उचित नहीं होगा।" उनके कितने स्मारक बने? अम्बेडकर जी का कोई स्मारक नहीं बना, देश भर में नहीं बना। अम्बेडकर जी के स्मारक कब बने? जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, तब महू में डा. अम्बेडकर के जन्म स्थान पर स्मारक बना; लंदन में वे अध्ययन करते थे, वहां स्मारक बना; नागपुर में दीक्षा ली, वहां स्मारक बना; दिल्ली में महापरिनिर्वाण स्थल पर बना और मुंबई में चैत्य भूमि में भी बन रहा है। हमने महामानव के पांच तीर्थ बनाए। ...(**व्यवधान**)... मैं मानता हूं ...(**व्यवधान**)... मान्यवर, मैं मानता हूं कि अम्बेडकर जी के सिद्धांतों पर चलना नहीं और वोट के लिए उनकी गुहार लगा देना। हमने 14 अप्रैल को राष्ट्रीय समरसता दिवस घोषित किया। हमने 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया। उस वक्त भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने इसका विरोध किया। ...(**व्यवधान**)...

Contents Page

MR. CHAIRMAN: He is not yielding.

श्री अमित शाह: मान्यवर, 370 पर कई बार, बार-बार चर्चा हुई है, मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता। सब जानते हैं कि एक टेंपररी प्रोविजन को अनौरस संतान की तरह कांग्रेस ने अपनी गोद में 70 साल तक खिलाने का काम किया। 370 हटाने के लिए लोहे का जिगर चाहिए। जब देश के प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी 2019 में फिर से प्रधान मंत्री बने, तो एक ही झटके से इसी सदन में 370 और 35ए को समाप्त किया गया। ...(**व्यवधान**)... ये इसी सदन में कहते थे कि खून की नदियाँ बह जाएँगी। खून की नदियाँ छोड़ो, कंकड़ चलाने की भी किसी में हिम्मत नहीं है। ...(**व्यवधान**)... मान्यवर, इसके बाद क्या हुआ? आजादी के बाद पहली बार 35,000 पंचायतों के सदस्य चुनकर आए, 1 वर्ष में 2 करोड़ 11 लाख पर्यटक आए, पत्थरबाजी शून्य हो गई, आतंकवादी घटनाएँ 92 प्रतिशत कम हो गईं, area domination बढ़ा, 31 साल के बाद घाटी में थिएटर में रात्रि का शो चल रहा है, 34 साल के बाद ताजिया का जुलूस निकला, पहाड़ी, गुर्जर, बक्करवाल और वाल्मीकि को आरक्षण मिला, घाटी के हर घर में 'हर घर तिरंगा' अभियान भी चला, श्रीनगर में Formula-4 car racing हुई, लाल चौक पर तिरंगा शान से फहरता है, दुनिया का सबसे ऊँचा railway arch bridge आज चिनाब नदी पर बन रहा है, सबसे लंबी transport tunnel पीर पंजाल में बनी और निर्यात रैंकिंग में अपना कश्मीर देश के सभी UTs में नंबर वन पर आया है।

मान्यवर, पाकिस्तान से आए हुए विस्थापित, घाटी से भगाए गए विस्थापित और पश्चिमी पाकिस्तान से आए हुए विस्थापितों को 80,000 करोड़ रुपये दिये गये और आज 1 लाख, 19 हजार करोड़ रुपये का निवेश आया है। मान्यवर, धारा 370 के रहते 70 सालों में 12,000 करोड़ रुपये का निवेश आया था, लेकिन अब 5 साल के अंदर 1 लाख, 19 हजार करोड़ रुपये का निवेश आया है। ...(**व्यवधान**)... G-20 के delegates भी वहाँ गए, अमरनाथ यात्रा में 4.5 लाख यात्रियों ने अपनी श्रद्धा व्यक्त की और कुपवाड़ा के शारदा देवी मंदिर में 600 वर्षों के बाद पहली बार दीपावली मनाने का काम हुआ है। ...(**व्यवधान**)... मान्यवर, ये कहते हैं कि धारा 370 हटाने से क्या हुआ? मैं बताता हूँ। आपकी तुष्टिकरण की दुकान बंद हो गई है। ...(**व्यवधान**)... तुष्टिकरण बंद हो गया है। ...(**व्यवधान**)...

मान्यवर, संविधान के आर्टिकल 124 में न्यायपालिका की व्यवस्था के लिए जिक्र है। कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने आर्टिकल 124 की भावनाओं के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया है, वह मैं आज सदन के माध्यम से सभी सदस्यों को और देश को बताना चाहता हूँ। पहला मामला 1973 में आया, जब संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच में न्यायिक पुनरावलोकन, Judicial Review को लेकर संघर्ष हुआ, तब उसको समाप्त कर देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। इसके बाद केशवानंद भारती ने फिर से इसको restore किया। फैसले से नाराज होकर - फैसला तो पक्ष में भी आता है, खिलाफ भी आता है। हमारे खिलाफ भी कई फैसले आते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं, उसको मानना चाहिए, क्योंकि यह हमारी संवैधानिक व्यवस्था है, परंतु कांग्रेस ने क्या किया? 3 वरिष्ठ न्यायाधीश – जस्टिस जे.एम. शेलत, जस्टिस के.एस. हेगड़े और जस्टिस ए.एन. ग्रोवर, तीनों को प्रमोशन से महरूम करके, उनको सजा देकर, चौथे न्यायाधीश को प्रमोशन देने का काम किया, जिसके कारण इन तीन सज्जनों ने अपना अपमान महसूस करते हुए, संविधान की सुरक्षा

Contents Page

के लिए इस्तीफा देकर घर जाना पसंद किया। ...(**व्यवधान**)... मान्यवर, इन्होंने यह काम किया है। दूसरा मामला 1976 में आया। वह एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला का था। ...(**व्यवधान**)... यह बात बार-बार दोहरानी चाहिए। 140 करोड़ लोगों को रट लेना चाहिए, जिससे कोई इमरजेंसी लगाने की हिम्मत नहीं कर सके। ...(**व्यवधान**)... यह हर बच्चे को रटाना चाहिए कि **तानाशाहों** को क्या करना चाहिए। ...(**व्यवधान**)... मान्यवर, एडीएम जबलपुर, बेचारे जस्टिस खन्ना ने तीन के विरुद्ध एक लघुमति फैसला दिया। इसके बाद क्या हुआ? मान्यवर, वे कभी भी चीफ जस्टिस नहीं बन पाए। वे रिटायर हो गए। यह एडीएम, जबलपुर का मामला है। उसके बाद तीसरा मामला यह है कि इन्होंने एक साथ 18 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का ट्रांसफर कर दिया, जिनमें चार मुख्य न्यायाधीश भी थे। इसका कारण क्या था? ऐसा क्यों किया गया? क्या कोई कदाचार था, कोई भ्रष्टाचार था? नहीं, नहीं, ये सभी 18 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने प्रत्यक्षीकरण, मतलब Habeas Corpus को एंटरटेन किया, जो उनका संवैधानिक अधिकार है। इमरजेंसी में कैसे Habeas Corpus को एंटरटेन किया जा सकता है, इस मुद्दे पर उन्होंने इसको आगे कर दिया।

मान्यवर, आर्टिकल 14 और 21 की सेंस को निकालें, तो हर व्यक्ति को समानता से जीने का अधिकार है। हमारा संविधान कम्युनिस्ट सोच से नहीं बना है। सब समझते हैं कि व्यक्ति की माली हालत उसके भाग्य, परिश्रम और बुद्धिमत्ता के आधार पर तय होती है। हर व्यक्ति एक समान माली हालत में नहीं रह सकता। मगर आर्टिकल 14 और 21 का मतलब इतना तो जरूर निकलता है कि उनको बेसिक सुविधाएँ मिल सकें। उनको घर मिले, बिजली मिले, पानी मिले, खाना मिले, इलाज मिले, शिक्षा मिले। इस देश की जनता को 75 साल तक 'गरीबी हटाओ' का नारा देने वाली कांग्रेस पार्टी ने गरीब रखा था। मान्यवर, 10 साल में नरेन्द्र मोदी जी ने 9.6 करोड़ गरीब महिलाओं को उज्ज्वला का कनेक्शन देकर उनके घर तक गैस को पहुंचाया, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बने, 12.65 करोड़ घरों में शुद्ध पीने का पानी पहुंचा, 18,000 गांवों में बिजली पहुंची, 14.5 करोड़ किसानों के खाते में 2.40 लाख करोड़ रुपए सीधे डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर हुए, 36 करोड़ 'आयुष्मान भारत' के कार्ड बने और 8.19 करोड़ दर्दियों ने उसके माध्यम से मुफ्त में अपना इलाज कराया है। मान्यवर, अब 70 साल से अधिक का व्यक्ति, चाहे वह किसी भी आय वर्ग का हो, उसको 5 लाख तक का इलाज मोदी सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने फ्री कर दिया है। 36 राज्यों में 80 करोड़ लोगों को 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' दिया, 5 किलो अनाज मुफ्त दिया, 25 लाख करोड़ रुपए की राशि सीधे बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से गई है, 11,000 करोड़ रुपए एक करोड़ लाभार्थी रेहड़ी पटरी वालों को दिये गये और सबसे बड़ी बात, 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का काम नरेन्द्र मोदी जी ने किया। मान्यवर, विश्वकर्माओं के लिए भी काम किया।

मान्यवर, मैं यह बात बहुत संवेदनशील होकर सदन के सामने रखता हूँ। लोक सभा में चर्चा हो रही थी, कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ सदस्य ने वीर सावरकर जी के लिए जो उद्गार निकले, मैं तो उसको रिपीट नहीं कर सकता हूँ। मान्यवर, सावरकर जी के साथ जो 'वीर' लगा है, वह कोई सरकार, कोई पॉलिटिकल पार्टी की चुनी हुई सरकार ने नहीं दिया है, बल्कि उनके साथ 'वीर' उनकी वीरता के कारण 140 करोड़ लोगों ने दिया है। मान्यवर, ऐसे उत्कृष्ट देशभक्त के लिए ऐसे उच्चारण देश की सबसे बड़ी पंचायत में होती है। उनके बारे में कोई जानकारी लिए बगैर लगातार कई सालों से असत्य फैलाया जा रहा है।...(**व्यवधान**)... मान्यवर, मैं आज रिकॉर्ड

Contents Page

पर कहना चाहता हूँ कि 1857 से लेकर 1947 तक के स्वतंत्रता संग्राम में किसी भी व्यक्ति को एक जीवन में दो आजीवन कारावास हुए हैं, तो वह वीर सावरकर जी को हुए हैं। देश को आजादी दिलाने के लिए टॉयलेट तोड़ कर दरिया में छलांग लगाने का साहस किसी में था, तो वह वीर सावरकर जी में था।

8.00 P.M.

एक ही जेल में दो भाई कालेपानी की सजा काट रहे थे, लेकिन 10 साल तक दोनों भाइयों ने एक-दूसरे को नहीं देखा, ऐसा वीर परिवार पूरे देश में दूसरा नहीं है। मान्यवर, मैं आज यहां पर सावरकर जी की एक उक्ति कहना चाहता हूँ। उनका मराठी में एक वाक्य है - *"तुजसाठी मरण ते जनन, तुजविण जनन ते मरण।"* इसका अर्थ है - हे मातृभूमि, तेरे लिए मृत्यु ही जीवन है और तेरे बिना जीवन मेरे लिए मृत्यु से भी कठिन है। देशभक्ति का यह वाक्य जिस व्यक्ति के मुंह से निकले, उसके लिए सदन में ये इस प्रकार की चर्चा करते हैं, सार्वजनिक रूप से बोलते हैं और गर्व महसूस करते हैं! क्या देशभक्ति किसी विचारधारा के साथ जुड़ी हो सकती है? क्या देश के प्रति बलिदान किसी धर्म के साथ जुड़ा हुआ हो सकता है? मान्यवर, हम देश के सार्वजनिक जीवन को आज किस प्रकार के स्तर पर ले गए हैं? आप हमारी न मानें, हमारी न सुनें। ...(**व्यवधान**)... सुनिए, सुनिए। आप हमारी न मानें, हमारी न सुनें, हमको न स्वीकारें, मगर मैं इंदिरा जी के दो वाक्यों को यहाँ क्वोट करना चाहता हूँ। एक, उन्होंने 1966 में सावरकर जी के निधन पर कहा था, "सावरकर एक महान व्यक्ति थे, उनका नाम साहस और देशभक्ति का पर्याय है। एक महान क्रांतिकारी, जिन्होंने अनगिनत लोगों को प्रेरणा देने का काम किया।" यह तत्कालीन प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी जी ने कहा है। दूसरा, उन्होंने श्री बाखले को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था, "आपका पत्र मुझे मिला। वीर सावरकर द्वारा ब्रिटिश सरकार के प्रति साहसी प्रतिरोध का हमारे स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। मैं भारत के इस असाधारण पुत्र की जन्म शताब्दी के लिए कोटि-कोटि शुभकामनाएँ देती हूँ। - प्रधान मंत्री।" आप हमारी न सुनें, मगर आप इंदिरा जी की भी नहीं सुनते हैं! ...(**व्यवधान**)... मान्यवर, मैं आपके माध्यम से ...(**व्यवधान**)...

विपक्ष के नेता (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): सर, ...(**व्यवधान**)...

श्री अमित शाह: नहीं सर, बीच में जगह नहीं होती है। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: He is not yielding.

श्री अमित शाह: मान्यवर, आज इस चर्चा के माध्यम से देश भर की अलग-अलग पोलिटिकल पार्टीज़, अलग-अलग विचारधारा और अलग-अलग धर्म के लोगों से मेरा एक निवेदन है कि देशभक्ति, वीरता, बलिदान और समर्पण को धर्म के साथ, विचारधारा के साथ या पार्टी के साथ मत जोड़िए। जो वीर होता है, वह वीर होता है, चाहे वह किसी भी पार्टी में हो; जो देशभक्त होता है, वह देशभक्त होता है, चाहे वह किसी भी विचारधारा का हो और जो बलिदान देता है, वह

बलिदान ही देता है, चाहे उसने किसी भी धर्म के अंदर जन्म लिया हो। मान्यवर, यह बहुत ही नीचा विचार है। यह एक स्तर से नीचा विचार है। मैं चाहता हूँ कि आज की चर्चा से देश की जनता इस प्रकार की चीजों का जवाब मांगना शुरू करे।

मान्यवर, अगर आप हमारे संविधान के हर आर्टिकल का अर्थ निकालेंगे, तो आप कहीं न कहीं इसी ओर जाएंगे कि हमारे संविधान ने तीन चीजों को स्वीकार नहीं किया है। चूंकि हम लोकतंत्र में हैं, इसलिए परिवारवाद नहीं होना चाहिए, हम पंथनिरपेक्ष राष्ट्र हैं, इसलिए तुष्टिकरण नहीं होनी चाहिए और हम जनकल्याणकारी राज्य हैं, इसलिए भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। मुझे कई बार यह लगता था कि आखिर कांग्रेस पार्टी संविधान का सम्मान क्यों नहीं करती है, लेकिन जब मैंने ये तीन शब्द पढ़े तो मुझे मालूम पड़ा कि अगर वे संविधान की भावनाओं का सम्मान करेंगे, तो उनको तुष्टिकरण, परिवारवाद और भ्रष्टाचार, इन तीनों को छोड़ना पड़ेगा, जिनके बगैर उनका अस्तित्व ही नहीं है। परंतु, एक व्यक्ति गरीब के घर से जन्म लेकर आता है, चाय बेचने वाला बेटा, जिसकी सात पुश्तों में न कोई आगे राजनीति में है, न कोई पीछे है। मान्यवर, वह एक गरीब है और तुष्टिकरण को नहीं मानता है। ऐसे आदमी 2014 में जब देश के प्रधान मंत्री बने, तो इन्होंने देश की राजनीति को तुष्टिकरण, परिवारवाद और भ्रष्टाचार के नासूर से हमेशा के लिए मुक्त कर दिया। मुझे किसी ने कहा कि अभी-अभी महाराष्ट्र और हरियाणा में हार के लिए कांग्रेस पार्टी आत्म निरीक्षण के लिए एक कमिटी बना रही है। कोई कमिटी की ज़रूरत नहीं है, मेरा अच्छा खासा अनुभव है, आप तुष्टिकरण, परिवारवाद और भ्रष्टाचार छोड़ दो, जनता आपको चुनकर ला देगी, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।

मान्यवर, अभी ये One Nation One Election का विरोध कर रहे थे। मान्यवर, मैं इस पर ज्यादा बात करना नहीं चाहता, क्योंकि समिति ने सीज़ किया है। अगर विरोध करते हैं, तो इसके तर्क रखने चाहिए। मान्यवर, मैं आज आपको बात कहने आया हूं।

श्री जयराम रमेशः सर, क्रिकेट के बारे में बोलिए।

श्री अमित शाहः अभी मैंने कुछ समय में मोहब्बत की दुकान के बहुत नारे सुने हैं। मोहब्बत की दुकान देश के हर गांव में खोलने की महत्वाकांक्षा वाले लोग भी — मैंने उनके बहुत भाषण सुने हैं। मेरा उनको कहना है कि मोहब्बत दुकान से बेचने की चीज़ नहीं है, मोहब्बत प्रचार की चीज़ नहीं है, मोहब्बत दिल में बसाने का जज़्बा है और मोहब्बत दूसरों को महसूस कराने का लम्हा है, अगर इतना समझ जाएंगे तो और कोई तकलीफ नहीं होगी।

मान्यवर, अंत में मैं इतना कहना चाहता हूं कि इस देश के प्रधान मंत्री जी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव को बहुत अच्छे तरीके से एक well-designed manner में मनाने का निर्णय किया, पूरे देश में लाखों कार्यक्रम हुए। इसका meaning निकालते हैं, इसका अर्थ निकालते हैं, तो तीन उद्देश्य सामने आते हैं। बच्चे, युवा और जनता को आज़ादी के 90 वर्ष लम्बे आज़ादी के संग्राम के इतिहास की जानकारी देना, आज़ादी के गुमनाम सेना नायकों का नई पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी को परिचय कराना, 75 साल में हमने जो सिद्धियां प्राप्त की हैं, इसका गौरव 140 करोड़ भारतीयों के मन में उत्पन्न करना और जब आज़ादी के 100 साल हो जाएं, तब यह देश पूरे संसार में हर क्षेत्र में नंबर वन पर हो, ऐसे महान भारत की रचना करना। यह संकल्प अब सिर्फ श्री नरेन्द्र मोदी जी

का नहीं रहा है, यह संकल्प देश के 140 करोड़ लोगों का संकल्प हो गया है। जब भी मैं जनता के बीच में जाता हूं, तो इसको महसूस भी करता हूं।

मान्यवर, आज नरेन्द्र मोदी जी ने अमृत काल की कल्पना की है। अमृत महोत्सव की समाप्ति से शताब्दी तक हम दुनिया में हर एक क्षेत्र में एक नंबर पर हों, भारत विकसित हो हमारा गौरववान स्थान हो, तब मुझे लगता है कि महर्षि अरविंद और विवेकानंद जी ने जो कल्पना की थी कि भारत माता अपने संपूर्ण दैदीप्यमान स्वरूप के साथ दुनिया के सामने खड़ी होगी और दुनिया की आंखें भारत माता के तेज से चकाचौंध हो जाएंगी। यह स्वप्न सच होगा, इसका मुझे विश्वास है। स्वप्न सच करने एक मात्र रास्ता हमारा संविधान है और इसमें छेड़खानी करने का साहस किसी का ना हो, वह जनता को सुनिश्चित करना है। आपने मुझे मौका दिया, इसलिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Wednesday, the 18th December, 2024.

The House then adjourned at nine minutes past eight of the clock till eleven of the clock on Wednesday, the 18th December, 2024.

PUBLISHED UNDER RULE 260 OF RULES OF PROCEDURE AND CONDUCT OF BUSINESS IN THE COUNCIL OF STATES (RAJYA SABHA)